Drishti IAS

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अक्तूबर भाग-1

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 5

- NGT ने पंजाब सरकार पर जुर्माना लगाया 5
- भारत में ओपन जेलें 6
- 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंज़ूरी 12
- लोकपाल की जाँच शाखा 21
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 5 वर्ष 25
- NGT ने पंजाब सरकार पर जुर्माना लगाया 26
- भारत में ओपन जेलें 28
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा NILP के तहतसाक्षरता की परिभाषा 31
- 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंज़ूरी 34
- लोकपाल की जाँच शाखा 43
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 5 वर्ष 46

भारतीय राजनीति 48

- सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष 48
- समान ध्वस्तीकरण दिशा-निर्देशों की मांग 51
- न्यायिक नियुक्तियों में "प्रभावी परामर्श" 53

भारतीय अर्थव्यवस्था 56

- भारत में घरेलू बचत का विकास 60
- केंद्रीय व्यवसाय संघों द्वारा श्रम कल्याण की माँग 62
- भारत बना मक्के का शुद्ध आयातक 64
- RCEP को लेकर भारत करेगा पुनर्विचार 72
- PM सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना 76
- भारत में परिवर्तित होते खाद्य उपभोग स्वरुप 78

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 81

- OPEC+ ने उत्पादन में कटौती की योजना बनाई 81
- भारत-ब्राज़ील संबंधों में प्रगाढ़ता 82
- भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध 90
- तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन 92

आंतरिक सुरक्षा 98

- त्रिपुरा में शांति समझौता 98
- त्रिपुरा में शांति समझौता 100

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 104

- भारत में BioE3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी 104
- हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 109

जैव विविधता और पर्यावरण 112

- भारत विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक 112

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक न्याय 115

- LGBTQIA+ समुदाय के लिये सरकारी उपाय 115

भूगोल 124

- अरब सागर में असामान्य चक्रवात 124
- ला नीना का पूर्वानुमान 126

नीति शास्त्र 130

- न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन 130

कृषि 133

- किसानों की आय बढ़ाने हेतु 7 नई योजनाएँ 133
- चावल-गेहूँ उत्पादन का पृथक्करण 135

प्रिलिम्स फैक्ट्स 138

- एंबिपोलर विद्युत क्षेत्र 138
- खनिज अन्वेषण क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण 138
- 9KT सोने की हॉलमार्किंग 140
- देशी मवेशी नस्लों के संरक्षण हेतु पहल 141
- पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, RHUMI-1 143
- शिक्षक दिवस- 2024 144
- 7वाँ राष्ट्रीय पोषण माह 2024 148
- ग्रेडिंग रिपोर्ट में ITI का प्रदर्शन 149
- स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 152
- पेरिस पैरालिंपिक्स गेम्स 2024 154
- राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लॉन्च 155
- शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 157
- ओवेरियन कैंसर जागरूकता माह 160
- पीएम-श्री योजना 162
- फेकल माइक्रोबायोटा प्रत्यारोपण 164
- उच्च तुंगता पर पाए जाने वाले रोगजनक 165
- लॉस एंड डैमेज फंड 165

रैपिड फायर 168

- टैनेजर-1 का प्रक्षेपण 168
- रेल वन फोर्स एंड आयरन डिप्लोमेसी 168
- समुद्र प्रताप का प्रक्षेपण 168
- विश्व नारियल दिवस 2024 169
- चार CPSE को नवरत्न का दर्जा 169
- चक्रवात असना 171
- पेरिस ज़िंक रूफर्स 171
- सोशल मीडिया के लिये सेफ हार्बर प्रावधान 172
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का नियम 170 173
- कृषि अवसंरचना कोष का विस्तार 174
- ज़ाइक्लोन बी 175
- सौर चुंबकीय क्षेत्र अनुसंधान 175
- ऑपरेशन कवच 5.0 का लक्ष्य मादक पदार्थों की तस्करी 176
- एग्रीश्योर योजना 176
- श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व 177
- दादाभाई नौरोजी की 199वीं जयंती 178
- प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी 179

नोट :

- अपशिष्ट टायर प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश 179
- सड़कों की व्हाइट टॉपिंग 180
- UPI आधारित ब्लॉक मैकेनिज़्म 180
- विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा 181
- मेगा ऑयल-पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024 181
- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) 181
- अमेज़न वर्षावन 182
- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 182
- अग्नि-4 मिसाइल 183
- जल संचय जन भागीदारी पहल 183
- ग्लास सीलिंग 184
- युद्ध अभ्यास 2024 184
- अभ्यास वरुण 187
- फिलाडेल्फी कॉरिडोर 187
- ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास 188
- ग्लोबल बायो इंडिया 2024 190
- विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 191
- मिशन मौसम 191

दृष्टि The Vision

नोट :

शासन व्यवस्था

मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण

चर्चा में क्यों?

तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पवित्र प्रसाद के रूप में तिरुपति लड्डू को लेकर हाल ही में हुए विवाद से हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के मुद्दे पर प्रकाश पड़ा है।

- **लड्डुओं में मिलावटी घी** पाए जाने के बाद इन मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने की मांग फिर से उठने लगी है।

तिरुमाला वेंकटेश्वर (तिरुपति बालाजी) मंदिर

- **यह तिरुमाला, आंध्र प्रदेश में वेंकट पहाड़ी** पर स्थित है, जो तिरुमाला पहाड़ियों की सात पहाड़ियों (सप्तगिरि) में से एक है।
- यह **भगवान विष्णु के अवतार** भगवान **वेंकटेश्वर को समर्पित है।**
- इस मंदिर का इतिहास समृद्ध है जिसमें **पल्लव, चोल** और **विजयनगर शासकों सहित विभिन्न दक्षिण भारतीय राजवंशों का प्रमुख योगदान रहा है।**
  - इसमें पारंपरिक **दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला है** जिसमें ऊँचा **गोपुरम (प्रवेश द्वार)** और **जटिल नक्काशी है।**
- इस मंदिर की एक उल्लेखनीय प्रथा यह है कि **भक्तगण बाल दान करते हैं।**

भारत में पूजा स्थलों का प्रबंधन कैसे किया जाता है?

- **हिंदू मंदिर:**
  - **सरकारी नियंत्रण:** अधिकांश हिंदू मंदिरों का प्रबंधन **राज्य के नियमों के तहत किया जाता है,** कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो मंदिर प्रशासन पर सरकार को अधिकार प्रदान करते हैं।
    - उदाहरण के लिये, तमिलनाडु का **हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE)** विभाग मंदिर प्रबंधन की देखरेख करता है जिसमें वित्त और मंदिर प्रमुखों की नियुक्तियाँ शामिल हैं।
    - आंध्र **प्रदेश सरकार द्वारा तिरुपति मंदिर के** प्रबंधन हेतु उत्तरदायी, **तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD)** के प्रमुख की नियुक्ति की जाती है।
  - **आय का उपयोग:** प्रमुख मंदिरों से प्राप्त राजस्व को अक्सर **छोटे मंदिरों और सामाजिक कल्याण** पहलों जैसे **अस्पतालों, अनाथालयों और शैक्षणिक संस्थानों के रखरखाव हेतु आवंटित किया जाता है।**
  - **विधिक ढाँचा:** राज्य को हस्तक्षेप की शक्ति भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 25(2) से प्राप्त होती है** जिससे जवाबदेही सुनिश्चित करने के क्रम में **धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों के विनियमन की अनुमति मिलती है।**
    - भारत में लगभग 30 लाख पूजा स्थलों में से अधिकांश हिन्दू मंदिर हैं (**जनगणना 2011**)।
- **मुस्लिम और ईसाई पूजा स्थल:**
  - **सामुदायिक प्रबंधन:** मुस्लिम और ईसाई पूजा स्थलों की देखरेख आमतौर पर **समुदाय-आधारित बोर्डों या ट्रस्टों द्वारा की जाती है, जो** सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, जिससे विकेन्द्रीकृत प्रबंधन दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।
- **सिख, जैन और बौद्ध मंदिर:**
  - सिख, जैन और बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन राज्य स्तर पर सरकारी विनियमन के विभिन्न स्तरों के अधीन है, जबकि सामुदायिक भागीदारी की इनके प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- **राज्य विधान और हस्तक्षेप:**
  - धार्मिक बंदोबस्त और संस्थाओं को संविधान की **सातवीं अनुसूची** की **समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है जिससे केंद्र और राज्य दोनों को** इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। इससे राज्यों में **अलग-अलग विनियामक ढाँचे बन गए हैं।**
  - कुछ राज्यों जैसे **जम्मू और कश्मीर ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम,** 1988 के तहत **व्यक्तिगत मंदिरों के लिये विशिष्ट कानून** बनाए हैं, जो उनके प्रशासन एवं वित्तपोषण की रूपरेखा तैयार करते हैं।

नोट :

मंदिरों के संबंध में राज्य विनियमन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?

- **औपनिवेशिक कानून:** वर्ष 1810 और 1817 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में कानून बनाए, जिससे आय के दुरुपयोग को रोकने के लिये मंदिर प्रशासन में हस्तक्षेप की अनुमति मिल गई।
- **धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम (1863):** ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम का उद्देश्य मंदिर के नियंत्रण को समितियों को हस्तांतरित करके मंदिर प्रबंधन को धर्मनिरपेक्ष बनाना था लेकिन **नागरिक प्रक्रिया संहिता** और **धर्मार्थ तथा धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम (1920) जैसे विधिक ढाँचों के माध्यम से सरकारी प्रभाव को बनाए रखा गया।**
- **मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम (1925):** इसके तहत **हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती बोर्ड की स्थापना की** गई, जो एक वैधानिक निकाय था। इसके साथ ही प्रांतीय सरकारों को मंदिर के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें आयुक्तों के एक बोर्ड को निरीक्षण की अनुमति दी गई।
- **स्वतंत्रता के बाद:**
  - 1950 में **भारतीय विधि आयोग** ने मंदिर के धन के दुरुपयोग को रोकने के लिये कानून की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप **तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (TN HR&CE) अधिनियम, 1951** को अधिनियमित किया गया।
    - इसमें मंदिरों और उनकी संपत्तियों के प्रशासन, सुरक्षा और संरक्षण के लिये **हिंदू धार्मिक तथा धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के** गठन का प्रावधान है।
- लगभग उसी समय धार्मिक संस्थाओं को विनियमित करने के लिये बिहार में **बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 पारित किया गया।**

धार्मिक मामलों में राज्य के विनियमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 25:**
  - **अनुच्छेद 25(1)** लोगों को **अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है** जो **लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन है।**
  - **अनुच्छेद 25(2) राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने** और **सामाजिक कल्याण, सुधार** के साथ हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिये खोलने के लिये कानून बनाने की अनुमति देता है।
    - **इसलिये धार्मिक आचरण के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करने** का मुद्दा, **पूजा तक पहुँच प्रदान करने** से अलग है।
- **धार्मिक मामलों में राज्य के विनियमन से संबंधित न्यायिक उदाहरण:**
  - ***शिरूर मठ बनाम आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास मामला, 1954:*** **भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला दिया कि धार्मिक संस्थाओं को अनुच्छेद 26 (D)** के तहत स्वतंत्र रूप से अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है जब तक कि वे लोक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के विपरीत नहीं होते हैं।
    - हालांकि, राज्य धार्मिक या धर्मार्थ संस्थाओं के प्रशासन को विनियमित कर सकता है। इस मामले से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा के क्रम में महत्त्वपूर्ण मिसाल कायम हुई।
  - ***रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य मामला, 1954:*** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धार्मिक प्रथाएँ भी धार्मिक आस्था या सिद्धांतों की तरह ही धर्म का हिस्सा हैं लेकिन यह संरक्षण केवल धर्म के आवश्यक एवं अभिन्न अंगों तक ही सीमित है।
  - ***पन्नालाल बंसीलाल पित्ती बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला, 1996:*** सर्वोच्च न्यायालय ने **मंदिर प्रबंधन पर वंशानुगत अधिकारों को समाप्त करने वाले कानून को बरकरार रखा** और इस तर्क को खारिज कर दिया कि ऐसे कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने चाहिये।
  - ***स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला, 1977:*** *सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि* ***अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का प्रचार करने के अधिकार में*** *जबरन धर्मांतरण* ***का अधिकार शामिल नहीं है। इस फैसले ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को बरकरार रखा।***

नोट :

मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग

- **RSS द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव (1959):** **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)** ने अपना **पहला प्रस्ताव पारित किया जिसमें मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की गई, जिसमें** धार्मिक संस्थानों के स्व-प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- **काशी विश्वनाथ मंदिर मामला (1959):** अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (ABPS) ने उत्तर प्रदेश सरकार से काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन हिंदुओं को वापस करने का आग्रह किया तथा धार्मिक मामलों पर राज्य के एकाधिकार की आलोचना की।
- **हालिया घटनाक्रम (2023):** मध्य प्रदेश सरकार ने मंदिरों पर राज्य की निगरानी में ढील देने के लिये कदम उठाए हैं जो धार्मिक संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण के पुनर्मूल्यांकन की बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत है।

पूजा स्थलों पर राज्य के नियंत्रण के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं?

- **राज्य के नियंत्रण के पक्ष में तर्क:**
  - **कुप्रबंधन को रोकना:** सरकारी नियंत्रण से **मंदिर के धन के प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ** इसके दुरुपयोग में कमी आती है।
  - **सभी जातियों को प्रवेश:** राज्य पर्यवेक्षण से **सामाजिक सुधारों को लागू करने में मदद मिलती है,** जैसे सभी जातियों के लोगों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देना।
  - **कल्याणकारी गतिविधियाँ:** बड़े मंदिर, **अस्पतालों और स्कूलों जैसी कल्याणकारी गतिविधियों के लिये धन मुहैया कराते हैं।** सरकारी निगरानी से सुनिश्चित होता है कि इन निधियों का **उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिये किया जाए।**
  - **व्यावसायीकरण से संरक्षण:** राज्य द्वारा मंदिरों को निहित स्वार्थों से होने वाले शोषण से बचाया जा सकता है।
- **राज्य नियंत्रण के विरुद्ध तर्क:**
  - **धार्मिक स्वतंत्रता:** संविधान का **अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने के अधिकार की गारंटी देता है** और राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप इस अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
  - **राजनीतिक हस्तक्षेप:** मंदिरों पर राज्य नियंत्रण के परिणामस्वरूप अक्सर **राजनीतिक हस्तक्षेप होता है,** मंदिर के संसाधनों में हेराफेरी की जाती है और धन का गैर-धार्मिक उद्देश्यों में उपयोग किया जाता है।
  - **भेदभावपूर्ण:** हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को भेदभावपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अन्य धार्मिक पूजा **स्थलों पर समान नियंत्रण** नहीं लगाया जाता है।
  - **सांस्कृतिक स्वायत्तता:** मंदिर सांस्कृतिक केंद्र हैं और उनका प्रबंधन **स्थानीय समुदाय के हितों** (न कि राज्य के) **में होना चाहिये।**

आगे की राह:

- **धार्मिक और प्रशासनिक क्षेत्रों का पृथक्करण:** प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिये **धार्मिक कार्यों और धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक कार्यों** के बीच **स्पष्ट रेखा खींचना** आवश्यक है।
- **सुशासन सिद्धांत:** राज्य के अधिकारियों से मिलकर एक **राज्य स्तरीय मंदिर प्रशासन बोर्ड का** गठन किया जा सकता है, जो **मंदिर प्रबंधन समिति (TMC)** और स्थानीय **मंदिर स्तरीय ट्रस्टों के साथ मिलकर कार्य करेगा,** जिसमें पुजारी एवं समुदाय के सदस्य शामिल होंगे, ताकि **विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की देखरेख की जा सके।**
  - **हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, 1991 में** भी ऐसे मंदिर प्रशासन बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है।
- **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV): सभी मंदिरों के लिये विकास पहलों को संभालने के लिये** एक **मंदिर विकास और संवर्द्धन निगम (TDC)** बनाया जाना चाहिये, **जिसमें पर्यटन, मंदिर नेटवर्किंग, अनुसंधान संवर्द्धन, आईटी संवर्द्धन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना: केरल में देवास्वोम मॉडल,** जो **जवाबदेही और पारदर्शिता पर ज़ोर देता है, मंदिर प्रबंधन में भ्रष्टाचार को कम करने** के लिये एक प्रभावी ढाँचे के रूप में कार्य करता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में पूजा स्थलों पर राज्य के नियंत्रण का धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव का परिक्षण कीजिये। संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से चर्चा कीजिये।

खाद्य भोजनालयों के संबंध में राज्य विनियमन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **उत्तर प्रदेश** (UP) सरकार ने सभी खाद्य दुकानों पर **संचालकों, मालिकों, प्रबंधकों** और अन्य संबंधित कर्मियों के **नाम** प्रमुखता से प्रदर्शित करने को अनिवार्य कर दिया है।

- उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नवीनतम आदेशों के लिये **खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाओं की रिपोर्टों का हवाला दिया है**, जैसे कि खाद्य पदार्थों का **मानव अपशिष्ट या अन्य अखाद्य पदार्थों से संदूषित होना।**

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSSA) के अंतर्गत मौजूदा खाद्य सुरक्षा आवश्यकताएँ क्या हैं?

- **पंजीकरण या लाइसेंस:** FSSA के अंतर्गत, खाद्य व्यवसाय संचालकों को **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)** से पंजीकरण कराना या लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।
  - पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस, जिसमें **मालिक की पहचान** और प्रतिष्ठान का स्थान दर्शाया गया हो, परिसर में **प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिये।**
- **बिना लाइसेंस के दंड:** FSSA की **धारा 63** के तहत, **बिना लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय करने वाले किसी भी संचालक को छह महीने** तक की **जेल और 5 लाख रुपए** तक का जुर्माना हो सकता है।
  - यह प्रावधान उचित **लाइसेंसिंग और सूचना के प्रदर्शन** के महत्त्व पर बल देता है।
- **FSSA विनियमों का गैर-अनुपालन:** यदि कोई खाद्य व्यवसाय संचालक **FSSA** के प्रावधानों का **उल्लंघन करता है, तो उसे धारा 31** के अंतर्गत '**इम्प्रूवमेंट नोटिस**' प्राप्त हो सकता है।
  - यदि ऑपरेटर, नोटिस के **अनुपालन** में विफल रहता है, तो उसका **लाइसेंस निलंबित या रद्द** किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, **धारा 58 में ऐसे उल्लंघनों के लिये 2 लाख रुपए** तक के जुर्माने का प्रावधान है, जिनके लिये कोई विशिष्ट दंड निर्धारित नहीं है।

FSSA के अंतर्गत नियम बनाने की राज्य सरकारों की शक्तियाँ क्या हैं?

- **राज्य प्राधिकरण:** FSSA की **धारा 94 राज्य सरकारों को** FSSAI की **पूर्व स्वीकृति** से **नियम** बनाने की अनुमति प्रदान करती है।
- **अतिरिक्त कार्यों का आवंटन:** राज्य सरकारें FSSA की **धारा 30** के तहत नियुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त को **अतिरिक्त कार्य और कर्त्तव्य निर्धारित कर सकती हैं।**
  - इसमें राज्य के अधिकार क्षेत्र में **खाद्य सुरक्षा** से संबंधित मामलों पर नियम बनाना शामिल है, जो केंद्र सरकार की निगरानी के अधीन होगा।
- **राज्यों द्वारा नियम बनाने की प्रक्रिया:** FSSA की **धारा 94(3)** के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को राज्य विधानमंडल द्वारा प्रकाशित और अनुमोदित किया जाना चाहिये।

ऐसे आदेशों पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने **हस्तक्षेप करते हुए वर्ष 2024 की कांवड़ यात्रा** के लिये **उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस** द्वारा जारी किये गए इसी तरह के आदेशों पर रोक लगा दी, जिसमें खाद्य विक्रेताओं को अपनी पहचान प्रदर्शित करना अनिवार्य था।
- हालाँकि न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSA)** एक **"सक्षम प्राधिकारी" को** ऐसे आदेश जारी करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन पुलिस इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती।

राज्य सरकार के ऐसे आदेशों को न्यायालय में चुनौती क्यों दी जाती है?

- **अनुच्छेद 15 का उल्लंघन:** आलोचकों का तर्क है कि ऐसे आदेश व्यक्तियों को अपनी **धार्मिक और जातिगत पहचान** प्रकट करने के लिये मजबूर करते हैं तथा **धर्म एवं जाति** के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते हैं, जो संविधान के **अनुच्छेद 15(1)** का उल्लंघन है।
  - **अनुच्छेद 15(1)** में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के** आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।"
- **अनुच्छेद 17 का उल्लंघन:** यह अप्रत्यक्ष रूप से **अस्पृश्यता** की प्रथा का समर्थन कर सकता है, जिसे संविधान के **अनुच्छेद 17** के तहत समाप्त और निषिद्ध किया गया था।
- **अनुच्छेद 19 का उल्लंघन: आलोचकों का तर्क है कि यह आदेश विशिष्ट समुदाय के** पूर्ण आर्थिक बहिष्कार के लिये स्थितियाँ उत्पन्न करता है और **अनुच्छेद 19(1)(g)** के तहत किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने का अधिकार का उल्लंघन करता है।

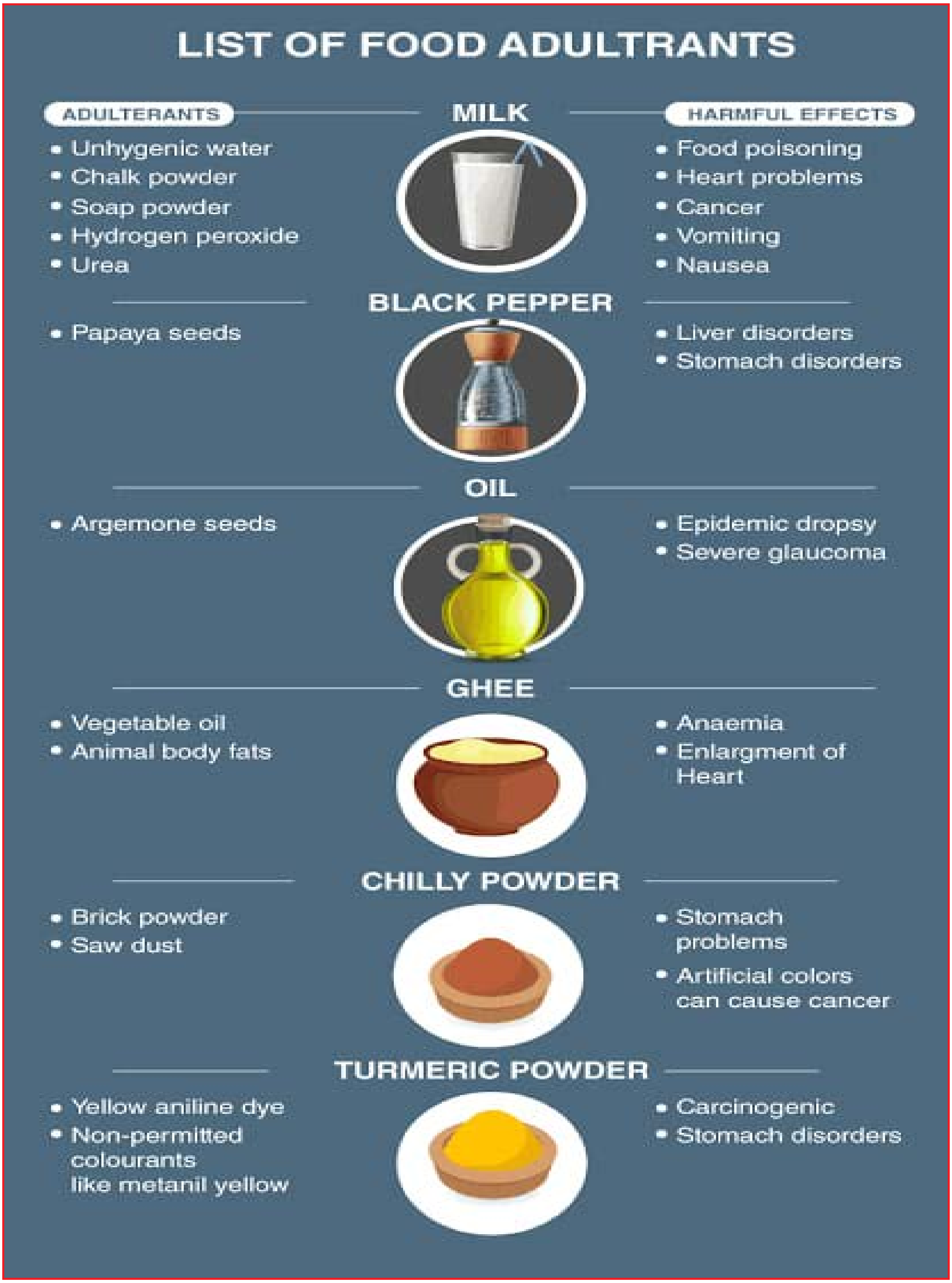
LIST OF FOOD ADULTRANTS
ADULTERANTS
HARMFUL EFFECTS
MILK
• Unhygenic water
• Chalk powder
• Soap powder
• Hydrogen peroxide
• Urea
• Food poisoning
• Heart problems
• Cancer
• Vomiting
• Nausea
BLACK PEPPER
• Papaya seeds
• Liver disorders
• Stomach disorders
OIL
• Argemone seeds
• Epidemic dropsy
• Severe glaucoma
GHEE
• Vegetable oil
• Animal body fats
• Anaemia
• Enlargment of Heart
CHILLY POWDER
• Brick powder
• Saw dust
• Stomach problems
• Artificial colors can cause cancer
TURMERIC POWDER
• Yellow aniline dye
• Non-permitted colourants like metanil yellow
• Carcinogenic
• Stomach disorders

नोट :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य मिलावट को रोकने के लिये सामान्य प्रावधान क्या हैं?

- **खाद्य योज्यों का उपयोग**- किसी खाद्य पदार्थ में कोई **खाद्य योज्यक या प्रसंस्करण सहाय्य तब तक अंतर्विष्ट नहीं होगा,** जब तक कि वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार न हो।
- **विषैले पदार्थ और भारी धातुएँ**- किसी खाद्य पदार्थ में ऐसी मात्रा से (जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए) अधिक मात्रा में संदूषक, **प्राकृतिक रूप से व्युत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ, टाक्सिन्स या हार्मोन या भारी धातु** नहीं होगी।
- **कीटनाशक, पशु चिकित्सीय औषधि अवशिष्ट**- किसी खाद्य पदार्थ में उतनी सहाय्य सीमा से (जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए) अधिक **कीटनाशक, पशु चिकित्सीय औषध अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट, विलय अवशिष्ट, भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थ और सूक्ष्मजीव काउंट** अतंर्विष्ट नहीं होंगे।
  - **कीटनाशी अधिनियम, 1968** के अधीन **रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित धूमकों को छोड़कर किसी कीटनाशी का प्रयोग** किसी खाद्य पदार्थ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा।
- **आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ** -इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति कोई आदर्श खाद्य, **आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ,** विकिरणित खाद्य, **जैविक खाद्य,** विशेष आहार उपयोगों के खाद्य, फलीय कृतकारी खाद्य, पोषणीय, स्वास्थ्यपूरक तत्त्व, निजस्वमूलक खाद्य और इसी प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थों का विनिर्माण, वितरण, विक्रय या आयात नहीं करेगा।
- **पैकेजिंग और लेबलिंग:** खाद्य उत्पादों की निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार पैकेजिंग और लेबलिंग की जानी चाहिये।
  - परंतु लेबलों पर ऐसा कोई कथन, दावा, डिज़ाइन या युक्ति अंतर्विष्ट नहीं होगी जो पैकेज में **अंतर्विष्ट खाद्य उत्पाद के संबंध में किसी विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक** हो।
- **अनुचित व्यापार व्यवहार**- किसी ऐसे खाद्य का कोई ऐसा विज्ञापन नहीं दिया जाएगा जो भ्रामक या प्रवंचनापूर्ण हो या इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला हो।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण क्या है?

- **परिचय:** FSSAI **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय** है।
  - वर्ष 2006 के अधिनियम में खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न कानून शामिल हैं, जैसे कि **खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश,** 1973 आदि।
- **FSSAI के कार्य: FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** के अधीन कार्य करते हुए भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को विनियमित करके **लोक स्वास्थ्य की** रक्षा और संवर्द्धन के लिये ज़िम्मेदार है।
  - **परिणामस्वरूप, FSSAI की स्थापना वर्ष 2008** में की गई लेकिन खाद्य प्राधिकरण के अंतर्गत इसका कार्य वर्ष **2011 से शुरू हुआ,** जब इसके नियम और प्रमुख विनियमन अधिसूचित किये गए।
- **FSSAI की शक्तियाँ:**
  - खाद्य उत्पादों और योजकों के लिये **विनियमों तथा मानकों** का निर्धारण।
  - खाद्य व्यवसायों को **लाइसेंस और रजिस्ट्रीकरण** प्रदान करना।
  - खाद्य सुरक्षा कानूनों और विनियमों का प्रवर्तन।
  - खाद्य सुरक्षा और **गुणवत्ता की निगरानी तथा पर्यवेक्षण।**
  - खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर **जोखिम मूल्यांकन और वैज्ञानिक अनुसंधान का** संचालन करना।
  - खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर **प्रशिक्षण तथा जागरूकता** बढ़ाना।
  - खाद्य सुदृढ़ीकरण और **जैविक खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहन।**
  - खाद्य सुरक्षा मामलों पर अन्य एजेंसियों और हितधारकों के साथ समन्वय करना।
- **FSSAI की संरचना:** FSSAI में एक **अध्यक्ष** और 22 **सदस्य होते हैं,** जिनमें से **एक तिहाई महिलाएँ होती हैं।**
  - FSSAI के अध्यक्ष **एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  - इसके अध्यक्ष, भारत सरकार के **सचिव के स्तर के होते हैं।**

- FSSAI की पहल:
  - विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस
  - ईट राइट इंडिया
  - राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक
  - RUCO (प्रयुक्त खाद्य तेल का पुन: उपयोग)
  - खाद्य सुरक्षा मित्र
  - 100 फूड स्ट्रीट्स

निष्कर्ष:

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA) के प्रावधान राज्य सरकारों को **राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को** सुनिश्चित करते हुए खाद्य सुरक्षा को प्रभावी ढंग से विनियमित करने का अधिकार देते हैं। **खाद्य योजकों, संदूषकों और विज्ञापन प्रथाओं** पर नियम निर्धारित करके, FSSA का उद्देश्य उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ खाद्य उद्योग में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSA) के तहत मौजूदा प्रावधानों का परीक्षण कीजिये।

बच्चों के लिये सोशल मीडिया विनियमन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, ऑस्ट्रेलियाई **प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के उपयोग हेतु न्यूनतम आयु** लागू करने की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया के संभावित खतरों से बचाना है।

- यह पहल **बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में है,** विशेष रूप से महामारी के बाद, जिसमें युवाओं के बीच स्क्रीन समय में वृद्धि देखी गई।
- **शेयरेंटिंग: यह "शेयरिंग" और "पेरेंटिंग"** शब्दों का संयोजन है।
- यह माता-पिता की अपने बच्चों के बारे में फोटो, वीडियो या अन्य जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करने की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में वैश्विक नियामक प्रयास क्या हैं?

सोशल मीडिया:

- सोशल मीडिया लोगों के बीच संवाद (वेबसाइटों और ऐप्स का संग्रह) के माध्यम को संदर्भित करता है जिसमें वे आभासी समुदायों और नेटवर्क में **जानकारी एवं विचारों का निर्माण, साझा और/या** आदान-प्रदान करते हैं। **उदाहरण: फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन** आदि।
- समाचार पत्र एक प्रकार का प्रिंट मीडिया है जिसे **सोशल मीडिया नहीं** माना जाता है। यह मीडिया का एक पारंपरिक रूप है जिसमें पत्रिकाएँ, जर्नल और समाचार पत्र शामिल हैं।

भारत में:

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023 का उद्देश्य **बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करना है।** DPDPA की धारा 9 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के डेटा को संभालने के लिये 3 शर्तें बताई गई हैं।
  - **सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति:** कंपनियों को माता-पिता या अभिभावक से सहमति प्राप्त करनी होगी।
  - **बाल कल्याण के साथ संरेखण:** व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण में बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - **निगरानी और विज्ञापन पर प्रतिबंध:** बच्चों पर नज़र रखने, व्यवहारिक निगरानी और लक्षित विज्ञापन पर प्रतिबंध है।
- **कर्नाटक उच्च न्यायालय:** स्कूली बच्चों में अत्यधिक लत और इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए, कर्नाटक **उच्च न्यायालय ने** केंद्र सरकार को वर्ष 2023 में **सोशल मीडिया तक पहुँच** के लिये **21 वर्ष की आयु सीमा लागू करने का सुझाव दिया।**

वैश्विक संदर्भ

- **दक्षिण कोरिया:** सिंड्रेला लॉ, जिसे **शटडाउन लॉ** के नाम से भी जाना जाता है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मध्यरात्रि से सुबह 6 बजे के बीच ऑनलाइन गेम खेलने से प्रतिबंधित करता है।
  - इंटरनेट की लत से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिये वर्ष 2011 में यह कानून पारित किया गया था और अगस्त 2021 में इसे समाप्त कर दिया गया।

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अमेरिका द्वारा **बच्चों के लिये ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम (COPPA), 1998 पारित किया गया,** जिसके तहत वेबसाइटों को 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों से डेटा एकत्र करने से पहले **उनके माता-पिता की सहमति लेना आवश्यक है,** जिसके कारण कई प्लेटफार्मों ने इस आयु वर्ग के लिये पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया है।
  - **वर्ष 2000 के बाल इंटरनेट संरक्षण अधिनियम (CIPA)** के अनुसार संघीय निधि प्राप्त करने वाले **स्कूलों और पुस्तकालयों** को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री को फिल्टर करना अनिवार्य है।
- **यूरोपीय संघ:** वर्ष 2015 में, यूरोपीय संघ ने **16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता की सहमति के बिना** इंटरनेट तक पहुँच पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून प्रस्तावित किया था।
  - जनरल **सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) (डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन),** 2018 यूरोपीय संघ में **सख्त डेटा गोपनीयता मानक निर्धारित करता है, जो उपयोगकर्त्ताओं को उनकी व्यक्तिगत जानकारी पर नियंत्रण** प्रदान करता है तथा एक वैश्विक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** ब्रिटेन, जब वह यूरोपीय संघ का हिस्सा था, ने माता-पिता की सहमति से इंटरनेट तक ऑनलाइन पहुँच हेतु आयु 13 वर्ष निर्धारित की थी। मई 2024 में, एक सरकारी पैनल ने इसे बढ़ाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की। ब्रिटेन ने **ऐज एप्रोप्रियेट डिज़ाइन कोड भी पेश किया,** जिसके तहत प्लेटफॉर्म को मज़बूत डिफॉल्ट सेटिंग्स लागू करने के साथ जोखिमों को कम करके बच्चों की सुरक्षा एवं गोपनीयता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है।
- **फ्राँस:** जुलाई 2023 में, फ्राँस ने एक **कानून पारित किया, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को** माता-पिता की अनुमति के बिना 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ब्लॉक करना होगा, तथा **गैर-अनुपालन के लिये वैश्विक बिक्री के 1% तक** का जुर्माना लगाया जाएगा।
  - इसके अलावा, यदि **16 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा प्रभावशाली व्यक्ति** के रूप में करता करता है और आय अर्जित करता है, तो उसके माता-पिता उस आय तक तब तक नहीं पहुँच **सकते जब तक कि बच्चा 16 वर्ष की आयु का न हो जाए।**
- **चीन:** अगस्त 2023 में, चीन ने बच्चों के इंटरनेट के उपयोग पर सख्त सीमाएँ निर्धारित कीं: **16-18 वर्ष की आयु के नाबालिग प्रतिदिन दो घंटे, 8-15 वर्ष की आयु के बच्चे एक घंटे और 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे 40 मिनट तक इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं,** तथा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
  - **विकास-केंद्रित ऐप्स के लिये अपवाद लागू होते हैं।**
- **ब्राज़ील:** नाबालिगों के लिये ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार करने हेतु लैटिन अमेरिका में बड़े पहल के हिस्से के रूप में, ब्राज़ील ने अप्रैल 2023 में बच्चों के डेटा की सुरक्षा के लिये नियम पारित किये, जिसमें डिजिटल व्यवसायों द्वारा इस जानकारी को एकत्र करने और प्रबंधित करने के तरीके पर प्रतिबंध लगाए गए।

भारत में डिजिटल साक्षरता की स्थिति:

- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)** वर्ष 2021 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में डिजिटल साक्षरता कम है, **केवल 40%** भारतीय ही **सामान्यतः कंप्यूटर कार्यों** को जानते हैं।
- टियर 2 और टियर 3 शहरों में किये गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि **80% बच्चे अपने माता-पिता को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नेविगेट** करने में मदद करते हैं, जो डिजिटल अंतर को दर्शाता है।
- इसके अतिरिक्त, भारत की **भाषाई विविधता और समान डिवाइस-साझाकरण प्रथाओं के** कारण समूची आबादी में **सुसंगत डिजिटल सुरक्षा** उपायों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

बच्चों के लिये सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने के क्या कारण हैं?

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: हानिकारक सामग्री, साइबर धमकी** और **ऑनलाइन शिकारियों के संपर्क में** आने से बच्चों के लिये जोखिम उत्पन्न होता है।
  - **सोशल मीडिया के उपयोग से बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ** भी बढ़ जाती हैं, जिनमें चिंता और अवसाद शामिल हैं।

- **पोर्नोग्राफी:**सोशल मीडिया पर स्पष्ट जानकारी की अधिकता युवाओं को ऐसी सामग्री के संपर्क में लाती है जो उनकी उम्र के लिये अनुचित है, जिसका उनके रिश्तों और कामुकता के प्रति दृष्टिकोण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **भ्रामक:** सोशल मीडिया भ्रामक जानकारी का स्रोत हो सकता है, बच्चे दुष्प्रचार से प्रभावित होने के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।
- **वास्तविक जीवन में संबंधों को बढ़ावा देना:** प्रतिबंध से बच्चों को **आमने-सामने संवाद करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा,** जिससे बेहतर सामाजिक कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा मिलेगा।
- **तकनीकी उत्तरदायित्व:** ऐसे तर्क दिये जा रहे हैं कि बच्चों के लिये सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिये तकनीकी कंपनियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिये, न कि केवल अभिभावकों की निगरानी पर निर्भर रहना चाहिये।

बच्चों के लिये सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध मुद्दे क्या हैं?

- **प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ:** डिजिटल वातावरण में प्रतिबंधों को लागू करना मुश्किल है। बच्चे **अक्सर आयु प्रतिबंधों को दरकिनार करने के तरीके खोज लेते हैं, जैसा कि दक्षिण कोरिया के सिंड्रेला कानून** की विफलता से स्पष्ट है।
- **अभिभावकों पर बोझ:** आयु संबंधी प्रतिबंध लागू करने से अभिभावकों पर अनुचित बोझ पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ डिजिटल साक्षरता कम है।
  - कई **अभिभावकों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से काम करने के कौशल का अभाव हो सकता है,** जिससे उनके बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **सकारात्मक सहभागिता की हानि:** सोशल मीडिया सीखने, समाजीकरण और रचनात्मकता **के लिये मूल्यवान अवसर प्रदान कर सकता है।**
  - पूर्ण प्रतिबंध से बच्चे इन लाभों से वंचित हो सकते हैं तथा भविष्य में रोज़गार के लिये आवश्यक डिजिटल कौशल विकसित करने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** नाबालिगों को अपनी बात कहने और जानकारी तक पहुँचने का अधिकार है। प्रतिबंध इन अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, जिससे विविध विचारों और समुदायों के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है।
- **सोशल मीडिया के लाभ:** सोशल मीडिया युवाओं को सहायक नेटवर्क से जोड़कर समुदाय निर्माण को बढ़ावा देता है, जो उनकी पहचान की पुष्टि करता है, साथ ही यह युवाओं को वैश्विक मुद्दों और रुझानों से संबंधित जानकारी प्रदान करने और सीखने के लिये एक मूल्यवान उपकरण के रूप में भी कार्य करता है।

आगे की राह

- **शिक्षा और जागरूकता: सुरक्षित ऑनलाइन नेविगेशन,** गोपनीयता और जोखिमों को पहचानने की शिक्षा देने के लिये स्कूलों में **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम** शुरू करने की आवश्यकता है।
  - इसके अतिरिक्त, सिगरेट की पैकेजिंग की तरह, **किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों को** उजागर करने के लिये **सोशल मीडिया ऐप्स पर चेतावनी लेबल** होने चाहिये।
- **सुरक्षित प्लेटफॉर्म डिज़ाइन:** तकनीकी कंपनियों को सुरक्षात्मक सुविधाओं और उपयोगकर्त्ता-अनुकूल गोपनीयता सेटिंग्स को लागू करके बाल सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- **सहयोगात्मक विनियमन:** सरकारों, शिक्षकों और तकनीकी फर्मों को ऐसे विनियमों पर सहयोग करना चाहिये, जो डिजिटल जुड़ाव के साथ सुरक्षा को संतुलित करते हों, तथा इसके लिये **UK के आयु-उपयुक्त डिज़ाइन कोड जैसे मॉडलों को अपनाना चाहिये।**
- **निगरानी और मूल्यांकन:** तकनीकी कंपनियों की ओर से पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करते हुए, नियमों और प्लेटफॉर्म के परिवर्तनों का निरंतर मूल्यांकन करना।
- **अभिभावकों की भागीदारी: अभिभावकों को अच्छी ऑनलाइन आदतों को अपनाने तथा** अपने बच्चों के साथ डिजिटल अनुभवों पर चर्चा करने के लिये प्रोत्साहित करने तथा उन्हें प्लेटफॉर्म को समझने में सहायता के लिये संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयु प्रतिबंध लागू करने में चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने में माता-पिता, शैक्षणिक संस्थानों और तकनीकी कंपनियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिये।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 3 वर्ष

चर्चा में क्यों?

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) ने 27 सितंबर को अपनी तीन वर्ष की यात्रा पूरी कर ली, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा में पहुँच, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाकर देश के डिजिटल स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम में क्रांति लाना है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) क्या है?

- **परिचय:**
  - इसे **वर्ष 2021 में** सभी भारतीय नागरिकों को **डिजिटल स्वास्थ्य ID** प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था ताकि अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुँचने में सहायता मिल सके।
  - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ABDM की कार्यान्वयन एजेंसी है।
- **ABDM की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **नागरिकों के लिये विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्त्ता:** प्रत्येक व्यक्ति के लिये विशिष्ट स्वास्थ्य **ABHA ID**, जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संग्रहीत और प्रबंधित करने हेतु मज़बूत व भरोसेमंद पहचान स्थापित करती है।
  - **स्वास्थ्य सेवा व्यवसायी रजिस्ट्री (HPR):** आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में संलग्न सभी स्वास्थ्य व्यवसायियों का व्यापक संग्रह, जो भारत के डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम से जुड़ने में सक्षम बनाएगा।
  - **स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (HFR):** अस्पतालों, क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों सहित चिकित्सा की सभी प्रणालियों में सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक भंडार।
  - **एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस (UHI):** यह स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश और प्रदायगी को सुगम बनाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा संबंधी अंत:क्रियाएँ सुव्यवस्थित होती हैं और सेवा तक पहुँच में सुधार होता है।
  - **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** **DPDP अधिनियम, 2023** के अनुरूप, ABDM की संघीय संरचना रोगी के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और उसके सुरक्षित साझाकरण को सुनिश्चित करती है।
  - **पारदर्शिता:** यह व्यक्तियों को सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच कायम करने का विकल्प प्रदान करती है, दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है तथा मूल्य निर्धारण व जवाबदेही में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।
- **ABDM की महत्त्वपूर्ण पहल:**
  - **स्कैन और शेयर:** एक क्यूआर-कोड आधारित OPD पंजीकरण सेवा है, जिससे रोग उक्त सुविधा के क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी साझा कर सकते हैं। इससे पंजीकरण काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों में कमी आती है तथा अधूरे और गलत डेटा की प्रविष्टि होने में कमी आती है।
  - **डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (DHIS):** **डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (DHIS)** अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशालाओं और डिजिटल स्वास्थ्य समाधान प्रदाताओं को विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से परिवर्तनकारी डिजिटलीकरण प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करती है।
  - **निजी क्षेत्र के अपनाने के लिये माइक्रोसाइट:** माइक्रोसाइट पहल का उद्देश्य विशेष रूप से निजी क्षेत्र के प्रदाताओं के लिये ABDM अपनाने की दिशा में विभिन्न चुनौतियों से निपटना है, इसके तहत 100 के प्रारंभिक लक्ष्य को पार करते हुए 106 माइक्रोसाइटों को सफलतापूर्वक परिचालित किया गया है।
  - **एंड टू एंड ABDM अपनाने का परीक्षण:** इस परीक्षण का उद्देश्य पूरे भारत में विभिन्न सुविधाओं के स्तर पर सार्वजनिक और निजी सुविधाओं को एंड टू एंड ABDM अपनाने के माध्यम से डिजिटल बनाना है तथा भविष्य के प्रयासों के लिये मानक के रूप में आदर्श सुविधाओं की स्थापना करना है।
  - **नए पोर्टल:** NHA ने **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग** के लिये **राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (NMC)** और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा परिषद के लिये **राष्ट्रीय दंत चिकित्सा रजिस्टर (NDR)** जैसे पोर्टल भी विकसित किये हैं।

नोट:
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार **शीर्ष निकाय है।**
- इसकी **स्थापना 2 जनवरी 2019 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत की गई थी।

नोट :

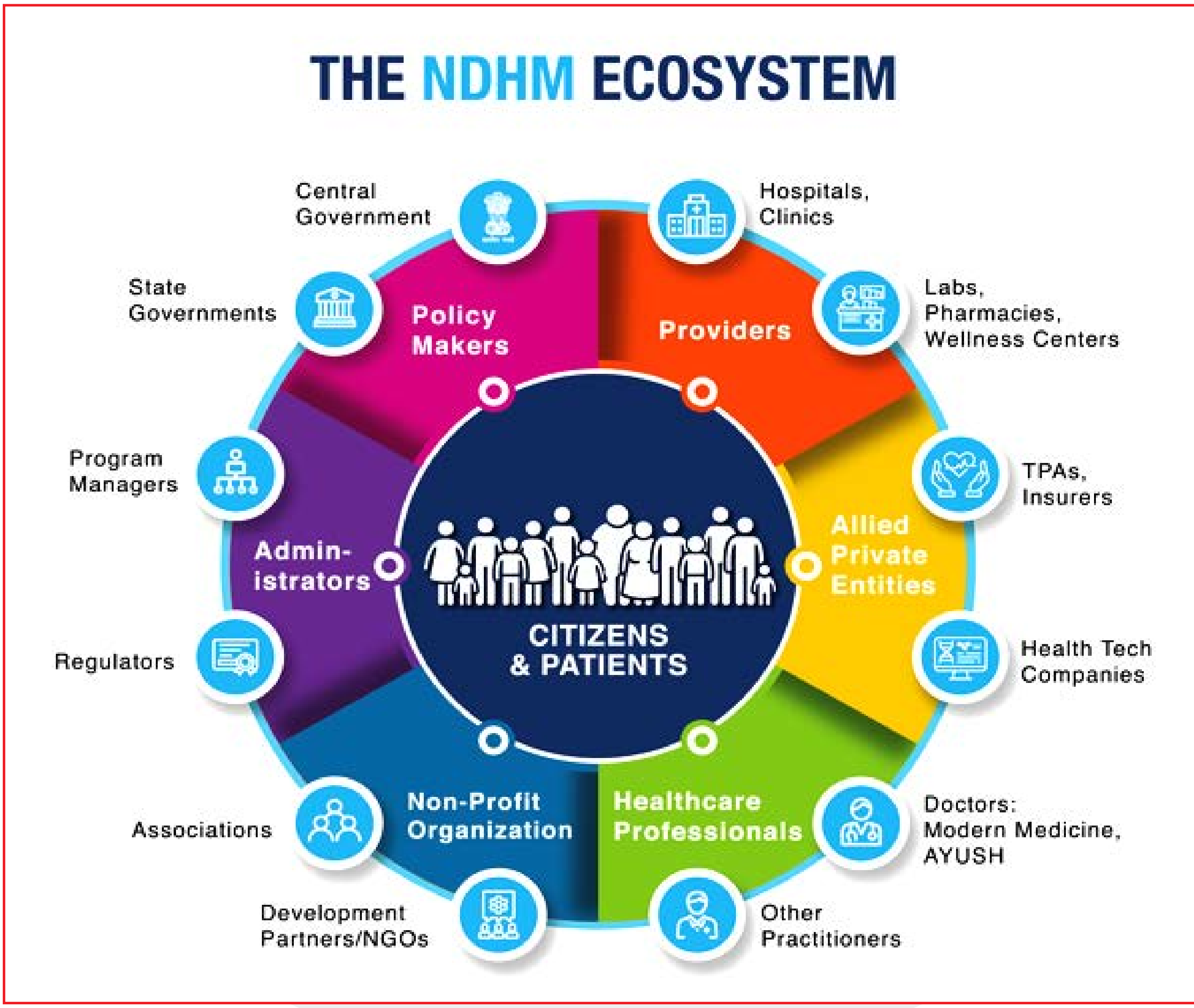

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) की उपलब्धियाँ क्या हैं?

- **ABHA ID:** सितंबर 2024 तक **67 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA)** बनाए गए हैं, जो नागरिकों को सुरक्षित पहुँच और स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करने के लिये विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करेंगी।
  - इसके अतिरिक्त, 42 करोड़ से अधिक **स्वास्थ्य रिकॉर्ड ABHA** से जोड़े गए हैं, जिससे चिकित्सा इतिहास तक सहज पहुँच संभव हुई है और स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में वृद्धि हुई है।
- **एकीकरण:** प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों और डिजिटल समाधान कंपनियों सहित 236 से अधिक **निजी संस्थाओं ने** अंतर-परिचालन को समर्थन देने के लिये **ABDM इकोसिस्टम** के साथ एकीकरण किया है।
  - **एम्स दिल्ली व एम्स भोपाल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र** संस्थान स्कैन और शेयर OPD पंजीकरण बनाने की दिशा में शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता के रूप में उभरे हैं।
  - अग्रणी **निजी स्वास्थ्य सेवा शृंखलाओं ने** भी ABDM की सफलता में प्रमुख भूमिका निभाई है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रजिस्ट्री (NHPR): NHPR** के शुभारंभ के साथ, **3.3 लाख स्वास्थ्य सुविधाओं और 4.7 लाख स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों** का पंजीकरण हुआ है।
  - NHPR पंजीकृत स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक भंडार है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) से संबंधित प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **सीमित डिजिटल ढाँचा:**
  - कई ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्र **अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और कम डिजिटल साक्षरता से ग्रस्त हैं,** जिससे ABDM के साथ प्रभावी जुड़ाव तथा पहुँच में बाधा आ रही है।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा चिंताएँ:**
  - स्वास्थ्य अभिलेखों के डिजिटलीकरण से **डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और सहमति प्रबंधन** के विषय में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं तथा संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा में चुनौतियाँ उजागर होती हैं।
- **लागत एवं संसाधन आवंटन:**
  - उच्च कार्यान्वयन लागत व बुनियादी ढाँचा, **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिये अपर्याप्त सरकारी वित्तपोषण के** कारण छोटे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और चिकित्सकों के लिये ABDM को अपनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- **विनियामक और कानूनी ढाँचा:**
  - डिजिटल स्वास्थ्य के लिये विकसित हो रहे विनियामक ढाँचे, जिसमें अस्पष्ट डेटा संरक्षण कानून और रोगी सहमति दिशानिर्देश शामिल हैं, स्वास्थ्य डेटा स्वामित्व एवं प्रबंधन के संबंध में जवाबदेही व ज़िम्मेदारी में अस्पष्टता उत्पन्न करते हैं।

आगे की राह

- **डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना:** ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ाने में निवेश किया जा सकता है ताकि ABDM तक समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके। दूरसंचार प्रदाताओं के साथ सहयोग से मज़बूत डिजिटल नेटवर्क की स्थापना में सहायता मिल सकती है।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना:** गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये व्यापक डेटा सुरक्षा विनियम और साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करना। सख्त सहमति प्रबंधन ढाँचे को लागू करने से संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा करने और उपयोगकर्त्ताओं के बीच विश्वास बनाने में सहायता मिलेगी।
- **बढ़ी हुई फंडिंग और संसाधन आवंटन:** ABDM के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिये पर्याप्त सरकारी संसाधन आवंटित करना, विशेष रूप से छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये। इसमें बुनियादी ढाँचे के विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहलों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
- **एक स्पष्ट विनियामक ढाँचा स्थापित करना:** एक सुसंगत और व्यापक विनियामक ढाँचा तैयार करना जो डेटा सुरक्षा कानून, रोगी सहमति दिशानिर्देश व जवाबदेही उपायों को परिभाषित करता है। इससे स्वास्थ्य डेटा स्वामित्व और प्रबंधन के विषय में ज़िम्मेदारियाँ स्पष्ट होंगी, जिससे एक सुरक्षित व भरोसेमंद डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के प्रमुख घटकों पर चर्चा कीजिये और भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर इसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण कीजिये?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान 2020-21 और 2021-22

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिये** राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान जारी किये हैं।

- ये रिपोर्टें **NHA शृंखला के आठवें और नौवें संस्करण हैं,** जिनसे देश के स्वास्थ्य देखभाल व्यय का व्यापक अवलोकन मिलता है।

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिये NHA अनुमानों के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **स्वास्थ्य में सरकारी व्यय (GHE) में वृद्धि:** **सकल घरेलू उत्पाद** में **GHE** की हिस्सेदारी वर्ष **2014-15 के 1.13% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 1.84% हो गई।**
  - **सामान्य सरकारी व्यय (GHE)** में GHE की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 3.94% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 6.12% हो गई।
  - यह वृद्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता (विशेष रूप से **कोविड-19 महामारी** की प्रतिक्रिया में) को दर्शाती है।

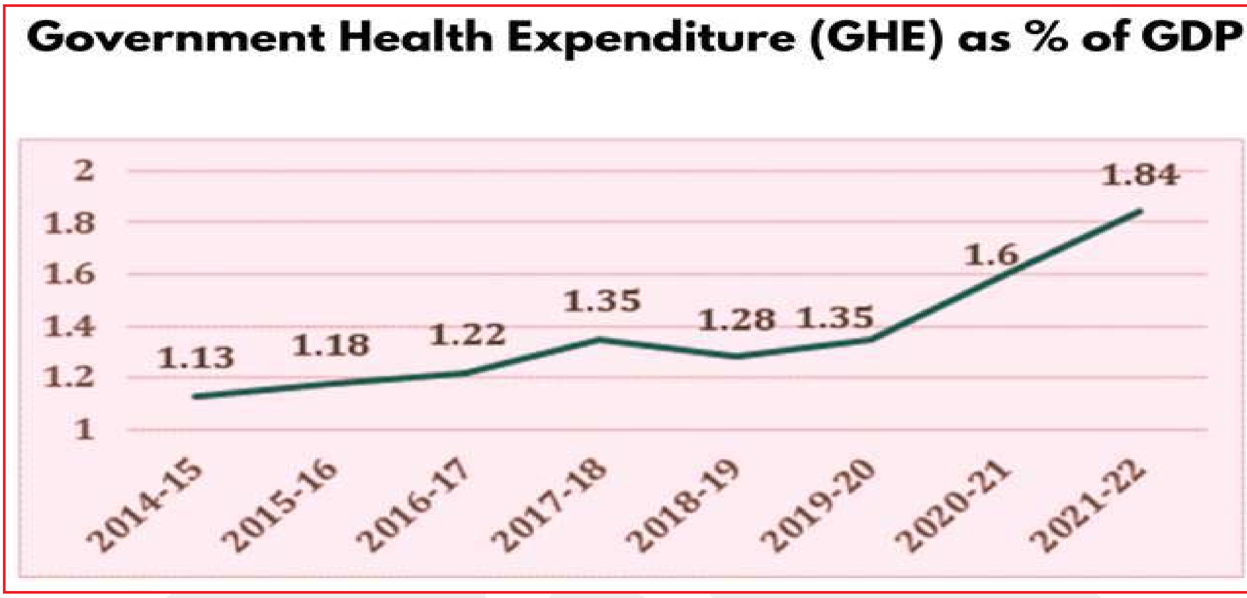

- **आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में गिरावट:**
  - वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) में OOPE की हिस्सेदारी **62.6% से घटकर 39.4% हो गई।**
  - यह कमी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करने के सरकारी प्रयासों के कारण हुई है, जिससे व्यक्तियों पर वित्तीय दबाव कम हुआ है।
  - **कुल स्वास्थ्य व्यय (THE)** में सरकार की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 29% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 48% हो गई।
  - यह बदलाव **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक निर्भरता** और नागरिकों पर कम वित्तीय बोझ का संकेत देता है।
  - GHE में वृद्धि से स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने और व्यक्तियों के लिये वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के क्रम में सरकार की प्राथमिकता पर प्रकाश पड़ता है।

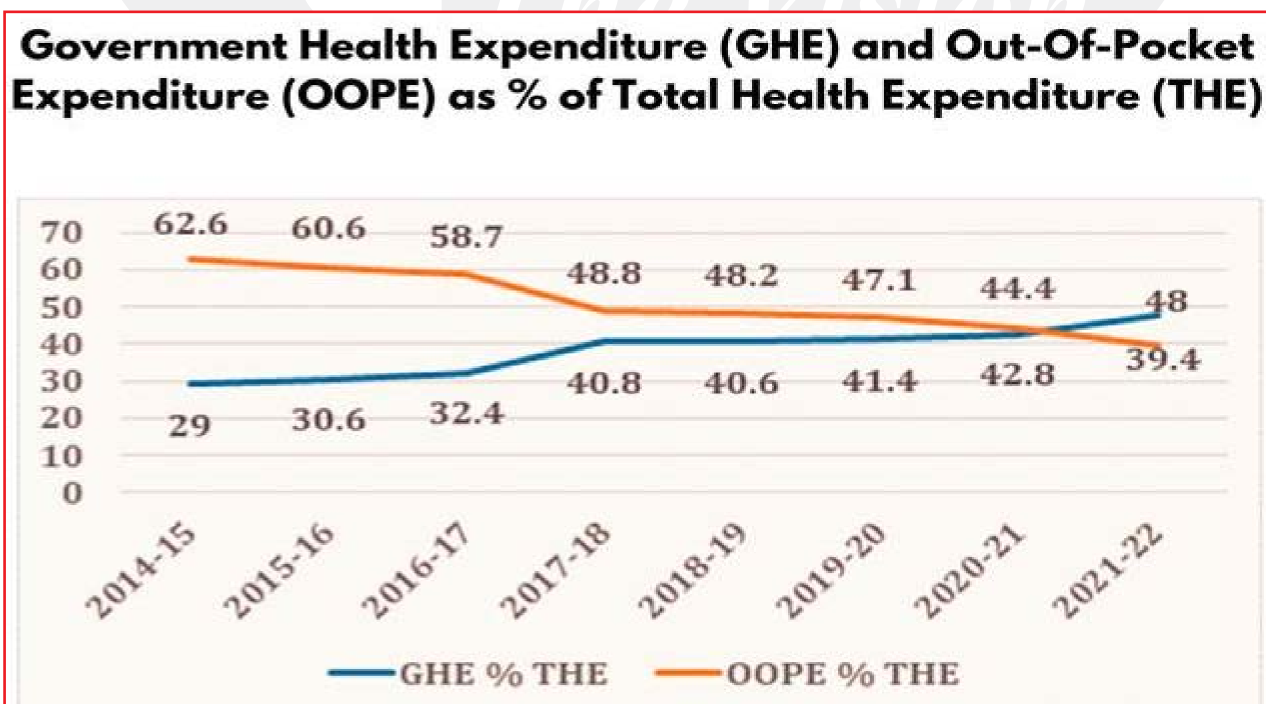

- **कुल स्वास्थ्य व्यय (THE) में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी में वृद्धि:** THE में सरकार की हिस्सेदारी **वर्ष 2014-15 के 29% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 48% हो गई।**
  - इससे नागरिकों पर वित्तीय बोझ में कमी आई है।
  - **सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE)** में वृद्धि से चिकित्सा सेवाओं तक बेहतर पहुँच और व्यक्तियों के लिये वित्तीय सुरक्षा वृद्धि का संकेत मिलता है।
- **कुल स्वास्थ्य व्यय:**
  - भारत का अनुमानित कुल स्वास्थ्य व्यय 7,39,327 करोड़ रुपए था, **जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.73% था, यह वर्ष** 2020-21 में प्रति व्यक्ति व्यय 5,436 रुपए था।
  - भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय बढ़कर 9,04,461 करोड़ रुपए हो गया, **जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.83% है, जो वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति व्यय 6,602 रुपए था।**
- **स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय (SSE) में वृद्धि:** देश के स्वास्थ्य वित्तपोषण में **सामाजिक सुरक्षा व्यय (SSE)** में सकारात्मक रुझान रहा है।
  - कुल स्वास्थ्य व्यय में SSE की हिस्सेदारी वर्ष **2014-15 में 5.7% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 8.7% हो गई।**
    - इसमें सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा, सरकारी कर्मचारियों के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शामिल हैं।
  - SSE में हुई वृद्धि से स्वास्थ्य देखभाल के लिये जेब से किये जाने वाले भुगतान में प्रत्यक्ष रूप से कमी आती है।
  - एक मज़बूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के दौरान वित्तीय कठिनाई और निर्धनता को रोकने में सहायक है।
- **वर्तमान स्वास्थ्य व्यय का वितरण:**
  - वर्ष 2020-21 में **चालू स्वास्थ्य व्यय** (CHE) में केंद्र सरकार का हिस्सा 81,772 करोड़ रुपए (CHE का 12.33%) था, जिसमें **राज्य सरकारों ने** 1,38,944 करोड़ रुपए (**CHE का 20.94%**) का योगदान दिया।
  - वर्ष 2021-22 तक केंद्र सरकार के CHE का हिस्सा बढ़कर 1,25,854 करोड़ रुपए (15.94%) हो गया, जिसमें राज्य का योगदान बढ़कर 1,71,952 करोड़ रुपए (21.77%) पहुँच गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा क्या हैं?

- **NHA के अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष** 2011 **में स्थापित वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य लेखा प्रणाली (SHA) ढाँचे** पर आधारित हैं।
- **यह ढाँचा स्वास्थ्य देखभाल व्यय पर नज़र रखने और रिपोर्ट करने के लिये एक मानकीकृत पद्धति** प्रदान करके अंतर-देशीय तुलना की अनुमति देता है।
- NHA **भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में वित्तीय प्रवाह का विवरण देता है,** तथा यह दर्शाता है कि किस प्रकार धन एकत्रित किया जाता है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यय किया जाता है, तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिये उसका उपयोग किया जाता है।
- भारत का NHA अनुमान **भारत के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशानिर्देश, 2016 का अनुसरण करते हैं,** जिसमें स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिये अद्यतन किये जाते हैं।
- NHA की **कार्यप्रणाली और अनुमानों को** भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की गतिशील प्रकृति और विकसित नीतियों/कार्यक्रमों के अनुरूप नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
  - डेटा उपलब्धता, आकलन पद्धतियों और हितधारक फीडबैक के संबंध में निरंतर सुधार किये जाते हैं।

स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सरकार की पहल क्या हैं?

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**
  - **आयुष्मान भारत**
  - **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)**
  - **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग**
  - **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम**
  - **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)**
  - **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)**

निष्कर्ष

- **वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान** भारत **के स्वास्थ्य सेवा व्यय के रुझान** और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सरकार के बढ़ते निवेश के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
- बढ़ते सरकारी स्वास्थ्य व्यय, कम होते जेब खर्च और बढ़ते सामाजिक सुरक्षा व्यय जैसे प्रमुख संकेतक एक लचीली और समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का संकेत देते हैं।

नोट :

- ये अनुमान वित्तीय बाधाओं को कम करने, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे में सुधार लाने तथा चल रहे सुधारों और मज़बूत वित्तीय समर्थन से **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ की दिशा में आगे बढ़ने** के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के उद्देश्यों और प्रमुख घटकों पर चर्चा कीजिये। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और परिणामों को बेहतर बनाने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।

भारत में चिकित्सा नैतिकता और उपभोक्ता अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **NCDRC** ने जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक उपभोक्ता से संबंधित मामले में लगाया गया है, जिसमें कंपनी द्वारा निर्मित दोषपूर्ण हिप रिप्लेसमेंट डिवाइस से रोगी को चिकित्सा संबंधी जटिलताएँ हुई थीं।

- इससे चिकित्सा नैतिकता और प्रोटोकॉल के सख्त पालन की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

नोट: हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी (**हिप आर्थ्रोप्लास्टी**) का उद्देश्य दर्द से राहत देना, कूल्हे के जोड़ की कार्यक्षमता में सुधार करना तथा रोगियों को बेहतर ढंग से चलने में मदद करना है।

- हिप प्रत्यारोपण का उपयोग **गठिया या एवैस्कुलर नेक्रोसिस** जैसी स्थितियों के कारण कूल्हे में होने वाले **दर्द और अकड़न को कम करने के लिये किया जाता है।**
  - ये प्रत्यारोपण उपकरण विभिन्न सामग्रियों से बनाए जाते हैं जिनमें **धातु, सिरेमिक और प्लास्टिक शामिल हैं,** बॉल अक्सर कोबाल्ट-क्रोमियम मिश्र धातु या सिरेमिक से बनी होती है और स्टेम आमतौर पर टाइटेनियम या कोबाल्ट-क्रोमियम मिश्र धातु से बना होता है।

चिकित्सा पद्धतियों में नैतिकता से किस प्रकार निर्देशन मिलता है?

- **चिकित्सा नैतिकता:** चिकित्सा नैतिकता का आशय **मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में सही आचरण करना है तथा इससे** किसी संस्कृति में किसी निश्चित समय पर क्या सही या गलत माना जाता है, के बीच अंतर करने में सहायता मिलती है।
  - यह **डॉक्टरों, अस्पतालों, अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों और मरीजों के प्रति दायित्वों से संबंधित है।**
  - चिकित्सा पद्धति में नैतिक सिद्धांत मौलिक होते हैं तथा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के कार्यों का मार्गदर्शन करने में अक्सर विधिक दायित्वों से अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं।
- **चिकित्सा नैतिकता के सिद्धांत:**
  - **स्वायत्तता का सम्मान:** उचित सूचित सहमति प्राप्त करके अपने उपचार के संबंध में **सूचित विकल्प के संबंध में रोगी के अधिकार को स्वीकार करना।**
  - **परोपकार:** इसमें संपूर्ण शल्य प्रक्रिया के दौरान **रोगी के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देना तथा उनके सर्वोत्तम हित में कार्य करना शामिल है।**
  - **अहितकर व्यवहार:** एक चिकित्सा व्यवसायी/चिकित्सा उपकरण आपूर्ति करने वाली कंपनी को **मरीजों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिये** और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उन्हें **आवश्यक चिकित्सा देखभाल मिले।** इसके साथ ही इन्हें ऐसे किसी भी **लापरवाहीपूर्ण कार्य से बचना चाहिये** जिससे **रोगी आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल से वंचित हो सकते हैं।**
  - **न्याय:** इसमें **सभी रोगियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना शामिल है** चाहे उनका धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।
- **हिप्पोक्रेटिक ओथ/शपथ:** हिप्पोक्रेटिक ओथ **नव स्नातक चिकित्सा पेशेवरों के लिये एक मौलिक सिद्धांत है।** आचार संहिता का पालन करने के संबंध में इसको दीक्षांत समारोहों के दौरान लिया जाता है।
  - **इसमें भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम 2002** के तहत निर्धारित सिद्धांत शामिल हैं जो **मानवता की सेवा करने, चिकित्सा कानूनों का पालन करने, जीवन का सम्मान करने, रोगी कल्याण को प्राथमिकता देने, गोपनीयता बनाए रखने तथा शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने पर केंद्रित** हैं।
  - यह शपथ एक **नैतिक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करती है तथा चिकित्सकों को चिकित्सा पेशे की** प्रतिष्ठित परंपराओं और नैतिक मानकों को बनाए रखने में मार्गदर्शन करती है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) क्या है?

परिचय:

- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) एक **अर्द्ध-न्यायिक निकाय है** जिसे वर्ष 1988 में **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 1986** के तहत **स्थापित किया गया था।**
- NCDRC का उद्देश्य **उपभोक्ता विवादों का सस्ता, शीघ्र और सुलभ समाधान सुनिश्चित करना है।**
- NCDRC का नेतृत्व भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** के **वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश** या **उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।**

CPA, 1986 के प्रावधान:

- **अधिकार क्षेत्र:** CPA, 1986 की धारा 21 के तहत NCDRC को **2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार मिलता है।**
  - इसके अतिरिक्त इसे **राज्य आयोगों और ज़िला फोरमों** द्वारा जारी आदेशों पर **अपीलीय एवं पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है।**
- **अपीलीय प्राधिकारी:** यदि कोई उपभोक्ता ज़िला फोरम द्वारा लिये गए निर्णय से असंतुष्ट है तो वह **राज्य आयोग में अपील कर सकता है।**
  - इसके बाद भी यदि उपभोक्ता **राज्य आयोग के निर्णय से असंतुष्ट है** तो वह संबंधित मामले को NCDRC के समक्ष उठा सकता है।
  - **इस अधिनियम की धारा 23** के अनुसार NCDRC के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति **30 दिनों के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।**
- **कवरेज का दायरा:** इस अधिनियम के प्रावधानों में **'वस्तुएँ' और 'सेवाएँ' दोनों शामिल हैं।**
- **उपभोक्ता मंच:**
  - उपभोक्ता **संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019 में प्रावधान है कि दावे के मूल्य** के आधार पर ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
    - **ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DCDRC):** 50 लाख रुपए तक के दावों के लिये।
    - **राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC):** 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के दावों के लिये
    - **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC):** 2 करोड़ रुपए से अधिक के दावों के लिये।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):

- CCPA **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA), 2019** की **धारा 10** के तहत स्थापित **नियामक निकाय है,** यह **उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन** और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है।
- यह **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।**
- **CCPA की शक्तियाँ:**
  - **उपभोक्ता अधिकार:** एक समूह के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करना।
  - **अनुचित व्यापार व्यवहार:** व्यक्तियों को अनुचित व्यापार व्यवहार में संलग्न होने से रोकता है।
  - **विज्ञापन विनियमन: CPA, 2019 की धारा 21 CCPA को झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के** विरुद्ध **निर्देश और दंड जारी करने** की शक्ति प्रदान करती है।

भारत में चिकित्सा नैतिकता के मुद्दे क्या हैं?

- **सूचित सहमति:** प्रायः रोगियों से अपर्याप्त या कोई सूचित सहमति प्राप्त नहीं होती है, विशेष रूप से कमज़ोर आबादी वाले नैदानिक परीक्षणों में।
  - **उदाहरण:** विश्व के विभिन्न हिस्सों में किये गए **कोविड-19** वैक्सीन परीक्षणों को लेकर विवाद।
- **रोगी की गोपनीयता:** रोगी के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिये उपायों का अभाव है।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2023 में **ESIC डेटाबेस के एक महत्त्वपूर्ण डेटा उल्लंघन ने** लाखों रोगियों की व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी को उजागर कर दिया, जिसमें आधार संख्या, चिकित्सा इतिहास और संपर्क विवरण जैसे संवेदनशील डेटा शामिल थे।

- **हितों का टकराव:** ऐसे मामले सामने आते हैं, जहाँ चिकित्सा पेशेवरों की उनके द्वारा अनुशंसित **उपचारों या प्रक्रियाओं में वित्तीय भागीदारी होती है।**
    - वर्ष 2023 में दिल्ली के एक प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ का एक स्टेंट निर्माण कंपनी के साथ वित्तीय संबंध पाया गया, जिसे परामर्श और इक्विटी हिस्सेदारी रखने पर पर्याप्त भुगतान प्राप्त हुआ था।
- **डॉक्टर-रोगी विश्वास: स्वास्थ्य सेवा के** व्यावसायीकरण **और पारदर्शिता की कमी के** कारण डॉक्टरों और मरीज़ों के बीच विश्वास में कमी आई है।
    - **उदाहरण:** सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर निजी तौर पर प्रैक्टिस करते हैं, जो मरीज़ों से मनमानी फीस वसूलते हैं।
- **नियामक निरीक्षण:** नैतिक दिशा-निर्देशों के सुभेद्य प्रवर्तन और अनुपालन के परिणामस्वरूप नैदानिक परीक्षणों और रोगी की देखभाल में दुरुपयोग होता है।

उपभोक्ता संरक्षण संबंधित पहलें

- उपभोक्ता कल्याण कोष
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद
- उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021
- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020
- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

आगे की राह

- **स्वास्थ्य देखभाल में नैतिक जागरूकता उत्पन्न करना:** नैतिक सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को शिक्षित करने के लिये व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ लागू करना।
- नैतिक दुविधाओं पर चर्चा को सुविधाजनक बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के भीतर **खुले संवाद और पारदर्शिता की संस्कृति को** प्रोत्साहित करना।
- **संरचित संचार प्रोटोकॉल: SBAR (परिस्थिति-पृष्ठभूमि-मूल्यांकन-सिफारिश) तकनीक** जैसे संरचित संचार प्रोटोकॉल को लागू करने से स्पष्टता में सुधार होने के साथ त्रुटियों में कमी आ सकती है।
    - सूचित सहमति सुनिश्चित करने में प्रक्रिया, जोखिम, लाभ और विकल्पों के संबंध में विस्तृत व्याख्या के साथ-साथ समझ का सत्यापन भी शामिल है।
- **निवारण तंत्र को मज़बूत करना:** सरकार **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** मॉडल के माध्यम से **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)** और **ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR)** की मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करके **उपभोक्ता शिकायत समाधान को बढ़ा सकती है।**
- **राष्ट्रीय उपभोक्ता लोक न्यायालय हेल्पलाइन का निर्माण:** एक तकनीक-सक्षम राष्ट्रीय उपभोक्ता लोक न्यायालय हेल्पलाइन **शिकायतकर्त्ताओं, कंपनियों और कानूनी अधिकारियों के बीच संचार की सुविधा प्रदान कर सकती है,** जिससे त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चिकित्सा नैतिकता क्या है? विशेष रूप से भारत में रोगी-चिकित्सक संबंधों के बिगड़ते स्वरूप में इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये।

FCRA, 2010 के तहत NGO पर कार्रवाई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने पाँच प्रमुख **गैर सरकारी संगठनों** की वित्तीय गतिविधियों एवं उनके उद्देश्यों पर चिंताओं के कारण, **विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 (FCRA)** के तहत कार्रवाई की है।

- इन गैर सरकारी संगठनों में **ऑक्सफैम इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR), एनवायरनिक्स ट्रस्ट (ET), लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट (LIFE)** और **केयर इंडिया सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (CISSD) शामिल हैं।**
- हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (ICJ) ने** भारत के FCRA की आलोचना करते हुए कहा कि यह **दमनकारी है** और इसमें संशोधन किया जाना चाहिये।

नोट :

इन NGO के विरुद्ध प्रमुख आरोप क्या हैं?

मुद्दा	विवरण
विकास परियोजनाओं में बाधक	**LIFE पर आरोप है कि वह** भारत में कोयला खदानों और **ताप विद्युत परियोजनाओं का** विरोध करने के लिये अमेरिकी **एनजीओ अर्थजस्टिस का** साधन बना हुआ है।
विरोध प्रदर्शन हेतु फंडिंग मिलना	**ET और सर्वाइवल इंटरनेशनल ने** कथित तौर पर झारखंड में एक ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण का विरोध किया तथा भारत में कोयला उद्योगों के खिलाफ **विरोध प्रदर्शन को संगठित करने** के लिये **यूरोपीय जलवायु फाउंडेशन (ECF) के साथ सहयोग किया।**
फंड का कुप्रबंधन	**CPR को** अपने **नमाति-पर्यावरण न्याय कार्यक्रम के लिये विदेशी धन प्राप्त हुआ,** जिसका उपयोग कथित तौर पर निर्दिष्ट अनुसंधान या शैक्षिक गतिविधियों के बजाय **मुकदमेबाजी के लिये किया गया।**
विदेशी एजेंटों के साथ मिलकर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होना	**ऑक्सफैम इंडिया पर ऑस्ट्रेलिया में** भारतीय कंपनियों की **खनन गतिविधियों को रोकने** की साजिश रचने, कथित तौर पर **ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करने** तथा विदेशों में भारतीय हितों के खिलाफ कार्य करने का आरोप है।
अवैध गतिविधियों के लिये अन्य गैर सरकारी संगठनों का उपयोग	FCRA लाइसेंस रद्द होने के बाद **ऑक्सफैम ने अवैध गतिविधियों के लिये धन को पुनर्निर्देशित करने हेतु वैध अनुमति वाले "कठपुतली एनजीओ" की ओर ध्यान केंद्रित किया,** जैसे कि **जोश और अमन बिरादरी ट्रस्ट को धन उपलब्ध कराना।**
राजनीतिक एजेंडा	गैर सरकारी संगठनों पर समग्र रूप से जनहित की सेवा करने के बजाय **विशिष्ट धार्मिक समुदायों या जातियों को** बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है।
वित्तीय सहायता	ऑक्सफैम इंडिया ने कथित तौर पर **कोयला विरोधी अभियानों (विशेष रूप से ओडिशा के ढिंकिया** में) में विरोध प्रदर्शनों हेतु ET को वित्तीय सहायता दी थी।

FCRA विदेशी धन प्राप्त करने वाले NGO को कैसे नियंत्रित करता है?

- FCRA की **निगरानी:** केंद्रीय **गृह मंत्रालय (MHA)** FCRA के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
  - FCRA के माध्यम से मंत्रालय विदेशी दान को नियंत्रित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे फंड से देश की **आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।**
- **पंजीकरण की आवश्यकता:** विदेशी दान प्राप्त करने का आशय रखने वाले किसी भी संघ, समूह या NGO को **FCRA के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य है।** यह पंजीकरण NGO को **सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये योगदान प्राप्त करने की अनुमति देता है।**
- **पंजीकरण की पाँच वर्ष की वैधता:** एक बार जब कोई NGO, FCRA के तहत पंजीकृत हो जाता है तो उसका पंजीकरण **पाँच वर्ष के लिये वैध हो जाता है।** इस अवधि के बाद NGO को विदेशी योगदान प्राप्त करना जारी रखने के लिये नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा।
- **वर्ष 2010 का कानून और वर्ष 2020 में संशोधन:** मूल **FCRA अधिनियम, 1976 को** निरसित कर दिया गया और वर्ष **2010 में** विदेशी योगदान को नियंत्रित करने वाले **कानून को आधुनिक बनाने** के लिये नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वर्ष **2020 में विनियमों को सख्त करने** और विदेशी दान की निगरानी में सुधार करने के लिये अतिरिक्त संशोधन किये गए।
- **उद्देश्य-पूर्वक उपयोग:** विदेशी निधियों का उपयोग केवल उसी **उद्देश्य के लिये किया जाना चाहिये,** जिसके लिये उन्हें **प्राप्त किया गया था,** जैसा कि अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है।
- **हस्तांतरण संबंधी प्रतिबंध:** पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को अन्य गैर सरकारी संगठनों को **विदेशी धनराशि हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध है।**

नोट :

- **SBI बैंक खाता: पंजीकृत संस्थाओं को** विदेशी धन प्राप्त करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली में एक **समर्पित बैंक खाता** खोलना अनिवार्य है।
- **वार्षिक रिटर्न: गैर सरकारी संगठनों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना** आवश्यक है, ताकि विदेशी योगदान के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
- **प्रतिबंधित संस्थाएँ:** FCRA **चुनाव उम्मीदवारों, पत्रकारों, मीडिया कंपनियों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों, विधायिका के सदस्यों, राजनीतिक दलों** और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों को विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोकता है।
- **सरकार को रद्द करने का अधिकार:** यदि कोई NGO **FCRA प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो** सरकार उसका पंजीकरण **रद्द कर सकती है।**
  - रद्दीकरण के कारणों में गलत बयान, दो वर्षों तक निष्क्रियता, प्रमाणपत्र की शर्तों का उल्लंघन या राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य शामिल हैं।

भारत में विकासात्मक समूह

स्वयं सहायता समूह (SHG)

- समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और रुचियों वाले लोगों का स्व-शासित सहकर्मी-नियंत्रित (Peer-Controlled) सूचना समूह
  - सदस्यों की अनुमति: 5-20 | पंजीकरण आवश्यक नहीं
  - SHG सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिये बचत राशि का उपयोग करते हैं
- नाबार्ड का SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992)- SHG को औपचारिक बैंकिंग संस्थाओं से जोड़ना
- भारत में ~ 88% SHG में सभी महिला सदस्य हैं
- **सफलता की कहानियाँ:**
  - वर्ष 1972 से स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA)
  - केरल में कुडुम्बश्री (वर्ष 1998)

सहकारी समितियाँ

- जन-केंद्रित उद्यम, जो अपने सदस्यों के स्वामित्व में उनके द्वारा नियंत्रित और उनके लिये संचालित होते हैं।
  - सदस्यों के साझा योगदान के माध्यम से एकत्रित की गई पूंजी।
- **विनियमन अधिनियम:**
  - बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002
  - राज्य सहकारी समिति अधिनियम
- **97वाँ संविधान संशोधन (2011):**
  - सहकारी समितियाँ निर्माण करने का अधिकार - एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c))
  - अनुच्छेद 43B (DPSP) - सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
  - भाग IX-B जिसका शीर्षक है "सहकारी समितियाँ" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।
- **उदाहरण:** अमूल, इफको और पैक्स

गैर-सरकारी संगठन (NGO)

- पीड़ा को दूर करने, निर्धनों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण का संरक्षण करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने या सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ संचालित करना।
- **पंजीकृत:**
  - **सोसायटी:** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
  - **ट्रस्ट:** भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882
  - **कंपनियाँ:** धारा 8 कंपनी अधिनियम, 2013
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 19(1)(c)-** संघ बनाने का अधिकार
  - **अनुच्छेद 43-** ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
  - **समवर्ती सूची** में धर्मार्थ संस्थाओं का उल्लेख है

FCRA विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक सभी गैर सरकारी संगठनों के लिये पंजीकरण अनिवार्य करता है।

- **प्रमुख NGO:**
  - **NGO प्रथम:** ग्रामीण भारत में बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिये ASER रिपोर्ट की अगुआई की।
  - **अक्षय पात्र फाउंडेशन:** स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया।

NGO- दर्पण प्लेटफॉर्म - NGO और सरकारी निकायों के बीच एक इंटरफेस।

Drishti IAS

नोट :

गैर सरकारी संगठनों को बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिये किन सुधारों की आवश्यकता है?

- **परिभाषाओं में स्पष्टता:** सरकार को NGO को विदेशी अनुदान देने पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व **लोकहित और राष्ट्रीय सुरक्षा** जैसे शब्दों को **स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिये।**
  - इससे कल्याणकारी कार्यों में वास्तविक रूप से शामिल **नागरिक समाज संगठनों (CSO) के** विरुद्ध कानून के दुरुपयोग का जोखिम कम होने की संभावना रहती है।
- **स्वतंत्र निरीक्षण:** गैर सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तपोषण की निगरानी के लिये एक **स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना से** उनके कामकाज में **पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।**
- **स्तरीकृत विनियामक प्रणाली: राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल गैर सरकारी संगठनों के लिये सख्त रिपोर्टिंग हेतु** स्तरीकृत **विनियमन** दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जबकि मानवीय या विकास कार्यों में शामिल गैर सरकारी संगठनों के लिये नियमों को आसान बनाया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना:** FCRA को **अंतर्राष्ट्रीय संधियों** और मानवाधिकार दायित्वों, जैसे कि **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा उल्लिखित, के साथ संरेखित करने के लिये संशोधित करना।**
  - इससे **राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं** और नागरिक समाज की अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण तक पहुँच की आवश्यकता के बीच उचित संतुलन स्थापित हो सकेगा।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: FCRA के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध उठाए गए आरोपों और भारत में विकासात्मक गतिविधियों पर उनके प्रभावों पर चर्चा कीजिये।

असम समझौते का रोडमैप

चर्चा में क्यों?

असम सरकार, **असम समझौते की धारा 6** के संबंध में **न्यायमूर्ति बिप्लब कुमार शर्मा समिति** द्वारा प्रस्तुत 52 सिफारिशों को लागू करने के क्रम में 25 अक्तूबर 2024 तक एक रोडमैप का मसौदा तैयार करने की योजना बना रही है।

असम समझौते की धारा 6 क्या है?

- **धारा 6:**
  - इस समझौते की धारा 6 में **असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान एवं विरासत को** संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने के लिये **संवैधानिक, विधायी तथा प्रशासनिक सुरक्षा का वादा किया गया है।**
  - इसका मुख्य उद्देश्य **असम के लोगों की स्वदेशी पहचान की रक्षा करना था।**
    - **यह धारा जनसंख्या अनुपात में परिवर्तन और बांग्लादेश से प्रवासियों** के आगमन की प्रतिक्रिया में जोड़ी गई थी।
- **असम समझौता:**
  - **वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित** असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक **त्रिपक्षीय समझौता था जिसका उद्देश्य** बांग्लादेश में **अवैध प्रवासियों के प्रवेश** को रोकना था।
  - इसके परिणामस्वरूप **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A** को विशेष रूप से असम के संदर्भ में शामिल किया गया।

बिप्लब शर्मा समिति की रिपोर्ट क्या है?

पृष्ठभूमि:

- **जुलाई 2019** में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समझौते की धारा 6 को लागू करने के तरीके सुझाने हेतु **एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया।**
  - इस समिति की अध्यक्षता **असम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिप्लब कुमार शर्मा ने की** और इसमें न्यायाधीश, सेवानिवृत्त नौकरशाह, लेखक, AASU नेता तथा पत्रकार शामिल थे।

असम के लोगों की परिभाषा:

- इस समिति ने **फरवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट पूरी की** और सिफारिश की कि "असम के लोगों" की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल होना चाहिये:
  - स्थानीय जनजाति
  - असम के अन्य स्थानीय समुदाय,
  - 1 जनवरी 1951 को या उससे पहले असम में रहने वाले भारतीय नागरिक तथा उनके वंशज,
  - असम के स्थानीय लोग

अनुशंसाएँ:

- इस समिति की 52 **सिफारिशें** मुख्य रूप से **भाषा, भूमि और सांस्कृतिक विरासत** से संबंधित सुरक्षा उपायों पर केंद्रित हैं।

प्रमुख बिंदु:

- **भूमि:**
  - ऐसे राजस्व मंडलों की स्थापना की जाए जहाँ केवल "**असम के लोग" ही भूमि का** स्वामित्व और हस्तांतरण कर सकें तथा **उचित दस्तावेज के बिना भूमि पर कब्जा करने** वालों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के क्रम में **तीन वर्षीय कार्यक्रम लागू किया जाए।**

- चार क्षेत्रों (ब्रह्मपुत्र के किनारे नदी क्षेत्र) का **विशेष सर्वेक्षण** किया जाए तथा भूमि आवंटन में **कटाव प्रभावित लोगों को** प्राथमिकता दी जाए।
- **भाषा:**
  - असम की स्थानीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये एक स्वायत्त भाषा और साहित्य अकादमी/परिषद की स्थापना की जाए।
  - राज्य बोर्ड और सीबीएसई के अंतर्गत सभी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा आठवीं या दसवीं तक असमिया को अनिवार्य विषय बनाया जाए।
- **सांस्कृतिक विरासत:**
  - वित्तीय सहायता के साथ **सत्र (नव-वैष्णव मठों)** के विकास के लिये एक **स्वायत्त प्राधिकरण की स्थापना की जाए।**
    - सभी जातीय समूहों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक ज़िले में **बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर** विकसित किये जाएँ।
  - असम में छठी **अनुसूची की स्वायत्त परिषदों (बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद)** द्वारा इन 52 सिफारिशों को लागू करने पर निर्णय लिया जाए।
    - छठी अनुसूची के क्षेत्रों के साथ-साथ मुख्यत: बंगाली भाषी बराक घाटी को इन सिफारिशों से छूट दी जाए।
  - संसद, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकायों और नौकरियों में "असम के लोगों" के लिये **आरक्षण दिया जाए।**

शामिल न की गई सिफारिशें:

- **इस समिति की** कुछ सबसे संवेदनशील सिफारिशें राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध 52 बिंदुओं में शामिल नहीं हैं जैसे:
  - **असम में प्रवेश के लिये** नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिज़ोरम की तरह **इनर लाइन परमिट की शुरुआत।**
  - "असम के लोगों" के लिये आरक्षण।
  - एक उच्च सदन (असम विधान परिषद) का निर्माण, जो पूरी तरह से "असम के लोगों" के लिये आरक्षित हो।

असम समझौते के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **असमिया पहचान को परिभाषित करने की जटिलता:** "असमिया लोगों" को परिभाषित करने की समिति की सिफारिश से **इस बात पर विवाद हो सकता है कि** खंड 6 के तहत सुरक्षा के लिये कौन पात्र है और इससे विभिन्न जातीय समूहों के बीच असंतोष बढ़ सकता है।
- **भूमि स्वामित्व और अधिकार:** "असमिया लोगों" द्वारा विशेष भूमि स्वामित्व के लिये राजस्व मंडलों की स्थापना से महत्त्वपूर्ण **कानूनी और प्रशासनिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते** हैं। चर क्षेत्रों में भूमि आवंटन के लिये सर्वेक्षण करना तार्किक चुनौतियों को प्रस्तुत करता है
- **भाषा संबंधी नीतियाँ: असमिया को आधिकारिक भाषा** बनाने तथा विद्यालयों में इसे अनिवार्य बनाने की आवश्यकता को, विशेष रूप से बराक घाटी जैसे **बंगाली-प्रधान क्षेत्रों में, विरोध का सामना करना पड़ सकता है।**
- **वित्तपोषण एवं प्रबंधन: सत्रों एवं सांस्कृतिक परिसरों के लिये स्वायत्त प्राधिकरण** की स्थापना हेतु पर्याप्त **वित्तपोषण एवं प्रभावी प्रबंधन संरचना की आवश्यकता हो सकती है।**
- **राजनीतिक एवं नौकरशाही का विरोध:** जिन सिफारिशों के लिये केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है, उसमें **विलंब या विरोध की संभावना होती है, जिससे कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल हो सकती है।**
- **बराक घाटी के लिये छूट: बराक घाटी और छठी अनुसूची में सूचीबद्ध क्षेत्रों को** इन सिफारिशों से छूट देने से राज्य के भीतर **असमानता और विभाजन की धारणा उत्पन्न हो सकती है, जिससे मौज़ूदा क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ सकता है।**

आगे की राह

- **हितधारकों की सहभागिता:**
  - "असमिया लोगों" की परिभाषा पर आम सहमति बनाने और सिफारिशों का समावेशी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न जातीय समूहों, नागरिक समाज संगठनों और राजनीतिक संस्थाओं समेत सभी हितधारकों के साथ निरंतर संवाद को बढ़ावा देना शामिल है।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:**
  - कार्यान्वयन के लिये चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना, **उन सिफारिशों को प्राथमिकता देना जो कम विवादास्पद हों और त्वरित परिणाम देती हों,** जैसे कि शिक्षा में **भाषा संबंधी नीतियाँ,** जबकि धीरे-धीरे भूमि स्वामित्व और पहचान जैसे अधिक जटिल मुद्दों का समाधान किया जाए।
- **क्षमता निर्माण:**
  - **स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक नेताओं के लिये भूमि सर्वेक्षण और शीर्षक वितरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता निर्माण** में निवेश करना। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और समुदायों के बीच विश्वास का निर्माण होगा।
- **संसाधनों का आवंटन:**
  - **सांस्कृतिक प्राधिकरणों और शिक्षा सुधारों** की स्थापना का समर्थन करने के लिये पर्याप्त धन और संसाधन सुरक्षित करना, यह सुनिश्चित करना कि ये पहल सतत् और प्रभावी ढंग से प्रबंधित हों।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: असम समझौता समिति की प्रमुख सिफारिशों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये तथा उनके कार्यान्वयन में राजनीतिक, सांस्कृतिक और कानूनी जटिलताओं पर प्रकाश डालिये।

■■■

नोट :

भारतीय राजनीति

भारतीय संविधान की गतिशील प्रकृति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) **डी.वाई. चंद्रचूड़ ने** संविधान **की गतिशील प्रकृति** पर बल देते हुए कहा कि **कोई भी पीढ़ी इसकी व्याख्या पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती है।**

- मुख्य न्यायाधीश ने बदलते सामाजिक, विधिक और आर्थिक संदर्भों के **आलोक में संविधान की अनुकूलनशीलता की क्षमता** पर बल देते हुए इसकी तुलना **संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिकतावाद के सिद्धांत से की।**

संवैधानिक सिद्धांत समाज के अनुरूप क्यों विकसित होने चाहिये?

- **संविधान एक जीवंत दस्तावेज है:** **मुख्य न्यायाधीश ने "जीवंत संविधान"** की अवधारणा पर प्रकाश डाला, जिसका तात्पर्य है कि इसकी व्याख्या **बदलते सामाजिक मानदंडों के अनुरुप होनी चाहिये।**
  - इससे संवैधानिक न्यायालयों को **समय के साथ उत्पन्न होने वाली नई चुनौतियों के लिये न केवल समाधान ढूँढने में सहायता** मिलती है बल्कि इससे संविधान की प्रासंगिकता बनी रहती है।
- **विभिन्न सामाजिक संदर्भ:** मुख्य न्यायाधीश के अनुसार **कोई भी दो पीढ़ियों के लिये** संविधान का एक ही सामाजिक, विधिक या आर्थिक संदर्भ नहीं होता है।
  - जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, कुछ नई चुनौतियाँ सामने आती हैं जिनके लिये समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में संविधान की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता होती है, जैसे व्यभिचार को वैध बनाना।
- **मौलिकतावाद के साथ तुलना:** CJI चंद्रचूड़ ने मौलिकतावाद के उदाहरण के रूप में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के वर्ष ***2022 के डॉब्स बनाम जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन के*** फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें अमेरिकी संविधान में स्पष्ट रूप से गर्भपात का उल्लेख न होने के कारण **गर्भपात** के अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया था।
  - उन्होंने इसकी तुलना भारत के उभरते दृष्टिकोण से की तथा कहा कि मौलिकतावाद से **नागरिक अधिकारों की कठोर एवं प्रतिबंधात्मक व्याख्या को बढ़ावा मिल सकता है।**
- **अनुकूलन:** CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान की जटिल व्याख्या से संविधान की अनुकूलनशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसका तात्पर्य है कि जटिल एवं **कठोर प्रावधानों में समय के साथ बदलाव किया जाए।**
  - व्यक्तिपरक व्याख्याओं पर अत्यधिक निर्भरता से **रूढ़िवादी व्याख्याओं को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे भावी पीढ़ियों की** नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता सीमित हो सकती है।

शासन में संवैधानिक लचीलेपन/अनुकूलन की क्या भूमिका है?

- **प्रगतिशील सुधार हेतु समर्थन:** संविधान की अनुकूलनशीलता से वर्तमान सामाजिक मांगों के अनुरूप सुधारों (तकनीकी प्रगति से लेकर डेटा संरक्षण कानूनों **जैसे मानव अधिकारों तक**) को बढ़ावा मिलता है।
- **विधिक क्षेत्रों में में नवाचार को बढ़ावा मिलना:** एक जीवंत संविधान से **नवीन विधिक व्याख्याओं का मार्ग प्रशस्त होने के साथ** डिजिटल युग में निजता **संबंधी चिंताओं** जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान हो सकता है।
- **नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा:** संविधान की गतिशील व्याख्या से रूढ़िवादी व्याख्याओं (जिनसे स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है) को चुनौती मिलती है।
- **अनुकूलनशीलता:** अनुकूल संवैधानिक सिद्धांत से यह सुनिश्चित होता है कि विभिन्न **संस्थाएँ तेज़ी से विकसित हो रहे विश्व में (विशेष रूप से ज्ञान अर्थव्यवस्था में) प्रासंगिक बनी रहें।**
- **नई वास्तविकताओं का समावेशन:** जीवंत संवैधानिक सिद्धांत से न्यायालयों को अपनी व्याख्याओं में **नए सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक संदर्भों को शामिल करने की प्रेरणा मिलती है।**

भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है?

- **हाइब्रिड संरचना:** भारतीय संविधान **नम्य तथा अनम्य** दोनों ही प्रकृति का है। इससे संविधान के मूल ढाँचे में **स्थिरता बनाए रखते हुए अनुकूलनशीलता सुनिश्चित होती है।**
  - **आधारभूत मूल्यों की सुरक्षा:** इसकी **अनम्यता** की प्रकृति से मूल अधिकारों **एवं बुनियादी ढाँचे में** मनमाने परिवर्तनों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

- **संघवाद का संरक्षण:** **यद्यपि संघीय ढाँचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है फिर भी** **समवर्ती सूची** जैसी नई वास्तविकताओं के अनुकूलन के क्रम में इसमें आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं।
- **संतुलित कल्याणकारी दृष्टिकोण:** **अधिकारों की अनम्यता एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP)** की नम्यता के संयोजन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामूहिक कल्याण के साथ संतुलित करने में सहायता मिलती है।
- **स्थिरता सुनिश्चित होना:** अनम्यता से जल्दबाजी में होने वाले संशोधनों को रोकने से स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
- **लोकतंत्र सशक्त होना:** विधायी प्रक्रियाओं में अनुकूलन से निर्वाचित प्रतिनिधि संवैधानिक सीमाओं का पालन करते हुए लोगों की आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया देने हेतु प्रेरित रहते हैं, जिससे लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा मिलता है।

- **संशोधन प्रक्रिया:**
  - **अनुच्छेद 368** में संशोधन के दो मुख्य तरीके बताए गए हैं:
    - **संसद का विशेष बहुमत:** मूल अधिकारों में संशोधन जैसे कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिये **संसद** के **विशेष बहुमत की** आवश्यकता होती है, जिसके लिये **प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के** साथ-साथ प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत भी आवश्यक होता है।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रमुख परिवर्तनों को पर्याप्त संसदीय समर्थन प्राप्त हो।
    - **राज्य अनुसमर्थन:** **राष्ट्रपति चुनाव और उसके तरीके** जैसे अन्य प्रावधानों के लिये **संसद के विशेष बहुमत के साथ कुल राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन** आवश्यक होता है।
  - यह प्रक्रिया भारत के संघीय ढाँचे को रेखांकित करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि राज्यों को प्रभावित करने वाले **महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों में राज्यों की भागीदारी हो।**
- **साधारण बहुमत से संशोधन:** **नवीन राज्यों के गठन** जैसे कुछ प्रावधानों को संसद में साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
  - ये संशोधन **अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं** आते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि संविधान के कुछ पहलुओं को अपेक्षाकृत आसानी से बदला जा सकता है।

भारतीय संविधान के लचीलेपन से संबंधित मामले

- ***गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, 1967*:** **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने फैसला सुनाया कि **अनुच्छेद 368** से केवल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित होती है, जिसमें कहा गया कि संसद **नागरिकों के मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकती है और सभी संशोधन** **न्यायिक समीक्षा** **के अधीन हैं।**
- ***केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, 1973*:** इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है लेकिन वह इसके **मूल ढाँचे में बदलाव** नहीं कर सकती है।
  - यह मामला इसके लचीलेपन का उदाहरण है क्योंकि इसमें संशोधन की अनुमति दी गई है लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे **मूल सिद्धांत बने रहें।**

नम्य और कठोर संविधान के बीच क्या अंतर हैं?

पहलू	नम्य संविधान	कठोर संविधान
संशोधन प्रक्रिया	संशोधन प्रक्रिया सामान्य कानून पारित करने की तरह आसान हो सकती हैं, जैसा कि **यूनाइटेड किंगडम के संविधान** में देखा जाता है।	संशोधन के लिये एक जटिल, विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसा कि **संयुक्त राज्य अमेरिका** में देखा जाता है।

नोट :

बदलती ज़रूरतों के अनुसार समायोजन क्षमता	इस तरह के संविधान में सामाजिक परिवर्तनों और बदलती परिस्थितियों के साथ आसानी से संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इसे एक जीवंत दस्तावेज़ के रूप में देखा जाता है जो सामाजिक प्रगति के साथ विकसित होता है।	परिवर्तन का विरोध करता है, अनुकूलनशीलता की अपेक्षा स्थिरता को प्राथमिकता देता है।
जनमत का प्रतिबिंब	बदलती जनमत और सामाजिक उपागम को प्रतिबिंबित करता है।	इसमें संविधान निर्माताओं के विचारों को प्रतिबिंबित करने की अधिक संभावना है, तथा परिवर्तनों के प्रति कम संवेदनशील होने की संभावना है।
पूर्णता की धारणा	यह मान लिया गया है कि कोई भी संविधान पूर्णतया परिपूर्ण नहीं है तथा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।	मान लिया गया है कि संविधान सभी परिस्थितियों के लिये एक आदर्श मार्गदर्शक है।
संघीय प्रणालियों में अनुकूलनशीता	संघीय इकाइयों की विविध आवश्यकताओं को समायोजित करना और सहयोग को बढ़ावा देना।	संघीय प्रणालियों में संतुलन बनाए रखने के लिये स्थिरता और जाँच प्रदान करता है।
अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण	निरंतर होने वाले परिवर्तन, जो कभी-कभी **भीड़तंत्र** (जनता द्वारा वर्चस्व) **से प्रभावित होते हैं, अल्पसंख्यक अधिकारों** पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।	यह अधिक मज़बूत सुरक्षा प्रदान करता है, **तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित** करता है।

निष्कर्ष:

एक कठोर और नम्य संविधान के बीच संतुलन एक गतिशील कानूनी ढाँचे को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण है जो समकालीन चुनौतियों के लिये **प्रासंगिक और उत्तरदायी** है। अंतत: एक निरंतर बदलते समाज में न्याय, समानता और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने के लिये संवैधानिक के लचीलेपन को अपनाना आवश्यक है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय संविधान में नम्यता और कठोरता के बीच संतुलन तथा समकालीन सामाजिक मुद्दों के निराकरण में इसके महत्त्व का परीक्षण कीजिये।

न्यायाधीशों में अनुशासन सुनिश्चित करना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय **(SC) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय** के एक न्यायाधीश की टिप्पणी पर **गंभीर चिंता** व्यक्त की।

- **न्यायाधीश द्वारा माफी मांगने** के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना हस्तक्षेप वापस ले लिया, लेकिन इससे न्यायपालिका द्वारा न्यायाधीशों को अनुशासित करने के संबंध में **संवैधानिक सीमाएँ उजागर होती हैं।**

नोट :

भारत में न्यायाधीशों को अनुशासित करने की चुनौतियाँ क्या हैं?

- **संवैधानिक संरक्षण:** संविधान का अनुच्छेद 121 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर **संसदीय चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय तब जब उनके निष्कासन के लिये प्रस्ताव रखा गया हो।**
  - संविधान का अनुच्छेद 211 **राज्य विधानसभाओं को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के** अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में आचरण पर चर्चा करने से रोकता है।
- **महाभियोग की जटिल प्रक्रिया:** संविधान के अनुच्छेद 124(4) **के तहत महाभियोग प्रस्ताव को कुल सदस्यता के बहुमत** तथा प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम-से-कम **दो-तिहाई** सदस्यों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है।
  - उच्च महाभियोग सीमा यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीशों को तुच्छ कारणों से आसानी से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन इससे **ऐसे कदाचार से निपटना कठिन हो जाता है** जो महाभियोग की प्रक्रिया तक नहीं पहुँचता।
  - **उदाहरणार्थ, इतिहास में केवल पाँच बार** महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई है तथा सर्वोच्च न्यायालय के **किसी भी न्यायाधीश पर अभी तक महाभियोग नहीं** लाया गया है।
- **संकीर्ण परिभाषा:** निष्कासन का आधार **सिद्ध कदाचार या अक्षमता** है।
  - संविधान के **अनुच्छेद 124(4) के** तहत कदाचार एक उच्च मानक है, जिसमें **भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी और नैतिक हीनता** शामिल हैं।
  - न्यायिक कदाचार के कई उदाहरण, जैसे **अनुशासनहीनता, पक्षपात या अनुचित आचरण,** महाभियोग की सीमा को पूरा नहीं करते, जिससे न्यायपालिका के पास ऐसे कदाचार से निपटने के लिये बहुत कम विकल्प बचते हैं।

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

- **सर्वोच्च न्यायालय** के किसी न्यायाधीश को **राष्ट्रपति के आदेश** से उसके पद से हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति **निष्कासन आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद द्वारा उसी सत्र में** ऐसे निष्कासन के लिये अभिभाषण प्रस्तुत किया गया हो।
- अभिभाषण को संसद के प्रत्येक सदन के **विशेष बहुमत** (अर्थात् उस सदन की **कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदन के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत**) द्वारा समर्थित होना चाहिये।
- निष्कासन का आधार **सिद्ध कदाचार या अक्षमता है।**
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को **उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर** हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- न्यायाधीश **जाँच अधिनियम, 1968** महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित **प्रक्रिया को** विनियमित करता है।
  - **100 सदस्यों (लोकसभा के मामले में) या 50 सदस्यों (राज्यसभा के मामले में)** द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव अध्यक्ष/सभापति को दिया जाना है।
  - अध्यक्ष/सभापति प्रस्ताव को **स्वीकार कर सकते हैं अथवा** उसे स्वीकार करने से **इंकार कर सकते हैं।**
  - यदि इसे **स्वीकार कर लिया जाता है,** तो **अध्यक्ष/सभापति** को आरोपों की जाँच के लिये **तीन सदस्यीय समिति** गठित करनी होगी।
  - समिति में निम्नलिखित शामिल होने चाहिये-
    - **सर्वोच्च न्यायालय** का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश
    - **किसी उच्च न्यायालय** का मुख्य न्यायाधीश
    - एक **प्रतिष्ठित विधिवेत्ता**
  - यदि समिति **न्यायाधीश को** दुर्व्यवहार/कदाचार का दोषी या अक्षमता से ग्रस्त पाती है, तो सदन **प्रस्ताव पर विचार** कर सकता है।
  - **संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत** से प्रस्ताव पारित होने के बाद, **न्यायाधीश को हटाने** के लिये राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत किया जाता है।
  - अंततः राष्ट्रपति **न्यायाधीश को हटाने का आदेश** जारी करते हैं।

न्यायाधीशों को अनुशासित करने के अन्य प्रावधान क्या हैं?

- **न्यायिक हस्तक्षेप:** सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को अनुशासित करने के लिये **न्यायिक कार्रवाई** कर सकता है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के **सी.एस. कर्णन को न्यायिक अवमानना** का दोषी ठहराया और उन्हें छह महीने के कारावास की सजा सुनाई।

- **स्थानांतरण नीति:** सर्वोच्च न्यायालय के पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशों वाला सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की जाती है।
  - चूँकि कॉलेजियम के निर्णय **अपारदर्शी** होते हैं, इसलिये इस स्थानांतरण नीति का उपयोग **न्यायाधीशों को अनुशासित** करने के साधन के रूप में भी किया जा सकता है।
  - **उदाहरण के लिये, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.डी. दिनाकरन** पर महाभियोग का मामला लंबित होने के दौरान, कॉलेजियम द्वारा उन्हें **सिक्किम उच्च न्यायालय में स्थानांतरित** कर दिया गया।
- **इन-हाउस जाँच प्रक्रिया:** वर्ष 1999 की इन-हाउस जाँच प्रक्रिया के तहत, मुख्य न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से टिप्पणी का अनुरोध कर सकते हैं, जो फिर संबंधित न्यायाधीश से प्रतिक्रिया मांग सकते हैं।
  - यदि अधिक **व्यापक जाँच** की आवश्यकता समझी जाती है, तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य उच्च न्यायालयों के **दो मुख्य न्यायाधीशों तथा तथ्यान्वेषी जाँच** के लिये एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति गठित की जा सकती है।
- **निंदा नीति:** संबंधित न्यायाधीश को अपने पद से **इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की सलाह** दी जा सकती है।
  - यदि न्यायाधीश इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने से इनकार करता है, तो मुख्य न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सलाह दे सकते हैं कि वे न्यायाधीश को **कोई न्यायिक कार्य न सौंपें।**
- **न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन,1997:** सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में **न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन** नामक एक चार्टर को अपनाया जिसमें 16 बिंदु शामिल थे।
  - यह **न्यायिक आचार संहिता है, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका** के लिये **मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है,** साथ ही न्यायाधीशों में अनुशासन बनाए रखने में मदद कर सकती है।

विश्व स्तर पर न्यायिक अनुशासन कैसे बनाए रखा जाता है?

- **लिथुआनिया:** लिथुआनिया में न्यायिक अनुशासन से निपटने वाली दो संस्थाएँ **न्यायिक नैतिकता और अनुशासन आयोग तथा न्यायिक सम्मान न्यायालय।**
- **जर्मनी:** न्यायाधीश अधिनियम, 1972 की धारा 77 के अनुसार, **संघीय राज्यों के पास** सामान्य न्यायालयों के न्यायाधीशों के पर्यवेक्षण के लिये अपने स्वयं के **विशेष न्यायाधिकरण** हैं।
  - ऐसा न्यायाधिकरण **संघीय स्तर पर संघीय न्यायाधीशों के लिये भी मौजूद है,** जो जर्मन संघीय न्यायालय के भीतर एक विशेष सीनेट के रूप में है।
- **स्कॉटलैंड:** सत्र न्यायालय के लॉर्ड प्रेसिडेंट अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं **में जाँच हेतु किसी व्यक्ति को नामित कर सकते** हैं।
- **बंगलुरू न्यायिक आचरण के सिद्धांत:** इसका उद्देश्य **न्यायाधीशों के लिये नैतिक मानदंड** निर्धारित करना, **न्यायिक व्यवहार को विनियमित करने** के लिये एक रूपरेखा प्रदान करना तथा न्यायिक नैतिकता बनाए रखने पर मार्गदर्शन प्रदान करना है।
  - इसे वर्ष 2006 में **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) द्वारा अपनाया गया था।**
- **न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत, 1985:** इन सिद्धांतों का उद्देश्य **आदर्श न्यायिक स्वतंत्रता और वास्तविक विश्व की प्रथाओं** के बीच के अंतर को कम करना है साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि न्याय कायम रहे, मानव अधिकारों की रक्षा हो और न्यायपालिका भेदभाव से मुक्त होकर कार्य करे।

न्यायाधीशों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **राष्ट्रीय न्यायिक परिषद (NJC) की स्थापना: न्यायाधीश (जाँच) विधेयक, 2006** को पुनर्जीवित और पारित करना, जिसका उद्देश्य **न्यायाधीशों की अक्षमता या कदाचार के आरोपों की जाँच की निगरानी** के लिये NJC का निर्माण करना है।

नोट :

- **न्यायिक निरीक्षण समिति:** **न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 को** पुनर्जीवित और पारित किया जाएगा, जिसमें **राष्ट्रीय न्यायिक निरीक्षण समिति**, **शिकायत जाँच पैनल** और एक **जाँच समिति** की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- **आचरण के स्पष्ट मानक:** न्यायाधीशों के लिये एक **आचार संहिता विकसित कर उसे लागू करना, जिसमें अपेक्षित व्यवहार, नैतिक मानकों और उल्लंघनों को संबोधित करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा हो।** जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये यह संहिता सार्वजनिक रूप से सुलभ होनी चाहिये।
- **न्यायिक निष्पादन मूल्यांकन: मामले के निपटान की दर, नैतिक मानकों का पालन,** तथा वादियों और साथियों से प्राप्त फीडबैक जैसे मानदंडों के आधार पर न्यायाधीशों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिये एक प्रणाली लागू करना।
  - उदाहरण के लिये, **ओडिशा में एक न्यायिक अधिकारी से एक वर्ष में 240 कार्य दिवसों** के बराबर कार्य निष्पादन की अपेक्षा की जाती है।
- **परिसंपत्तियों की घोषणा और पारदर्शिता:** न्यायाधीशों को अपनी **परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करने का आदेश देना** तथा यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना। यह उपाय भ्रष्टाचार को रोकने और न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- **अनिवार्य प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ:** न्यायाधीशों के बीच जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये **न्यायिक नैतिकता, भेदभाव-विरोधी कानूनों और निष्पक्षता के महत्त्व** पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- **न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षा:** जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ **न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करना भी महत्त्वपूर्ण है।** किसी भी सुधार में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि न्यायाधीशों को जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया निष्पक्ष निर्णय लेने की उनकी क्षमता को कम न करे।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: न्यायिक अधिकारियों के बीच जवाबदेही और आचरण के उच्च मानकों को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय लागू किये जा सकते हैं?

■■■

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने वर्ष 2022-23** के लिये **उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI)** जारी किया, जो भारत में **विनिर्माण क्षेत्र की रिकवरी और विकास** पर महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

- ASI वर्ष 2022-23 के लिये सर्वेक्षण फील्डवर्क **नवंबर 2023 से जून 2024 तक आयोजित किया गया था।**

ASI रिपोर्ट 2022-23 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार वृद्धि:**
  - ASI के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में **रोज़गार** वर्ष 2021-22 में 1.72 करोड़ से **7.5% बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1.84 करोड़ हो गया, जो विगत 12 वर्षों में वृद्धि की उच्चतम दर है।**
  - वर्ष 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्र ने 13 लाख नौकरियाँ सृजित कीं, जो वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 11 लाख से अधिक है।

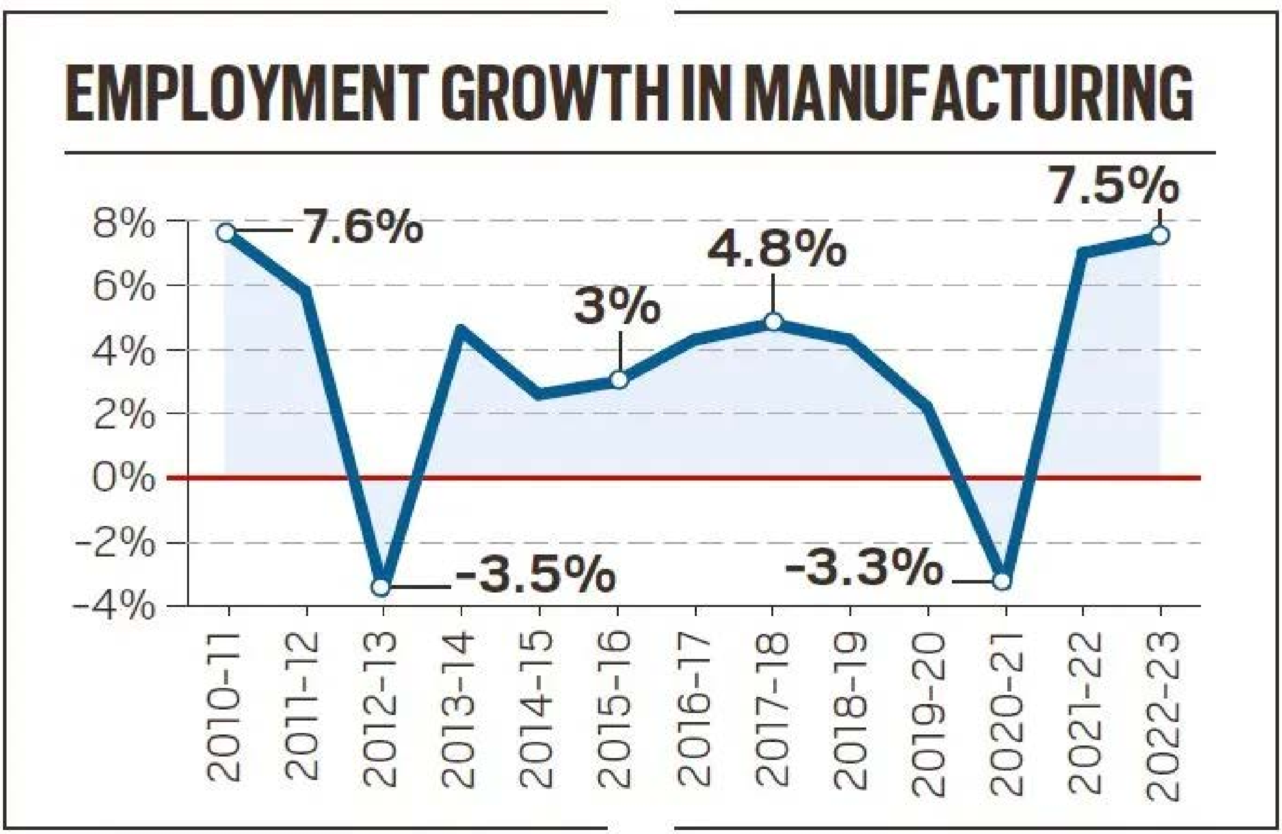

- **सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) और उत्पादन वृद्धि:**
  - विनिर्माण **जीवीए में 7.3% की मज़बूत वृद्धि हुई, जो वर्ष 2022-23 में 21.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गई,** यह वर्ष 2021-22 में 20.47 लाख करोड़ रुपए थी।
  - कुल **औद्योगिक इनपुट में 24.4% की वृद्धि हुई,** जबकि वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में इस क्षेत्र में **उत्पादन में 21.5% की वृद्धि हुई, जो विनिर्माण गतिविधियों में महत्त्वपूर्ण उछाल को दर्शाता है।**

INDUSTRY PERFORMANCE

	Persons engaged (in mn)	Additional jobs created (in mn)	Sector GVA (₹ trn)
FY20	16.6	0.344	14.85
FY21	16.08	-0.534	16.17
FY22	17.2	1.1	20.47
FY23	18.49	1.3	21.97

Note: *Total emoluments is defined as the sum of wages and salaries including bonus; output and GVA in current prices

Source: MoSPI

- **विनिर्माण वृद्धि के मुख्य चालक:**
  - वर्ष 2022-23 में विनिर्माण वृद्धि के प्राथमिक चालक **मूल धातु, कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य उत्पाद, रसायन और मोटर वाहन** थे।
    - इन उद्योगों का संयुक्त योगदान **कुल उत्पादन का लगभग 58% था।**
- **क्षेत्रीय प्रदर्शन:**
  - रोज़गार के मामले में शीर्ष 5 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक थे।
- **कारखानों की संख्या में वृद्धि:**
  - कारखानों की संख्या वर्ष 2021-22 में **2.49 लाख से बढ़कर 2022-23 में 2.53 लाख हो गई, जो कोविड-19** व्यवधानों के बाद पहली पूर्ण रिकवरी अवस्था को चिह्नित करती है।

नोट :

- **अनौपचारिक क्षेत्र में गिरावट:**
  - जुलाई 2024 में जारी **अनिगमित उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) 2022-23 रिपोर्ट** के अनुसार, अनौपचारिक क्षेत्र में रोज़गार में **1.5% की** गिरावट देखी गई, जो वर्ष 2022-23 में 16.45 लाख घटकर **10.96 करोड़ हो गई, जो विनिर्माण क्षेत्र में औपचारिक रोज़गार की ओर बदलाव का संकेत है।**
- **औसत वेतन:**
  - प्रति व्यक्ति औसत पारिश्रमिक वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में **6.3% बढ़कर 3.46 लाख रुपये हो गया।**
- **पूंजी निवेश में उछाल:**
  - **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) वर्ष 2022-23 में 77% से अधिक** बढ़कर 5.85 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि **शुद्ध स्थायी पूंजी निर्माण 781.6% बढ़कर** 2.68 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे विनिर्माण क्षेत्र की निरंतर वृद्धि देखने को मिली।
    - **सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF)**, या "निवेश", से तात्पर्य उत्पादित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से है, जिसमें सेकेंड-हैंड खरीद भी शामिल है, साथ ही निपटान घटाने के बाद उत्पादकों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिये परिसंपत्तियों का उत्पादन, शामिल है।
    - **शुद्ध स्थायी पूंजी निर्माण, सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF)** में से स्थायी पूंजी की खपत की राशि को घटाकर प्राप्त राशि होती है।
  - **विनिर्माण क्षेत्र में मुनाफा 2.7% बढ़कर** 9.76 लाख करोड़ रुपए हो गया।

टिप्पणी:

- श्रमिकों में **प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंसी के माध्यम से नियोजित सभी व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें** विनिर्माण प्रक्रियाओं या मशीनरी और परिसर की सफाई में शामिल **वेतनभोगी और अवैतनिक कर्मचारी** भी शामिल हैं।
- कर्मचारियों में **वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी**, साथ ही लिपिक, पर्यवेक्षी या प्रबंधकीय भूमिका में कार्यरत कर्मचारी तथा कच्चा माल या अचल सम्पत्ति खरीदने में शामिल कर्मचारी, तथा निगरानी एवं रखवाली करने वाले कर्मचारी शामिल हैं।

सकल मूल्य वर्द्धन (GVA)

- GVA उस मूल्य को दर्शाता है, जो उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान **वस्तुओं और सेवाओं में जोड़ते हैं।**
- इसकी गणना कुल उत्पादन **से इनपुट (मध्यवर्ती खपत) की लागत घटाकर की जाती है ।**
- यह **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का एक प्रमुख घटक है,** जो आर्थिक संवृद्धि को दर्शाता है। GVA विकास दर क्षेत्रीय प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिससे आर्थिक विश्लेषण और नीति निर्धारण में सहायता मिलती है।
  - **GVA= GDP+ उत्पादों पर सब्सिडी - उत्पादों पर कर।**
  - **शुद्ध मूल्य वर्द्धन (NVA)** की गणना सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) से मूल्यह्रास को घटाकर की जाती है।
- यह मध्यवर्ती उपभोग और स्थायी पूंजी के उपभोग दोनों को घटाने के बाद उत्पादन के मूल्य को दर्शाता है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) क्या है?

- **परिचय:**
  - वार्षिक **उद्योग सर्वेक्षण (ASI)** भारत में **औद्योगिक आँकड़ों का** प्राथमिक स्रोत है ।
  - **1953 के सांख्यिकी संग्रह अधिनियम** के अनुसार इसकी **शुरुआत वर्ष 1960 में हुई थी,** वर्ष **1959 को आधार वर्ष** मानकर, वर्ष **1972 को छोड़कर,** यह **प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।**
  - ASI वर्ष 2010-11 से यह सर्वेक्षण **सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत आयोजित किया गया है,** जिसे **अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित करने** के लिये वर्ष **2017 में संशोधित किया गया था।**
- **क्रियान्वयन एजेंसी:**
  - **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** का एक हिस्सा, राष्ट्रीय **सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** ASI का संचालन करता है।
    - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गए आँकड़ों की कवरेज और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है।
- **ASI का दायरा और कवरेज:**
  - ASI का विस्तार **संपूर्ण देश में है।** इसमें **कारखाना अधिनियम, 1948** की **धारा 2(एम)(आई) और 2(एम)(आईआई)** के तहत पंजीकृत **सभी कारखाने शामिल हैं।**
  - बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोज़गार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत **बीड़ी और सिगार निर्माण प्रतिष्ठान।**

- विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे **विद्युत उपक्रम** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के पास **पंजीकृत नहीं हैं।**
- **राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए प्रतिष्ठानों के व्यवसाय रजिस्टर (BRE)** में पंजीकृत **100 या अधिक कर्मचारियों** वाली इकाइयाँ, जैसा कि संबंधित राज्यों द्वारा साझा किया गया है।
- **डेटा संग्रहण तंत्र:**
  - ASI के लिये डेटा सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 (जैसा कि वर्ष 2017 में संशोधित किया गया) और वर्ष 2011 में इसके तहत स्थापित नियमों के अनुसार चयनित कारखानों से एकत्र किये जाते हैं ।

भारत में विनिर्माण क्षेत्र के लिये अवसर और चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अवसर:**
  - **व्यापक घरेलू बाज़ार और मांग:** भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ग्राहकों की ओर से **अपने उत्पादों की मज़बूत मांग देखी गई है।**
    - मई 2024 में क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) 58.8 दर्ज किया गया, जो भारत के विनिर्माण परिदृश्य में विस्तार का संकेत देता है।
  - **क्षेत्रीय लाभ: रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनरी और वस्त्र** सहित प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है।
    - **भारत में औषधि निर्माण लागत** अमेरिका और यूरोप की तुलना में लगभग **30%-35% कम है।**
  - **वैश्विक दक्षिणी बाज़ार तक पहुँच:** भारतीय विनिर्माण यूरोपीय से एशियाई **वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVC)** की ओर स्थानांतरित हो रहा है, वैश्विक दक्षिणी भागीदारों से विदेशी मूल्य वर्द्धित (FVA) वर्ष 2005-2015 में **27% से बढ़कर 45% हो गया है।**
    - इससे भारतीय कम्पनियों को अपना स्वयं का जी.वी.सी. स्थापित करने तथा भारत को एक क्षेत्रीय विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने का अवसर मिलता है।
  - **MSME का उदय:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान करते हैं** और आर्थिक विकास को गति देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, देश के कुल निर्यात में इनका योगदान लगभग **45% है।**
    - मार्च 2024 तक, उद्यम पोर्टल पर **4 करोड़ से अधिक MSME पंजीकृत थे, जिनमें से 67%** की पहचान विनिर्माण MSME के रूप में की गई थी।
  - **विकास की संभावना:** भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की क्षमता है, जो अर्थव्यवस्था में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
- **चुनौतियाँ:**
  - **पुरानी प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचा:** पुरानी प्रौद्योगिकी और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे पर निर्भरता, भारतीय निर्माताओं की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने की क्षमता में बाधा डालती है।
  - **कुशल कार्यबल की कमी:** विश्व बैंक के अनुसार **भारत के केवल 24%** कार्यबल के पास जटिल विनिर्माण नौकरियों के लिये आवश्यक कौशल है, जबकि **अमेरिका में यह 52% और दक्षिण कोरिया में 96% है।**
  - **उच्च इनपुट लागत:** भारतीय रिज़र्व बैंक (2022) के अनुसार **भारत में लॉजिस्टिक्स लागत** वैश्विक औसत से 14% अधिक है, जो विनिर्माण क्षेत्र की समग्र प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित कर रही है।
    - इसके अलावा भारत में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जटिल है।
  - **चीन से प्रतिस्पर्द्धा और आयात निर्भरता: वर्ष** 2023-24 में, भारत के वस्त्र और परिधान आयात में चीन का हिस्सा लगभग **42%** , मशीनरी का **40% और** इलेक्ट्रॉनिक्स आयात का **38.4% होगा।**

भारत में विनिर्माण क्षेत्र में सरकार की क्या पहल हैं?

- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI)
- पीएम गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान
- भारतमाला **और** सागरमाला **परियोजना**
- स्टार्ट-अप इंडिया
- मेक इन इंडिया 2.0
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- विशेष आर्थिक क्षेत्र
- उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
- MSME अभिनव योजना
- ईज़ ऑफ डूइंग
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) और कॉर्पोरेट कर **में कटौती**

नोट :

आगे की राह

- **बुनियादी ढाँचे में निवेश: बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता और पहुँच को बढ़ाने** के साथ-साथ **रसद लागत को कम करने से** विनिर्माण में अधिक निवेश आकर्षित हो सकता है।
- **उद्योग 4.0 की आवश्यकता:** उद्योग 4.0 को अपनाने से विनिर्माण क्षेत्र को **वित्त वर्ष 26 तक सकल घरेलू उत्पाद में 25% योगदान करने में मदद मिल सकती है।** भारतीय निर्माता अपने परिचालन बजट का 35% डिजिटल परिवर्तन में निवेश कर रहे हैं, इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिये।
- **निर्यातोन्मुख विनिर्माण को बढ़ावा देना:** निर्यातोन्मुख विनिर्माण के विकास को समर्थन देने से भारतीय व्यवसायों को **नए बाज़ारों में प्रवेश करने और** लक्षित नीतियों के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करने में सहायता मिल सकती है।
- **वित्तीय सहायता:** कई MSME को निर्यात के लिये ऋण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे SME के विकास के लिये **वित्तीय सहायता बढ़ाना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।**
- **सक्षम विनियमन:** विनियमनों को सुव्यवस्थित करने से **व्यवसायों पर बोझ कम हो सकता है तथा** विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।
- **कौशल विकास:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि से **कुशल श्रमिकों की कमी दूर हो सकती है** तथा **क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ सकती है,** जैसा कि **वियतनाम द्वारा वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में सफलता से प्रदर्शित होता है।**

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष प्रमुख अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा वैश्विक बाज़ार में इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के उपाय सुझाइए।

इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट

चर्चा में क्यों?

29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट (IDAFLW) के तहत खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित इसके निहितार्थों पर बल दिया गया। हाल ही में **29 सितंबर को** विश्व स्तर पर **इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट (IDAFLW) मनाया गया, जिसमें** खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता पर इसके प्रभावों पर प्रकाश डाला गया।

- **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** की वर्ष 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि **वैश्विक खाद्य उत्पादन का** लगभग 30% नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। यह गंभीर मुद्दा इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की मांग (खासकर **भारत में जहाँ फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान काफी अधिक हैं**) का संकेत देता है।

प्रमुख शब्द

- **खाद्य हानि: इसका तात्पर्य** मानव उपभोग के लिये उपलब्ध भोजन के **द्रव्यमान (शुष्क पदार्थ) या पोषण मूल्य (गुणवत्ता)** में कमी आना है।
  - ऐसा मुख्य रूप से खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में अक्षमताओं के कारण होता है जिसमें खराब बुनियादी ढाँचा, अपर्याप्त रसद, प्रौद्योगिकी की कमी और अपर्याप्त कौशल तथा प्रबंधन उत्तरदायी हैं। इसके अलावा **प्राकृतिक आपदाएँ भी** इन नुकसानों में योगदान करती हैं।
- **खाद्य अपशिष्ट:** इसका तात्पर्य मानव उपभोग के लिये उपयुक्त ऐसे खाद्य पदार्थ से है जिसे **खराब होने या समाप्ति तिथि बीत जाने के** कारण **नष्ट किया जाता है।**
  - **ऐसा बाज़ार में अधिक आपूर्ति या व्यक्तिगत उपभोक्ता की खरीदारी एवं खाने की आदतों में बदलाव** जैसे कारकों के कारण हो सकता है।
- **खाद्य अपव्यय:** इसका तात्पर्य किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थ से है जो **खराब होने या बर्बाद होने के कारण नष्ट हो जाता है।** इस प्रकार "अपव्यय" शब्द में खाद्य हानि और खाद्य अपशिष्ट दोनों शामिल हैं।

इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट क्या है?

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** द्वारा वर्ष 2019 में नामित IDAFLW के तहत **फूड लॉस एंड वेस्ट** जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और फूड लॉस एंड वेस्ट को कम करने के प्रयास करने के साथ **जलवायु लक्ष्यों एवं सतत् विकास हेतु एजेंडा, 2030 को** प्राप्त करने के क्रम में वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है।

नोट :

- यह पहल **सतत् विकास लक्ष्य 12.3 के अनुरूप है** जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना और खाद्य हानि को कम करना है तथा यह **कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क से** संबंधित है।
  - फूड लॉस एंड वेस्ट को कम करने के लिये **जलवायु वित्त में वृद्धि** की आवश्यकता है।

खाद्य हानि और बर्बादी/फूड लॉस एंड वेस्ट (FLW) के क्या निहितार्थ हैं?

- **खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव: नेचर** में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार **वैश्विक जनसंख्या का** लगभग 29% मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त है जबकि उत्पादित खाद्यान्न का एक तिहाई (1.3 बिलियन टन) नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है।
- **FLW के कारण उपभोग के लिये भोजन की उपलब्धता में** उल्लेखनीय कमी आती है, जिससे भूख और **कुपोषण** में वृद्धि (विशेष रूप से कमज़ोर आबादी में) होती है।
- **पर्यावरणीय परिणाम: भोजन के साथ-साथ** बड़ी मात्रा में संसाधन (जैसे **भूमि, जल, ऊर्जा** और **श्रम**) बर्बाद होने से प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है।
- **कार्बन फुटप्रिंट:** खाद्य पदार्थों की बर्बादी से प्रतिवर्ष 3.3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य गैसें उत्पन्न होती हैं जिससे वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में भी वृद्धि होती है।
- **जल उपयोग:** जिस भोजन को नहीं खाया जाता है उस पर बर्बाद होने वाले जल की मात्रा रूस की वोल्गा नदी के वार्षिक प्रवाह के बराबर या जिनेवा झील के आयतन का तीन गुना है।
- **भूमि उपयोग:** लगभग 1.4 बिलियन हेक्टेयर भूमि (जो विश्व की कृषि भूमि का लगभग 28% है) का उपयोग ऐसे खाद्यान्न उत्पादन के लिये किया जाता है जो अंततः बर्बाद हो जाता है।
- **ऊर्जा की बर्बादी:** वैश्विक खाद्य प्रणाली की कुल ऊर्जा का लगभग 38% भोजन के उत्पादन (जो नष्ट या बर्बाद हो जाता है) में खपत हो जाता है।
- **मीथेन उत्सर्जन:** लैंडफिल में खाद्य अपशिष्ट से **मीथेन** उत्पन्न होती है, जो CO_2 से कहीं अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जिससे **जलवायु परिवर्तन** में वृद्धि होती है।
- **जलवायु लक्ष्य:** कृषि क्षेत्र की अकुशलता के कारण वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना कठिन हो गया है क्योंकि खाद्य प्रणालियों से होने वाले उत्सर्जन में कुल ग्रीनहाउस गैसों का 37% तक हिस्सा है।
- **आर्थिक प्रभाव:** FLW से जुड़ी आर्थिक लागतें बहुत अधिक हैं जिसके कारण उत्पादकों की आय में कमी आती है तथा उपभोक्ताओं के लिये कीमतें बढ़ जाती हैं।
  - खाद्यान्न की कीमतें अक्सर **खाद्य उत्पादन की वास्तविक सामाजिक और पर्यावरणीय लागतों को प्रतिबिंबित करने में विफल रहती हैं** जिसके परिणामस्वरूप बाजार में अकुशलताएँ पैदा होने के साथ असमानताएँ बढ़ती हैं।

भारत में FLW के क्या निहितार्थ हैं?

- **फसलोत्तर नुकसान: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास परामर्श सेवा बैंक (NABCONS) द्वारा वर्ष 2022 में किये गए सर्वेक्षण** के अनुसार भारत को 1.53 लाख करोड़ रुपये (18.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का खाद्यान्न नुकसान हुआ।
- इसमें 12.5 मिलियन मीट्रिक टन **अनाज**, 2.11 मिलियन मीट्रिक टन **तिलहन** और 1.37 मिलियन मीट्रिक टन दालें शामिल हैं।
- अपर्याप्त शीत श्रृंखला अवसंरचना के कारण प्रतिवर्ष लगभग 49.9 मिलियन मीट्रिक टन बागवानी फसलें नष्ट हो जाती हैं।
- फसल-उपरांत हानि के प्रमुख कारण: भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) द्वारा किये गए सर्वेक्षण में पाया गया कि खाद्यान्न की हानि मुख्यत: कटाई, मड़ाई, सुखाने और भंडारण के दौरान मशीनीकरण के निम्न स्तर के कारण होती है।
  - **भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (IGSMRI)** के अनुसार **भारत में कुल खाद्यान्न क्षति में** लगभग 10% का कारण खराब भंडारण सुविधाओं का होना है।
- **राष्ट्रीय खाद्यान्न हानि: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का** अनुमान है कि **भारत में प्रत्येक वर्ष 74 मिलियन टन खाद्यान्न बर्बाद होता है,** जो 92,000 करोड़ रुपये की हानि दर्शाता है।
  - **रेस्तराँ में भोजन की बर्बादी** अत्यधिक भोजन बनाने, अधिक मात्रा में भोजन परोसने तथा विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसने जैसी जटिलता के कारण होती है।
    - इसके अलावा ग्राहक अक्सर **ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर कर देते हैं जिससे खाना या तो खाया नहीं जाता या फेंक दिया जाता है।** कर्मचारियों और ग्राहकों में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी से इस समस्या को और बढ़ावा मिलता है।

- UNEP खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारतीय घरों में **प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 50 किलोग्राम खाद्य अपशिष्ट होता है,** जिसके परिणामस्वरूप सालाना कुल 68,760,163 टन खाद्य अपशिष्ट हो जाता है।

भारत में भविष्य में FLW को कम करना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **जलवायु परिवर्तन:** खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है, जिससे **जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदान देने वाले कारकों की समस्या का समाधान हो सकता है।**
  - FLW को कम करने से उत्सर्जन में 12.5 गीगाटन CO_2 समतुल्य (Gt CO_2e) की कटौती हो सकती है, जो सड़क पर 2.7 बिलियन कारों से होने वाले उत्सर्जन को हटाने के बराबर है।
  - FLW को न्यूनतम करके, जल और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज़रूरतमंदों तक अधिक भोजन पहुँचे।
- **खाद्य सुरक्षा: वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 में 691 से 783 मिलियन लोग भूख से ग्रसित थे।** खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, भारत की 74% से अधिक आबादी स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ है।
  - भारत में लाखों लोग अभी भी **कुपोषित हैं,** इसलिये खाद्यान्न की कमी को कम करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि **अधिक भोजन ज़रूरतमंदों तक पहुँचे।**
- **आर्थिक दक्षता:** फसल की कटाई के बाद की प्रक्रियाओं में सुधार करके, भारत कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकता है, बर्बादी को कम कर सकता है और **किसानों की आय को बढ़ा सकता है,** जिससे एक अधिक लचीली कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

खाद्यान्न हानि और बर्बादी से निपटने के लिये भारत की क्या पहल हैं?

- **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना:** यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य **पूरे भारत में मज़बूत खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से खाद्य हानि एवं बर्बादी को कम करना है।**
- **प्रमुख पहलू:**
  - **कोल्ड चैन, मूल्य संवर्द्धन एवं संरक्षण अवसंरचना:** फसलोपरांत होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिये एकीकृत कोल्ड चैन, **संरक्षण अवसंरचना एवं मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना की** स्थापना की गई है।
  - **मेगा फूड पार्क:** इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण और वितरण को सुव्यवस्थित करना है (अप्रैल 2021 में भारत सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया)।
  - **कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर:** इसके तहत खाद्य अपव्यय को कम करने और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिये स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाता है।
  - **ऑपरेशन ग्रीन्स:** खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिये अनुदान/सब्सिडी के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण अवसंरचना सुविधाओं का सृजन होता है।
- **भोजन बचाओ, भोजन बाँटो, आनंद बाँटो (IFSA):** भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नेतृत्व में यह पहल आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य हानि और बर्बादी को रोकने के लिये विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाती है। यह अधिशेष भोजन के सुरक्षित वितरण की सुविधा भी प्रदान करता है।

खाद्यान्न की बर्बादी से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मॉडल

- **व्यवसायों के लिये प्रोत्साहन:** अमेरिका में **कर वृद्धि से अमेरिकियों की सुरक्षा (PATH) अधिनियम, 2015 के तहत** खाद्य पदार्थ दान करने के संदर्भ में कर कटौती में वृद्धि की गई, जिससे व्यवसायों को अतिरिक्त खाद्य पदार्थ दान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
- **इटली का प्रोत्साहन मॉडल:** इटली ने व्यवसायों को खाद्य पदार्थ दान करने हेतु प्रोत्साहन देकर, दस लाख टन खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिये प्रति वर्ष लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किये हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक खाद्य हानि और अपशिष्ट प्रोटोकॉल:** यह खाद्य हानि और अपशिष्ट के मापन के लिये एक वैश्विक मानक है। इसे प्रसंस्करण, खुदरा, उपभोक्ताओं के संबंध में **SDG लक्ष्य 12.3 के लिये एक संकेतक के रूप में प्रस्तावित किया गया था।**

- इसका उपयोग देश और कंपनियाँ अपनी सीमाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं के तहत FLW को मापने के लिये कर सकती हैं।

FLW से निपटने के लिये क्या कार्रवाई आवश्यक है?

- **मशीनीकरण को बढ़ावा देना:** कंबाइन हार्वेस्टर जैसे मशीनीकृत उपकरणों का उपयोग करने से धान उत्पादन में काफी कम नुकसान होता है। हालाँकि भारतीय किसानों का केवल छोटा प्रतिशत ही ऐसी मशीनरी का उपयोग कर पाता है।
  - किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और कस्टम हायरिंग सेंटरों (CHCs) के माध्यम से मशीनीकरण का विस्तार करके छोटे और सीमांत किसानों के लिये प्रौद्योगिकी को अधिक सुलभ बनाया जा सकता है, जिससे खेत में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
- **भंडारण और पैकेजिंग समाधान में सुधार करना:** पारंपरिक भंडारण विधियाँ (जिनमें **धूप में सुखाना और जूट पैकेजिंग शामिल हैं) उपयुक्त नहीं हैं**।
  - **सौर ड्रायर, वायुरोधी पैकेजिंग** को लागू करने के साथ सरकार की योजना के अनुसार पाँच वर्षों में भारत की अनाज भंडारण क्षमता को 70 **मिलियन मीट्रिक टन (MMT) तक उन्नत करने से फसल-उपरांत होने वाले नुकसानों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।**
- **अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल और पुनर्चक्रण: संयुक्त राष्ट्र वैश्विक खाद्य हानि और अपशिष्ट प्रोटोकॉल को** अपनाने से भारत मूल्य श्रृंखला में खाद्य हानि की मात्रा निर्धारित करने और लक्षित समाधान विकसित करने में सक्षम हो सकता है।
  - खाद्य अपशिष्ट को **खाद, बायोगैस या ऊर्जा में पुनर्चक्रित करना**, अतिरिक्त उत्पादन और फसल-पश्चात अपशिष्ट के प्रबंधन का एक स्थायी तरीका प्रदान करता है।
- **अतिरिक्त भोजन का पुनर्वितरण:** अतिरिक्त भोजन को ज़रूरतमंदों में पुनर्वितरित किया जा सकता है, जिससे भूख और खाद्य असुरक्षा कम हो सकती है। वैकल्पिक रूप से अतिरिक्त भोजन को पशु आहार या जैविक खाद में परिवर्तित किया जा सकता है जो एक प्रभावी **पुनर्चक्रण समाधान प्रदान करता है।**
- **उपभोक्ता उत्तरदायित्व: उपभोक्ता केवल आवश्यक वस्तुएँ खरीदकर** खाद्य अपव्यय को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
  - जागरूकता अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन लाकर ज़िम्मेदार उपभोग पैटर्न को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाना:** मोबाइल खाद्य प्रसंस्करण प्रणाली, बेहतर लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे नवाचार, खाद्य उत्पादन और खपत के बीच के अंतराल को कम करने में मदद कर सकते हैं तथा भंडारण, परिवहन और वितरण में अक्षमताओं को कम कर सकते हैं।
- **सामाजिक आयोजनों से भोजन एकत्र करना:** सामाजिक आयोजनों में अक्सर भोजन की काफी बर्बादी होती है। **शहरी संगठन** पहले से ही आयोजनों से बचा हुआ भोजन एकत्र कर रहे हैं और इसे झुग्गी-झोपड़ियों में वितरित कर रहे हैं, जिससे भोजन की बर्बादी और भूख दोनों ही समस्याओं से निपटा जा सकता है।
- **खाद्य उत्पादन को मांग के अनुरूप करना: संसाधनों की बर्बादी को** कम करने के लिये खाद्य उत्पादन को वास्तविक मांग के अनुरूप करने से जल, ऊर्जा और भूमि का अनुकूलतम उपयोग होने के साथ यह सुनिश्चित हो सकता है कि अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग ऐसे खाद्य पदार्थों पर न किया जाए, जो अंततः **बर्बाद हो जाएंगे।**

निष्कर्ष:

भारत में खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करना केवल आर्थिक दक्षता में सुधार लाने तक सीमित नहीं है; यह **लाखों लोगों के लिये खाद्य सुरक्षा की रक्षा करते** हुए **पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने तक विस्तारित है।** तकनीकी नवाचारों के साथ-साथ सहायक नीतियों से खाद्यान्न की बर्बादी को 50% तक कम करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जैसे-जैसे भारत एक **संधारणीय भविष्य की ओर बढ़ रहा है,** खाद्यान्न की हानि और बर्बादी की समस्या को हल करना, लोगों की खाद्यान ज़रूरतों एवं ग्रह की रक्षा की दिशा में निर्णायक है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में खाद्य हानि और बर्बादी से खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिये। इस मुद्दे को हल करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

ITC का कार्यात्मकता और अनिवार्यता परिक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की पात्रता के लिये **कार्यात्मकता और अनिवार्यता परीक्षण (Functionality and Essentiality Test)** निर्धारित किया है।

- यह फैसला ***मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं अन्य बनाम सफारी रिट्रीट्स मामला, 2024 में सुनाया गया।***

नोट :

ITC पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की मुख्य बातें क्या हैं?

- **रियल एस्टेट क्षेत्र के लिये ITC:** उच्चतम न्यायालय (SC) ने फैसला सुनाया कि रियल एस्टेट क्षेत्र कार्यात्मकता और अनिवार्यता परीक्षण के तहत **किराए या पट्टे के प्रयोजनों** के लिये उपयोग किये जाने वाले वाणिज्यिक भवनोंं के निर्माण लागत पर **ITC का दावा कर सकता है।**
  - **इससे पहले ऐसी अचल संपत्ति के** निर्माण पर ITC की अनुमति नहीं थी।
- **'संयंत्र और मशीनरी' श्रेणी पर स्पष्टीकरण:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भवन का निर्माण पट्टे या किराये जैसी सेवाएँ प्रदान करने के लिये **आवश्यक है**, तो भवन **'संयंत्र और मशीनरी' की श्रेणी में आ सकता है।**
  - **यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017** की **धारा 17(5)(d)** पर आधारित है, जो सेवाओं की आपूर्ति के व्यवसाय में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी पर ITC दावों की अनुमति देता है।
  - न्यायालय ने **CGST अधिनियम, 2017 की धारा 17(5)(c) और (d) के दायरे को कम कर दिया,** जो संयंत्र या मशीनरी को छोड़कर अचल संपत्ति के लिये उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री हेतु **ITC दावों पर रोक लगाता है।**
- **मामले की विशिष्टता का निर्धारण:** उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मॉल या गोदाम जैसी इमारत **धारा 17(5)(d) के तहत 'प्लांट' के रूप में योग्य है या नहीं, इसका निर्धारण मामले के आधार** पर किया जाना चाहिये।
  - व्यवसाय की प्रकृति और पंजीकृत व्यक्ति के व्यवसाय में भवन की भूमिका इस निर्धारण में प्रमुख कारक हैं।

कार्यात्मकता और अनिवार्यता परीक्षण क्या हैं?

- **कार्यक्षमता परीक्षण:** यह **मूल्यांकन करेगा** कि क्या भवन, कारखाने में संयंत्र और मशीनरी के कार्य के समान, **सेवाओं की आपूर्ति में भूमिका निभाता है।**
- **अनिवार्यता परीक्षण:** उच्चतम न्यायालय ने माना कि वस्तुओं या सेवाओं की खरीद व्यवसाय संचालन के लिये **प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक होनी चाहिये।**
  - इसका अर्थ यह है कि केवल उन वस्तुओं और सेवाओं पर ही कर लाभ या इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा किया जा सकता है जो **प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति विनिर्माण या विकास के लिये आवश्यक हैं। उदाहरण के लिये सीमेंट, स्टील आदि।**

वस्तु एवं सेवा कर क्या है?

- **वस्तु एवं सेवा कर (GST):** GST एक **मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली (एड वैलोरम टैक्स) है, जो** भारत में **वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति** पर लगाया जाता है।
  - यह एक व्यापक **अप्रत्यक्ष कर है,** जिसे भारत में **1 जुलाई 2017 को 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से **'एक राष्ट्र, एक कर'** के दृष्टिकोण के साथ लागू किया गया।
- **टैक्स स्लैब:** नियमित करदाताओं के लिये प्राथमिक GST स्लैब वर्तमान में **0% (शून्य-रेटेड), 5%, 12%, 18% और 28% हैं।**
- **GST परिषद:** GST परिषद एक **संवैधानिक निकाय है,** जो भारत में **GST कार्यान्वयन से संबंधित मामलों की सिफारिश करता है।** संविधान के **अनुच्छेद 279 A (1)** के अनुसार, राष्ट्रपति ने **GST परिषद की स्थापना की।**

GST के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है?

- **ITC: यह** GST प्रणाली के **मूलभूत तत्वों** में से एक है, जो व्यवसायों को उनके व्यवसाय में प्रयुक्त इनपुट पर **चुकाए गए करों के लिये क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देता है।**
  - इसका तात्पर्य यह है कि उत्पादन पर कर का भुगतान करते समय, कोई व्यक्ति इनपुट पर **पूर्व से चुकाए गए कर को कम कर सकता है** और **शेष राशि का भुगतान कर सकता है।**
  - यह आपूर्ति शृंखला में निर्बाध एवं **निर्बाध ऋण प्रवाह को सक्षम बनाता है।**
  - यह केवल इनपुट के **मूल्य संवर्द्धन पर कर** लगाकर **करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करता है।**
- **ITC की कार्य प्रणाली:** जब कोई व्यक्ति कोई उत्पाद/सेवा की खरीद करता है, तो वह खरीद पर कर का भुगतान करता है और बेचने पर कर एकत्र करता है।
  - वह खरीद के समय चुकाए गए करों को **आउटपुट टैक्स (बिक्री पर कर) की राशि के साथ समायोजित करता है** और कर की शेष देयता (बिक्री पर कर में से खरीद पर कर घटाकर) सरकार को चुकानी होती है।

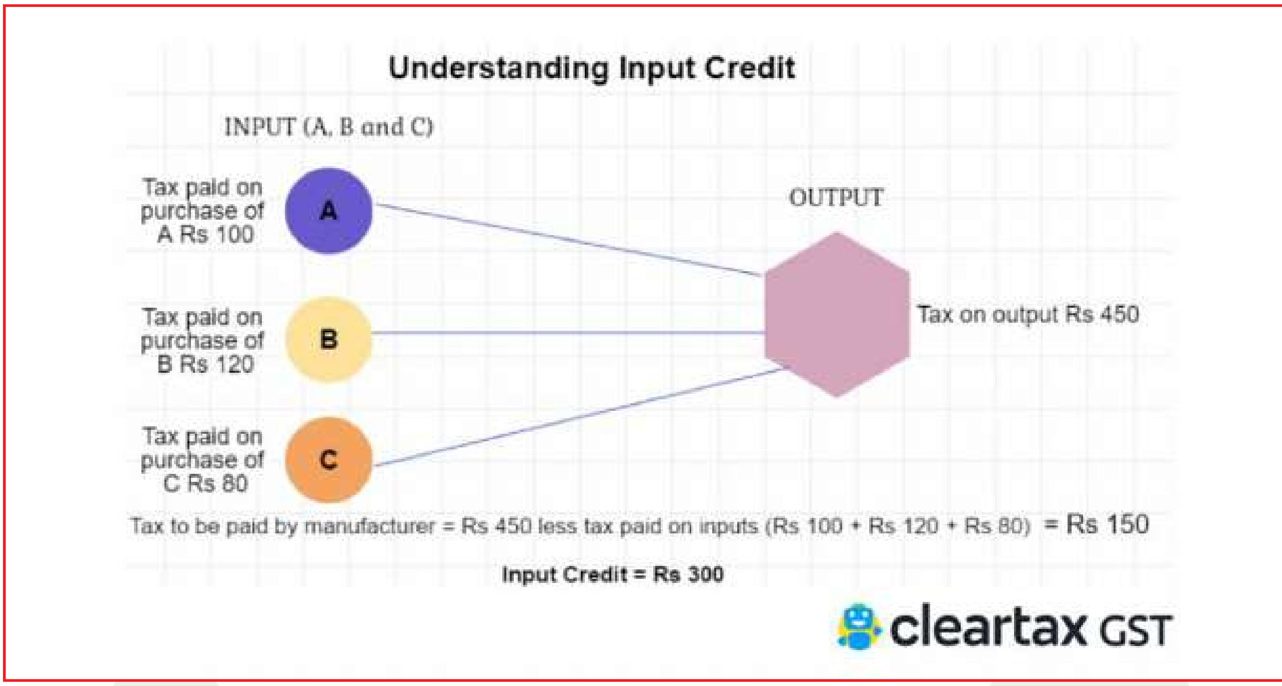

- **ITC का उपयोग करके करों के कैस्केडिंग से बचना:** करों का कैस्केडिंग तब होता है, जब किसी उत्पाद पर कर लगाया जाता है, और **उसके बाद उस उत्पाद के कर मूल्य पर कर लगाया जाता है** जिससे कराधान की कई परतों का निर्माण होता है।
  - GST से पूर्व की कर प्रणाली में, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर (**जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क**) **का उपयोग** राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों (**जैसे वैट**) **की भरपाई के लिये नहीं किया** जा सकता था। वैट न केवल उत्पाद के मूल्य पर लगाया जाता था, बल्कि कीमत में शामिल कर (उत्पाद शुल्क) पर भी लगाया जाता था।
  - चूँकि GST में अधिकांश केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को एक ही कर में **समाहित कर दिया गया है, इसलिये** एक चरण में चुकाए गए कर का उपयोग बाद के चरणों में **देय कर की आपूर्ति के लिये किया जा सकता है**। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर केवल प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य पर ही चुकाया जाता है, न कि पिछले करों सहित संपूर्ण लागत पर।
- **ITC का प्रभाव:** GST के अंतर्गत ITC की शुरूआत से आपूर्ति शृंखला में **अधिक पारदर्शिता और दक्षता आई है।**
  - चूँकि प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गए कर को क्रेडिट के रूप में दावा किया जा सकता है, इसलिये व्यवसायों को **उचित दस्तावेज़ीकरण और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।**
  - ITC तंत्र व्यवसायों पर **समग्र कर बोझ को कम करता है**, जिससे बाज़ार में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो जाती हैं।

इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल क्या है?

- **ITC का रिवर्सल:** ITC के रिवर्सल से तात्पर्य पूर्व में दावा किया गया **इनपुट टैक्स क्रेडिट रद्द करने से है**, जिसमें राशि को उसकी **कर देयता में जोड़ दिया गया है।**
- **ITC रिवर्सल की शर्तें:**
  - **180 दिनों के भीतर चालान का भुगतान न करना:** जारी होने की तिथि से **180 दिनों से अधिक समय तक भुगतान न किये** जाने पर चालान की ITC वापस कर दी जाएगी।
  - **विक्रेता द्वारा ISD को जारी किया गया क्रेडिट नोट:** यदि कोई विक्रेता **इनपुट सेवा वितरक (ISD)** को **क्रेडिट नोट जारी करता है**, इसका अर्थ यह है कि पूर्व में दावा किये गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की राशि कम हो जाएगी।

- **आंशिक रूप से प्रयुक्त व्यावसायिक इनपुट:** ऐसे मामलों में, जहाँ इनपुट का उपयोग **व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक (व्यक्तिगत) दोनों उद्देश्यों के लिये किया जाता है,** व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त ITC के भाग को आनुपातिक रूप से रिवर्स किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

ITC पर उच्चतम न्यायालय के फैसले में **कार्यात्मकता और अनिवार्यता परीक्षण प्रस्तुत किये गए हैं,** जो रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यवसायों के लिये किराए और पट्टे पर इस्तेमाल किये गए विनिर्माण हेतु ITC का दावा करने पर स्पष्टता प्रदान करते हैं। यह निर्णय **पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है,** जबकि समग्र कर बोझ को कम करता है, वाणिज्यिक अचल संपत्ति में निवेश और विकास को बढ़ावा देता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: GST प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) तंत्र करों के व्यापक प्रभाव को कैसे कम करता है? उदाहरण के साथ समझाइये।

कृषि योजनाओं का युक्तिकरण एवं ऑयल सीड मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के साथ **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल सीड (NMEO-ऑयल सीड) को मंज़ूरी** दी।

योजनाओं के युक्तिकरण के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **योजनाओं का वर्गीकरण:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सभी **केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) को दो प्रमुख योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है,** अर्थात् **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY)** और **कृषोन्नति योजना (KY)।**

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- **PM-RKVY:** इस योजना का उद्देश्य देश भर में **धारणीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है।**
  - **इसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन,** वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, **कृषि वानिकी, फसल विविधीकरण** सहित विभिन्न पहल शामिल हैं।
- **PM-RKVY में निम्नलिखित योजनाएँ शामिल हैं:** मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, RKVY DPR घटक, कृषि स्टार्टअप के लिये एसेलिरेटर फंड।
  - **कृषोन्नति योजना (KY): यह खाद्य सुरक्षा** और कृषि आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है।
- **व्यापक रणनीतिक दस्तावेज:** राज्यों को अपने कृषि क्षेत्र के लिये एक **व्यापक रणनीतिक दस्तावेज तैयार करने का अवसर दिया गया है।**
  - इससे **जलवायु अनुकूल कृषि** पर ध्यान देते हुए **फसल उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने** तथा कृषि उत्पादों के लिये **मूल्य श्रृंखला विकसित करने को बढ़ावा मिलता है।**
- **युक्तिकरण का उद्देश्य:**
  - **दक्षता और एकीकरण:** कृषि पहलों हेतु अधिक एकीकृत दृष्टिकोण को **बढ़ावा मिल सके।**
  - **उभरती कृषि चुनौतियाँ: पोषण सुरक्षा, स्थिरता, जलवायु अनुकूलन,** मूल्य श्रृंखला विकास एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित कृषि की उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
  - **राज्य-विशिष्ट रणनीतिक योजना:** राज्यों को अपनी **विशिष्ट कृषि आवश्यकताओं** के अनुरूप **रणनीतिक योजना** तैयार करने की स्वतंत्रता मिल सके।
  - **सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रिया: राज्यों की वार्षिक कार्य योजना (AAP) को** व्यक्तिगत योजना-वार AAP को अनुमोदित करने के बजाय एक बार में अनुमोदित किया जा सके।

NMEO-ऑयल सीड के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:** इसे खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के क्रम में घरेलू **तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।**
  - **यह आत्मनिर्भर भारत** के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप होने के साथ देश में **प्राथमिक तथा द्वितीयक तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।**
- **अवधि: इस** मिशन को वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक की **सात वर्ष की अवधि हेतु शुरू किया गया है।**

नोट :

- **उद्देश्य:** **NMEO-OP (ऑयल पाम)** के साथ मिलकर इस मिशन का लक्ष्य **वर्ष 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 25.45 मिलियन टन** तक बढ़ाना है, जिससे भारत की अनुमानित **घरेलू आवश्यकता का** लगभग 72% **पूरा हो सकेगा।**
  - इसका उद्देश्य **चावल और आलू की परती भूमि को** लक्षित करने के साथ **अंतर-फसल को** बढ़ावा देने एवं **फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के साथ तिलहन की खेती को** अतिरिक्त **40 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करना है।**
  - **NMEO-OP (ऑयल पाम) का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक** कच्चे पाम तेल का उत्पादन 11.20 लाख टन तक बढ़ाना है।
- **प्रमुख लक्षित क्षेत्र:**
  - **प्राथमिक तिलहन फसलों का उत्पादन:** यह प्रमुख **प्राथमिक तिलहन फसलों** जैसे कि **रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है।**
    - इसका लक्ष्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को वर्ष 2022-23 के 39 मिलियन टन से बढ़ाकर **वर्ष 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन तक करना है।**
  - **द्वितीयक स्रोतों से निष्कर्षण:** इसका उद्देश्य **कपास के बीज, चावल की भूसी और वृक्ष जनित तेलों** जैसे द्वितीयक स्रोतों से तेल के **संग्रहण एवं निष्कर्षण दक्षता को बढ़ावा देना है।**
  - **तकनीकी हस्तक्षेप: उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करने** और उत्पादकता बढ़ाने के लिये **जीनोम एडिटिंग** जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **बीज प्रबंधन के लिये SATHI पोर्टल: बीज प्रमाणीकरण, पता लगाने की क्षमता और समग्र सूची (SATHI)** पोर्टल के माध्यम से **5 वर्षीय रोलिंग बीज योजना** शुरू की जाएगी।
  - इससे राज्यों को बीज उत्पादक एजेंसियों (FPOs, सहकारी समितियों और बीज निगमों) **के साथ समन्वय** स्थापित करने में मदद मिलेगी।
  - **बीज उत्पादन के बुनियादी ढाँचे में सुधार के क्रम में सार्वजनिक क्षेत्र में 65 नए बीज केंद्रों के साथ 50 बीज भंडारण इकाइयाँ** स्थापित की जाएंगी।
- **मूल्य श्रृंखला क्लस्टर: 347 ज़िलों में 600** से अधिक **मूल्य श्रृंखला क्लस्टर** विकसित किये जाएंगे, **जिससे प्रतिवर्ष 10 लाख हेक्टेयर** से अधिक क्षेत्र कवर होगा।
  - **इन क्लस्टरों के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, बेहतर कृषि प्रथाओं (GAP) का** प्रशिक्षण तथा मौसम एवं कीट प्रबंधन से संबंधित परामर्श सेवाएँ उपलब्ध होंगी।
  - मूल्य श्रृंखला क्लस्टर से आशय एक विशिष्ट उद्योग के तहत **परस्पर संबंधित व्यवसायों, आपूर्तिकर्त्ताओं और संस्थानों का नेटवर्क से है जो उत्पादकता, नवाचार और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करने के लिये सहयोग करते हैं।**
- **फसल-उपरांत सहायता: कपास के बीज, चावल की भूसी, मक्का तेल और वृक्ष-जनित तेलों (TBO)** से प्राप्ति बढ़ाने के लिये **फसल-उपरांत इकाइयों की** स्थापना या उन्नयन के लिये **FPO, सहकारी समितियों और उद्योग के अभिकर्त्ताओं** को सहायता प्रदान की जाएगी।

भारत के तिलहन उत्पादन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **तिलहन उत्पादन:** भारत विश्व में **चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है। भारत में तिलहन की कृषि के अंतर्गत वैश्विक क्षेत्रफल का 20.8% भाग आता है,** जिसका **वैश्विक उत्पादन में योगदान 10% है।**
  - **वर्ष 2022-23** में उत्पादन रिकॉर्ड **413.55 लाख टन तक पहुँच गया,** जो विगत वर्ष की तुलना में **33.92 लाख टन अधिक है।**
  - **भारत मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइज़र बीज, सरसों और कुसुम** सहित विभिन्न प्रकार के तिलहन का उत्पादन करता है।
- **वर्षा आधारित कृषि: भारत की** लगभग 72% तिलहन कृषि **वर्षा आधारित कृषि** तक ही सीमित है, जो मुख्य रूप से **छोटे किसानों** द्वारा की जाती है, जिसके कारण **उत्पादकता कम होती है।**
- **प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वर्ष** 2021-22 में अग्रणी उत्पादक थे, जिन्होंने क्रमशः **23%, 21%, 18% और 16% का योगदान दिया।**
- **तिलहन निर्यात:** वर्ष 2022-23 में तिलहन निर्यात 1.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा।
  - प्रमुख निर्यात गंतव्यों में **इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और बाँग्लादेश शामिल हैं।**
- **तिलहन आयात:** भारत तिलहन के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जो खाद्य तेलों की **घरेलू मांग** का **57% हिस्सा है।**

नोट :

तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये पहले क्या उपाय किये गए हैं?

- **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP):** **NMEO-OP को वर्ष 2021** में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य **पूर्वोत्तर राज्यों** पर विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2025-26 तक पाम ऑयल के क्षेत्र को **10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है।**
  - इसका लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक कच्चे पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाकर **11.20 लाख टन करना है।**
  - **वर्ष 2025-26 तक 19 किलोग्राम/व्यक्ति/वर्ष का उपभोग स्तर** बनाए रखने के लिये उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना।
- **तिलहन के लिये MSP: अनिवार्य खाद्य तिलहनों के लिये** न्यूनतम **समर्थन मूल्य (MSP)** में वृद्धि की गई है, **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-ASHA)** जैसी योजनाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि तिलहन किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो।
- **आयात शुल्क संरक्षण: घरेलू उत्पादकों को सस्ते आयात से बचाने और स्थानीय कृषि को प्रोत्साहित करने के लिये खाद्य तेलों पर 20% आयात शुल्क** लगाया गया है।

निष्कर्ष

केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत **बनाने और NMEO-तिलहन** को आरंभ करने का उद्देश्य **कृषि प्रयासों को सुव्यवस्थित करना, तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना** और आयात पर निर्भरता को कम करना है। **आधुनिक तकनीक को एकीकृत करके, कृषि का विस्तारण करके** और उसके उन्मूलन के पश्चात् बुनियादी ढाँचे का समर्थन करके, ये पहल भारत के खाद्य तेलों में **आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य के साथ संरेखित हैं।**

> **दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:**
>
> **प्रश्न:** राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (NMEO-तिलहन) भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में किस प्रकार सहायक हो सकता है?

भारतीयों में मधुमेह की वृद्धि में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और फास्ट फूड की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंसेज़ एंड न्यूट्रीशन में प्रकाशित एक अध्ययन में भारत में बढ़ते मधुमेह के मामलों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और फास्ट फूड में पाए जाने वाले एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स (AGEs) की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

- यह क्लिनिकल परीक्षण भारत में अपनी तरह का पहला परीक्षण था और इसका वित्तपोषण **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के तहत **जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था।**

अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं?

- **AGEss की भूमिका: AGEs युक्त खाद्य पदार्थों** के अधिक सेवन से भारत, विश्व की **"मधुमेह राजधानी"** के रूप में स्थापित हुआ है जहाँ **101 मिलियन से अधिक लोग** इससे प्रभावित हैं।
  - AGEs, **ग्लाइकेशन** के माध्यम से बनने वाले **हानिकारक यौगिक हैं।** ग्लाइकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च तापमान पर खाना पकाने (जैसे तलने या भूनने) के दौरान **शर्करा की प्रोटीन या वसा के साथ अभिक्रिया होती है।**
  - AGEs से **ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (जो मुक्त कणों और एंटीऑक्सीडेंट** के बीच असंतुलन है) **को बढ़ावा मिलता है** जिससे सूजन आने के साथ कोशिका क्षति होती है।
- **मधुमेह के प्रति संवेदनशीलता:** समय के साथ अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPF) **रक्त शर्करा में वृद्धि** का कारण बनते हैं।
  - **इनमें फाइबर की मात्रा कम और कैलोरी की मात्रा अधिक होने से वजन और मोटापा बढ़ता है** जिससे मधुमेह का जोखिम भी बढ़ जाता है।
- **इंसुलिन संवेदनशीलता पर प्रभाव: AGEs की कम सांद्रता वाले आहार (जिसमें मुख्य रूप से उबालकर या भाप से पकाए गए खाद्य पदार्थ शामिल थे)** में उच्च AGEs सांद्रता वाले आहार की तुलना में **बेहतर इंसुलिन संवेदनशीलता के साथ इसके प्रभाव के रूप में सूजन का भी कम स्तर देखा गया।**
  - आहार में AGEss को कम करना, मधुमेह के जोखिम को कम करने के लिये एक **व्यवहार्य रणनीति (विशेष रूप से उन लोगों के लिये जिनमें टाइप 2 मधुमेह** विकसित होने का उच्च जोखिम है) **हो सकती है।**

> **नोट:**
>
> - **भारत में मधुमेह का प्रसार:** भारत में मधुमेह का प्रसार **वर्ष 2021 में 11.4% था।** इसका तात्पर्य है कि लगभग **101 मिलियन भारतीय** मधुमेह से पीड़ित थे।
> - भारत में तेजी से हो रहे पोषण परिवर्तन, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, वसा और पशु उत्पादों की बढ़ती खपत तथा **गतिहीन जीवन शैली** के कारण मोटापा एवं मधुमेह की समस्या बढ़ रही है।

अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक क्यों हैं?

- **संतृप्त वसा, नमक और चीनी:** अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आमतौर पर संतृप्त वसा**, नमक और चीनी युक्त होते हैं, जो** हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं।
- **योजकों के नकारात्मक प्रभाव:** अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में प्रायः **संरक्षक,** कृत्रिम रंग, मिठास और पायसीकारी जैसे योजक शामिल हैं।
    - इन पदार्थों का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो संभावित रूप से **सूजन, आँत संबंधी रोग और चयापचय संबंधी समस्याओं में योगदान देता है।**
- **पोषक तत्वों के अवशोषण में परिवर्तन:** भोजन को जिस प्रकार से संसाधित किया जाता है, उसका शरीर की प्रतिक्रिया पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
    - उदाहरण के लिये, जब मेवों को **पूरी तरह से खाया जाता है,** तो उन्हें प्रसंस्कृत करने की तुलना में **न्यूनतम वसा अवशोषित होती है** और तेल निकलता है, जिससे पोषक तत्व और **कैलोरी सेवन में परिवर्तन होता है।**
- **स्वास्थ्य पर आँत संबंधी प्रभाव:** गट **माइक्रोबायोम (Gut microbiome), जो पाचन और प्रतिरक्षा** के लिये महत्त्वपूर्ण है, इन खाद्य पदार्थों में आमतौर पर पाए जाने वाले उच्च स्तर के शर्करा, अस्वास्थ्यकर वसा और योजकों के कारण बाधित हो सकता है।
- **समग्र जीवनशैली पर प्रभाव:** जो लोग अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, वे अन्य **अस्वास्थ्यकर व्यवहारों में भी संलग्न हो सकते हैं,** जैसे शारीरिक निष्क्रियता या अनियमित भोजन पैटर्न आदि।

खाद्य प्रसंस्करण/फूड प्रोसेसिंग के प्रकार क्या हैं?

- खाद्य प्रसंस्करण**: यह** अनाज, मांस, सब्जियाँ और फलों जैसे **कच्चे कृषि उत्पादों को** न्यूनतम अपशिष्ट के साथ अधिक **मूल्यवान और सुविधाजनक खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करने** की प्रक्रिया है।
- **खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार:**
    - **न्यूनतम प्रसंस्कृत:** इसमें **फल, सब्जियाँ, दूध, मछली, दाल, अंडे, मेवा और बीज़ शामिल हैं,** जिसमें कोई अतिरिक्त सामग्री नहीं जोड़ी गई है, इनकी प्राकृतिक अवस्था में न्यूनतम परिवर्तन किया गया है।
    - **प्रसंस्कृत सामग्रियाँ:** इन्हें अकेले खाने के बजाय **अन्य खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है,** जैसे नमक, चीनी और तेल।
    - **प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ:** इन्हें **कम-से-कम प्रसंस्कृत और** घर पर बनाई जा सकने वाली प्रसंस्कृत सामग्री के संयोजन से बनाया जाता है। जैसे, **जैम, अचार, पनीर आदि।**
    - **अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ:** ये **औद्योगिक रूप से निर्मित** खाद्य उत्पाद हैं, जिसमें आमतौर पर ऐसे तत्व शामिल हैं जो घरेलू रसोई में आमतौर पर नहीं पकाए जाते।
        - **इन खाद्य पदार्थों में प्रायः संरक्षक, रंग, स्वाद, पायसीकारी (Emulsifier) और** मिठास जैसे योजक शामिल हैं।
        - इनमें आमतौर पर **चीनी, अस्वास्थ्यकर वसा और नमक की मात्रा अधिक होती है,** जबकि फाइबर, विटामिन और खनिज कम होते हैं।
        - **"तत्काल" या "रेडी-टू-ईट योग्य"** के रूप में विपणन किये जाने वाले खाद्य पदार्थ, साथ ही **पहले से पैक किये गए स्नैक्स और जमे हुए भोजन** आमतौर पर इस श्रेणी में आते हैं।
        - उदाहरण के रूप में **शर्करायुक्त पेय पदार्थ, पैकेज्ड स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स** और रेडी-टू-ईट फूड आदि।

भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड/अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि क्यों हो रही है?

- **शहरीकरण:** भारत में तीव्र गति से बढ़ता शहरीकारण, जिसके कारण **त्वरित और सुविधाजनक भोजन विकल्पों की आवश्यकता बढ़ रही है।**
    - अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध होते हैं, इन्हें बनाने के **लिये न्यूनतम तैयारी की आवश्यकता होती है,** जिससे ये व्यस्त व्यक्तियों और परिवारों के लिये आकर्षक बन जाते हैं।
- **आहार संबंधी प्राथमिकताओं में सांस्कृतिक बदलाव: पश्चिमी शैली के आहार** की ओर अधिक रुझान बढ़ा है, जिसमें फास्ट फूड, **मीठे स्नैक्स और रेडी-टू-ईट फूड** का अधिक सेवन शामिल है।

- **कामकाजी महिलाओं की बढ़ती संख्या:** अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को पारंपरिक भोजन तैयार करने के लिये **समय बचाने वाले विकल्प के रूप में देखा जाता है, जिससे कामकाजी व्यक्तियों को अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को अधिक आसानी से संतुलित करने में सहायता मिलती है।**
- **ताज़े भोजन की उपलब्धता:** शहरी क्षेत्रों में ताज़े भोजन की उपलब्धता सीमित हो सकती है।
  - **अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उन लोगों के लिये आसानी से विकल्प** उपलब्ध कराकर इस अंतर की आपूर्ति कर सकते हैं, जिन्हें स्वस्थ विकल्पों तक पहुँचने में कठिनाई होती है।
- **आक्रामक विपणन और उपलब्धता:** UPF का **भारी प्रचार किया जाता है,** प्राय: उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिये स्वास्थ्य संबंधी भ्रामक दावे किये जाते हैं।
  - सेलिब्रिटी विज्ञापन और **लक्षित विज्ञापन,** विशेष रूप से बच्चों के लिये, इन उत्पादों को और अधिक बढ़ावा देते हैं।
- **स्टेटस सिंबल:** यह धारणा बढ़ती जा रही है कि प्रोसेस्ड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन **उच्च सामाजिक स्थिति का प्रतीक है।**

स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देने के लिये सरकार की क्या पहल हैं?

- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस
- ईट राइट इंडिया
- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक
- RUCO (पुनर्प्रयोजन प्रयुक्त खाना पकाने का तेल)
- खाद्य सुरक्षा मित्र

UPF की खपत को रोकने के लिये क्या सिफारिशें हैं?

- **AGEs की कम सांद्रता वाला आहार: इस प्रकार के आहार को** अपनाने की सिफारिश की जाती है, जिसमें **फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज** और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद शामिल हैं।
  - बेकरी और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना और भोजन में स्टार्च रहित सब्जियाँ शामिल करना।
- **खाना पकाने की विधियाँ:** न्यून तापमान वाली विधियों, जैसे **उबालने या भाप से पकाने,** का उपयोग करके पकाए गए खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान विधियों, जैसे **तलने या भूनने, से तैयार किये गए खाद्य पदार्थों के स्थान पर उपयोग किया जाना चाहिये।**
- **HFSS संबंधी खाद्य पदार्थों की स्पष्ट परिभाषा:** **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को** उच्च **वसा, चीनी और नमक (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों को** परिभाषित करना चाहिये, ताकि हानिकारक उत्पादों की पहचान करने में सहायता मिल सके और उनकी बिक्री एवं उपभोग पर विनियमन का मार्गदर्शन किया जा सके।
- **पोषक तत्व आधारित कराधान:** अत्यधिक वसा, चीनी और नमक वाले उत्पादों पर उच्च कर लगाने से निर्माताओं को अपने उत्पादों को पुन: तैयार करने तथा स्वास्थ्यवर्द्धक विकल्पों को अधिक किफायती बनाने के लिये प्रोत्साहन **मिलेगा।**
- **PLI योजना में संशोधन: पोषण से संबंधित उत्पादन को समर्थन देने के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना में** संशोधन करने से स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्य उत्पादों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बाज़ार का लाभ मिल सकता है।
- **प्रचार पर प्रतिबंध:** HFSS खाद्य पदार्थों के प्रचार को सीमित करने के लिये विपणन नियमों को **सख्त किया जाना चाहिये, विशेष रूप से बच्चों को लक्षित करने वाले मीडिया में।**
- **नीतियों और कार्यक्रमों को मज़बूत करना:** अपर्याप्त **पोषण और आहार संबंधी रोगों** की दोहरी चुनौतियों को स्पष्ट रूप से लक्षित करने के लिये **सक्षम आँगनवाड़ी** और **पोषण 2.0** जैसी मौजूदा पहलों का विस्तार किया जाना चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (UPF) के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा कीजिये। इनके उपभोग को हतोत्साहित करने और स्वस्थ आहार पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

RBI की मौद्रिक नीति समिति की 51 वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में RBI गवर्नर की अध्यक्षता में **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** की **मौद्रिक नीति समिति (MPC)** की 51वीं बैठक संपन्न हुई।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 51वीं बैठक में लिये गए प्रमुख निर्णय क्या हैं?

- **रेपो रेट का अपरिवर्तित रहना:** मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने **लगातार 10 वीं** बार **रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया**।
- **मौद्रिक नीति दृष्टिकोण में परिवर्तन:** MPC ने नीतिगत रुख को '**विदड्राल ऑफ एकोमोडेशन**' से बदलकर '**न्यूट्रल' कर दिया**।
  - **न्यूट्रल दृष्टिकोण से** MPC को आवश्यकतानुसार मौद्रिक नीति को समायोजित करने के लिये **अधिक लचीलापन मिलता है जबकि "विदड्राल ऑफ एकोमोडेशन"** का अर्थ **प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति** से है, जिसमें RBI का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में **मुद्रा आपूर्ति को कम करना (मुद्रास्फीति दबावों पर अंकुश लगाना) होता है।**
  - जब **RBI द्वारा रियायतें वापस ली जाती हैं** तो यह संकेत मिलता है कि वह **कम ब्याज दरों के माध्यम से आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिये कम इच्छुक है** तथा इसके बजाय वह कीमतों को स्थिर करने पर केंद्रित है।
- **मुद्रास्फीति लक्ष्य:** RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिये **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 4.5%** पर बनाए रखा है।
  - आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिये अस्थायी विचलन की अनुमति देते हुए **4% (±2%) के लक्ष्य** के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये **वर्ष 2015 में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य (FIT)** रखा गया था।
- **वास्तविक GDP संवृद्धि अनुमान:** RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिये वास्तविक **GDP संवृद्धि अनुमान को 7.2% पर बनाए रखा है।** निजी उपभोग और निवेश मांग से प्रेरित भारत की स्थिति **मज़बूत बनी हुई है।**
  - **UPI123PAY की लेन-देन सीमा में वृद्धि:** RBI ने **UPI123PAY** की प्रति लेन-देन सीमा **5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है।**
    - **RBI ने UPI लाइट** की प्रति लेन-देन सीमा को **500 रुपए से** बढ़ाकर 1,000 रुपए करने की घोषणा की है। RBI ने **UPI लाइट वॉलेट की सीमा भी** वर्तमान 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है।
    - **UPI123PAY मुख्य रूप से गैर-स्मार्ट फोन/फीचर फोन उपयोगकर्त्ताओं** के लिये उपलब्ध भुगतान प्रणाली है जिसके द्वारा ये **इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना UPI का उपयोग करके भुगतान** कर सकते हैं।
- **रिज़र्व बैंक-क्लाइमेट रिस्क इनफॉर्मेशन सिस्टम (RB-CRIS): RBI ने क्लाइमेट संबंधी आँकड़ों के बीच अंतर को** समाप्त करने के लिये RB-CRIS नामक एक **डेटा भंडार** के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, जो वर्तमान में खंडित रूप में उपलब्ध है।
  - **इससे वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय प्रणाली** की **बैलेंस शीट की स्थिरता** सुनिश्चित करने के लिये **क्लाइमेट रिस्क का आकलन** हो सकेगा। यह **दो भागों** में होगा।
    - पहला भाग एक **वेब-आधारित निर्देशिका होगी, जिसमें** RBI की वेबसाइट पर विभिन्न सार्वजनिक रूप से सुलभ **क्लाइमेट संबंधी और भू-स्थानिक डेटा स्रोतों की सूची होगी।**
    - दूसरा भाग **मानकीकृत डेटासेट वाला एक डेटा पोर्टल होगा,** जो चरणबद्ध तरीके से केवल **विनियमित संस्थाओं के लिये सुलभ होगा।**
- **NBFC को निर्देश:** RBI ने **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI)** और **आवास वित्त कंपनियों (HFC) को 'पूर्वानुपालन' संस्कृति का** पालन करने और ग्राहक संबंधी शिकायतों के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण अपनाने के लिये सख्त दिशानिर्देश (Strong Advisory) जारी किये।
  - पूर्वानुपालन संस्कृति के तहत अन्य व्यावसायिक विचारों से परे **कानूनों, विनियमों और आंतरिक नीतियों के अनुपालन को प्राथमिकता दी जाती है।**

> **नोट:** MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीतिगत **रेपो दर निर्धारित करती है जबकि अन्य निर्णय RBI** द्वारा लिये जाते हैं।

- **UPI लाइट एक नया पेमेंट सॉल्यूशन है, जो कम मूल्य के लेनदेन को** संसाधित करने के लिये विश्वसनीय **एनपीसीआई कॉमन लाइब्रेरी (CL) एप्लिकेशन का लाभ उठाता है।**
- UPI लाइट वॉलेट एक **डिजिटल वॉलेट है,** जिसमें आप ऑनलाइन लेनदेन करने के लिये **अपने बैंक खाते से पैसा डालते हैं।**

नोट :

मौद्रिक नीति समिति की 51 वीं बैठक में NBFC पर RBI का रुख क्या है?

- **किसी भी कीमत पर विकास का दृष्टिकोण (Growth at Any Cost Approach): RBI गवर्नर ने** कुछ NBFC के बीच प्रचलित "**किसी भी कीमत पर विकास**" **की मानसिकता के संदर्भ में चिंता व्यक्त की, जो सतत् व्यावसायिक प्रथाओं** और मज़बूत जोखिम प्रबंधन ढाँचे की अनदेखी करते हैं।
- **पारिश्रमिक प्रथाओं की समीक्षा:** RBI ने NBFC को निर्देश दिया है, कि वे अपने **कर्मचारी पारिश्रमिक की संरचना का, विशेष रूप से अल्पकालिक प्रदर्शन लक्ष्यों से संबंधित बोनस और प्रोत्साहनों के संबंध में, पुनर्मूल्यांकन करें।**
  - RBI को चिंता है कि इस प्रकार की प्रथाओं से **जोखिमपूर्ण या असंवहनीय व्यवहार को बढ़ावा मिल सकता है,** जो केवल तात्कालिक परिणामों पर केंद्रित है।
- **सूदखोरी प्रथाएँ: NBFC द्वारा उच्च ब्याज दर वसूलने** तथा अनुचित रूप से **उच्च प्रसंस्करण शुल्क और जुर्माना लगाने** के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं हैं।
- **विकास लक्ष्यों का प्रभाव:** RBI गवर्नर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आक्रामक विकास लक्ष्यों के कारण **खुदरा ऋण वृद्धि हो सकती है,** जो वास्तविक मांग के अनुरूप नहीं होगी।
  - इससे संभावित रूप से **उच्च ऋण के बढ़ने की संभावना है,** जिससे वित्तीय स्थिरता को संकट हो सकता है।
- **निवेशकों का दबाव:** MFI और HFC समेत कुछ NBFC, इक्विटी पर अत्यधिक **रिटर्न (ROE) प्राप्त करने के लिये निवेशकों के दबाव से प्रेरित हैं।**
  - **RBI ने NBFC से सतत् कारोबारी लक्ष्य** अपनाने का आग्रह किया और कहा कि वे अल्पकालिक लाभ के लिये दीर्घकालिक स्थिरता से समझौता न करें।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) क्या हैं?

- **NBFC:** एक **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) को** एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो **कंपनी अधिनियम, 1956 के** अधीन कार्य करती है, जो मुख्य रूप से **ऋण और अग्रिम प्रदान करने,** शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर जैसी **वित्तीय प्रतिभूतियों को** प्राप्त करने के साथ-साथ **पट्टे और किराया-खरीद लेनदेन में संलग्न है।**
  - हालाँकि, NBFC में वे संस्थाएँ शामिल **नहीं हैं जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि, औद्योगिक गतिविधियाँ,** वस्तुओं के क्रय या विक्रय (प्रतिभूतियों को छोड़कर), सेवाएँ प्रदान करना, या **अचल संपत्ति से** संबंधित है।
- **वर्गीकरण हेतु मानदंड:** NBFC को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में वित्तीय गतिविधियों का संचालन करना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि **इसकी कुल संपत्ति का 50% से अधिक** भाग वित्तीय परिसंपत्तियों में होना चाहिये, और इसी प्रकार, वित्तीय परिसंपत्तियों से आय **इसकी सकल आय के 50% से अधिक होनी चाहिये।**
  - **इस वर्गीकरण मानदंड को प्राय: 50-50 परीक्षण** के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- **बैंकों और NBFC के बीच अंतर:** यद्यपि NBFC बैंकों के समान कार्य करते हैं, फिर भी इनमें विभिन्न अंतर मौजूद हैं।
  - NBFC **मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते।**
  - NBFC **भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं** और ये स्वयं पर **चेक जारी नहीं कर सकते हैं।**
  - बैंकों के विपरीत, NBFC के जमाकर्त्ताओं को **डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन** की **जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं** है।
- **NBFC के लिये पंजीकरण आवश्यकताएँ: RBI अधिनियम,** 1934 के तहत, प्रत्येक NBFC के लिये अपना परिचालन शुरू करने से पहले RBI से **पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।**
  - इसके अतिरिक्त पंजीकरण के लिये अर्हता प्राप्त करने हेतु NBFC को **न्यूनतम 25 लाख रुपए (या अप्रैल 1999 से 2 करोड़ रुपए) का शुद्ध स्वामित्व निधि (NOF) बनाए रखना होगा।**
- **पंजीकरण से छूट:** NBFC की कुछ श्रेणियों को RBI के साथ पंजीकरण से **छूट दी गई है क्योंकि ये अन्य प्राधिकरणों द्वारा विनियमित हैं। उदाहरणार्थ,**
  - **वेंचर केपिटल फंड: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI)** द्वारा विनियमित।
  - **बीमा कंपनियाँ : बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA)** द्वारा विनियमित।
  - **आवास वित्त कम्पनियाँ: राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)** द्वारा विनियमित।
- **NBFC में हालिया रुझान:** वित्त वर्ष 24 में, NBFC की **प्रबंधन के अधीन संपत्ति (AUM) 18%** बढ़कर **47 ट्रिलियन रुपए हो गई,** जबकि जून 2024 तक **NPA अनुपात 2.6%** रहा।
  - यह **प्रतिवर्ष 18%** की दर से **बढ़ रहा है।**

नोट :

मौद्रिक नीति समिति क्या है?

निष्कर्ष

RBI की 51 वीं MPC बैठक में **रेपो दर को** बनाए रखते हुए **तटस्थ मौद्रिक नीति के रुख पर बल दिया गया। इसने NBFC के लिये आक्रामक विकास रणनीतियों पर सतत् प्रथाओं को** अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये अनुपालन, ज़िम्मेदार ऋण और जोखिम प्रबंधन के महत्त्व को रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त इसने UPI के लिये **बढ़ी हुई लेन-देन सीमा की घोषणा की** साथ ही सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये NBFC के बीच अनुपालन पर बल दिया।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्नः

प्रश्नः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) क्या हैं? NBFC को विनियमित करने में RBI की भूमिका बताइये।

नोट :

यूरोपीय संघ के CBAM एवं वनोन्मूलन मानदंडों से संबंधित भारत की चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के वित्तमंत्री ने यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) तथा यूरोपीय संघ वनोन्मूलन विनियमन (EUDR) को मनमाना एवं भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुँचाने वाले उपकरणों के रूप में संदर्भित किया है।

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) क्या है?

- **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र:** यूरोपीय संघ के इस उपकरण के तहत यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाली **कार्बन सघन वस्तुओं** के उत्पादन के दौरान **उत्सर्जित कार्बन के आधार पर उचित कर लगाया जाता है ताकि** गैर-यूरोपीय संघ देशों में **स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को** प्रोत्साहित किया जा सके।
  - आयात पर **कार्बन शुल्क** यूरोपीय संघ द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर लागू कार्बन कर के अनुरूप रहता है जिससे **निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा बनी** रहे।
- **CBAM की कार्यप्रणाली:**
  - **पंजीकरण और प्रमाणन:** CBAM द्वारा कवर की गई वस्तुओं के संदर्भ में यूरोपीय संघ के आयातकों को राष्ट्रीय प्राधिकारियों के साथ **पंजीकरण कराने के साथ CBAM प्रमाण-पत्र खरीदना** होता है जिसमें उनके आयात में निहित कार्बन उत्सर्जन को दर्शाया जाता है।
  - **वार्षिक घोषणा: आयातकों को अपनी आयातित वस्तुओं में निहित उत्सर्जन की** घोषणा करनी होती है तथा उसके अनुसार प्रतिवर्ष तदनुसार संख्या में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होते हैं।
  - **कार्बन शुल्क का भुगतान:** आयातकों को यह साबित करना होगा कि **गैर-यूरोपीय संघ देश** में उत्पादन के दौरान **कार्बन शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका** है, ताकि CBAM भुगतान से कटौती की गई राशि प्राप्त की जा सके।
- **CBAM द्वारा कवर किये गए सामान:** प्रारंभ में, CBAM **उच्च जोखिम वाले कार्बन उत्सर्जन वाली वस्तुओं पर लागू होता है,** जैसे **सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन।**
  - **समय के साथ, CBAM यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS)** द्वारा कवर किये गए क्षेत्रों जैसे तेल रिफाइनरियों, शिपिंग आदि से होने वाले **50%** से अधिक उत्सर्जन को कैप्चर कर लेगा।

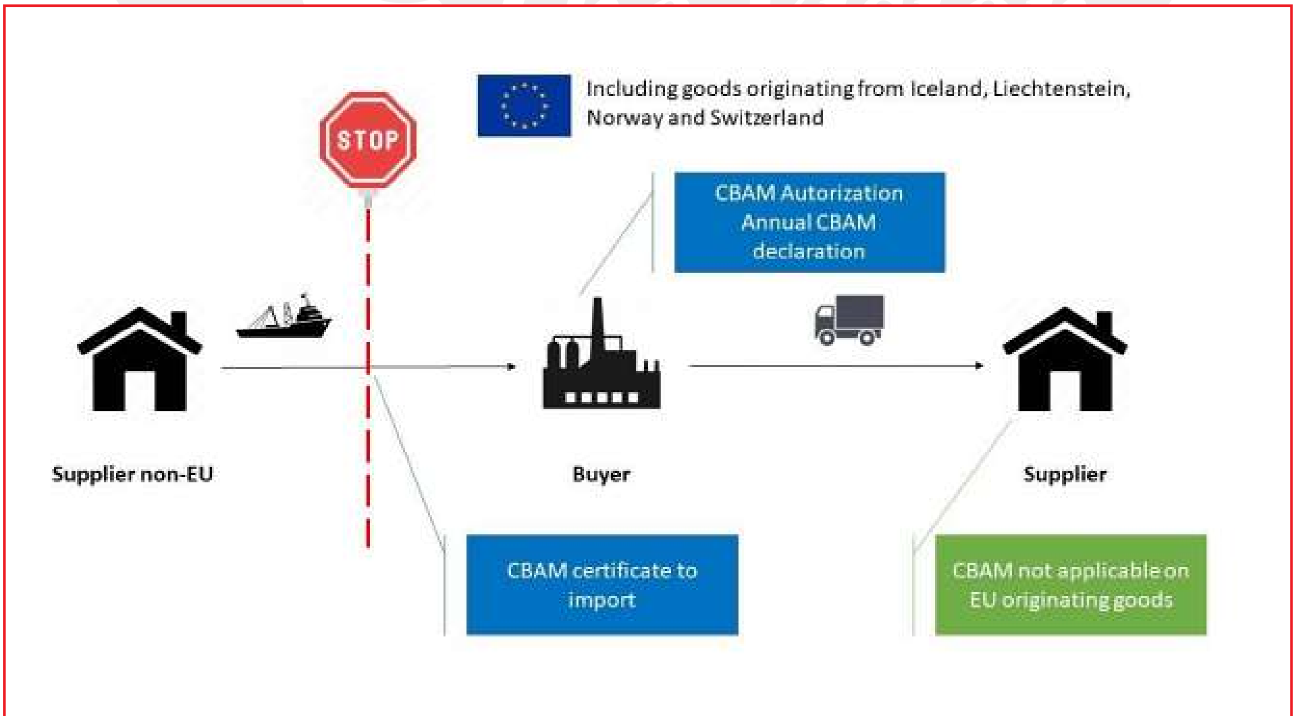

यूरोपीय संघ वनोन्मूलन विनियमन (EUDR) क्या है?

- **यूरोपीय संघ वनोन्मूलन विनियमन (EUDR): यूरोपीय संघ के बाज़ार** में निर्दिष्ट वस्तुओं को रखने वाले **या उनका निर्यात करने वाले ऑपरेटरों या व्यापारियों को यह साबित करना होगा कि उनके उत्पाद हाल ही में वनों की कटाई की गई भूमि के अंतर्गत** नहीं आते हैं या वनोन्मूलन में योगदान नहीं देते हैं।
- **विनियमन के उद्देश्य:** प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं:
  - **वनोन्मूलन की रोकथाम:** यह सुनिश्चित करना कि यूरोपीय संघ में सूचीबद्ध उत्पाद वनों की कटाई या वनोन्मूलन में योगदान न दें।
  - **कार्बन उत्सर्जन में कमी:** इन वस्तुओं से प्रतिवर्ष कम-से-कम **32 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने** का लक्ष्य।
  - **वनोन्मूलन का मुकाबला करना:** इन वस्तुओं से संबंधित **कृषि विस्तार** के कारण होने वाले वनोन्मूलन और क्षरण को संबोधित करना।
- **शामिल वस्तुएँ: यह मवेशी, लकड़ी, कोको, सोया, ताड़ का तेल, कॉफी, रबर और संबंधित उत्पादों** (जैसे, चमड़ा, चॉकलेट, टायर, फर्नीचर) जैसी वस्तुओं पर केंद्रित है।
  - इसका उद्देश्य इन वस्तुओं से जुड़ी आपूर्ति शृंखलाओं में **पारदर्शिता और जवाबदेही** बढ़ाना है।

यूरोपीय संघ के CBAM और EUDR से संबंधित प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **व्यापार संबंधी बाधाओं के रूप में CBAM:** CBAM के परिणामस्वरूप भारत से सीमेंट, एल्यूमीनियम, लोहा और इस्पात जैसी कार्बन गहन वस्तुओं के **आयात पर 35% तक का टैरिफ** लग सकता है, जिससे **व्यापार में बाधा** आ सकती है।
  - यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि **वर्ष 2022** में भारत द्वारा इन सामग्रियों के **निर्यात का एक चौथाई से अधिक हिस्सा यूरोपीय संघ** को भेजा जाएगा।
- **संरक्षणवाद के एक उपकरण के रूप में CBAM:** यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन गहन इस्पात के आयात पर टैरिफ लगाया जाता है जबकि यह **घरेलू स्तर पर इसी प्रकार का इस्पात उत्पादन करता है** तथा **CBAM से प्राप्त आय का उपयोग ग्रीन स्टील उत्पादन** में परिवर्तन के लिये करता है।
  - **CBAM का उद्देश्य कार्बन रिसाव** (इसके तहत यूरोपीय संघ आधारित कंपनियाँ अपने कार्बन-गहन उत्पादन को **कम कठोर जलवायु नीतियों वाले देशों में स्थानांतरित कर देती हैं) को** रोकना है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) को खतरा: CBAM के तहत निर्यातकों को** उत्पादन पद्धतियों पर 1,000 तक **डेटा बिंदु उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।**
  - भारतीय निर्यातकों को यह आशंका है कि विस्तृत डेटा संग्रहण से न केवल **उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता कम हो सकती है,** बल्कि संवेदनशील **ट्रेड सीक्रेट के उज़ागर होने का भी खतरा हो सकता है।**
    - ट्रेड सीक्रेट किसी कंपनी की कोई ऐसी **प्रथा या प्रक्रिया है जो आमतौर पर कंपनी के बाहर ज्ञात नहीं होती।**
- **भारत के व्यापार गतिशीलता पर प्रभाव:** यूरोपीय संघ **भारत के समग्र निर्यात मिश्रण का लगभग 14% प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें स्टील और एल्यूमीनियम** का महत्त्वपूर्ण निर्यात शामिल है।
  - **यूरोपीय संघ के तीसरे सबसे बड़े व्यापार साझेदार** के रूप में भारत की स्थिति और इसके अनुमानित आर्थिक विकास के अनुमानों से यह संकेत मिलता है कि CBAM प्रभावित क्षेत्रों समेत भारतीय निर्यात का आकार **समय के साथ बढ़ने की संभावना है।**
- **असंगत प्रभाव:** भारतीय उत्पादों की कार्बन तीव्रता उनके यूरोपीय समकक्षों की तुलना में अधिक **होती** है।
  - परिणामस्वरूप, CBAM के माध्यम से लगाए गए **कार्बन टैरिफ** भारतीय निर्यात के लिये आनुपातिक रूप से अधिक होंगे।
- **विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों का गैर-अनुपालन:** भारत सरकार ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या CBAM **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के** मानदंडों का अनुपालन करता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को** पूरा करने के बावजूद यह भारत जैसे देशों के लिये अनिश्चितता और अतिरिक्त चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

- **गैर-टैरिफ बाधा के रूप में EUDR: EUDR के अनुसार मवेशी, सोया, पाम ऑयल, कॉफी और लकड़ी** जैसी वस्तुओं के आयातक यह प्रमाणित करेंगे कि उनके उत्पाद हाल ही में वनोन्मूलन वाली भूमि से नहीं आते हैं या वन क्षरण में योगदान नहीं देते हैं।
  - भारत इस विनियमन को **संरक्षणवाद का एक अन्य रूप तथा गैर-टैरिफ बाधा (N.T.B.) मानता है।**
  - गैर-टैरिफ बाधा टैरिफ के अलावा एक व्यापार प्रतिबंध है। NTB में कोटा, **प्रतिबंध, प्रतिबंध और लेवी शामिल हैं।**
- **शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में बाधा:** यूरोपीय संघ द्वारा लगाया गया CBAM भारत को वर्ष **2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य** हासिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा।
- **FTA वार्ता में कमी:** CBAM और EUDR जैसे स्थिरता उपाय, चल रही **भारत-यूरोपीय संघ FTA वार्ता** में **विवादास्पद मुद्दे बन गए हैं।**
- **पुरानी टैरिफ संबंधी बाधाएँ:** यूरोपीय संघ के स्टील टैरिफ के कारण भारत को वर्ष **2018 और वर्ष 2023 के बीच 4.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है।**
  - ये स्टील टैरिफ यूरोपीय संघ के सुरक्षा उपायों का भाग थे, जो आरंभ में जून 2023 में समाप्त होने वाले थे, लेकिन इन्हें बढ़ा दिया गया है।
- **वैश्विक नीति प्रतिकृति की संभावना:** CBAM के कार्यान्वयन से अन्य देश भी **समान विनियमन अपनाने के लिये प्रेरित हो सकते हैं,** जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख बाज़ारों में अतिरिक्त टैरिफ या विनियमन लागू हो सकते हैं।
  - यह प्रवृत्ति भारत के व्यापारिक संबंधों को जटिल बना सकती है तथा इसके भुगतान संतुलन को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह

- **निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का समर्थन करना: भारत को निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं** का समर्थन करना चाहिये और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों के तहत CBAM और EUDR की वैधता को चुनौती देने के लिये **विश्व व्यापार संगठन (WTO) की चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिये।**
- **स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश: भारत को** अपने निर्यात की कार्बन तीव्रता को कम करने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने और **CBAM टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और सतत् उत्पादन विधियों** में निवेश में तेजी लानी चाहिये।
- **निर्यात बाज़ारों में विविधता लाना: एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका** में नवीन बाज़ारों की खोज से CBAM और EUDR के संभावित आर्थिक प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- **यूरोपीय संघ के CBAM का सामना करना:** भारत ऐसे एकतरफा व्यापारिक चरणों का सामना **इसी प्रकार के प्रति-उपाय लागू करके कर सकता है, जैसे** यूरोपीय संघ के देशों से आने वाले उत्पादों पर **अतिरिक्त टैरिफ** लगाना आदि।
  - **इसके अतिरिक्त भारत को ऐसी वस्तुओं का घरेलू उत्पादन करने** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये ताकि वह अन्य देशों के ऐसे **नीतिगत आघातों से स्वयं को बचा सके।**
- **वैश्विक नीति प्रवृत्तियों की निगरानी:** भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने के लिये CBAM जैसी वैश्विक नीतियों की निगरानी करनी चाहिये तथा उभरती बाधाओं को दूर करने और अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से रणनीति विकसित करनी चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) और यूरोपीय संघ वन विनाश विनियमन (EUDR) के कार्यान्वयन के कारण भारत के उद्योगों के समक्ष आने वाली संभावित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

GDP आधार वर्ष में संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI)** ने भारत के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** के आधार वर्ष के संशोधन पर विचार-विमर्श करने के लिये कई अर्थशास्त्रियों और पूर्वानुमानकर्त्ताओं की बैठक बुलाई थी।

- **यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** द्वारा व्यापक परामर्श दिये जाने वाले महत्त्व को, शेष रूप से अतीत में आधार वर्ष समायोजन के संबंध में विवाद और आलोचना के आलोक में, रेखांकित करता है।
- **वर्ष** 2015 में किये गए पिछले आधार वर्ष संशोधन में आधार वर्ष को **वर्ष 2004-05 से बदलकर वर्ष 2011-12 कर दिया गया था,** लेकिन पद्धतिगत परिवर्तनों में कथित खामियों के कारण इसकी आलोचना की गई थी।

नोट :

पिछले आधार वर्ष संशोधन से संबंधित विवाद क्या हैं?

- **पद्धतिगत चिंताएँ:** आधार वर्ष के पिछले संशोधन ने **निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र (PCS)** के सकल घरेलू उत्पाद की गणना को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) डेटाबेस की **ऑडिट की गई बैलेंस शीट से सीधे बदल दिया तथा विनिर्माण क्षेत्र GVA का अनुमान लगाने के लिये PCS डेटा का उपयोग किया गया।**
  - इस प्रक्रिया में **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** और **उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) के आँकड़ों** को ज़्यादातर खारिज कर दिया गया।
- **एकल अपस्फीति (डिफ्लेटर) की आलोचना:** कई विशेषज्ञों ने **वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP) वृद्धि को नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (Nominal GDP) वृद्धि** से गणना करने के लिये प्रयोग किये जाने वाले **एकल अपस्फीति (सिंगल डिफ्लेटर)** पर सवाल उठाया, न कि दोहरे अपस्फीति की अंतर्राष्ट्रीय मानक तकनीक पर।
  - **एकल अपस्फीति में** विभिन्न मूल्य सूचकांकों जैसे **CPI, WPI द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में नाममात्र मूल्य-वर्द्धित (Nominal Value-Added) को** कम करना शामिल है, जबकि **दोहरी अपस्फीति में आउटपुट मूल्यों द्वारा आउटपुट तथा इनपुट मूल्यों द्वारा इनपुट** को कम करना शामिल है।
  - GDP मूल्य अपस्फीति, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के **मूल्य में परिवर्तन को मापता** है।
- **सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों में विसंगतियाँ:** यद्यपि समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि मज़बूत प्रतीत होती है तथा उपभोग कमज़ोर प्रतीत होता है, जो महत्त्वपूर्ण माप संबंधी मुद्दों को इंगित करता है।
  - इसके अलावा, सकल घरेलू उत्पाद की गणना के **उत्पादन उपकरण और व्यय उपकरण** के बीच विसंगति है।
  - कमज़ोर उपभोग (Weak consumption), **कम रिपोर्ट की गई आर्थिक गतिविधियों** या सकल घरेलू उत्पाद की गणना में मुद्रास्फीति की गणना में समस्याओं का संकेत हो सकता है।
- **आँकड़ों की रिपोर्टिंग: पिछले तीन दशकों में, पंजीकृत कंपनियों** की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र और वित्त क्षेत्र में।
  - **हालाँकि, घरेलू उत्पादन में उनका योगदान अस्पष्ट है, क्योंकि कई कंपनियां रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC)** के पास अपनी **ऑडिटेड बैलेंस शीट** दाखिल नहीं करती हैं।
- **असंगठित क्षेत्र को कम आंकना:** वर्ष 2015 के आधार वर्ष के संशोधन की आलोचना इस कारण हुई कि इसमें सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिये उत्पादक इकाइयों से मूल्य-वर्द्धित आँकड़े शामिल करने की बजाय **असंगठित क्षेत्र** की **बैलेंस शीट का उपयोग किया गया।**
  - इसका अर्थ है कि, अनौपचारिक क्षेत्र के उत्पादकों, जो कंपनियों के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं, को **कम कवरेज़** प्रदान करना।
- **औसत की गणना की समस्या:** उत्पादन और व्यय पक्षों का औसत निकालना **विकसित देशों में स्वीकार्य है,** लेकिन विकासशील देशों में नहीं, क्योंकि भारत सकल घरेलू उत्पाद के दोनों पक्षों को स्वतंत्र रूप से नहीं मापता है।
  - इसके अलावा, व्यय पक्ष, जिसका उपभोग भी एक हिस्सा है, के आँकड़े भी काफी खराब हैं।

आधार वर्ष क्या है?

- **आधार वर्ष:** आधार वर्ष एक विशिष्ट संदर्भ वर्ष है जिसके आधार पर आगामी एवं पूर्ववर्ती वर्षों के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आँकड़ों की गणना** की जाती है।
- **आधार वर्ष की आवश्यकता:** यह एक **स्थिर संदर्भ बिंदु प्रदान करता** है और आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिये एक **बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है तथा समय के साथ तुलना करने की अनुमति प्रदान करता है।**
  - सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आँकड़ों को किसी विशिष्ट वर्ष से जोड़कर, विश्लेषक आर्थिक प्रदर्शन में **रुझानों और बदलावों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं।**
- **आधार वर्ष की विशेषताएँ:** आधार वर्ष एक **सामान्य वर्ष होना चाहिये, अर्थात इस वर्ष में सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी** आदि जैसी कोई **असामान्य घटना** घटित नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा, यह वर्षों के अंतराल में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिये।
- **आधार वर्ष को संशोधित करने के कारण:**
  - **संकेतकों की परिवर्तनशील प्रकृति:** सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिये संकेतक गतिशील होते हैं **तथा उपभोक्ता व्यवहार, आर्थिक संरचना और वस्तु संरचना में बदलाव** के कारण समय के साथ बदल सकते हैं।

नोट :

- इसके अतिरिक्त, विकसित हो रहे डेटा संकलन तरीकों के लिये **नई वर्गीकरण प्रणालियों** और डेटा स्रोतों को शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है।
- इस प्रकार, संशोधन यह सुनिश्चित करते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के आँकड़ें वर्तमान आर्थिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करें।

- **आर्थिक संकेतकों पर प्रभाव** : जब आधार वर्ष संशोधन के माध्यम से नए डेटा सेट शामिल किये जाते हैं, तो इससे **GDP स्तर में समायोजन** हो सकता है।
  - इन परिवर्तनों का व्यापक आर्थिक संकेतकों पर **प्रभाव पड़ता है, जिनमें सार्वजनिक व्यय, कराधान और सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण के रुझान** शामिल हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानक अभ्यास: संयुक्त राष्ट्र-राष्ट्रीय लेखा प्रणाली,** 1993 के तहत देशों को समय-समय पर गणना प्रथाओं को संशोधित करने की आवश्यकता होती है।

- **आधार वर्ष संशोधन की आवृत्ति:** राष्ट्रीय खातों को नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के अनुरूप रखने के लिये आदर्शतः आधार वर्ष को **प्रत्येक 5 से 10 वर्ष में संशोधित किया जाना चाहिये।**
- **आधार वर्ष संशोधन का इतिहास: वर्ष 1956 में पहला राष्ट्रीय आय** अनुमान **वित्त वर्ष 1949 को आधार वर्ष मानकर प्रकाशित किया गया था,** तब से भारत ने अपने आधार वर्ष को **सात बार संशोधित किया है।**
  - सबसे हालिया संशोधन में आधार वर्ष को **वित्त वर्ष** 2005 **से बदलकर वित्त वर्ष 2012 किया** गया था।

नये आधार वर्ष के लिये क्या विचारणीय बातें हैं?

- **सलाहकार समिति का गठन: जून, 2024 में, MoSPI ने GDP डेटा के लिये आधार वर्ष तय करने के लिये बिस्वनाथ गोल्डर** की अध्यक्षता में **26 सदस्यीय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति (ACNAS)** का गठन किया।
  - समिति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को **WPI, CPI और IIP** जैसे अन्य वृहद संकेतकों के साथ **संरेखित करने पर भी विचार करेगी।**
- **संभावित आधार वर्ष:** समिति GDP के लिये नए आधार वर्ष के रूप में **वित्त वर्ष 2022-23 को चुनने पर विचार कर रही है, हालाँकि वित्त वर्ष 2023-24** पर भी विचार किया जा रहा है।
  - **वर्ष 2016 (नोटबंदी), वर्ष 2017-18 (GST का प्रभाव) और वर्ष 2019-21 (कोविड-19)** को अर्थव्यवस्था में **असामान्य परिवर्तनों** के कारण शामिल नहीं किया गया है।
- **GST के आँकड़ों का उपयोग:** अर्थव्यवस्था का बेहतर तस्वीर प्राप्त करने के लिये नए डेटाबेस को शामिल करने हेतु GDP गणना के लिये **वस्तु एवं सेवा कर (GST) डेटाबेस को** शामिल करने के संबंध में चर्चा चल रही है।
- **पद्धतिगत सुधार:** सलाहकार समिति सूचकांक की संरचना में परिवर्तन करने पर भी विचार कर रही है, जैसे कि **ASUSI (असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण)** को शामिल करना और GDP माप सटीकता में सुधार के लिये दोहरी अपस्फीति विधि की खोज करना।

निष्कर्ष:

भारत के GDP आधार वर्ष संशोधनों को लेकर पिछले विवादों के आधार पर, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों को शामिल करने तथा एक **सलाहकार समिति स्थापित करने की वर्तमान पहल पारदर्शी** और **पद्धतिगत रूप से ठोस दृष्टिकोण की आवश्यकता** को रेखांकित करती है। **अद्यतन डेटा स्रोतों तथा कठोर कार्यप्रणालियों को शामिल करने का उद्देश्य** GDP अनुमानों की **सटीकता एवं विश्वसनीयता** को बढ़ाना है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आर्थिक गणना में आधार वर्ष की अवधारणा को समझाइये तथा यह जीडीपी आँकड़ों की सटीक व्याख्या के लिये यह क्यों आवश्यक है? चर्चा कीजिये।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **नीति आयोग ने** वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 25) के लिये **परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य को 23,000 करोड़ रुपए से** बढ़ाकर **1.9 ट्रिलियन कर दिया है।**

- इसके साथ ही नीति आयोग चार साल की अवधि (वित्त वर्ष 2022-25) के लिये **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)** के तहत निर्धारित **कुल 6 ट्रिलियन (6 लाख करोड़ रुपए) के लक्ष्य के करीब पहुँच गया है।**

नोट :

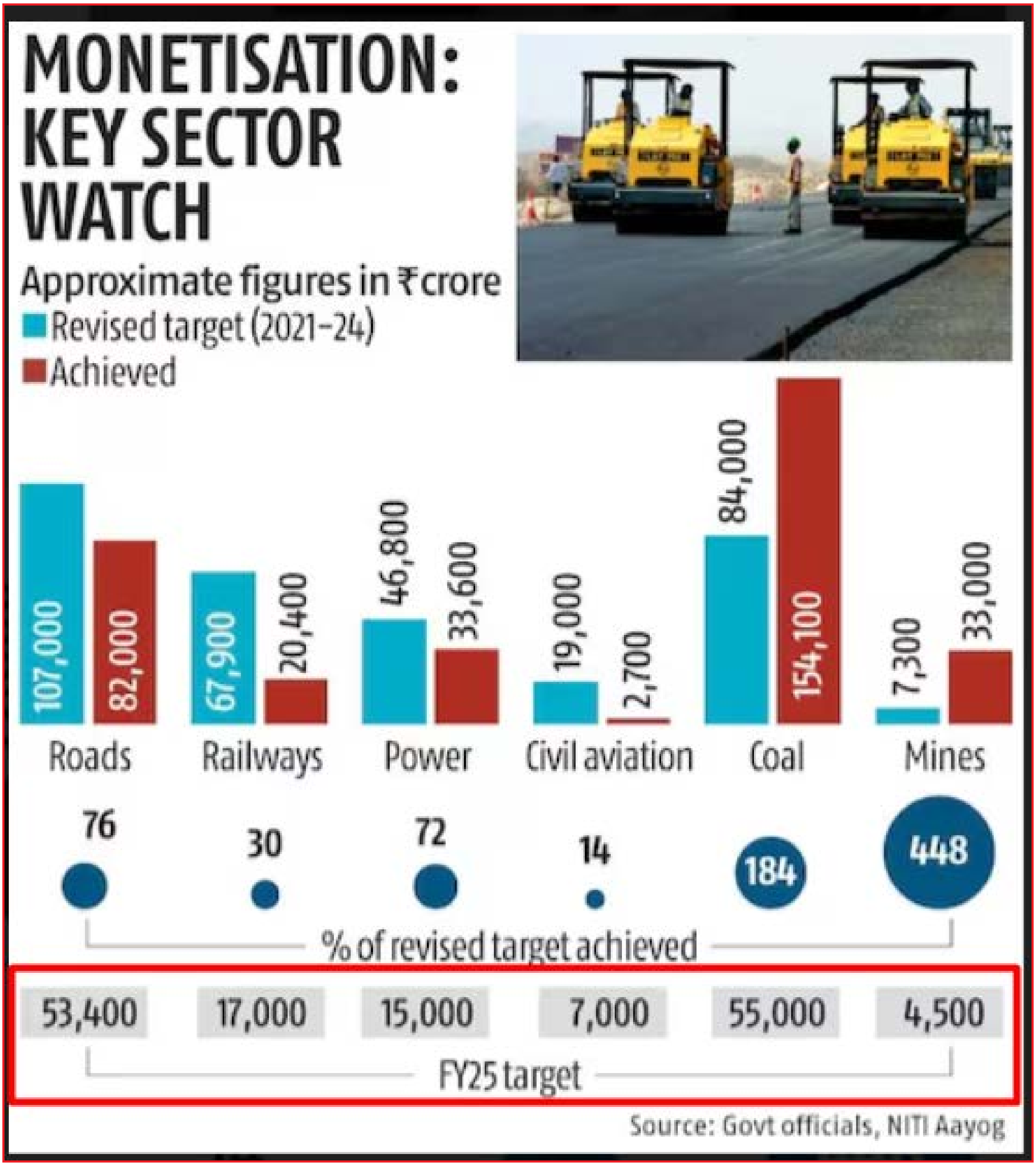

परिसंपत्ति मुद्रीकरण क्या है?

- **परिचय:** किसी परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करने का अर्थ है उसे ऐसे रूप में **परिवर्तित करना जिससे राजस्व या मुद्रा अर्जित हो सके।**
  - **मुद्रीकरण में लाभ उत्पन्न करने या इसे नकदी में बदलने** के लिये किसी मूल्यवान वस्तु का उपयोग करना शामिल है। उदाहरण के लिये, सरकार राजकोषीय प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करके अपने राष्ट्रीय ऋण का मुद्रीकरण कर सकती है, जिससे धन की आपूर्ति बढ़ती है।

नोट :

- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आवश्यकता:** इससे सरकारों और सार्वजनिक संस्थाओं के लिये नए राजस्व स्रोत के क्रम में **अल्प उपयोगिता या अप्रयुक्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों** से लाभ मिलता है।
  - इसका उद्देश्य इन परिसंपत्तियों की पहचान करना और उन्हें बेचे बिना वित्तीय लाभ अर्जित करना है।
- **सार्वजनिक परिसंपत्तियों को महत्त्व:** जिन सार्वजनिक परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जा सकता है, उनमें सार्वजनिक निकायों के स्वामित्व वाली संपत्तियां शामिल हैं जैसे **सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे, पाइपलाइन और मोबाइल टावर जैसी बुनियादी संरचनाएँ।**
  - **इसका बल ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों** पर है जो मौजूदा परिसंपत्तियाँ हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है या जिनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है।
  - ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों का आशय ऐसी परिसंपत्तियों से है जिन्हें कोई निजी कंपनी या निवेशक नई उत्पादन गतिविधि के लिये **किसी मौजूदा बुनियादी ढाँचा परियोजना या उत्पादन सुविधा को खरीदता है या पट्टे पर लेता है।**
- **मुद्रीकरण बनाम निजीकरण: निजीकरण का आशय** निजी क्षेत्र को **स्वामित्व का पूर्ण हस्तांतरण करना है जबकि परिसंपत्ति मुद्रीकरण में निजी संस्थाओं के साथ संरचित साझेदारी शामिल है, जिससे सार्वजनिक प्राधिकरणों को निजी क्षेत्र की दक्षता एवं निवेश** से लाभान्वित होते हुए **स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति मिलती है।**

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) क्या है?

- **NMP:** NMP, संचालित सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के **मुद्रीकरण** के माध्यम से **सतत् अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा देने की एक प्रमुख पहल है।**
  - इसमें केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की **प्रमुख परिसंपत्तियों को पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए** की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना की गई है।
- **NMP की तैयारी: नीति आयोग द्वारा** बुनियादी अवसंरचना मंत्रालयों के परामर्श से इसकी तैयारी की गई है।
  - **इसमें सड़क, परिवहन, राजमार्ग, रेलवे, विद्युत, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार** आदि मंत्रालय शामिल हैं।
  - NMP का लक्ष्य ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों पर है, जिससे सार्वजनिक परिसंपत्ति स्वामियों को रोडमैप मिलने के साथ निजी क्षेत्र को मुद्रीकरण अवसरों का लाभ मिलता है।
- **शामिल क्षेत्र और परिसंपत्ति वर्ग:** NMP के तहत सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, गैस और उत्पाद पाइपलाइनों, विद्युत उत्पादन के साथ ट्रांसमिशन, खनन, दूरसंचार, भंडारण आदि सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
  - इसके शीर्ष 5 क्षेत्रों में **सड़क** (कुल पाइपलाइन मूल्य का 27%), **रेलवे (25%), विद्युत (15%),** तेल और गैस पाइपलाइन (8%) तथा दूरसंचार (6%) शामिल हैं।
- **मुद्रीकरण ढाँचा: मुख्य परिसंपत्ति** के मुद्रीकरण ढाँचे के संदर्भ में तीन प्रमुख अधिदेश हैं।
  - **'स्वामित्व' नहीं बल्कि 'अधिकारों' का मुद्रीकरण:** सरकार परिसंपत्तियों का **प्राथमिक स्वामित्व अपने पास रखेगी और** लेनदेन अवधि समाप्त होने के बाद परिसंपत्तियाँ **सार्वजनिक प्राधिकरण को वापस हो जाएंगी।**
  - **स्थिर राजस्व:** इसमें स्थिर राजस्व वाली **जोखिम मुक्त ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों का चयन करना शामिल है।**
  - **परिभाषित साझेदारी:** **इसमें प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) और प्रदर्शन मानक को ध्यान में रखते हुए** संरचित साझेदारियों को सुपरिभाषित **संविदात्मक ढाँचे के अंतर्गत स्थापित किया जाना शामिल है।**
- **NIP के साथ संरेखण:** NMP को **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के साथ संरेखित किया गया है,** जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मुद्रीकरण अवधि NIP के साथ **समाप्त हो, जो वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक चलने वाली थी।**
  - NMP का उद्देश्य **111 ट्रिलियन रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में पूंजी का पुनर्निवेश करना है।**
  - NIP का उद्देश्य सभी आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना उप-क्षेत्रों में प्रमुख **ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं** में निवेश आकर्षित करना है।
- **मुद्रीकरण के लिये साधन:** NMP परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिये **विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करेगा, जिसमें शामिल हैं:**
  - प्रत्यक्ष अनुबंधों के लिये **सार्वजनिक-निज़ी भागीदारी (PPP) संबंधी रियायतें।**
  - **इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्विट्स)** और अन्य **पूंजी बाज़ार संबंधी साधन।**
    - **इनविट्स,** बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों से धन का प्रत्यक्ष निवेश करने में सक्षम बनाता है, जिससे आय का एक हिस्सा प्रतिफल के रूप में अर्जित किया जा सके।

नोट :

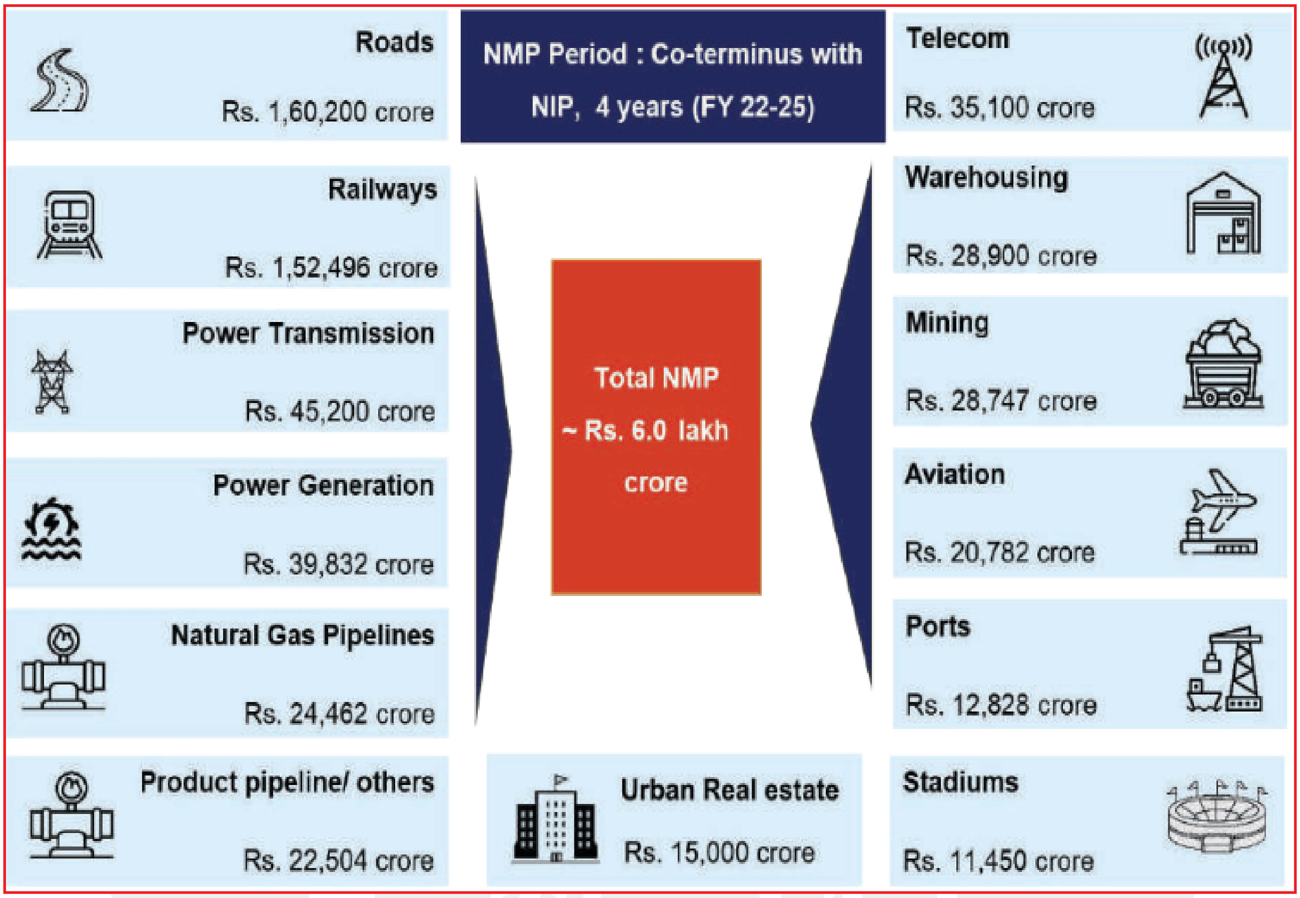

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **राजस्व सृजन:** NMP ने पहले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 24 तक) में **3.9 ट्रिलियन रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो इसके अधिकांश समायोजित लक्ष्यों को प्राप्त करता है।** इस अवधि के लिये मूल लक्ष्य 4.3 ट्रिलियन रुपए था।
- **सफल मुद्रीकरण: कोयला मंत्रालय ने** 80,000 करोड़ रुपए के अपने चार वर्षीय लक्ष्य के सामने **1.54 ट्रिलियन रुपए** एकत्रित किये हैं, जो उम्मीदों **से कहीं अधिक है।**
  - इसके अतिरिक्त, **खदानों का** मुद्रीकरण 32,000 करोड़ रुपए तक किया गया है, **जो 7,300 करोड़ रुपए** के संशोधित लक्ष्य से अधिक है।
- **पिछड़े क्षेत्र:**
  - **रेलवे:** प्रमुख क्षेत्र होने के बावजूद, रेल मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में केवल **20,417 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों का ही मुद्रीकरण किया है, जो अपने संशोधित लक्ष्य का केवल 30% ही पूर्ण कर पाया है।**
  - **वेयरहाउसिंग: लक्ष्य का 38% प्राप्त हुआ,** जो 8,000 करोड़ रुपए है।
  - **नागरिक उड्डयन:** काफी पीछे, **लक्षित 2,600 करोड़ रुपए की** परिसंपत्ति आधार का केवल 14% ही मुद्रीकृत हो पाया है।

NMP के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **कम मुद्रीकरण क्षमता:** NMP का लक्ष्य 6 लाख करोड़ रुपए के मुद्रीकरण का है, जो **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (111 लाख करोड़ रुपए)** के तहत समग्र पूंजीगत व्यय का **केवल 5-6% है।**
- **विनिवेश में कमी:** विमुद्रीकरण के लिये चुने गए 13 क्षेत्र हाल के वर्षों में लगातार **अपने विनिवेश लक्ष्य से भटक रहे हैं।** इससे वास्तविक विमुद्रीकरण लक्ष्य हासिल करने पर संदेह उत्पन्न होता है।

नोट :

- **दीर्घकालिक अधिकार: मुद्रीकरण से निजी अभिकर्त्ताओं को सार्वजनिक परिसंपत्तियों से संचालन और लाभ कमाने के लिये दीर्घकालिक अधिकार (60 वर्ष तक)** मिल सकते हैं। इसे विभिन्न लोग **निज़ीकरण** के रूप में देख सकते हैं, जिससे सरकार के आशयों पर संदेह उत्पन्न होता है।
- **बजट और आय का उपयोग:** NMP में इस बात पर स्पष्टता का अभाव है कि मुद्रीकरण से प्राप्त आय को बजट में किस प्रकार शामिल किया जाएगा।
  - **इस संबंध में कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं** हैं कि क्या इन निधियों का उपयोग बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिये किया जाएगा या वेतन या सब्सिडी जैसे राजस्व व्यय के लिये किया जाएगा।
- **एकाधिकार:** स्वामित्व के एकीकरण से **एकाधिकार को बढ़ावा मिल सकता है, मूलतः राजमार्गों और रेलवे लाइनों** के संदर्भ में। इससे मूल्यों में वृद्धि हो सकती है।
- **करदाताओं का धन संबंधी मुद्दा: करदाता सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर संभावित दोहरे शुल्क** के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उनके निर्माण के लिये धन मुहैया कराया था और अब मुद्रीकरण के बाद निज़ी संस्थाओं को भुगतान के माध्यम से उनका उपयोग करने के लिये अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह

- **अनुबंध-आधारित मुद्रीकरण में तेजी लाना:** सरकार को **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** रियायत समझौतों के माध्यम से अनुबंध-आधारित मुद्रीकरण में तेजी लाने को प्राथमिकता देनी चाहिये, विशेष रूप से रेलवे और हवाई अड्डों में, जहाँ निवेशकों की अधिक रुचि हो।
- **भूमि मुद्रीकरण पहल को लागू करना: बहुमंजिला इमारतों** के विकास में रियल एस्टेट और बुनियादी ढाँचा कंपनियों को शामिल करने से राजस्व उत्पन्न करने के साथ-साथ आवास संबंधी सुविधाओं में भी वृद्धि हो सकती है।
- **स्पष्ट बजट दिशानिर्देश स्थापित करना:** NMP को स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करना चाहिये कि बजट में **मुद्रीकरण आय को कैसे शामिल किया जाएगा, तथा यह निर्दिष्ट करना चाहिये कि क्या धनराशि बुनियादी ढाँचे के विकास या परिचालन व्यय के लिये आवंटित की जाएगी।**

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के उद्देश्यों की जाँच कीजिये। NMP आर्थिक विकास के लिये सार्वजनिक परिसंपत्तियों का लाभ उठाने की योजना कैसे बनाता है?

■■■

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

इज़राइल-ईरान संघर्ष के निहितार्थ

चर्चा में क्यों ?

इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुका है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों, मूलतः व्यापार और अर्थव्यवस्था में चिंताएँ बढ़ गई हैं। जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा है, वैश्विक बाज़ार में उभरते अभिकर्त्ता भारत के लिये व्यापारिक निहितार्थ के रूप में तेजी से महत्त्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

इज़राइल-ईरान संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

- **व्यापार मार्गों में व्यवधान:** इस संघर्ष ने यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के साथ भारत के व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण प्रमुख शिपिंग मार्गों पर व्यवधान के जोखिम को बढ़ा दिया है।

नोट :

- **लाल सागर** और **स्वेज़ नहर मार्ग** विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे प्रतिवर्ष 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के माल के आवागमन में सहायक होते हैं।
- **इस अस्थिरता से न केवल नौवहन मार्गों को खतरा है, बल्कि समुद्री व्यापार की** समग्र सुरक्षा को भी खतरा है।

- **निर्यात पर आर्थिक प्रभाव:** संघर्ष के बढ़ने से भारतीय निर्यात पर असर पड़ना आरंभ हो गया है। उदाहरण के लिये **अगस्त 2024 में निर्यात में 9% की गिरावट देखी गई,** जिसका मुख्य कारण **लाल सागर में संकट के कारण पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात में 38% की भारी गिरावट है।**
  - ये निर्यात भारत के व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है तथा कुल पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात का 21% यूरोप को प्राप्त होता है।
  - **मूलतः** चाय **उद्योग में कमज़ोरी देखी गई है।** ईरान **भारतीय चाय के सबसे बड़े आयातकों में से एक है** (भारत का निर्यात वर्ष 2024 की शुरुआत में 4.91 मिलियन किलोग्राम तक पहुँच जाएगा), इसलिये शिपमेंट पर संघर्ष के प्रभाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
- **बढ़ती शिपिंग लागत:** संघर्ष-संबंधी परिवर्तन के कारण शिपिंग मार्ग लंबे हो जाने से **लागत में 15-20% की वृद्धि हुई है।**
  - शिपिंग दरों में इस उछाल से **भारतीय निर्यातकों के लाभ मार्जिन पर असर पड़ा है,** विशेष रूप से निम्न-स्तरीय इंजीनियरिंग उत्पादों, वस्त्रों और परिधानों का व्यापार करने वाले निर्यातकों के लिये जो माल ढुलाई लागत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
  - निर्यातकों ने बताया है कि बढ़ती लॉजिस्टिक्स लागत उनके समग्र लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे उन्हें मूल्य निर्धारण रणनीतियों और परिचालन दक्षताओं पर पुनर्विचार करने के लिये बाध्य होना पड़ सकता है।
- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC):** **भारत की जी-20 अध्यक्षता** के दौरान भारत, खाड़ी और यूरोप को जोड़ने वाला एक कुशल व्यापार मार्ग बनाने के लिये IMEC **का उद्देश्य स्वेज़ नहर पर निर्भरता को कम करना है, साथ ही चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का** सामना करना है।
  - हालाँकि, जारी **संघर्ष से इस गलियारे की प्रगति और व्यवहार्यता को खतरा है,** जिससे भारत और उसके साझेदारों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के साथ-साथ क्षेत्रीय आर्थिक गतिशीलता पर भी असर पड़ रहा है।
- **कच्चे तेल की कीमतों पर असर: चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों** में उछाल आया है, ब्रेंट क्रूड 75 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुँच गया है। चूँकि **ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक है, इसलिये** किसी भी सैन्य वृद्धि से तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे कीमतें और भी बढ़ सकती हैं।
  - तेल की ऊँची कीमतें **केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरों में कटौती करने से रोक सकती हैं,** क्योंकि बढ़ी हुई **मुद्रास्फीति** आर्थिक सुधार के प्रयासों को जटिल बना सकती है।
- **भारतीय बाज़ारों पर प्रभाव:** भारत **तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर है (इसकी 80% से अधिक तेल की ज़रूरतों की पूर्ति विदेशों से होती है),** जिससे यह कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि से निवेशकों का ध्यान **भारतीय इक्विटी से हटकर बॉन्ड या सोने जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर जा सकता है।**
  - भारतीय **शेयर बाज़ार पर** इसका प्रभाव पहले ही पड़ चुका है, तथा लंबे समय तक संघर्ष चलने की आशंका के बीच **संसेक्स और निफ्टी** जैसे प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ खुले।
- **सुरक्षित परिसंपत्ति के रूप में सोना:** भू-राजनीतिक तनाव और निवेश रणनीतियों में बदलाव के कारण सोने की कीमतें **नई ऊँचाइयों पर पहुँच गई हैं।**
  - अनिश्चितता के समय में निवेशक प्रायः **सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर आकर्षित होते हैं,** जिससे इसकी कीमत और बढ़ सकती है।
- **रसद संबंधी चुनौतियाँ:** भारतीय निर्यातक वर्तमान में **"प्रतीक्षा और निगरानी" की** स्थिति में हैं। कुछ निर्यातक सरकार से विदेशी शिपिंग कंपनियों पर निर्भरता कम करने के लिये एक प्रतिष्ठित भारतीय शिपिंग लाइन विकसित करने में निवेश करने का आग्रह कर रहे हैं, जो प्रायः उच्च परिवहन शुल्क लगाती हैं।

इज़राइल और ईरान के साथ भारत के व्यापार की स्थिति क्या है?

भारत-इज़राइल व्यापार:

- **उल्लेखनीय वृद्धि:** भारत-इज़राइल व्यापार विगत पाँच वर्षों में दोगुना हो गया है, जो वर्ष 2018-19 में लगभग 5.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 6.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रक्षा को छोड़कर) था, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और व्यापार मार्ग में व्यवधान के कारण गिरावट देखी गई है।
  - **भारत एशिया में इज़रायल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।** वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इज़रायल भारत का 32वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था।
- **प्रमुख निर्यात:** भारत से इज़रायल को होने वाले प्राथमिक निर्यात में डीजल, हीरे, विमानन टरबाइन ईंधन और बासमती चावल शामिल हैं, वर्ष **2022-23 में कुल निर्यात में एकमात्र डीज़ल और हीरे का भाग 78% होगा।**
- **आयात:** भारत मुख्य रूप से इज़रायल से अंतरिक्ष उपकरण, हीरे, पोटेशियम क्लोराइड और यांत्रिक उपकरण आयात करता है।

नोट :

भारत-ईरान व्यापार:

- **व्यापार मात्रा में गिरावट:** इज़रायल के साथ मज़बूत व्यापार के विपरीत, ईरान के साथ भारत के व्यापार में विगत पाँच वर्षों में कमी देखी गई है, वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार केवल 2.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
    - वित्त वर्ष 2023-24 में पहले 10 महीनों (अप्रैल-जनवरी) के दौरान **ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।**
- **व्यापार अधिशेष: वर्ष** 2022-23 में भारत ने लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त किया, जिसमें ईरान को 1.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान, मुख्य रूप से कृषि उत्पाद, का निर्यात किया गया, जबकि 0.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया।
- **ईरान को भारत द्वारा किये जाने वाले प्रमुख निर्यात:** बासमती चावल, चाय, चीनी, ताजे फल, दवाएँ/फार्मास्यूटिकल्स, शीतल पेय (शरबत को छोड़कर), कर्नेल एचपीएस, बोनलेस मांस, दालें आदि।
- ईरान से भारत द्वारा किये जाने वाले प्रमुख आयात: संतृप्त मेथनॉल, पेट्रोलियम बिटुमेन, सेब, द्रवीकृत प्रोपेन, सूखे खजूर, अकार्बनिक/कार्बनिक रसायन, बादाम, आदि।

ईरान-इज़राइल संघर्ष के कारण

- **इज़राइल का गठन (वर्ष 1948):** इज़रायल के निर्माण के कारण **अरब-इज़रायली युद्ध हुआ।** हालाँकि ईरान ने इज़रायल के गठन का विरोध किया और वर्ष 1947 में विभाजन योजना के विरुद्ध मतदान किया, लेकिन उसने वर्ष 1950 में **पहलवी शासन (अंतिम ईरानी शाही राजवंश) के अधीन इज़रायल को मान्यता दी,** जिससे आर्थिक और सैन्य संबंधों की विशेषता वाले मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिला।
    - औपचारिक संबंधों के बावजूद, ईरानी समाज के कुछ भाग फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वर्ष **1979 में ईरानी क्रांति ने** एक महत्त्वपूर्ण मोड़ दिखाया, जिसने **पहलवी शासन को समाप्त कर दिया** और इज़रायल-ईरान संबंधों में खटास उत्पन्न कर दी।
- **धार्मिक और वैचारिक मतभेद: शिया इस्लाम** द्वारा शासित ईरान और मुख्य रूप से **यहूदी राज्य इज़रायल के** बीच मौलिक धार्मिक और वैचारिक मतभेद हैं, जो **आपसी संदेह और शत्रुता को बढ़ावा देते हैं।**
- **वर्ष 1979 की क्रांति के बाद के संबंध:** इस्लामिक गणराज्य ने इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिये और उसे **"छोटा शैतान" करार दिया।**
    - ईरान में शिया मौलवी येरुशलम **के पुराने शहर** को एक पवित्र स्थल मानते हैं, इस पर इज़रायल के नियंत्रण का विरोध करते हैं। क्रांति के बाद ईरान ने **फिलिस्तीनी राज्य के विचार को बढ़ावा दिया और इज़रायल को एक "अवैध" इकाई** करार दिया।
- **इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष:** ईरान **फिलिस्तीनी मुद्दों का समर्थन करता है, हमास और हिज़्बुल्लाह जैसे समूहों का समर्थन करता है,** जिन्हें इजरायल आतंकवादी संगठन मानता है। इज़रायल के विनाश के लिये ईरान के आह्वान से तनाव बढ़ता है।
- **परमाणु कार्यक्रम:** इज़रायल **ईरान की परमाणु महत्त्वाकांक्षाओं को अपने अस्तित्व के लिये खतरा मानता है, साथ ही** उसे संभावित परमाणु हथियार विकास का भय भी है।
    - इज़रायल ने **ईरान परमाणु समझौते (संयुक्त व्यापक कार्य योजना) की** आलोचना की है तथा ईरान की परमाणु गतिविधियों को बाधित करने के लिये गुप्त अभियान चलाए हैं।
- **प्रॉक्सी संघर्ष:** ईरान-इज़रायल संघर्ष में विभिन्न समूहों की भागीदारी के साथ महत्त्वपूर्ण प्रॉक्सी संघर्ष देखा गया है। ईरान **लेबनान में हिज़्बुल्लाह का समर्थन करता है,** जो प्रायः इज़रायल के साथ संघर्ष में शामिल रहता है, और **यमन में हूथियों का समर्थन करता है,** जिन्होंने लाल सागर में इज़रायली शिपिंग को निशाना बनाया है।
    - इसके अतिरिक्त इराक में ईरान समर्थित शिया सैन्य बल अमेरिकी सेना के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तथा क्षेत्र में इज़रायल की कार्रवाइयों का भी विरोध कर रहे हैं।
    - ये छद्म संघर्ष ईरान और इज़रायल को अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ने में सक्षम बनाते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता जटिल हो जाती है और बढ़ते तनाव के बीच प्रत्यक्ष टकराव का खतरा बढ़ जाता है।
- **क्षेत्रीय शक्ति की गतिशीलता:** ईरान और उसके सहयोगी बनाम इज़रायल और उसके सहयोगियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा क्षेत्र में चल रहे तनाव और संघर्ष में योगदान देती है।

इज़रायल-ईरान संघर्ष के वैश्विक निहितार्थ क्या हैं?

- **ऊर्जा आपूर्ति और मूल्य निर्धारण की गतिशीलता: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक)** का सदस्य ईरान, **प्रतिदिन** लगभग 3.2 मिलियन बैरल (BPD) का उत्पादन करता है, जो **वैश्विक उत्पादन का** लगभग 3% है।
- **अमेरिकी प्रतिबंधों का** सामना करने के बावजूद, **ईरान के तेल निर्यात में उछाल आया है, जिसका मुख्य कारण चीन में उठती मांग है।** वैश्विक तेल बाज़ार में देश का रणनीतिक महत्त्व अतिरंजित नहीं किया जा सकता है।
    - **ओपेक की अतिरिक्त क्षमता:** ओपेक+ के पास महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त तेल उत्पादन क्षमता है, अनुमान है कि **सऊदी अरब प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल तक उत्पादन बढ़ा सकता है** जबकि यूएई लगभग 1.4 मिलियन बैरल तक उत्पादन बढ़ा सकता है।

- यह क्षमता **संभावित ईरानी आपूर्ति व्यवधानों के विरुद्ध एक बफर प्रदान करती है,** हालाँकि स्थिति कमज़ोर बनी हुई है।
- **दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा:** वैश्विक तेल आपूर्ति की बढ़ती विविधता, विशेष रूप से बढ़ते **अमेरिकी उत्पादन के कारण,** मध्य पूर्व में संघर्षों से संबंधित मूल्य आघातों से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है।
  - अमेरिका **वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 13% और कुल तरल उत्पादन का लगभग 20% उत्पादन करता है,** जो अनिश्चितताओं के बीच बाज़ार को स्थिर रखने में सहायक है।
- **तनाव बढ़ने की संभावना:** इज़रायल ने अभी तक ईरानी तेल कूपों पर हमला नहीं किया है, लेकिन **संभावना बनी हुई है। यदि इज़रायल खर्ग द्वीप तेल बंदरगाह** जैसे प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हमला करता है, तो इससे ईरान की ओर से महत्त्वपूर्ण सैन्य प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।
  - ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में संघर्ष तेजी से बढ़े हैं, जिसके कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं।

- **भू-राजनीतिक विचार:** अमेरिका द्वारा **इज़रायल पर बड़े सैन्य तनाव से बचने के लिये दबाव डालने की संभावना है,** जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना और व्यापक संघर्ष को रोकना है।
- यह विदेश नीति के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो इज़रायल के समर्थन को वैश्विक आर्थिक हितों के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है।
- अन्य वैश्विक देश, मूलतः चीन, जिसके ईरान के साथ महत्त्वपूर्ण ऊर्जा संबंध हैं, घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखेंगे।
- इस संघर्ष का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीतियों और गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है तथा भू-राजनीतिक परिदृश्य को पुनः आकार दे सकता है।
- **मानवीय संकट:** व्यापक संघर्ष के कारण **शरणार्थियों का आवागमन बढ़ सकता है, जिससे** इटली और ग्रीस जैसे **भूमध्यसागरीय देश प्रभावित होंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संसाधनों पर दबाव पड़ेगा।**

ईरान-इज़रायल संघर्ष को कम करने के संभावित समाधान क्या हैं?

- **तत्काल युद्ध विराम समझौता:** ईरान और इज़रायल दोनों से तत्काल युद्ध विराम पर सहमत होने का आग्रह, तनाव कम करने और वार्ता को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक आधारभूत कदम के रूप में काम कर सकता है।
  - वैश्विक शक्तियों, विशेषकर **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को** युद्ध विराम के लिये दबाव बनाने तथा संघर्षरत पक्षों के बीच वार्ता को बढ़ावा देने के लिये अपने कूटनीतिक प्रभाव का लाभ उठाना चाहिये।
- **क्षेत्रीय सहयोग: खाड़ी अरब देशों** के साथ चर्चा करने से तनाव कम करने के लिये अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है तथा क्षेत्र में ईरान के प्रभाव के बारे में साझा चिंताओं का समाधान किया जा सकता है।
  - **मानवीय सहायता और समर्थन:** प्रभावित क्षेत्रों में **मानवीय सहायता** बढ़ाने से पीड़ा कम हो सकती है और सद्भावना को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे संभवतः शत्रुता कम हो सकती है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय संगठन: वार्ताओं में मध्यस्थता करने और संघर्ष समाधान प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र** जैसे संगठनों को शामिल करना, वार्ता के लिये तटस्थ आधार प्रदान कर सकता है।
- **दीर्घकालिक शांति पहल:** क्षेत्रीय शक्तियों को एक व्यापक सुरक्षा ढाँचा स्थापित करने के लिये सहयोग करना चाहिये, जिसमें विश्वास-निर्माण उपाय, हथियार नियंत्रण समझौते और शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान तंत्र शामिल हों।
- **ऐतिहासिक शिकायतों, क्षेत्रीय विवादों और धार्मिक उग्रवाद** जैसे अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने से स्थायी शांति के लिये अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

भारत-फ्राँस सामरिक वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-फ्राँस सामरिक वार्ता के दौरान फ्राँसीसी राष्ट्रपति ने **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)** अजीत डोभाल के साथ बैठक में भारत के शांति प्रयासों की प्रशंसा की तथा वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला।

- वार्ता राफेल-एम लड़ाकू विमानों की लागत में उल्लेखनीय कमी लाने तथा सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर भी केंद्रित थी।

इस यात्रा की मुख्य बातें क्या हैं?

- **होराइज़न 2047 के प्रति प्रतिबद्धता:**
  - NSA ने **होराइज़न 2047 पहल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई,** जिसका उद्देश्य भारत-फ्राँस संबंधों को मज़बूत करना है।
- **शांति पहल:**
  - फ्राँसीसी राष्ट्रपति ने शांति को स्थापित करने में भारत और फ्राँस के प्रयासों के महत्त्व को स्वीकार किया, विशेष रूप से **रूस-यूक्रेन संघर्ष** और नई दिल्ली की मध्यस्थता की भूमिका के संबंध में।

- **द्विपक्षीय रक्षा एवं अंतरिक्ष सहयोग:**
  - फ्राँसीसी सशस्त्र बल के साथ वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मज़बूत करने और अंतरिक्ष सहयोग का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - मुख्य चर्चाओं में राफेल मरीन जेट, स्कॉर्पीन पनडुब्बियाँ और राफेल जेट में स्वदेशी हथियारों के एकीकरण पर चर्चा हुई।

नोट:

- **होराइजन 2047:** यह वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में **फ्राँस-भारत संबंधों** के लिये रोडमैप की रूपरेखा पर केंद्रित है; इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष, राजनयिक संबंधों की एक शताब्दी तथा **भारत-फ्राँस रणनीतिक साझेदारी के 50 वर्ष पूरे होंगे।**
- इस विज़न दस्तावेज़ का उद्देश्य रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन, साइबरस्पेस, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आतंकवाद-रोधी, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त रक्षा अभ्यास और नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाना है।

भारत और फ्राँस के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?

- **रणनीतिक साझेदारी:**
  - **भारत और फ्राँस के** बीच गहन सांस्कृतिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंध हैं।
  - **वर्ष** 1998 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को गति मिली है तथा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए घनिष्ठ, बहुआयामी संबंध विकसित हुए हैं।

- **रक्षा साझेदारियाँ:**
  - **राफेल सौदे** से लेकर 26 मरीन विमानों की खरीद तक, फ्रांँस ने भारत को अपनी कुछ शीर्ष रक्षा प्रणालियों में शामिल किया है।
  - फ्रांँस द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से भारत को पहले ही छह स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियाँ बनाने में मदद मिली है तथा अब तीन और पनडुब्बियां खरीदी जा रही हैं।
  - **संयुक्त अभ्यास: अभ्यास शक्ति (सेना), अभ्यास वरुण (नौसेना), अभ्यास गरुड़ (वायु सेना)।**
- **असैन्य परमाणु सहयोग:** भारत और फ्रांँस ने वर्ष 2008 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। फ्रांँस जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना के विकास में शामिल है, हालाँकि प्रारंभिक समझौते के बाद से प्रगति धीमी रही है।
  - इसके अतिरिक्त दोनों देश शोर्ट मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर (AMR) पर साझेदारी करने पर सहमत हुए हैं।
- **समुद्री और सामुद्रिक सहयोग:** भारत-फ्रांँस समुद्री सहयोग नीली अर्थव्यवस्था और महासागरीय शासन पर भारत-फ्रांँस रोडमैप द्वारा निर्देशित है, जिसे वर्ष 2022 में अपनाया गया था।
- **आर्थिक सहयोग:**
  - फ्रांँस भारत के लिये **FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) का एक प्रमुख स्रोत बन गया है, जहाँ 1,000 से अधिक फ्रांँसीसी कंपनियाँ कार्यरत हैं।**
  - DPIIT के आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक 10.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर (कुल FDI का 1.63%) का योगदान देकर यह **11वें सबसे बड़े विदेशी निवेशक के रूप में रैंक साझा करता है।**

भारत-फ्रांँस संबंधों में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **FTA में ठहराव:**
  - **फ्रांँस और भारत के बीच FTA (मुक्त व्यापार समझौता)** का अभाव उनकी व्यापार क्षमता को अधिकतम करने में बाधा उत्पन्न करता है।
- **भिन्न रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताएँ:**
  - मज़बूत रक्षा साझेदारी के बावजूद, अलग-अलग प्राथमिकताएँ सहयोग को प्रभावित कर सकती हैं। भारत का क्षेत्रीय दृष्टिकोण और गुटनिरपेक्ष रुख कभी-कभी फ्रांँस के वैश्विक हितों के साथ टकराव में आ जाता है। उदाहरण के लिये रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भिन्न रुख।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी चिंताएं:**
  - फ्रांँस ने भारत के अपर्याप्त बौद्धिक संपदा संरक्षण पर चिंता व्यक्त की है, जो फ्रांँसीसी व्यवसायों को प्रभावित करता है और द्विपक्षीय व्यापार के लिये गैर-अनुकूल माहौल उत्पन्न करता है।
- **मानव तस्करी की चिंताएँ:**
  - निकारागुआ विमान द्वारा मानव तस्करी की घटना जैसे मामले अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने में मज़बूत सहयोग की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
- **वीज़ा संबंधी बाधाएँ:**
  - भारत में संवाददाताओं ने विरोध पत्र के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त की, तथा कहा कि हाल के वर्षों में उन्हें सख्त वीज़ा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रिपोर्टिंग और कवरेज में चुनौतियाँ आ रही हैं।
- **फ्रांँस में भारतीय उत्पादों के लिये बाधाएँ:**
  - भारत को सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपायों के कारण फ्रांँस को निर्यात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो भारतीय उत्पादों को फ्रांँसीसी बाज़ार में प्रवेश करने से हतोत्साहित कर सकता है।

आगे की राह

- भारत और फ्रांँस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने और निर्भरताओं को संतुलित करने के लिये सहयोग कर सकते हैं। **इंडो-पैसिफिक ढाँचे ने** उनके संबंधों को मज़बूत किया है, फ्रांँस के पास अपने क्षेत्रों और ठिकानों के कारण **हिंद महासागर की स्थिरता में महत्त्वपूर्ण हित हैं।**
- **फ्रांँस पहले से ही निजी और विदेशी निवेश में वृद्धि** के साथ घरेलू हथियार उत्पादन का विस्तार करने की भारत की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चर्चा में **कनेक्टिविटी, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** जैसे नए सहयोग क्षेत्रों को शामिल किया जाना आवश्यक है।

अमेरिका-भारत परमाणु सहयोग और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर

चर्चा में क्यों?

हाल के घटनाक्रमों से भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौते के पुनरुद्धार पर प्रकाश पड़ा है जो होल्टेक इंटरनेशनल के **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR-300)** पर केंद्रित है।

- होलटेक का उद्देश्य भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिये भारत के साथ सहयोग करना तथा SMR परिनियोजन के लिये **मौजूदा कोयला संयंत्रों का उपयोग कर एवं संयुक्त विनिर्माण की संभावना तलाश कर स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण उद्देश्यों** के साथ समन्वय स्थापित हो सके।

SMR-300 क्या है?

- **परिचय:** SMR-300 एक उन्नत **दाबित हल्का जल रिएक्टर है,** जिसमें **विखंडन** के माध्यम से कम से कम 300 मेगावाट (MWe) विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिये **लो इनरिच्ड यूरेनियम ईंधन का उपयोग होता है।**
- **कॉम्पैक्ट डिज़ाइन:** SMR-300 के लिये पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में काफी **कम भूमि की आवश्यकता होती है** जिससे यह भारत में मौजूदा कोयला संयंत्रों के लिये उपयुक्त है।
- **स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिये समर्थन:** यह प्रौद्योगिकी भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिये महत्त्वपूर्ण है जो बढ़ती ऊर्जा मांगों (विशेष रूप से **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** और **डेटा केंद्रों** जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में) को देखते हुए **जीवाश्म ईंधन के लिये एक प्रतिस्पर्द्धी विकल्प प्रदान करती है।**
  - SMR विकसित करके भारत का लक्ष्य **वैश्विक परमाणु बाज़ार में एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में अपनी स्थिति बनाना है तथा** रूस और चीन जैसे स्थापित हितधारकों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना है।
- **भारत में SMR-300 के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ:**
  - **परमाणवीय नुकसान के लिये सिविल दायित्व अधिनियम, 2010:** इस विधि के तहत **मुख्य रूप से उपकरण निर्माताओं पर दायित्व डालकर विदेशी परमाणु आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये चुनौतियाँ पैदा होती हैं।**
    - परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभावित वित्तीय देनदारियों की चिंता के कारण कई संभावित साझेदार **भारत के परमाणु क्षेत्र में निवेश करने से पीछे हट रहे हैं।**
  - **निर्यात विनियमन: अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम,1954 के तहत** होलटेक जैसी अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारत में परमाणु उपकरण बनाने पर प्रतिबंध होने से SMR घटकों के स्थानीय उत्पादन की संभावना जटिल हो जाती है।
  - **विधायी सीमाएँ:** भारत के मौजूदा विधायी ढाँचे में **दायित्व संबंधी कानूनों में संशोधन करने के लिये लचीलेपन का अभाव है,** जिससे विदेशी संस्थाओं के साथ सहज सहयोग में बाधा उत्पन्न होती है।
  - **भारत में SMR-300 से संबंधित भविष्य की संभावनाएँ:** SMR प्रौद्योगिकी पर सहयोग से अमेरिका-भारत संबंधों में वृद्धि होने के साथ दोनों देशों की तकनीकी बाधाओं और श्रम लागत चुनौतियों का समाधान हो सकता है।

भारत-अमेरिका परमाणु समझौता

- भारत -**अमेरिका परमाणु समझौते को अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते के रूप में भी जाना जाता है, जिस पर वर्ष** 2008 में हस्ताक्षर किये गए थे। यह समझौता वर्ष 2005 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा दिये गए संयुक्त वक्तव्य के साथ हुआ था।
  - इस समझौते का उद्देश्य **दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग को सुविधाजनक बनाना था,** जो अमेरिकी नीति में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव था, जिसने पहले **परमाणु अप्रसार संधि (NPT)** पर हस्ताक्षर न करने के कारण **भारत के साथ परमाणु व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया था।**
- भारत-अमेरिका परमाणु समझौता, जिसे प्राय: **"123 समझौता" कहा जाता है,** अमेरिकी कंपनियों को भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिये **परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने की अनुमति देता है।**
- भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के एक भाग के रूप में, भारत ने अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिये **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से निरीक्षण की अनुमति देने की प्रतिबद्धता जताई थी।**
- **भारत को लाभ: भारत को यूरेनियम संवर्द्धन** और प्लूटोनियम के पुनर्संसाधन हेतु सामग्री और उपकरण समेत अमेरिका से **दोहरे उपयोग वाली परमाणु प्रौद्योगिकी को** क्रय करने की पात्रता प्राप्त हुई।
  - इस समझौते से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होने तथा परमाणु ऊर्जा के माध्यम से इसकी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद थी।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) क्या हैं?

- **परिचय:** IAEA के अनुसार, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) उन्नत परमाणु रिएक्टर होते हैं, जिन्हें बेहतर सुरक्षा और दक्षता के लिये डिज़ाइन किया गया है। उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता आमतौर पर **30 MWe से लेकर 300 MWe से अधिक तक होती है।**

- **विशेषताएँ:**
  - **स्मॉल:** पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की तुलना में भौतिक रूप से छोटे, जिससे विभिन्न स्थानों पर लचीले ढंग से तैनाती की सुविधा मिलती है।
  - **मॉड्यूलर:** कारखाने में संयोजन के लिये डिज़ाइन किया गया, जिससे आसान स्थापना के लिये एक पूर्ण इकाई के रूप में परिवहन संभव हो सके।
  - **रिएक्टर:** विद्युत उत्पादन या प्रत्यक्ष अनुप्रयोगों के लिये ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु परमाणु विखंडन का उपयोग करते हैं।
- **SMR प्रौद्योगिकी की वैश्विक स्थिति: वैश्विक स्तर पर 80 से अधिक SMR, उन्नत डिज़ाइन और लाइसेंसिंग के विभिन्न चरणों में** हैं, जिनमें से कुछ पहले से ही संचालित हैं। ये डिज़ाइन विभिन्न श्रेणियों में आते हैं।
  - **भूमि-आधारित जल-शीतित SMR:** इसमें परिपक्व प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए इंटीग्रल प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर (PWR) और बॉयलिंग वॉटर रियेक्टर (BWR) जैसे डिज़ाइन शामिल हैं।
  - **समुद्री-आधारित जल-शीतित SMR:** समुद्री वातावरण में तैनाती के लिये डिज़ाइन किया गया है, जैसे जहाज़ों पर स्थापित तैरती इकाइयाँ।
  - **हाई टेंपरेचर गैस-कूल्ड (HTGR): 750 डिग्री सेल्सियस** से अधिक ताप उत्पन्न करने में सक्षम, जिससे ये विद्युत उत्पादन और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिये कुशल बन जाते हैं।
  - **लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम SMR (LMFR):** सोडियम और सीसा जैसे शीतलक के साथ फास्ट न्यूट्रॉन प्रौद्योगिकी का उपयोग।
  - **मोल्टन साल्ट रिएक्टर SMR (MSR):** इसमें मोल्टन फ्लोराइड या क्लोराइड लवण को शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे लंबे ईंधन चक्र और ऑनलाइन ईंधन आपूर्ति की क्षमता प्राप्त होती है।
  - **माइक्रो रिएक्टर (MR): अत्यंत छोटे SMR, जो** विभिन्न शीतलकों का उपयोग करके आमतौर पर **10 मेगावाट** तक विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।

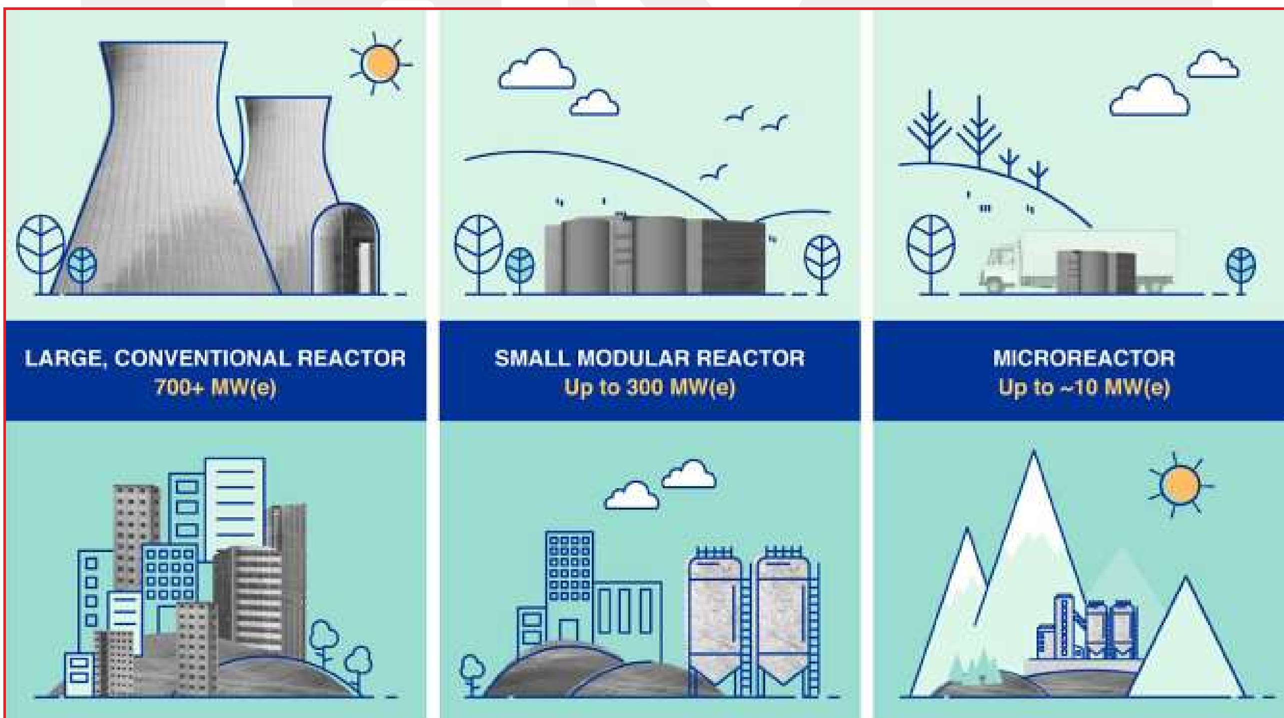

नोट:
- अब तक, विश्व स्तर पर दो SMR परियोजनाएँ परिचालन स्तर पर पहुँच चुकी हैं। जिसमें **रूस की अकादमिक लोमोनोसोव फ्लोटिंग पॉवर यूनिट** और चीन की **हाई टेंपरेचर गैस-कूल्ड (HTGR) पेबल-बेड शामिल है।**

SMR के लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं?

SMR के लाभ	SMR से संबंधित चुनौतियाँ
SMR को अलग-अलग विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मौजूदा विद्युत संयंत्रों को शून्य-उत्सर्जन ईंधन से पूरक बनाया जा सकता है** या पुराने थर्मल पॉवर स्टेशनों का पुन: उपयोग किया जा सकता है।	विभिन्न SMR प्रौद्योगिकियों की अलग-अलग विनियामक आवश्यकताएँ होती हैं। बड़े पैमाने पर तैनाती के लिये उचित तकनीक को प्राथमिकता देना और **प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL) में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है।**
SMR आधारित विद्युत संयंत्रों में ईंधन भरने में प्रत्येक 3 से 7 वर्ष का समय लगता है, जबकि पारंपरिक संयंत्रों में ईंधन भरने में 1 से 2 वर्ष का समय लगता है, तथा कुछ संयंत्रों को ईंधन भरे बिना 30 वर्षों तक संचलित होने के लिये डिज़ाइन किया गया है।	SMR प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिये आपूर्ति शृंखला के मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं। लचीली वैश्विक आपूर्ति शृंखला निर्माण के लिये और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
SMR **निष्क्रिय सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग करते हैं जो बिना विद्युत या मानवीय हस्तक्षेप के** रिएक्टर को बंद करने और ठंडा करने के लिये भौतिकी पर निर्भर करते हैं, जिससे अंतर्निहित सुरक्षा सुनिश्चित होती है।	SMR से **रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होता है** जिसके लिये भंडारण और निपटान सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिससे सामाजिक-राजनीतिक प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है।
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ एकीकृत किया जा सकता है, जिससे न्यून कार्बन वाले सह-उत्पाद प्राप्त होते हैं। दैनिक और मौसमी आधार पर ऊर्जा आपूर्ति में उतार-चढ़ाव को कम करता है।	अभिनव डिज़ाइनों के साथ अनुभव की कमी सुरक्षा मानक अनुमोदन को जटिल बनाती है। परमाणु आपदाओं के भय से सार्वजनिक विरोध उत्पन्न हो सकता है, जिससे चिंताओं को दूर करने के लिये प्रभावी जागरूकता और सहभागिता की आवश्यकता होती है।

भारत की SMR विकास आकांक्षाओं में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **तकनीकी असमानताएँ:** भारत की वर्तमान परमाणु प्रौद्योगिकी, जो मुख्य रूप से **भारी जल और प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित है**, विश्व स्तर पर प्रमुख **हल्के जल रिएक्टरों (LWRs) के साथ समन्वय करने में असमर्थ होती जा रही है।**
    - SMR में परिवर्तन के लिये, जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जा सकता है, महत्त्वपूर्ण तकनीकी अनुकूलन और विशेषज्ञता विकास की आवश्यकता होती है।
- **उच्च बाह्य लागत:** हालाँकि SMR को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये डिज़ाईन किया गया है, लेकिन **सुरक्षित रिएक्टरों के निर्माण** और प्रयुक्त परमाणु ईंधन के प्रबंधन की लागत **परियोजना के व्यय को काफी बढ़ा सकती है,** जिससे आर्थिक व्यवहार्यता जटिल हो सकती है।
- **नियामक संबंधी बाधाएँ:** मौजूदा परमाणु नियामक ढाँचे मुख्य रूप से **बड़े रिएक्टरों के लिये डिज़ाइन किये गए हैं,** जिनमें SMR-विशिष्ट विशेषताओं को समायोजित करने के लिये अद्यतनीकरण की आवश्यकता है।
    - विविध SMR प्रौद्योगिकियों और डिज़ाइनों को संबोधित करने वाले एक व्यापक विनियामक ढाँचे की स्थापना महत्त्वपूर्ण है।
- **सार्वजनिक स्वीकृति और सुरक्षा धारणा: नवीन SMR डिज़ाइनों के संबंध में लोकसूचना** का अभाव, **चेरनोबिल आपदा जैसी परमाणु आपदाओं** के भय के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं और विरोध उत्पन्न हो सकता है।
- **मानव संसाधन विकास:** SMR की तैनाती को बढ़ाने के लिये बुनियादी ढाँचे और विनिर्माण सुविधाओं में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। भारत में SMR संचालन में विशेषज्ञता वाले कुशल कार्यबल की कमी है जो प्रौद्योगिकी के सफल कार्यान्वयन और स्थिरता के लिये आवश्यक है।

आगे की राह

- **भारत को डिज़ाइन और परिचालन विश्वसनीयता को प्रमाणित करने के लिये** SMR प्रोटोटाइप का निर्माण करना चाहिये। वर्ष 2030 के दशक की शुरुआत तक अपने प्रकार की पहली SMR इकाइयों को चालू करने का लक्ष्य स्थापित करना, जिससे ऊर्जा संक्रमण में सुविधा होगी।
- नवीन SMR डिज़ाइनों को समायोजित करने के लिये मौजूदा परमाणु विनियमों की समीक्षा करना और उन्हें अद्यतन करना। सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिये **परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड** के अधीन एक व्यापक नियामक ढाँचा स्थापित करना।
- निजी निवेश को आकर्षित करने और परियोजना जोखिमों को कम करने के लिये **हरित वित्त विकल्पों** सहित नवीन वित्तपोषण मॉडल विकसित करना।
- कौशल अंतराल की पहचान करना और **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के माध्यम से SMR परिचालन के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करना।**
- निरंतर SMR उत्पादन के लिये परमाणु आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिये रणनीति विकसित करना। परमाणु अप्रसार संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिये **IAEA और अन्य देशों के सहयोग से SMR डिज़ाइन में सुरक्षा उपायों को एकीकृत करना।**

भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों का सुदृढ़ीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से कोलंबो में मुलाकात की, इस दौरान उन्होंने श्रीलंका के आर्थिक सुधार एवं विकास हेतु भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

नोट :

भारत और श्रीलंका के बीच बैठक की मुख्य बातें क्या हैं?

- **आर्थिक सहायता:**
  - इस बैठक के दौरान भारत ने पर्यटन, ऊर्जा और डेयरी जैसे क्षेत्रों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया तथा श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिये भारतीय पर्यटकों के प्रवाह को बढ़ाने पर चर्चा की।
  - इस दौरान वित्तीय संकट के समय की भारत की सहायता की सराहना की गई।
- **मछुआरे और सुरक्षा चिंताएँ:**
  - भारत और श्रीलंका ने हिरासत में लिये गए भारतीय मछुआरों के मुद्दे को स्वीकार किया तथा उनकी रिहाई, जुर्माने की समीक्षा तथा नौकाओं जैसी परिसंपत्तियों की जब्ती के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **तमिल अधिकारों के लिये समर्थन:**
  - भारत ने श्रीलंका के सभी समुदायों की आकांक्षाओं के प्रति अपना समर्थन दोहराया तथा तमिलों के लिये राजनीतिक समाधान के साथ 13वें संशोधन के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।
    - 13 वें संशोधन द्वारा प्रांतीय परिषदों की स्थापना के साथ सत्ता-साझाकरण की रूपरेखा सुनिश्चित हुई जिससे सिंहली बाहुल्य प्रांतों सहित सभी नौ प्रांतों को स्वशासन की अनुमति मिली।

भारत-श्रीलंका संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है?

- **तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत की, जिससे दोनों देशों के बीच मज़बूत सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध स्थापित हुए।**
- 10वीं शताब्दी ई. के दौरान दक्षिण भारत के चोल राजवंश ने श्रीलंका पर कई बार आक्रमण किया जिससे श्रीलंकाई कला, वास्तुकला और भाषा पर स्थायी प्रभाव पड़ा।
- **भारत और श्रीलंका दोनों को क्रमशः वर्ष 1947 और 1948 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई जिसमें भारत ने श्रीलंका की लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।**
- लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) (एक आतंकवादी संगठन) का गठन वर्ष 1976 में हुआ था और यह वर्ष 1983 से 2009 तक श्रीलंकाई सरकार के साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल रहा।
- **संघर्ष की प्रतिक्रिया में भारत और श्रीलंका ने वर्ष 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसके परिणामस्वरूप 13वें संशोधन को लागू किया गया और श्रीलंका में इंडिया पीस कीपिंग फोर्स (IPKF) की तैनाती की गई।**
- **सैन्य हस्तक्षेप के बाद वर्ष 2009 में श्रीलंकाई गृह युद्ध समाप्त हो गया।**

भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

- **विकास सहयोग: भारत श्रीलंका को विकास सहायता प्रदान करने वाला एक महत्त्वपूर्ण प्रदाता है, जिसने लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का वचन दिया है, जिसमें लगभग 560 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान शामिल है।**
- **उल्लेखनीय पहलों में भारतीय आवास परियोजना शामिल है, जिसका लक्ष्य युद्ध प्रभावित समुदायों के लिये 50,000 घरों का निर्माण करना है।** अतिरिक्त सहायता में विद्युत परियोजनाएँ, रेलवे विकास और विभिन्न सामुदायिक विकास पहल शामिल हैं।
- वर्ष 2022 में भारत ने उत्तरी श्रीलंका में हाइब्रिड विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की साथ ही कांकेसंथुराई और त्रिंकोमाली बंदरगाहों पर विकास परियोजनाएँ आरंभ कीं।
- आर्थिक सहयोग: भारत और श्रीलंका ने भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (ISFTA) के माध्यम से आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ किया है, भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, 60% से अधिक निर्यात इस समझौते से लाभान्वित होता है।
  - ये अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और मज़बूत करने के लिये आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ETCA) पर भी विचार कर रहे हैं।
  - श्रीलंका द्वारा भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) को अपनाने से फिनटेक कनेक्शन में सुधार हुआ है, व्यापार के लिये रुपए का उपयोग करने से उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।
- सांस्कृतिक संबंध: वर्ष 1977 के सांस्कृतिक सहयोग समझौते ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सक्षम बनाया है, जबकि कोलंबो स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र भारतीय कलाओं को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करता है।

नोट :

- इसके अतिरिक्त वर्ष 1998 में स्थापित भारत-श्रीलंका फाउंडेशन वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग को मज़बूत करता है
- रक्षा और सुरक्षा सहयोग: वर्ष 2012 से भारत भारत-श्रीलंका रक्षा वार्ता में शामिल रहा है, जिसका ध्यान सुरक्षा साझेदारी पर है। दोनों देश अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिये संयुक्त सैन्य (मित्र शक्ति) और नौसेना (SLINEX) अभ्यास साझा करते हैं।
  - भारत एक फ्री-फ्लोटिंग डॉक सुविधा, एक डोर्नियर टोही विमान और एक प्रशिक्षण टीम के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।
- बहुपक्षीय सहयोग: दोनों देश बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन) और सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

भारत-श्रीलंका संबंधों में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **राजनीतिक अस्थिरता: श्रीलंका को हाल के वर्षों में राजनीतिक अशांति का सामना करना पड़ा है, जिसमें बार-बार सरकारों का परिवर्तन शामिल है, जिससे भारत के साथ जुड़ने और सहकारी आर्थिक पहल करने की उसकी क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।**
  - भौगोलिक चिंताएँ: भारत वर्ष 1974 के समझौते के तहत कच्चातीवु पर श्रीलंका की संप्रभुता को मान्यता देता है, लेकिन द्वीप पर राजनीतिक टिप्पणियाँ और समझौते की प्रामाणिकता दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चिंताएँ उत्पन्न करती हैं।
- सामरिक चिंताएँ: चीन द्वारा अपनी समुद्री रेशम मार्ग पहल के तहत कोलंबो और हंबनटोटा बंदरगाहों की स्थापना भारत के लिये सामरिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त चीन ने उपग्रह प्रक्षेपण संबंधी कार्यों के लिये श्रीलंका के सुप्रीम सैट (Supreme SAT) के साथ साझेदारी की है।
- **मछुआरों का मुद्दा:** श्रीलंका ने अपने जलक्षेत्र में भारतीय मछुआरों द्वारा अवैध रूप से मत्स्याग्रह पर निरंतर चिंता व्यक्त की है, जिसके परिणामस्वरूप **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) का उल्लंघन करने के लिये नियमित रूप से गिरफ्तारियाँ होती रही हैं।**
- **तमिल हित: भारत समानता, न्याय और शांति के लिये तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है, 13वें संशोधन में उल्लिखित शक्तियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना चाहता है। हालाँकि कोलंबो ने अभी तक इस संबंध में दृढ़ प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है।**
- **सीमा सुरक्षा चिंता: भारत और श्रीलंका के बीच अनियमित समुद्री सीमा के कारण सीमा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिनमें माल, मादक पदार्थों और अवैध आप्रवासियों की तस्करी भी शामिल है।**

आगे की राह

- **उन्नत समुद्री सुरक्षा: भारत और श्रीलंका हिंद महासागर में संयुक्त गश्ती के माध्यम से तथा श्रीलंकाई तट रक्षक कर्मियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करके समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ कर सकते हैं।**
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान: दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिये सांस्कृतिक आदान-प्रदान संबंधी पहल के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है।**
  - श्रीलंकाई छात्रों के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा कौशल विकास कार्यक्रमों पर सहयोग करने के लिये छात्र विनिमय कार्यक्रम और कौशल विकास जैसी पहल की स्थापना की जा सकती है।
- **विकासात्मक परियोजनाएँ: भारत श्रीलंका में बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजनाएँ नियोजन से लेकर कार्यान्वयन तक सुचारू रूप से आगे बढ़ें।**
- **व्यापार सुविधा: दोनों देश व्यापार बाधाओं को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिये आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ETCA) के शीघ्र और कुशल कार्यान्वयन का लक्ष्य रख सकते हैं।**
- **सत्य एवं सुलह आयोग: भारत, दक्षिण अफ्रीका के समान श्रीलंका में भी सत्य एवं सुलह आयोग की स्थापना में सहायता कर सकता है, ताकि गृहयुद्ध की विरासत से निपटा जा सके तथा तमिल समुदाय में सुधार को बढ़ावा दिया जा सके।**

इज़रायल-हिजबुल्लाह संघर्ष और युद्ध सिद्धांत

चर्चा में क्यों?

हाल के संघर्षों जैसे कि लंबे समय से चल रहा **इज़रायल-हिजबुल्लाह युद्ध, रूस -यूक्रेन युद्ध** तथा विश्व के कई अन्य भागों में अशांति से इस विमर्श को बढ़ावा मिला है कि क्या बड़े पैमाने पर हिंसा को उचित ठहराया जा सकता है।

- तीन **प्रमुख विचारधाराओं का** इस मामले पर अलग-अलग नैतिक दृष्टिकोण है जिससे युद्ध की नैतिकता के संबंध में अलग-अलग दृष्टिकोण मिलते हैं, जिससे यह मुद्दा वर्तमान में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

इज़रायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष के क्या कारण हैं?

- **संघर्ष की उत्पत्ति (1982):**
  - **वर्ष 1948 में इज़रायल राज्य** की स्थापना के कारण 750,000 से अधिक फिलिस्तीनी अरबों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ा (**वर्ष 1948 के अरब-इज़रायल युद्ध के दौरान**)।
  - **इनमें से कई शरणार्थियों ने दक्षिणी लेबनान** में शरण ली, जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। ईसाई मिलिशिया और फिलिस्तीनी समूहों सहित विभिन्न लेबनानी गुटों के बीच संघर्षों से यह स्थिति और भी जटिल हो गई।
  - 1960 और 1970 के दशक के दौरान दक्षिणी लेबनान में **फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) की उपस्थिति** से इज़रायल की सुरक्षा चिंताएँ बढ़ गईं।
  - उत्तरी इज़रायली शहरों पर PLO के हमलों की प्रतिक्रिया में इज़रायल ने लेबनान में सैन्य अभियान शुरू किया (वर्ष 1978 और 1982), जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक इसका कब्ज़ा रहने से **अंततः हिजबुल्लाह का उदय हुआ।**
  - हिजबुल्लाह की स्थापना वर्ष 1982 में ईरानी समर्थन से **इज़रायल के आक्रमण** और **चल रहे गृहयुद्ध की प्रतिक्रिया में हुई थी,** जिसका उद्देश्य **इज़रायल के कब्जे का विरोध करना तथा लेबनानी संप्रभुता की रक्षा करना था।**
  - **हिंसा में वृद्धि (1980-1990 का दशक):** 1980 के दशक के दौरान हिजबुल्लाह ने लेबनान में **इज़रायली सेना** और उनके सहयोगियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध चलाया (विशेष रूप से वर्ष 1983 में अमेरिकी और फ्राँसीसी बैरकों पर बमबारी की) जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए।
  - वर्ष 1985 तक जब हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति बढ़ गयी तो इज़रायल दक्षिणी लेबनान में एक स्व-घोषित **"सुरक्षा क्षेत्र" में चला गया,** जिस पर उसका वर्ष 2000 तक कब्ज़ा रहा।
  - **राजनीतिक एकीकरण और शत्रुता की निरंतरता (1990 का दशक):** लेबनानी गृहयुद्ध के बाद **हिजबुल्लाह राजनीति में एकीकृत हो गया और इसने** संसद में सीटें हासिल कीं, जिससे **शिया समुदायों के बीच इसकी वैधता बढ़ गई।**
  - वर्ष 1993 में इज़रायल ने हिजबुल्लाह के हमलों की प्रतिक्रिया में "ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी" शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप लेबनान में बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए तथा बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा, जिसे **सात दिवसीय युद्ध (1993) के रूप में जाना जाता है।**
  - **जुलाई युद्ध (2006):** जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने दो इज़रायली सैनिकों को पकड़ लिया, जिसके कारण इज़रायली सेना ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की। यह संघर्ष 34 दिनों तक चला और इसके परिणामस्वरूप लगभग 1,200 लेबनानी तथा 158 इज़रायली सैनिक मारे गए। इस युद्ध से हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं पर प्रकाश पड़ने के साथ लेबनानी और क्षेत्रीय राजनीति में एक प्रमुख हितधारक के रूप में इसकी स्थिति मज़बूत हुई।
- **हालिया घटनाक्रम (2010 से वर्तमान तक):**
  - **सीरियाई गृहयुद्ध में भागीदारी: वर्ष 2012 से हिजबुल्लाह ने असद शासन का समर्थन करने के लिये** सीरियाई गृहयुद्ध में हस्तक्षेप किया, जिससे आलोचना का सामना करने के बावजूद उसे बहुमूल्य युद्ध अनुभव प्राप्त हुआ।
  - **गाजा संघर्ष (2023):** अक्टूबर 2023 में हिजबुल्लाह ने बढ़ती इज़रायली सैन्य कार्रवाइयों के बीच **गाजा के साथ एकजुटता दिखाते हुए एक व्यापक अभियान शुरू किया,** जिससे सीमा पार शत्रुता तेज़ हो गई।
  - **हाल ही में तनाव में वृद्धि:** प्रमुख हिजबुल्लाह नेताओं की हत्या के साथ सितंबर 2024 में **वॉकी-टॉकी और पेजर विस्फोट** से तनाव बढ़ने के साथ हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई से संघर्ष की संभावना को बढ़ावा मिला है।

युद्ध और शांति का नैतिक आधार क्या है?

न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत (JWT): एक मानक दृष्टिकोण:

- **परिचय:**
  - **न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत (JWT) अंतर्राष्ट्रीय कानून में** एक महत्त्वपूर्ण ढाँचा है, जिसे मुख्य रूप से **ऑगस्टीन और एक्विनास** जैसे दार्शनिकों द्वारा व्यक्त किया गया है।

- इसके अनुसार **कुछ स्थितियों में युद्ध को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है,** हालांकि यह केवल अपनी रणनीतिक या साहसिक प्रकृति के कारण सराहनीय नहीं है।
- इसमें युद्ध को विशिष्ट परिस्थितियों में सामूहिक राजनीतिक हिंसा का स्वीकार्य रूप माना गया है।

- **JWT के भाग:**
  - **जूस एड बेलम (जस्ट कॉज़): यह सिद्धांत युद्ध शुरू करने के औचित्य पर केंद्रित है।** इसके न्यायपूर्ण कारणों में **आत्मरक्षा, भविष्य में आक्रमण को रोकना** और **चल रहे अत्याचारों को रोकना शामिल है।**
    - **उदाहरण:** द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की सेनाओं के हस्तक्षेप को अक्सर एक न्यायपूर्ण युद्ध के रूप में उद्धृत किया गया, जिसे धुरी शक्तियों द्वारा किये गए आक्रमण और अत्याचारों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था।
  - **जूस इन बेल्लो (सही आचरण):** यह सिद्धांत **बताता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है।** यह **नागरिक हताहतों को कम करने, अनावश्यक पीड़ा से बचने** और युद्ध में शामिल न होने वालों **के अधिकारों का सम्मान करने पर बल देता है।**
    - इन सिद्धांतों के उल्लंघन से **युद्ध अपराधों को जन्म मिल सकता है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून** में उल्लिखित है।
  - **जूस पोस्ट बेलम (न्यायपूर्ण शांति):** यह सिद्धांत युद्ध के बाद **न्यायपूर्ण और स्थायी शांति पर केंद्रित है। यह हारने वालों के साथ उचित व्यवहार, पुनर्निर्माण प्रयासों** और संघर्ष के **मूल कारणों को हल करने पर केंद्रित है।**

यथार्थवाद: सत्ता की राजनीति

दृष्टिकोण:

- यथार्थवाद का मानना है कि **अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक विचारों का कोई स्थान नहीं है।**
- यथार्थवादियों के अनुसार, राज्य एक **अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कार्य करते हैं** जहाँ **शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है।**
  - **उनका मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित** और **सत्ता की खोज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रेरक शक्तियाँ हैं** और युद्ध इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का **एक साधन बन जाता है।**
- **इसे थ्यूसीडाइड्स** और **मैकियावेली** जैसे दार्शनिकों ने व्यक्त किया था।
- ये **न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत की** अव्यावहारिक एवं आदर्शवादी होने के कारण आलोचना करते हैं तथा तर्क देते हैं कि नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करने से राज्य की स्वयं की रक्षा करने तथा अपने हितों को आगे बढ़ाने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है।
- **यथार्थवाद की आलोचना: यथार्थवाद के आलोचक** कहते हैं कि **नैतिकता की पूर्ण अवहेलना से** क्रूर और अनावश्यक युद्धों को जन्म मिल सकता है।
- **उदाहरण:** प्रथम विश्व युद्ध और **द्वितीय विश्व युद्ध की** पूर्व संध्या जैसी ऐतिहासिक घटनाएँ दर्शाती हैं कि **राज्य नैतिकता की तुलना में रणनीतिक गणनाओं को प्राथमिकता देते हैं।**
- क्यूबा **मिसाइल संकट से** इस यथार्थवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश पड़ता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा नैतिक चिंताओं से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- **शांतिवाद: सभी प्रकार की हिंसा से घृणा**
  - **विचार:**
    - **शांतिप्रियता युद्ध सहित सभी प्रकार की हिंसा को अस्वीकार करते हैं,** तथा महात्मा गांधी और **मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं के आदर्शों के साथ तालमेल बिठाते हुए** संघर्षों को हल करने के लिये **अहिंसक प्रतिरोध और कूटनीति को बढ़ावा देते हैं।**
    - शांतिवादी **न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत की आलोचना करते** हुए तर्क देते हैं कि **युद्ध का कोई भी औचित्य अधिक हिंसा** और पीड़ा को जन्म देता है।
    - उनका मानना है कि **रचनात्मक और सतत् अहिंसक तरीकों से** सशस्त्र संघर्ष की तुलना में अधिक स्थायी रूप से शांति प्राप्त की जा सकती है।
  - **शांतिवाद की आलोचना:**
    - आलोचकों का मानना है कि अपराधों को रोकने या समाप्त करने के लिये कभी-कभी सशस्त्र बल की आवश्यकता पड़ सकती है, तथा उनका तर्क है कि आक्रामकता एवं बुराई से निपटने के लिये शांतिवाद अवास्तविक है।

हिजबुल्लाह क्या है?

- हिज़्बुल्लाह (Hezbollah) का अनुवाद "ईश्वर की पार्टी (Party of God)" है। **लेबनान स्थित एक शिया मिलिशिया** और राजनीतिक पार्टी है।

नोट :

- **हिजबुल्लाह की उत्पत्ति:**
  - हिजबुल्लाह की उत्पत्ति वर्ष 1982 में **लेबनानी गृहयुद्ध** (1975-1990) के दौरान लेबनान पर इज़रायल के आक्रमण के विरुद्ध एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में की गई थी।
  - इसे **लेबनान के शिया समुदाय, ईरान और उसके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)** तथा **वर्ष 1979 में ईरान (Iran) में एक इस्लामी क्रांति** से प्रभावित **फिलिस्तीनी समूहों से समर्थन प्राप्त हुआ।**
- **सामरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र (CSIS)** के अनुसार, इसे वैश्विक स्तर पर **सबसे अधिक सशस्त्र गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं** में से एक माना जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल समेत कई देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है।

भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या हैं?

- **पंचशील (पाँच सिद्धांत):** इसे सर्वप्रथम वर्ष 1954 में **भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के** बीच **व्यापार समझौते में औपचारिक रूप दिया गया था,** जिसने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बुनियाद रखी। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं:
  - सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना
  - एक-दूसरे देश पर आक्रमण न करना
  - दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
  - परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना
  - शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना
- **वसुधैव कुटुंबकम (संपूर्ण विश्व एक परिवार है):** भारत विश्व को एक वैश्विक परिवार के रूप में देखता है, तथा **सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सद्भाव, सामूहिक विकास और राष्ट्रों के बीच विश्वास को बढ़ावा देता है।**
  - **गुजराल सिद्धांत भारत के अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निर्देशित करने** के लिये **5 सिद्धांतों** का एक समूह है, जो मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण संबंधों के महत्त्व को मान्यता देता है। ये **5 सिद्धांत इस प्रकार** हैं:
    - भारत बाँग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को **पारस्परिकता की अपेक्षा किये बिना,** सद्भावना और विश्वास के साथ सहायता प्रदान करता है।
    - किसी भी दक्षिण एशियाई देश को अपने भूभाग का उपयोग क्षेत्र के **किसी अन्य देश के हितों के विरुद्ध नहीं करने देना चाहिये।**
    - देशों को एक दूसरे के **आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना** चाहिये।
    - सभी दक्षिण एशियाई देशों को **एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता** और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिये।
    - विवादों का **समाधान द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिये।**
- **सक्रिय एवं निष्पक्ष सहायता:** भारत सक्रिय सहायता के माध्यम से **लोकतंत्र और विकास को बढ़ावा देता है,** अपितु **संबंधित सरकार की सहमति से।**
  - यह साझेदार देशों में **क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर बल देता है, जैसा कि अफगानिस्तान में भारत के प्रयासों में देखा गया है।**
- **संयुक्त राष्ट्र के लिये समर्थन: भारत संयुक्त राष्ट्र (UN)** का संस्थापक सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का समर्थन करता है।
- **सामरिक स्वायत्तता:** इसमें **स्वतंत्र निर्णय लेने पर ज़ोर दिया गया है** और **भारत साझेदारी का पक्षधर है,** लेकिन **औपचारिक सैन्य गठबंधनों से बचता है,** तथा अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लचीलापन बनाए रखता है।

मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्ज़ू** ने भारत की चार दिवसीय राजकीय यात्रा की और नई दिल्ली को अपना मूल्यवान साझेदार बताया।

- यह यात्रा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्ज़ू ने इससे पूर्व **भारत विरोधी भावनाओं के साथ** भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने मंत्रियों की **अपमानजनक टिप्पणियों** का समर्थन किया था।

इस यात्रा के प्रमुख परिणाम क्या हैं?

- **द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना: भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति** और **सागर (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण के** तहत मालदीव को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

- **आपातकालीन वित्तीय सहायता:** भारत ने अपनी तत्काल वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने **के लिये 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर** मूल्य के **ट्रेजरी बिल (टी-बिल) प्रदान किये।**
  - इसके अतिरिक्त भारत ने मालदीव को उसकी वित्तीय कठिनाइयों के प्रबंधन में और अधिक सहायता देने के लिये **400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 बिलियन रुपए के** द्विपक्षीय **मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किये।**
- **व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी:** दोनों देश संबंधों को **व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी में बदलने पर सहमत हुए।**
  - **यह ढाँचा जन-केंद्रित, भविष्योन्मुखी तथा हिंद महासागर क्षेत्र** में स्थिरता का आधार होगा।
- **विकास सहयोग: भारत और मालदीव ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना (GMCP)** को समय पर पूरा करने को प्राथमिकता देंगे साथ ही **थिलाफुशी और गिरावारू द्वीपों को** जोड़ने के लिये व्यवहार्यता अध्ययन करेंगे।
  - दोनों पक्ष **थिलाफुशी में एक वाणिज्यिक बंदरगाह विकसित करने, ट्रांसशिपमेंट और बंकरिंग सेवाओं का विस्तार करने तथा हनीमाधू और गान** जैसे हवाई अड्डों की क्षमता को अधिकतम करने पर सहयोग करेंगे।
- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:** दोनों पक्ष द्विपक्षीय **मुक्त व्यापार समझौते, स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान**, निवेश संवर्द्धन, **आर्थिक विविधीकरण** और पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा शुरू करने पर सहमत हुए।
- **डिजिटल और वित्तीय सहयोग:** दोनों पक्षों ने भारत के **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)**, विशिष्ट डिजिटल पहचान, **गति शक्ति योजना और अन्य डिजिटल सेवाओं के शुभारंभ के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे ई-गवर्नेंस** और सेवाओं की डिलीवरी में वृद्धि होगी।
  - भारत ने मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिये भुगतान को आसान बनाने के लिये **मालदीव में RuPay कार्ड लॉन्च किया।**
- **ऊर्जा सहयोग: दोनों पक्ष नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं** पर सहयोग करेंगे ताकि मालदीव अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सके।
  - भारत वैश्विक सौर ऊर्जा परियोजना, **वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड** पहल में मालदीव की भागीदारी में सहायता करेगा।
- **स्वास्थ्य सहयोग:** भारत से **सस्ती जेनेरिक औषधियों की आपूर्ति के लिये मालदीव में जन औषधि केंद्र** स्थापित किए जाएँगे।
  - **दोनों देश मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, मादक औषधियों की लत से मुक्ति** और आपातकालीन चिकित्सा निकासी क्षमता निर्माण प्रयासों पर सहयोग करेंगे।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग: दोनों पक्षों ने भारत द्वारा वित्तपोषित उथुरु थिला फाल्हू (UTF) में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) 'एकथा' बंदरगाह परियोजना को** पूरा करने के महत्त्व को स्वीकार किया, जिससे MNDF की परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा।
- **खाद्य सुरक्षा:** दोनों देश भारतीय सहायता से **कृषि आर्थिक क्षेत्र की स्थापना और हा धालू एटोल** में पर्यटन निवेश तथा हा अलिफु एटोल में **मत्स्य प्रसंस्करण और डब्बाबंद सुविधा के लिये संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमत हुए।**
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** युवा नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये मालदीव में एक **स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर-एक्सेलेरेटर स्थापित किया जाएगा।**
- **लोगों के बीच संपर्क:** दोनों देशों ने लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिये **बंगलूरु (भारत)** और **अड्डू शहर (मालदीव)** में **वाणिज्य दूतावास स्थापित करने का निर्णय लिया।**
  - उच्च शिक्षा संस्थान, इसमें कौशल केंद्र तथा मालदीव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना शामिल है।**
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग: भारत और मालदीव ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों, विशेष रूप से कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC)** में घनिष्ठ सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- **राजनीतिक आदान-प्रदान: दोनों देशों ने** द्विपक्षीय संबंधों के चालक के रूप में साझा **लोकतांत्रिक मूल्यों को** मान्यता देते हुए, अपने-अपने संसदों के बीच सहयोग को औपचारिक बनाने पर सहमति व्यक्त की।
- **उच्च स्तरीय कोर समूह की स्थापना:** सहयोगात्मक ढाँचे का समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये एक नवीन **उच्च स्तरीय कोर समूह की** स्थापना की जाएगी।

नोट :

मालदीव के राष्ट्रपति ने अपना भारत विरोधी रुख नरम क्यों किया ?

- **मालदीव में आर्थिक संकट:** मालदीव वर्तमान में **गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है,** इसका विदेशी मुद्रा भंडार घटकर मात्र **440 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है, जो केवल 1.5 महीने के आयात** को कवर करने के लिये पर्याप्त है ।
  - **यह स्थिति ऋण भुगतान में चूक** के खतरे से और भी जटिल हो गई है, जैसा कि **मूडीज ने संकेत दिया है,** जिसने देश की क्रेडिट रेटिंग घटा दी।
- **आर्थिक निर्भरता:** मालदीव की अपने महत्त्वपूर्ण पर्यटन उद्योग के लिये **भारतीय पर्यटकों पर निर्भरता** भी एक भूमिका निभाती है।
  - भारतीय पर्यटक मालदीव की पर्यटन अर्थव्यवस्था में **सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता हैं,** तथा तनावपूर्ण संबंधों के कारण भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी के कारण अनुमानत: **150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान** हुआ है।

नोट :

- भारत मालदीव का **पाँचवा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो खाद्य, औषधि और निर्माण सामग्री** जैसी आवश्यक आपूर्ति प्रदान करता है।
- **भारत का सामरिक महत्त्व: ऐतिहासिक रूप से भारत** मालदीव के विकास और सुरक्षा परिदृश्य में एक **प्रमुख अभिकर्त्ता** रहा है। भारत को अलग-थलग करना मालदीव की **क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को कमज़ोर कर सकता है।**
  - मालदीव के राष्ट्रपति ने ज़रूरत के समय में मालदीव के लिये '**प्रथम प्रतिक्रियादाता**' के रूप में भारत की निरंतर भूमिका को स्वीकार किया। उदाहरण के लिये वर्ष **2014 में माले में जल संकट** और **कोविड-19 महामारी** आदि।
  - भारत मालदीव का **प्राथमिक सुरक्षा साझेदार रहा है, जिसका प्रमाण "ऑपरेशन कैक्टस" (1988)** जैसे ऐतिहासिक अभियानों से मिलता है, जहाँ भारत ने तख्तापलट के प्रयास को रोकने के लिये हस्तक्षेप किया था।
- **चीन के साथ भू-राजनीतिक संतुलन:** उनका नरम रुख, **चीन की ओर पूर्ण झुकाव** के बजाय, भारत और चीन दोनों के साथ **संबंधों को संतुलित करने के लिये एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।**
  - इससे मालदीव को **विदेश नीति विविधता बनाए रखते हुए भारत की विकास और सुरक्षा साझेदारी से लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।**
- **राजनीतिक यथार्थवाद:** भारत और मालदीव के बीच राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर विवादों से उपजे तनाव को द्विपक्षीय संबंधों के लिये हानिकारक माना गया।
  - यह यात्रा एक रणनीतिक कदम है, ताकि साझेदारी के आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्त्व को देखते हुए **भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत बनाए रखा जा सके।**

भारत के लिये मालदीव का क्या महत्त्व है?

- **रणनीतिक स्थान:** मालदीव हिंद महासागर में प्रमुख **अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन (ISL) के तट पर स्थित है, जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के लिये महत्त्वपूर्ण है।**
  - **भारत का** लगभग 50% बाह्य व्यापार और 80% ऊर्जा आयात इन्हीं मार्गों से होकर गुजरता है।
- **चीनी प्रभाव का सामना करना:** भारत मालदीव को क्षेत्र में **चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार करने तथा इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने** के लिये एक **महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता के रूप में देखता है।**
- **भारत के लिये हिंद महासागर का महत्त्व:** हिंद महासागर में अनुकूल और सकारात्मक समुद्री वातावरण भारत की रणनीतिक प्राथमिकता की पूर्ति के लिये आवश्यक है। **इसके लिये** मालदीव **हिंद महासागर क्षेत्र** में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है।
- **जलवायु परिवर्तन सहयोग: समुद्र-स्तर में वृद्धि** और जलवायु आपदाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण मालदीव, **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन** रणनीतियों में भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है।

निष्कर्ष

मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की हाल की भारत यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों में **महत्त्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया**, जो आरंभिक तनाव से **नए सिरे से सहयोग की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक चुनौतियों के बीच, इस यात्रा ने मालदीव के लिये** एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, जो **क्षेत्र के भू-राजनीतिक संतुलन को** स्थिर करते हुए रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देता है।

मध्य पूर्व में आतंकवादी समूह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इज़रायल ने **मध्य पूर्व** के आतंकवादी समूहों में से एक, **हिज़बुल्लाह** पर हमला किया। इस हमले से मध्य पूर्व के कई आतंकवादी समूह चर्चा का विषय बन गए हैं।

मध्य पूर्व के विभिन्न आतंकवादी समूह कौन-कौन से हैं?

हिज़बुल्लाह

- **परिचय:**
  - यह लेबनान में स्थित एक **शिया मुस्लिम राजनीतिक पार्टी** एवं आतंकवादी संगठन है जिसे **"राज्य के अंदर एक राज्य" संचालित करने के लिये जाना जाता है।** इसकी अर्द्ध-सैनिक शाखा (**जिहाद काउंसिल**) द्वारा लेबनान में सबसे शक्तिशाली सशस्त्र बल का संचालन किया जाता है।
  - हिज़बुल्लाह का **इस्लामिक जिहाद संगठन (IZO)**, जिसे **बाह्य सुरक्षा संगठन या यूनिट 910** भी कहा जाता है, एक अत्यधिक विभाजित इकाई है जो विदेशों में आतंकवादी कार्रवाइयों (विशेष रूप से पश्चिमी लक्ष्यों के विरुद्ध) **के संचालन के लिये ज़िम्मेदार है।**
  - **इज़रायल और संयुक्त राज्य अमेरिका को** हिज़्बुल्लाह अपना प्रमुख शत्रु मानता है।

- **उद्देश्य:**
  - अपनी स्थापना के समय से ही इसका उद्देश्य इज़रायल को ख़त्म करना रहा है।
  - हिज़्बुल्लाह के पास राज्य जैसी **सैन्य क्षमताएँ हैं** जिनमें वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइल, निर्देशित मिसाइल, रॉकेट और मानव रहित विमान प्रणाली शामिल हैं।
  - यह समूह **ईरान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने, सीरियाई शासन का समर्थन करने** तथा लेबनान के भीतर अपनी शक्ति को मज़बूत करने पर केंद्रित है। इसके साथ ही यह इज़रायल के हितों का विरोध कर रहा है तथा **मध्य पूर्व से अमेरिकी सेनाओं को बाहर** निकालने का प्रयास कर रहा है।
- **प्रभाव क्षेत्र:**
  - **इसका प्रभाव पूरे लेबनान में** है।
  - **यह इराक, सीरिया और यमन** में शिया आतंकवादियों को प्रशिक्षण और अन्य सैन्य सहायता प्रदान करने के लिये ईरानी अधिकारियों के साथ कार्य करता है।

Note: As of 2021
Source: RANE

नोट :

- **संयुक्त राष्ट्र का रुख:**
  - **हिज़बुल्लाह को** संयुक्त राष्ट्र **एक आतंकवादी संगठन मानता है** तथा इसकी सैन्य क्षमताओं के साथ क्षेत्रीय संघर्षों तथा वैश्विक आतंकवाद में संलिप्तता के कारण इसे एक बड़ा खतरा मानता है।

बद्र संगठन

- **परिचय:**
  - यह एक **इराकी शिया इस्लामवादी और खोमेनीवादी राजनीतिक दल** और अर्द्धसैनिक समूह है।
  - मूल रूप से बद्र ब्रिगेड या बद्र कोर के नाम से जाना जाने वाला यह संगठन वर्ष **1982 में इराक में इस्लामी क्रांति के लिये सर्वोच्च परिषद (SCIRI)** की सैन्य शाखा के रूप में निर्मित किया गया था, जो ईरान स्थित एक शिया इस्लामी पार्टी थी।
- **उद्देश्य:**
  - बद्र ब्रिगेड की स्थापना ईरानी खुफिया एजेंसी और **शिया धर्मगुरु मोहम्मद बाकिर अल-हकीम के सहयोग से की गई थी,** जिसका मुख्य उद्देश्य **ईरान-इराक युद्ध** के दौरान **सद्दाम हुसैन के बाथिस्ट शासन का विरोध करना था।**
  - **वर्ष 2003 में इराक पर अमेरिका के नेतृत्व में आक्रमण** के पश्चात्, बद्र ब्रिगेड के **लड़ाकों का एक बड़ा हिस्सा इराकी सेना और पुलिस बलों में शामिल हो गया,** और इराक के सुरक्षा तंत्र का एक अभिन्न अंग बन गया।
  - बद्र संगठन को वर्ष **2014 में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (PMF)** के एक भाग के रूप में **इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (ISIL) से** लड़ने में सक्रिय भागीदारी के कारण पुन: प्रसिद्धि मिली।
  - इराक के अर्द्धसैनिक ढाँचे के भीतर इसकी **भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है,** जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दिया है, विशेष रूप से PMF के साथ अपने सहयोग के माध्यम से, जो इराकी सरकार की निगरानी में कार्य करता है।
- **प्रभाव क्षेत्र:**
  - **बगदाद** और दक्षिणी **इराक।**
- **संयुक्त राष्ट्र का रुख:**
  - संयुक्त राष्ट्र बद्र संगठन को उसके ईरान से संबंधों, सांप्रदायिक हिंसा तथा इराक के शासन और क्षेत्रीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव **के कारण अस्थिरता उत्पन्न करने वाला संगठन मानता है।**

इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड ऐश-शाम (ISIS)

- **परिचय:**
  - ISIS एक **सलाफी-जिहादी समूह है,** जो विश्व भर में विभिन्न आतंकवादी हमलों के लिये ज़िम्मेदार है, जिसके परिणामस्वरूप हज़ारों लोग मारे गए और घायल हुए हैं।
  - वर्ष 2004 में अबू मुसाब अल-जरकावी के नेतृत्व में एक इराकी चरमपंथी नेटवर्क ने अल-कायदा के साथ विलय कर **इराक में अल-कायदा (AQI) का गठन किया,** जिसका नेतृत्व जरकावी ने वर्ष 2006 में अपनी मृत्यु तक किया।
  - वर्ष 2010 में अबू बक्र अल-बगदादी ने इस समूह पर कब्ज़ा कर लिया और वर्ष **2011 तक पूर्वी सीरिया में इसके संचालन का विस्तार कर दिया।**
  - **वर्ष 2013 में AQI ने अपना नाम बदलकर ISIS कर लिया,** और वर्ष 2014 में, इस समूह ने अल-कायदा से संबंध तोड़ लिये, तथा स्वयं को खिलाफत घोषित कर दिया तथा इराक और सीरिया में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया।
  - वर्ष 2019 में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने सीरिया में अपने अंतिम गढ़ से ISIS को खदेड़ दिया, हालाँकि यह **समूह सीरिया और इराक दोनों में गुप्त रूप से काम करना जारी रखता है।**
- **उद्देश्य:**
  - ISIS विभिन्न प्रकार की रणनीति अपनाता है, जिसमें इराक और सीरिया में **लक्षित हत्याएँ, IED हमले, घात लगाकर हमला, सैन्य शैली के हमले, अपहरण और आत्मघाती बम विस्फोट शामिल हैं।**
  - यह समूह विश्व भर में अपने अनुयायियों को आसानी से उपलब्ध हथियारों का उपयोग करके अपने देशों में अभियान चलाने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - यह संगठन **मुख्य रूप से इराक और सीरिया में सैन्य बलों और नागरिक रक्षा समूहों को निशाना बनाता है।**
  - ISIS प्राय: सरकारी कर्मियों और बुनियादी ढाँचे पर हमला करता है, साथ ही **विदेशी सहायता कर्मियों और नागरिकों पर भी हमला करता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इसकी विचारधारा या इस्लामी कानून की व्याख्या का विरोध कर रहे हैं।**
- **प्रभाव क्षेत्र:**
  - **मुख्यत: उत्तरी और पूर्वी सीरिया तथा उत्तरी इराक।**

नोट :

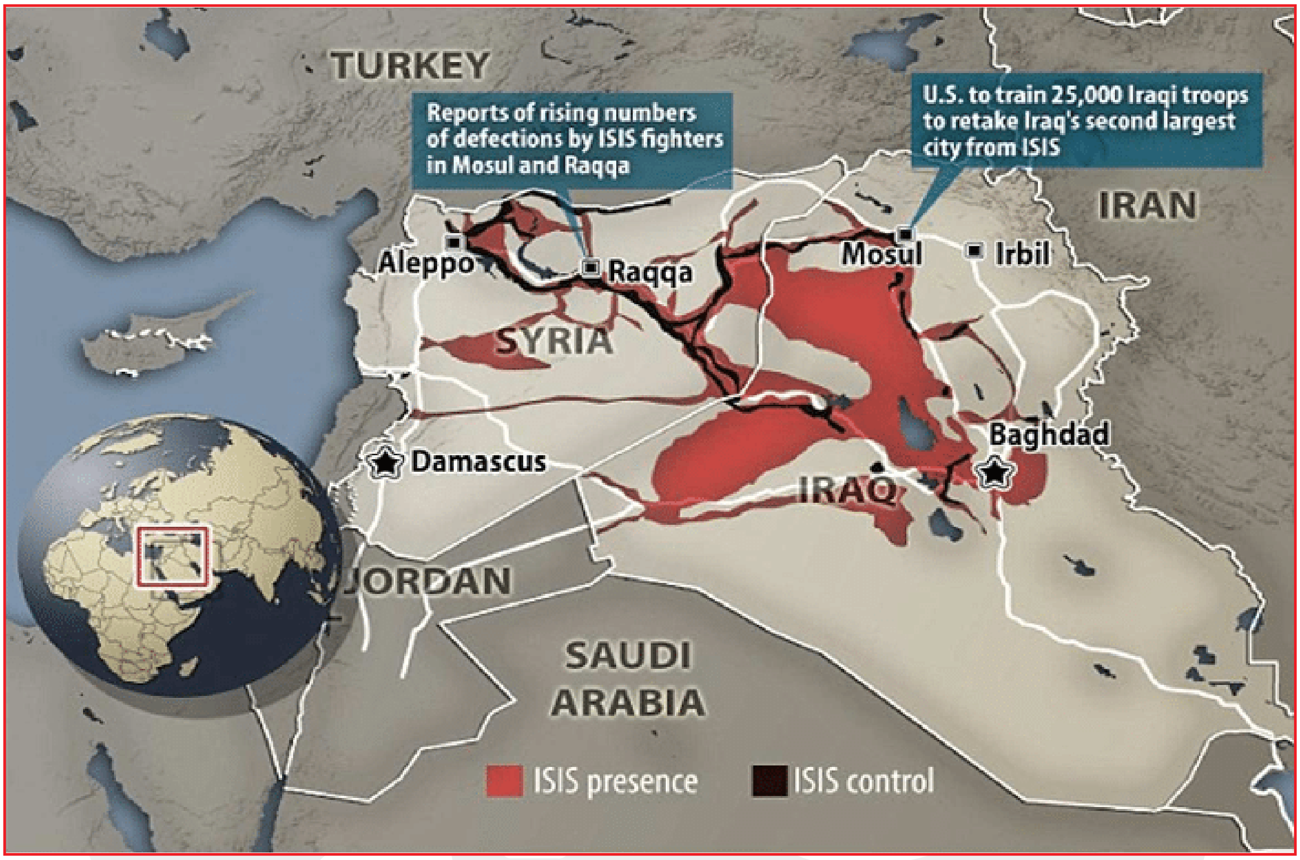

- **संयुक्त राष्ट्र का रुख:**
  - संयुक्त राष्ट्र ने **ISIS को एक आतंकवादी संगठन और वैश्विक खतरा करार दिया है तथा** इसकी क्रूर हिंसा और बड़ी संख्या में हुई मौतों की निंदा की है।
- **भारत का रुख:**
  - भारत ISIS और उससे संबद्ध संगठनों की कड़ी **निंदा करता है और उन पर प्रतिबंध लगाता है।**

बोको हरम

- **परिचय:**
  - बोको हरम पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करने तथा अपने कार्यक्षेत्र में **सलाफी-इस्लामवादी राज्य की स्थापना करना चाहता है।**
  - **वर्ष 2002 में** अपनी स्थापना के पश्चात् से बोको हरम अनुमानत: 50,000 मौतों और 2.5 मिलियन से अधिक लोगों के विस्थापन के लिये ज़िम्मेदार रहा है।
  - यह समूह **पहले अल-कायदा और ISIS से संबद्ध था,** लेकिन वर्तमान में दोनों से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
  - **वर्ष 2021 के पश्चात् विभिन्न सदस्य ISIS**- पश्चिम अफ्रीका में चले गए या स्थानीय अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
- **उद्देश्य:**
  - बोको हरम प्राय: **नागरिकों और क्षेत्रीय सुरक्षा बलों के विरुद्ध हमले करने के लिये छोटे हथियारों का इस्तेमाल करता है।**
  - यह समूह फिरौती प्राप्त करने और चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिये अपहरण करता है।
  - इसने महिलाओं और बच्चों समेत अप्रशिक्षित अपहरण पीड़ितों को आत्मघाती हमलावरों के रूप में इस्तेमाल किया है।
- **प्रभाव क्षेत्र:**
  - पूर्वोत्तर **नाइज़ीरिया** और दक्षिण-पूर्व **नाइज़र के अतिरिक्त कैमरून और चाड** में भी परिचालन करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र का रुख:**
  - बोको हरम को संयुक्त राष्ट्र द्वारा **आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दी गई है।**

कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK)

- **परिचय:**
  - कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK), जिसे **कोंगरा-गेल के नाम से भी जाना जाता है**, एक **उग्रवादी मार्क्सवादी-लेनिनवादी कुर्द अलगाववादी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में एकीकृत, स्वतंत्र कुर्दिस्तान की** स्थापना के उद्देश्य से की गई थी।
  - PKK कुर्द अधिकारों और मान्यता को बढ़ावा देने के लिये **ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की में कुर्द क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहता है।**
    - समूह का उद्देश्य **अर्द्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्रों का एक संघ बनाना है।**
  - ऐतिहासिक रूप से PKK ने अपना मुख्यालय इराक में स्थापित किया है तथा मुख्य रूप से तुर्की के कुर्द-बहुल दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में तुर्की हितों को लक्ष्य बनाया है।
  - दक्षिण-पूर्वी तुर्की में तुर्की सुरक्षा बलों ने PKK की अधिकांश **गतिविधियों को इराक और सीरिया की ओर हस्तांतरित कर दिया है।**

नोट :

- **उद्देश्य:**
  - PKK अपने अभियानों में **गुरिल्ला युद्ध और आतंकवादी रणनीति का संयोजन अपनाता है।**
  - यह समूह विभिन्न प्रकार के शस्त्रों और विधियों का उपयोग करता है, जिनमें IED, कार बम, ग्रेनेड, छोटे हथियार, मोर्टार, आत्मघाती बम विस्फोट और अपहरण संबंधी गतिविधियाँ शामिल हैं।
  - PKK **मुख्य रूप से उत्तरी इराक और सीरिया में तुर्की और तुर्की समर्थित बलों के** साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी तुर्की में तुर्की कर्मियों और बुनियादी ढाँचे पर हमले करता है।
  - यह समूह अपने हमलों में मानव रहित हवाई वाहनों और ह्यूमन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का भी उपयोग करता है।
- **प्रभाव क्षेत्र:**
  - उत्तरी इराक और दक्षिण-पूर्वी **तुर्की।**
  - संबद्ध समूह उत्तरी **सीरिया,** उत्तरी **इराक** और पश्चिमी **ईरान में सक्रिय हैं।**
- **संयुक्त राष्ट्र का रुख:**
  - संयुक्त राष्ट्र ने **PKK की कार्रवाइयों को व्यापक आतंकवाद-रोधी चर्चाओं के भाग के रूप में देखा है,** तथा इसकी आतंकवादी गतिविधियों को मुख्य रूप से तुर्की के हितों के विपरीत माना है।
  - **इस समूह को प्रायः क्षेत्रीय अस्थिरता और तुर्की की सुरक्षा नीतियों पर इसके प्रभाव के** संदर्भ में देखा जाता है।
- **भारत का रुख:**
  - भारत के पास PKK को लक्षित करने के लिये कोई विशेष नीति नहीं है। हालाँकि वह अलगाववादी आंदोलनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को परिचित है।

■■■

दृष्टि The Vision

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

रक्षा क्षेत्र हेतु DRDO के गहन तकनीकी प्रयास

चर्चा में क्यों?

सैन्य अनुप्रयोगों हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के क्रम में अपने अनुसंधान कार्यक्रम को नया रूप देने के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) एक अग्रणी पहल शुरू करने जा रहा है। इसके तहत रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण **को बढ़ावा देने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने** के क्रम में पाँच डीप-टेक परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के साथ प्रत्येक परियोजना को 50 करोड़ रुपये तक मिलेंगे।

- इस पहल को रक्षा क्षेत्र में परिवर्तनकारी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये अंतरिम बजट 2024-2025 में घोषित 1 लाख करोड़ रुपये के कोष द्वारा समर्थित किया गया है।

परियोजना के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **उद्देश्य:**
  - DRDO का लक्ष्य स्वदेशीकरण के माध्यम से तीनों सेनाओं के लिये आवश्यक **प्रणालियों, उप-प्रणालियों और घटकों संबंधी आयात पर निर्भरता को कम** करना है।
  - भविष्योन्मुखी और विध्वंसकारी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित कर DRDO उन अवधारणाओं के लिये नवीन समाधान तलाशेगा जो वर्तमान में भारत या विश्व स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।
- **भविष्योन्मुखी एवं विध्वंसकारी तकनीक:**
  - DRDO ने प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिये **तीन व्यापक श्रेणियों की पहचान की है:** स्वदेशीकरण, भविष्योन्मुखी और विघटनकारी प्रौद्योगिकी तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी।
  - यह मुख्य रूप से **भविष्योन्मुखी और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों** जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।
    - **भविष्योन्मुखी और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों का आशय** ऐसे नवाचार से है जो नई पद्धतियों, उत्पादों या सेवाओं को प्रस्तुत करके **मौजूदा उद्योगों, बाजारों या सामाजिक मानदंडों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन या क्रांतिकारी बदलाव** लाने पर केंद्रित हैं।
    - वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार के कार्यक्रमों का नेतृत्व राज्य रक्षा अनुसंधान संगठनों द्वारा किया जाता है जैसे कि US DARPA (**संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी**), जिसे DRDO अपनी गहन तकनीक पहल के क्रम में एक मॉडल के रूप में उपयोग कर रहा है।
- **इन गहन प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में निवेश, DRDO के** प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) के माध्यम से किया जाएगा।
  - TDF के तहत सशस्त्र बलों के लिये आवश्यक सैन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिये निजी उद्योगों, विशेषकर MSMEs **और स्टार्ट-अप्स को सहयोग किया जा रहा है।**

रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी (DARPA)

- **DARPA संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के अंतर्गत** एक अनुसंधान और विकास एजेंसी है, जो सैन्य अनुप्रयोगों हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य **तत्काल सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में** अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करना है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) क्या है?

- **परिचय:**
  - DRDO **रक्षा मंत्रालय** की **अनुसंधान एवं विकास शाखा है** जिसका उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में सशक्त बनाना है।
  - **आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास** तथा अग्नि और पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला, हल्के लड़ाकू विमान तेजस, **मल्टी बैरल रॉकेट लांचर,** पिनाका, वायु रक्षा प्रणाली आकाश, **रडारों की एक विस्तृत श्रृंखला और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि** जैसी सामरिक प्रणालियों एवं प्लेटफॉर्मों के सफल स्वदेशी विकास एवं उत्पादन से भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई है।
- **गठन:**
  - इसका गठन वर्ष 1958 में भारतीय सेना के **तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (TDEs) और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय (DTDP)** तथा **रक्षा विज्ञान संगठन (DSO)** के एकीकरण से हुआ था।

नोट :

- DRDO, 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है जो विभिन्न विषयों जैसे वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग प्रणाली आदि को कवर करते हुए रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में गहनता के साथ संलग्न है।

- **DRDO के प्रौद्योगिकी क्लस्टर:**
  - **वैमानिकी:** विमान, मानव रहित हवाई वाहन (UAV) और उन्नत सामग्रियों समेत विमानन प्रौद्योगिकियों के डिज़ाइन और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **आयुध और युद्ध इंजीनियरिंग:** सशस्त्र बलों के लिये शस्त्र प्रणालियाँ, तोपखाना और गोला-बारूद विकसित करता है।
  - **मिसाइल और सामरिक प्रणालियाँ:** बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और सामरिक मिसाइल प्रणालियों सहित मिसाइल प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता।
  - **इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणालियाँ:** सैन्य अनुप्रयोगों के लिये रडार प्रणालियों, संचार उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों पर काम करता है।
  - **जीवन विज्ञान:** चरम वातावरण में मानव अस्तित्व के लिये प्रौद्योगिकियों का विकास, जैसे सुरक्षात्मक गियर, जीवन-सहायक प्रणालियाँ, और युद्ध में हताहत लोगों की देखभाल।
  - **सामग्री और जीवन विज्ञान:** रक्षा अनुप्रयोगों के लिये उन्नत सामग्री, नैनो प्रौद्योगिकी और जैव-प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करता है।

DRDO की उपलब्धियाँ क्या हैं?

प्रणाली	विवरण
अग्नि और पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला	**बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों** का सफल विकास, जिससे भारत की सामरिक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
तेजस हल्का लड़ाकू विमान (LCA)	यह एक स्वदेशी बहु-भूमिका वाला लड़ाकू विमान है, जिसे DRDO द्वारा अन्य अभिकरणों के सहयोग से डिज़ाइन और विकसित किया गया है।
आकाश मिसाइल प्रणाली	एक **मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली,** जो भारतीय सेना और वायु सेना को हवाई रक्षा सहायता प्रदान करती है।
ब्रह्मोस मिसाइल	रूस के सहयोग से विकसित **विश्व की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल।**
अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक (MBT)	अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक (MBT) भारतीय सेना के लिये डिज़ाइन किया गया एक स्वदेशी युद्धक टैंक है, जिसमें उन्नत मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा प्रणालियाँ हैं।
इंसास राइफल श्रृंखला	इंसास राइफल श्रृंखला भारतीय सशस्त्र बलों के लिये राइफलों समेत छोटे हथियारों की स्वदेशी उपकरण है।
हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH)	भारतीय सेना और वायु सेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विकसित किया गया।
नेत्र यूएवी	नेत्रा यूएवी एक स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे निगरानी और टोही कार्यों के लिये डिज़ाइन किया गया है।
पनडुब्बी सोनार प्रणालियाँ (Submarine Sonar Systems)	भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के लिये **सोनार और अंतर्जलीय संचार प्रणालियों** का विकास।

नोट :

DRDO के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब:** DRDO की विभिन्न परियोजनाओं, जैसे कि **उन्नत शस्त्र प्रणालियों और विमानों के विकास में, काफी विलंब हुआ है,** जिससे समय पर तैनाती प्रभावित हुई है और लागत में वृद्धि हुई है।
- **प्रौद्योगिकी अंतराल और आयात पर निर्भरता:** पर्याप्त उत्पादन और अनुसंधान एवं विकास आधार के बावजूद, भारतीय रक्षा उद्योग में **प्रमुख प्रणालियों, महत्त्वपूर्ण भागों, घटकों और कच्चे माल को स्वतंत्र रूप से डिज़ाइन और निर्माण करने की तकनीकी क्षमता का अभाव है,** जिसके कारण आयात पर निर्भरता जारी है।
  - यह सीमित तकनीकी गहनता ही भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रमुख रक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिये लाइसेंस देने को प्राथमिकता देने के पीछे एक प्रमुख कारक है।
- **बजट संबंधी बाधाएँ: DRDO** के लिये बजट आवंटन वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23,855 करोड़ रुपए हो गया, जो **वित्त वर्ष 2023-24 में 23,263.89 करोड़ रुपए था।**
  - इस वृद्धि के बावजूद **बजट वृद्धि मामूली बनी हुई है,** जो आधुनिकीकरण और रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण पर सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के अनुरूप नहीं है।
- **उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग:** DRDO निज़ी उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रक्षा अनुसंधान एवं विकास आवश्यकताओं के साथ उन्हें कुशलतापूर्वक संरेखित करना एक चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

- **औद्योगिक सहयोग को मज़बूत करना: DRDO को नवाचार और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाने** तथा कुशल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिये निज़ी उद्योगों, MSME और **स्टार्ट-अप के साथ साझेदारी बढ़ानी चाहिये।**
- **समयबद्ध निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना: कठोर परियोजना समयसीमा** को लागू करने **और बेहतरीन परियोजना प्रबंधन तकनीकों को अपनाने से** विलंब को कम करने और महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।
- **अनुसंधान एवं विकास के निवेश में वृद्धि:** अनुसंधान एवं विकास के लिये अतिरिक्त संसाधन और निरंतर वित्त पोषण का आवंटन, DRDO को तकनीकी अंतराल को समाप्त करने और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने में सक्षम बनाएगा।
- **वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना:** अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान अभिकरणों के साथ सहयोग का विस्तार करने और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने से DRDO को उभरते क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता हासिल करने में सहायता मिल सकती है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्नः

प्रश्नः DRDO के प्रौद्योगिकी क्लस्टरों के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये, हाल के वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालिये। ये उपलब्धियाँ भारत की सामरिक स्वायत्तता में किस प्रकार योगदान देती हैं?

■■■

जैव विविधता और पर्यावरण

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 57वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)** की कार्यकारी समिति (EC) की 57वीं बैठक में विभिन्न राज्यों में प्रमुख परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।

- इन परियोजनाओं का उद्देश्य **गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता** के साथ **महाकुंभ 2025 के दौरान IEC (सूचना, शिक्षा और संचार)** गतिविधियों का समन्वय करना है।

बैठक के दौरान अनुमोदित प्रमुख परियोजनाएँ कौन-सी हैं?

- **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP):** कार्यकारिणी समिति ने बिहार के कटिहार और सुपौल तथा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में **STP को मंज़ूरी दी।**
  - STP द्वारा **सीवेज और प्रदूषकों को हटाकर जल को शुद्ध किया जाता है** जिससे यह प्राकृतिक जल स्रोतों में छोड़े जाने के लिये उपयुक्त हो जाता है।
- **STP की निगरानी: इसमें** गंगा नदी बेसिन में मौजूदा STP की **ऑनलाइन निगरानी को** मज़बूत करने के लिये एक **ऑनलाइन सतत् अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (OCEMS)** की स्थापना शामिल है।
- **महाकुंभ, 2025 में IEC गतिविधियाँ:** महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छता और जागरूकता बढ़ाने के लिये **IEC (सूचना, शिक्षा और संचार)** गतिविधि-आधारित परियोजना को मंज़ूरी दी गई है।
  - **इस परियोजना में 'पेंट माई सिटी'** और **भित्ति चित्र कला** के माध्यम से मेला क्षेत्र और शहर को सजाना शामिल है।
- **PIAS परियोजना:** इस समिति ने **प्रदूषण सूची, मूल्यांकन और निगरानी (PIAS)** परियोजना की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु इसके अंतर्गत जनशक्ति की भूमिका को बढ़ाने पर बल दिया।
  - PIAS परियोजना को औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी के लिये **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** द्वारा संचालित किया जाता है।
- **SLCR परियोजना:** इस समिति ने देश भर में **छोटी नदियों** के पुनरुद्धार में तेज़ी लाने के लिये '**स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (SLCR) परियोजना** के प्रमुख घटकों को मंज़ूरी दी।
- **कछुआ एवं घड़ियाल संरक्षण:** उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित **कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र में मीठे जल के कछुआ** एवं **घड़ियाल संरक्षण तथा** प्रजनन कार्यक्रम को मंज़ूरी दी गई।

NMCG के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय: यह** गंगा नदी के **पुनरुद्धार और संरक्षण** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत** 12 अगस्त 2011 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- **विधिक ढाँचा: यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA)** की कार्यान्वयन शाखा है जिसका गठन **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986** के प्रावधानों के तहत किया गया था।
  - वर्ष 2016 में NGRBA के विघटन के बाद यह **राष्ट्रीय गंगा नदी पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद) की कार्यान्वयन शाखा है।**
  - NGC द्वारा नदी में जल का निरंतर पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के साथ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने में भूमिका निभाई जाती है।
- **NMCG की प्रबंधन संरचना:** NMCG **की प्रबंधन संरचना दो-स्तरीय है** और दोनों का नेतृत्व **NMCG के महानिदेशक (DG) करते हैं।**
  - **गवर्निंग काउंसिल:** NMCG की सामान्य नीतियों का प्रबंधन करती है।
  - **कार्यकारी समिति: यह 1,000 करोड़ रुपए** तक के वित्तीय परिव्यय वाली परियोजनाओं को मंज़ूरी देने के लिये अधिकृत है।
- **गंगा संरक्षण के लिये पाँच स्तरीय संरचना:** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 में गंगा नदी के प्रभावी प्रबंधन और पुनरुद्धार के लिये **राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर** पर **पाँच स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है।**
  - **राष्ट्रीय गंगा परिषद: भारत के** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली यह परिषद **निगरानी हेतु सर्वोच्च निकाय है।**
  - **अधिकार प्राप्त कार्यबल (ETF): केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में** यह कार्यबल गंगा नदी के पुनरुद्धार पर केंद्रित कार्रवाई हेतु ज़िम्मेदार है।
  - **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG):** यह मिशन गंगा की सफाई और कायाकल्प के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं के लिये **कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।**
  - **राज्य गंगा समितियाँ: ये समितियाँ** अपने अधिकार क्षेत्र में **विशिष्ट उपायों को** लागू करने के लिये राज्य स्तर पर कार्य करती हैं।

नोट :

- **जिला गंगा समितियाँ: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के निकट** प्रत्येक निर्दिष्ट ज़िले में स्थापित ये समितियाँ जमीनी स्तर पर कार्य करती हैं।

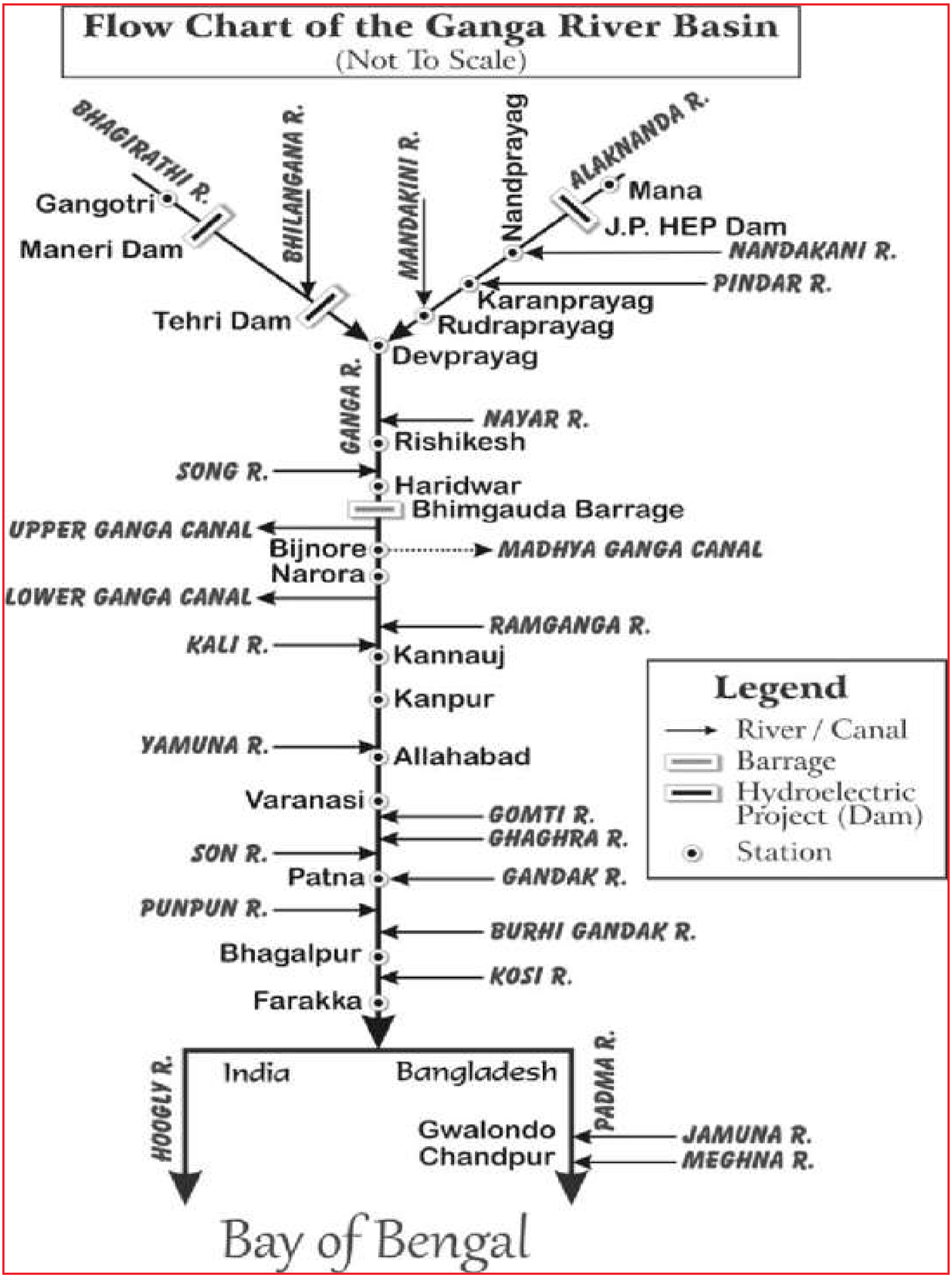

नोट :

नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है?

- **परिचय:** यह राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी लाने के साथ इसके **संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों** को पूरा करने के लिये एक एकीकृत संरक्षण मिशन है।
  - इसे **जून 2014** में केंद्र सरकार द्वारा **20,000 करोड़ रुपए** के बजट परिव्यय के साथ **'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था।**
  - फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सिंचाई, शहरी और ग्रामीण विकास आदि से संबंधित **प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं को हल किया जाता है।**
- **कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभ:**
  - **सीवेज उपचार अवसंरचना: अपशिष्ट जल का** प्रभावी प्रबंधन करना।
  - **नदी सतह की सफाई:** नदी की सतह से **ठोस अपशिष्ट और प्रदूषण को** हटाना
  - **वनारोपण:** पेड़ लगाना और **हरित आवरण** का विस्तार करना।
  - **औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी: नदी को हानिकारक औद्योगिक अपशिष्टों** से बचाना।
  - **नदी-तट का विकास:** सामुदायिक सहभागिता एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये नदी के किनारे **सार्वजनिक स्थलों का** निर्माण करना।
  - **जैवविविधता:** नदी के **पारिस्थितिकी स्वास्थ्य** को बेहतर बनाने के साथ विविध जैविक समुदायों को समर्थन देना।
  - **जन जागरूकता: नदी संरक्षण** के महत्त्व के बारे में नागरिकों को शिक्षित करना।
  - **गंगा ग्राम:** गंगा नदी के मुख्य तट के किनारे स्थित गाँवों को **आदर्श गाँवों के रूप में विकसित करना।**
- **एकीकृत मिशन दृष्टिकोण: इसके तहत आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी सुधार के साथ** जोड़ने पर बल देने के साथ सतत् विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है।
  - **स्वच्छ ऊर्जा, जलमार्ग,** जैवविविधता संरक्षण और **आर्द्रभूमि विकास** को वर्तमान और भविष्य की पहलों के संदर्भ में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।

टेम्स नदी की पुनर्वहाली से संबंधित केस स्टडी

- **अवलोकन:** टेम्स नदी को **1950 के दशक में "जैविक रूप से मृत" घोषित कर दिया गया था जिसमें** शहरी प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट और **अपर्याप्त सीवेज प्रणालियों के कारण घुलित ऑक्सीजन का स्तर** अत्यंत **कम हो गया था।**
  - **शहर की बढ़ती आबादी और निम्न स्तरीय स्वच्छता प्रबंधन** के कारण यह नदी कचरे का डंपिंग क्षेत्र बन गई।
  - फ्लीट जैसी प्रमुख सहायक नदियाँ (जो मध्य लंदन से होकर गुजरती हैं) **दुर्गन्ध के कारण काफी चर्चा में रहीं।**
- **वर्ष 1858 की दुर्गंध: वर्ष 1858 की भीषण गर्मी के दौरान यह नदी प्रदूषण की समस्या के चरमोत्कर्ष पर पहुँची,** जिसे **ग्रेट स्टिंक के नाम से जाना जाता है।**
  - टेम्स नदी में मानव और औद्योगिक अपशिष्ट के उच्च स्तर के कारण व्यापक **लोक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप सिविल इंजीनियर सर जोसेफ बाज़ेलगेट** द्वारा डिज़ाइन किये गए सीवेज नेटवर्क को अपनाया गया।
- **पुनरुद्धार प्रयास:** 1970 के दशक तक टेम्स नदी में प्रवेश करने वाले सभी सीवेज का **उपचार किया गया** तथा **वर्ष 1961 और 1995 के बीच लागू किये गए नियमों से** जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ।
  - वर्ष 1989 में स्थापित **राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण ने जल गुणवत्ता की निगरानी** और प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - 20 वीं सदी के अंत में **"बबलर्स"** के नाम से जाने जाने वाले ऑक्सीजनेटर्स की स्थापना से **घुलित ऑक्सीजन के स्तर में** काफी सुधार हुआ।
    - ये उपकरण जल में **ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं जिससे मछलियों की संख्या के साथ समग्र जलीय स्वास्थ्य में सुधार होता है।**

राष्ट्रीय गंगा परिषद क्या है?

- **राष्ट्रीय गंगा परिषद (NGC):** इसका गठन **वर्ष 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA)** के विघटन के बाद **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,** 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया था।
- **उद्देश्य:** NGC का लक्ष्य व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के **पुनरुद्धार, संरक्षण एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।**
- **मंत्रालय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण** मंत्रालय **(MoWR, RD & GR)** इसके लिये नोडल मंत्रालय है।
- **कार्य:** यह इस संदर्भ में **नीतियाँ** और रणनीतियाँ तैयार करने के साथ प्रदूषण निवारण, पारिस्थितिकी बहाली एवं नदी संसाधनों के सतत् प्रबंधन से संबंधित पहलों की **प्रगति की निगरानी करता है।**
- **शासन:** इसकी अध्यक्षता **प्रधानमंत्री** और उन राज्यों (अर्थात **उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल** आदि) के मुख्यमंत्रियों द्वारा की जाती है जहाँ से गंगा प्रवाहित होती है।

नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **आँकड़ों और प्रभावी निगरानी का अभाव:** 31 दिसंबर, 2023 तक **457 परियोजनाएँ** शुरू की गई थीं। इनमें से **केवल 280 ही** पूरी या **"शुरू" हो पाई हैं।** इनमें से ज़्यादातर परियोजनाएँ STP के निर्माण से संबंधित हैं लेकिन ऐसा **कोई डेटा नहीं है** जिससे पता चले कि STP **वास्तव में कार्यरत हैं।**

नोट :

- **सहायक नदियों की उपेक्षा:** विशेषज्ञों का कहना है कि **छोटी नदियों की उपेक्षा ने** समग्र सफाई प्रयासों को बाधित किया है। उदाहरण के लिये, **गोमती नदी** में **ऑक्सीजन का स्तर कम है** जिससे यह जैवविविधता के लिये अनुपयुक्त हो गई है।
- **औद्योगिक प्रदूषण: कानपुर** में चमड़े के कारखानों में अपशिष्टों का उचित तरीके से उपचार नहीं किया जाता है जिसके कारण उत्सर्जित अपशिष्ट में **क्रोमियम जैसे हानिकारक पदार्थों की मात्रा** बहुत अधिक हो जाती है।
- **लागत में वृद्धि:** CAG ने अपनी रिपोर्ट में इस कार्यक्रम के संदर्भ में अनुचित वित्तीय प्रबंधन का संकेत दिया और कहा कि **वर्ष 2014-15 से 2016-17 के** दौरान **केवल 8 - 63% धनराशि का ही उपयोग किया गया।** CAG ने मीडिया अभियानों पर केंद्र सरकार के **अत्यधिक खर्च के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की।**
- **वर्तमान पर्यावरणीय खतरे: अवैध रेत खनन** से नदी के प्रवाह में और अधिक बाधा उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- **वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देना: नमामि गंगे कार्यक्रम के लिये आवंटित धन का** प्रभावी और पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करके **वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं में** सुधार करना चाहिये। व्यय पर निगरानी रखने के क्रम में सख्त **ऑडिटिंग एवं रिपोर्टिंग** तंत्र लागू करना चाहिये।
- **विनियमन को सुदृढ़ बनाना:** पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के माध्यम से **धारणीय औद्योगिक प्रथाओं को** बढ़ावा देना चाहिये।
- **सहायक नदियों के पुनरुद्धार प्रयासों को महत्त्व देना:** सहायक नदियों और छोटी नदियों के **प्राकृतिक प्रवाह और जैवविविधता को** बहाल करने सहित इनके **स्वास्थ्य** में सुधार हेतु लक्षित कार्रवाई की जानी चाहिये।
- **निगरानी और डेटा प्रणाली:** नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सभी परियोजनाओं के डेटा को एकीकृत करने वाला **केंद्रीकृत डेटाबेस विकसित करना** चाहिये, जिससे प्रगति की बेहतर ट्रैकिंग के साथ सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान हो सके।

ग्रीनहशिंग और इसके निहितार्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, दुनिया भर में कार्बन-न्यूट्रल प्रमाणित फर्मों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन उनमें से कई अपनी पर्यावरणीय उपलब्धियों को **बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप "ग्रीनहशिंग"** के रूप में जाना जाने वाला वैश्विक रुझान सामने आया है।

- **परोपकारिता और अपनी सामाजिक प्रमुखता** को बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित फर्म संवाद करने में अनिच्छुक होती हैं और ग्रीनहशिंग की ओर प्रवृत्त होती हैं।

ग्रीनहशिंग क्या है?

- ग्रीनहशिंग तब होती है जब कंपनियाँ अपने पर्यावरणीय **लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी कम बताती हैं या रणनीतिक रूप से छिपाते हैं।**
- ग्रीनहशिंग कंपनियाँ **अपनी हरित साख का विज्ञापन नहीं करती हैं,** या पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी भावी प्रतिबद्धताओं के बारे में जानबूझकर चुप रहती हैं।

कंपनियाँ ग्रीनहशिंग क्यों करती हैं?

- **संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमेबाजी संबंधी चिंताएँ :** संयुक्त राज्य अमेरिका में, **सार्वजनिक कंपनियों को मुकदमों का** सामना करना पड़ सकता है यदि उन्हें **शेयरधारक मुनाफे की तुलना में स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए देखा जाता है।**
  - यह कानूनी ज़ोखिम कम्पनियों को अपने पर्यावरणीय पहलों पर खुले तौर पर चर्चा करने से हतोत्साहित करता है।
- **ईएसजी के विरुद्ध प्रतिक्रिया:** अमेरिका के रूढ़िवादी राज्यों में ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) प्रयासों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई है।
  - **इसने कुछ कम्पनियों को राजनीतिक और नियामक जाँच से बचने** के लिये अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों पर चर्चा करना बंद करने के लिये प्रेरित किया है।
- **हरित उत्पादों की निम्न गुणवत्ता:** कई उपभोक्ता हरित उत्पादों को **निम्न गुणवत्ता या उच्च कीमत से जोड़ते हैं।**
  - इसलिये, कई कंपनियाँ अपने उत्पादों के पर्यावरणीय लाभों को बढ़ावा देने में अनिच्छुक रहती हैं, जिससे इन नकारात्मक धारणाओं को बल मिलने से **उनके ब्रांड को नुकसान हो सकता है।**
- **भविष्योन्मुखी प्रतिबद्धताओं से बचना:** जो कंपनियाँ अपने स्थायित्व प्रयासों के बारे में मुखर होती हैं, वे प्राय: **ध्यान आकर्षित करती हैं** तथा उनसे **उच्च मानकों की अपेक्षा की जाती है।**
  - चुप रहकर, कंपनियाँ **भविष्य की प्रतिबद्धताओं** की अपेक्षाओं या अधिक महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के दबाव से **बच सकती हैं।**
- **ग्राहकों की असुविधा से बचना: जब लोग छुट्टियों पर होते हैं, तो वे प्राय:** जलवायु परिवर्तन **या** संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से बचना चाहते हैं।
  - अत: पर्यटन उद्योग में कई व्यवसाय अपने ग्राहकों को **असुविधा से** बचाने के लिये अपने पर्यावरणीय प्रयासों को गुप्त रखना **पसंद करते हैं।**
- **ग्रीनवाशिंग के आरोप:** ग्रीनवाशिंग के सार्वजनिक आरोप किसी फर्म की छवि को नुकसान पहुँचा सकते हैं और ब्रांडों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आलोचना के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिये, ये फर्म **बाहरी दर्शकों** से अपनी उपलब्धियों को **गुप्त रखना पसंद करती हैं।**

- ◆ **ग्रीनवाशिंग** एक शब्द है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कंपनी **गलत या भ्रामक वक्तव्य देती है** कि उनके उत्पाद/सेवाएँ वास्तविकता से अधिक सतत् **हैं।**
- **उपभोक्ताओं की मांग में कमी:** कई उपभोक्ता या तो **कार्बन तटस्थता** के बारे में अनभिज्ञ हैं या खरीदारी का निर्णय लेते समय शायद ही कभी **कार्बन तटस्थ उत्पादों के बारे में पूछते हैं।**
  - ◆ ग्राहकों की मांग के बिना, कंपनियाँ अपनी कार्बन तटस्थता के विज्ञापन पर धन खर्च करने में अनिच्छुक हैं।

नोट :

कंपनियाँ कार्बन न्यूट्रल प्रमाणित क्यों होती हैं?

- **प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ:** कार्बन तटस्थता **प्रतिस्पर्द्धियों** से स्वयं को **अलग करने** , प्रतिभा को आकर्षित करने और बेहतर शर्तों पर वित्त तक पहुँच बनाने में सहायता करती है।
- **सामाजिक प्रमुखता बनाए रखना:** कुछ कंपनियाँ अपनी **सामाजिक प्रमुखता बनाए रखने और सार्वजनिक धारणा** और हितधारकों के विश्वास में सुधार करने के लिये हितधारकों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिये कार्बन तटस्थता की मांग करती हैं।
- **नैतिक प्रतिबद्धता:** नैतिक रूप से प्रेरित कंपनियाँ **कार्बन तटस्थता का प्रयास करती हैं** क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करना सही है।
  - ये कंपनियाँ **पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति जुनून** और ग्रह की रक्षा की **ज़िम्मेदारी की भावना से प्रेरित हैं।**

ग्रीनहशिंग से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- **बढ़ती वैश्विक प्रवृत्ति: जलवायु परामर्श फर्म साउथ पोल** की एक रिपोर्ट में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल **58%** कंपनियाँ बढ़ती हुई विनियमन और जाँच के कारण **जलवायु संबंधी अपने संचार को कम कर रही हैं।**
- **पारदर्शिता में कमी:** जब कंपनियाँ अपने स्थिरता प्रयासों के बारे में खुले तौर पर जानकारी नहीं देती हैं, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में उनकी प्रगति का **आकलन करना कठिन हो जाता है।**
  - इससे जलवायु कार्रवाई की प्रगति को **ट्रैक करने और सत्यापित करने** की क्षमता कम हो जाती है।
- **वैश्विक स्थिरता परिवर्तन में धीमापन:** यदि ये व्यवसाय अपने पर्यावरणीय प्रयासों के बारे में जानकारी को रोकते हैं, तो इससे **धारणीय प्रथाओं को अपनाने में देरी हो सकती है, जिससे** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये समग्र वैश्विक प्रयास कमज़ोर हो सकता है।
- **डोमिनो प्रभाव:** स्थिरता प्रयासों का विरोध करने वाले क्षेत्रों या उद्योगों से **प्रतिकूल प्रतिक्रिया** का भय **अन्य व्यवसायों और कंपनियों को** सतत् प्रथाओं को अपनाने से रोकता है।
- **उपभोक्ताओं पर प्रभाव:** जब कंपनियाँ अपनी स्थिरता संबंधी उपलब्धियों के बारे में चुप रहती हैं, तो इससे उपभोक्ता कम टिकाऊ उत्पाद खरीदना जारी रख सकते हैं , **जिससे अनजाने में** पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की मांग धीमी हो जाती है।

ग्रीनहशिंग की समस्या से निपटने के लिये क्या किया जा सकता है?

- **सततता पर प्रकाश डालना:** कंपनियों को इस बात पर बल देना चाहिये कि पर्यावरणीय स्थिरता एक **यात्रा है न कि एक लक्ष्य।**
  - अपने दर्शकों को शामिल करने और निरंतर सुधार के लिये उनके प्रयासों को उजागर करने से **आलोचना कम हो सकती है** और ग्रीनवाशिंग के आरोपों के बारे में **चिंताएँ दूर हो सकती हैं।**
- **बेहतर विनियमन और दिशा-निर्देश:** बेहतर विनियमन **स्पष्टता ला सकते हैं,** विश्वास का निर्माण कर सकते हैं और खेल के मैदान को समतल कर सकते हैं। उदाहरण के लिये, **यूरोपीय संघ का ग्रीनवाशिंग निर्देश भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है और उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद जानकारी** प्रदान करता है।
- सततता **पर उपभोक्ता शिक्षा:** स्थिरता के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने से हरित उत्पादों के प्रति **नकारात्मक धारणा को परिवर्तित करने** और अधिक सतत् कंपनियों को चयन में सहायता मिल सकती है।

PKC-ERCP लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (PKC-ERCP) नामक नदी लिंक परियोजना को लागू करने के लिये राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।

- यह परियोजना नदियों को जोड़ने के लिये भारत सरकार की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के भाग के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।

संशोधित PKC-ERCP क्या है?

- **पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC):** इस **नदी-जोड़ो पहल को पार्वती, नेवज और कालीसिंध नदियों** के अधिशेष जल को **चंबल नदी** में **भेजने** के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - **यह केंद्रीय जल आयोग** और **केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय** द्वारा तैयार **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना** (1980) के तहत 30 लिंकों में से एक है।
  - इसका उद्देश्य **घरेलू उपयोग के लिये जल उपलब्ध कराना,** चंबल बेसिन में **जल संसाधनों का अनुकूलन करना तथा मध्य प्रदेश** और **राजस्थान के क्षेत्रों को लाभान्वित करना है।**

इस परियोजना में शामिल नदियाँ:

- **चम्बल नदी:**
  - **उद्गम:** सिंगार चौरी चोटी, विंध्य पर्वत, इंदौर, मध्य प्रदेश।
  - **प्रमुख सहायक नदियाँ:** बनास, काली सिंध, सिप्रा, पारबती।
- **पार्वती नदी:**
  - **उद्गम:** विंध्य रेंज, सीहोर ज़िला, मध्य प्रदेश।
- **कालीसिंध नदी:**
  - **उद्गम स्थल:** बागली, देवास ज़िला, मध्य प्रदेश।
  - **प्रमुख सहायक नदियाँ:** परवन, नेवज, आहू।
- **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP):** ERCP को जल संसाधनों के अनुकूलन के लिये वर्ष 2019 में राजस्थान द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
  - इसका उद्देश्य **चंबल बेसिन** में अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाना है।
  - इसका उद्देश्य **कालीसिंध, पार्वती, मेज और चाकन उप-बेसिनों** के **अधिशेष मानसून जल का दोहन करना** तथा इसे जल की कमी वाले **बनास, गंभीरी, बाणगंगा और पार्वती उप-बेसिनों की ओर भेजना है।**
  - इस पहल से अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर सहित **पूर्वी राजस्थान के 13 ज़िलों** को **पेयजल और औद्योगिक जल की आपूर्ति होगी।**
  - ERCP का उद्देश्य **जल चैनलों का एक ऐसा नेटवर्क स्थापित करना है** जो **राजस्थान के 23.67% क्षेत्र में विस्तारित होने के साथ राज्य की 41.13% आबादी को लाभान्वित करेगा।**
- **लाभ:**
  - ERCP से **2 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त कमांड क्षेत्र सृजित होने** तथा **4.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध होने की उम्मीद है।**
  - इसका उद्देश्य राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के **भू-जल स्तर में सुधार लाना तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।**
  - यह परियोजना औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिये स्थायी जल स्रोत सुनिश्चित करने के क्रम में **दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (DMIC) को भी समर्थन प्रदान करती है।**
- **संशोधित PKC-ERCP:**
  - संशोधित **पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ERCP (PKC-ERCP) लिंक परियोजना, PKC लिंक को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP)** के साथ जोड़ने वाली एक अंतर-राज्यीय परियोजना है।
  - यह राज्यों के बीच जल बंटवारे, लागत-लाभ वितरण और जल विनिमय जैसे मुद्दों को हल करने पर केंद्रित है।
- **ऐसी परियोजना की आवश्यकता:**
  - राजस्थान, **भारत का सबसे बड़ा राज्य है** जिसका **भौगोलिक क्षेत्रफल 342.52 लाख हेक्टेयर (** देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4%) है तथा राजस्थान के जल संसाधन विभाग के अनुसार, **देश के सतही जल का केवल 1.16%** एवं **भूजल संसाधनों का 1.72% ही यहाँ उपलब्ध है।**

चंबल नदी

- **परिचय: यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला** के दक्षिणी ढलान पर मानपुर इंदौर के पास, महूटाउन के दक्षिण में जानापाव से निकलती है। वहाँ से यह मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा में लगभग 346 किमी और फिर राजस्थान से होकर 225 किमी तक उत्तर-पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है।
  - यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इटावा ज़िले में **यमुना नदी** में मिलने से पहले लगभग 32 किमी तक बहती है।
  - यह एक बरसाती नदी है और इसका बेसिन विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं तथा अरावली से घिरा हुआ है। चंबल और इसकी सहायक नदियाँ उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को जल प्रदान करती हैं।
  - राजस्थान का हाड़ौती का पठार, मेवाड़ मैदान के दक्षिण-पूर्व में चंबल नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है।
- **सहायक नदियाँ:** बनास, काली सिंध, सिप्रा, पार्बती, आदि।
- **मुख्य विद्युत परियोजनाएँ/बाँध:** गांधी सागर बाँध, राणा प्रताप सागर बाँध, जवाहर सागर बाँध और कोटा बैराज।
- राष्ट्रीय **चंबल अभयारण्य** राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि-जंक्शन पर चंबल नदी के किनारे स्थित है। यह **गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल** और संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के लिये जाना जाता है।

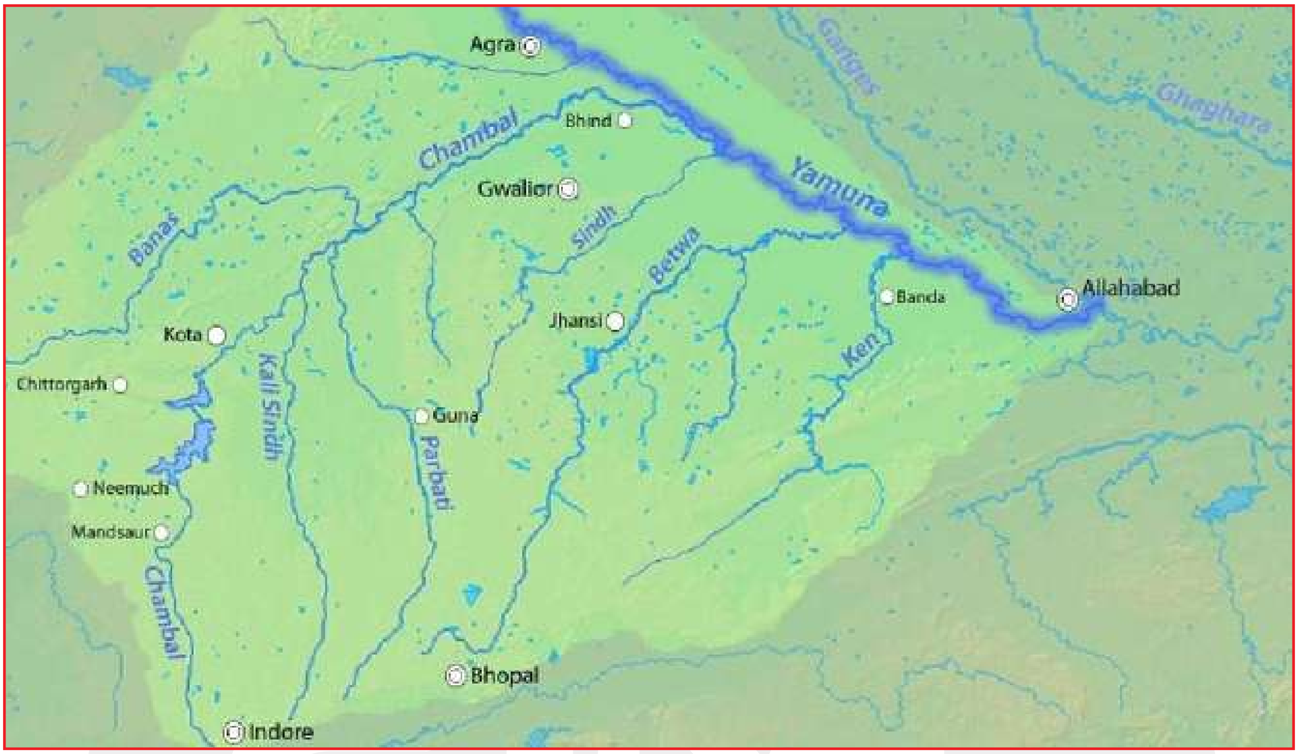

यमुना

- यमुना नदी **गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है,** जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में निम्न हिमालय के मसूरी पर्वतमाला की **बंदरपूँछ चोटियों** के पास **यमुनोत्री ग्लेशियर** से निकलती है।
- **यह नदी उत्तराखंड**, हिमाचल प्रदेश, **हरियाणा** और दिल्ली से होकर बहने के बाद **उत्तर प्रदेश के प्रयागराज** में गंगा से मिलती है।
- **प्रमुख बाँध:** लखवार-व्यासी बाँध (उत्तराखंड), ताजेवाला बैराज बाँध (हरियाणा) आदि।
- **प्रमुख सहायक नदियाँ:** चंबल, सिंध, बेतवा और केन।

नदियों को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना क्या है?

परिचय:

- नदी **जोड़ो परियोजना (जिसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)** के रूप में भी जाना जाता है) वर्ष **1980 में जल शक्ति मंत्रालय** द्वारा तैयार की गई एक बड़े पैमाने की सिविल इंजीनियरिंग परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत में **जल के अधिशेष वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल स्थानांतरित करना है।**
- इसमें नदियों और जल निकायों को जोड़ने के लिये **कृत्रिम चैनलों का निर्माण शामिल है।**

घटक:

- हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का विकास

चिह्नित परियोजनाएँ:

- **इसके तहत कुल 30 लिंक परियोजनाओं की** पहचान की गई है, जिनमें से 16 प्रायद्वीपीय क्षेत्र और 14 हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं।
- **प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाएँ:** महानदी-गोदावरी लिंक, गोदावरी-कृष्णा लिंक, पार-तापी-नर्मदा लिंक और केन-बेतवा लिंक।
- **हिमालयी क्षेत्र के तहत प्रमुख परियोजनाएँ:** कोसी-घाघरा लिंक, गंगा (फरक्का)-दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक और कोसी-मेची लिंक।

महत्त्व:

- **बाढ़ प्रबंधन:** इसका उद्देश्य गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन जैसे बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में **बाढ़ के जोखिम का प्रबंधन करना है।**
- **जल की कमी को दूर करना:** इसका उद्देश्य राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित पश्चिमी और प्रायद्वीपीय राज्यों में **जल की कमी को दूर करना है।**

- **सिंचाई सुधार:** इसका उद्देश्य **जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई का विस्तार करना है,** जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ने और खाद्य सुरक्षा में सुधार होने के साथ किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
  - उदाहरण: **केन-बेतवा लिंक परियोजना।**
- **बुनियादी ढाँचे का विकास: यह** राष्ट्रीय जलमार्ग-1 जैसे कुशल एवं **पर्यावरण अनुकूल** अंतर्देशीय जलमार्गों की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है।
- **सतत् जल उपयोग:** इसे **भू-जल की कमी को पूरा करने** और समुद्र में बहने वाले मीठे जल को कम करने के क्रम में **सतही जल के उपयोग को अनुकूलित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।**

चिंताएँ:

- **जैवविविधता की हानि:** प्राकृतिक नदी मार्गों में परिवर्तन से जैवविविधता की हानि के साथ आवास विघटन हो सकता है।
  - **उदाहरण:** मध्य प्रदेश में **केन-बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना टाइगर रिज़र्व** का एक बड़ा भाग जलमग्न होने से जीवों के आवास को नुकसान पहुँचेगा।
- **सामुदायिक विस्थापन:** नदी जोड़ो परियोजनाओं के कारण स्थानीय समुदाय विस्थापित होने से महत्त्वपूर्ण सामाजिक और मानवीय मुद्दे उभर सकते हैं।
- **उच्च लागत और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:** इसमें निवेश, तकनीकी कठिनाइयाँ तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे उभर सकते हैं।
- **इसी प्रकार की परियोजनाओं की विफलता:** चीन की **दक्षिण-से-उत्तर जल डायवर्जन परियोजना (SNWDP) में** कई चुनौतियों और नकारात्मक परिणामों को देखा गया। इसका उद्देश्य **दक्षिण में यांग्त्ज़ी नदी से जल को उत्तर में पीली नदी बेसिन तक ले जाना था।**
- **अंतर्राज्यीय जल विवाद:** सीमित जल संसाधनों के लिये राज्यों के बीच संघर्ष और प्रतिस्पर्द्धा। उदाहरण: कृष्णा जल विवाद
- **अन्य चिंताएँ:** इससे नकारात्मक सामाजिक प्रभाव, दीर्घकालिक स्थिरता तथा मौजूदा समस्याओं के और अधिक गंभीर होने की संभावना है।

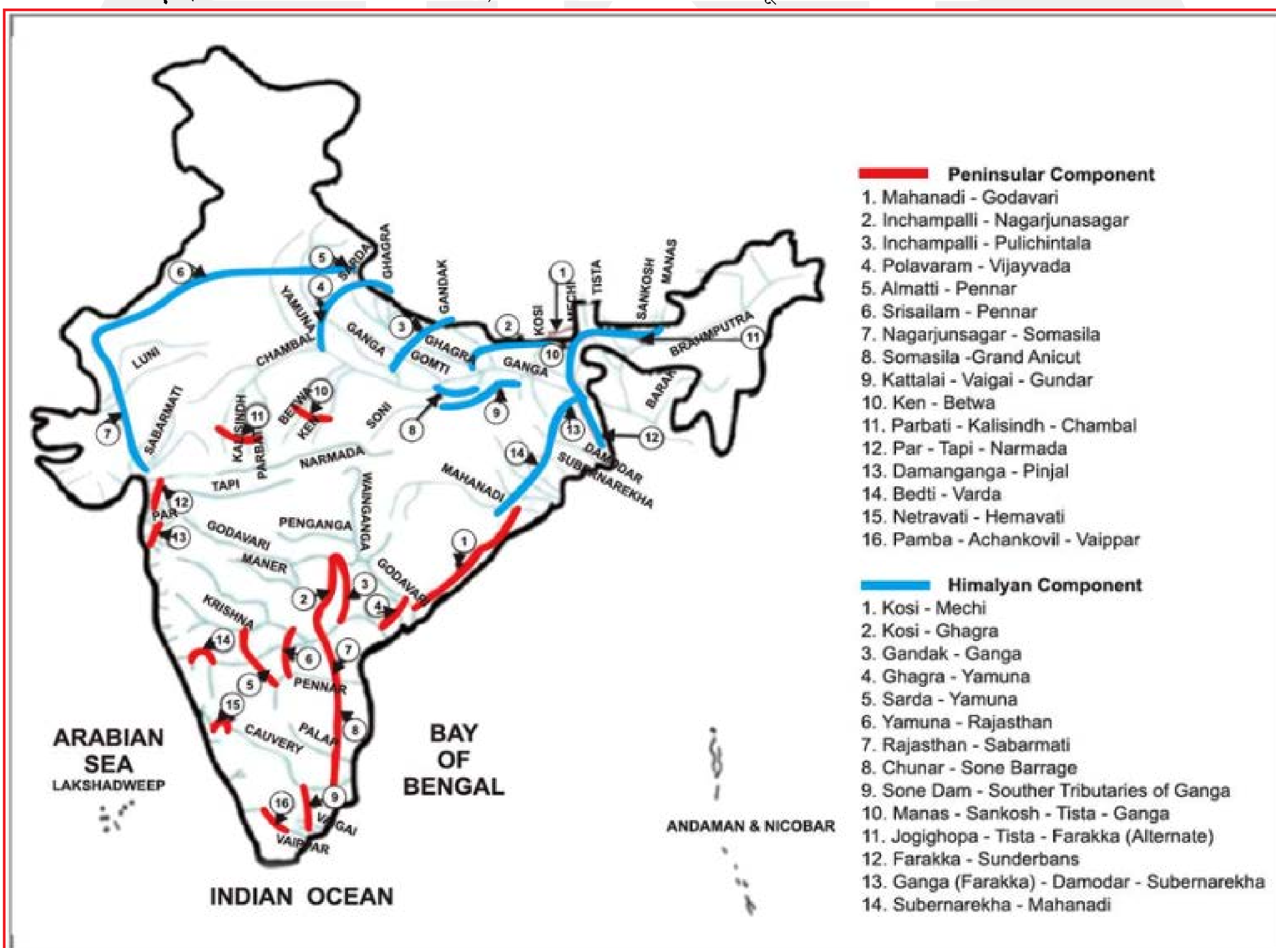

केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना (KBLP)

- यह **नदियों को जोड़ने के क्रम में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)** के तहत **पहली परियोजना है।**
- KBLP के तहत **मध्य प्रदेश की केन नदी** से उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में **जल स्थानांतरित करना शामिल है,** यह दोनों ही यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं।

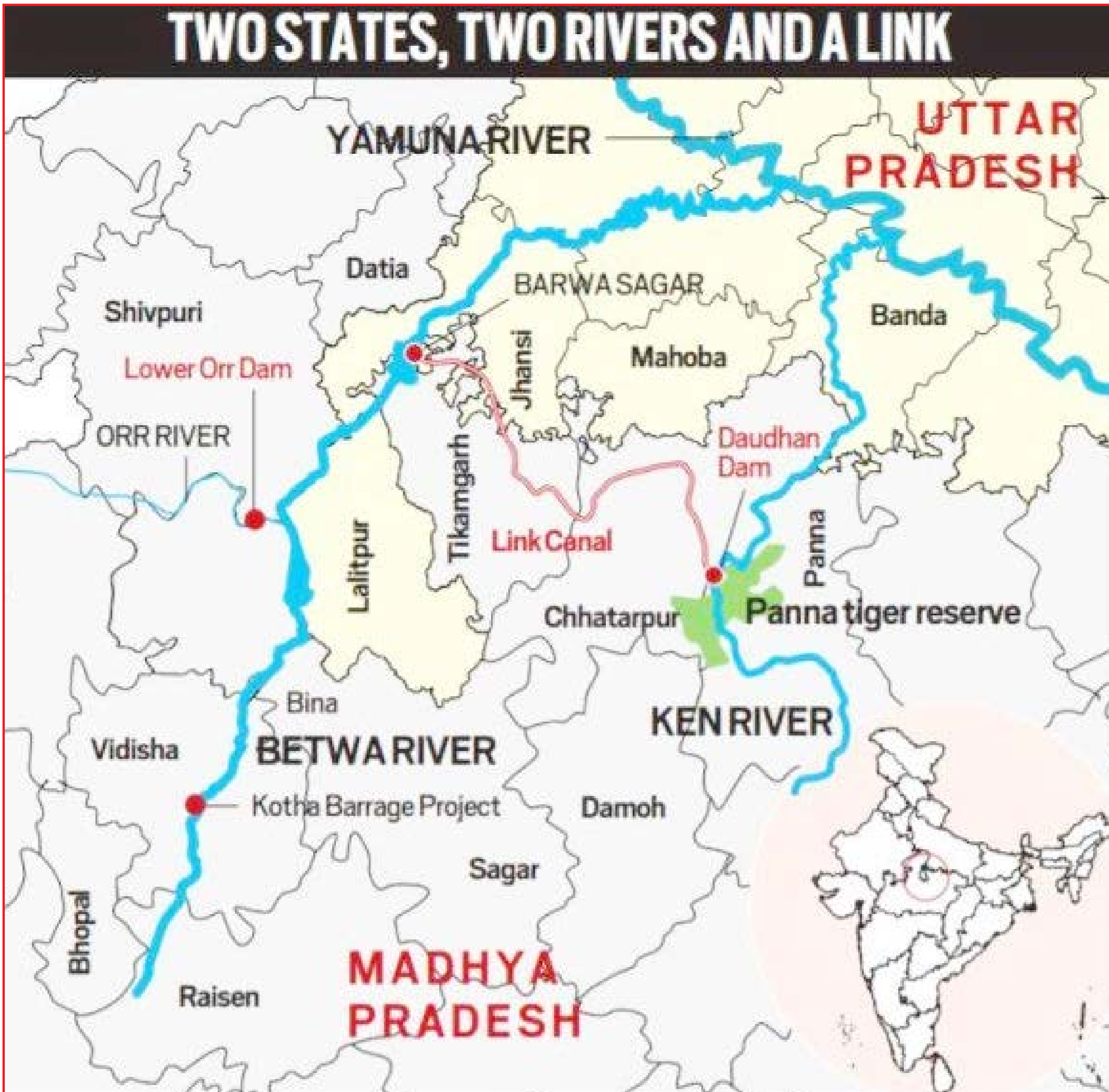

राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्राधिकरण (NIRA)

- यह एक **प्रस्तावित स्वतंत्र निकाय है जो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) का** स्थान लेगा।
- यह भारत में नदी जोड़ो परियोजनाओं की योजना, जाँच, वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार **होगा और सभी नदी जोड़ो पहलों के लिये एक छत्र संगठन के रूप में कार्य करेगा।**

नोट :

- यह **पड़ोसी देशों, संबंधित राज्यों और विभागों के साथ समन्वय करने** में भूमिका निभाने के साथ इन परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरण, वन्यजीव और वन मंजूरी संबंधी अधिकार भी रखेगा।

हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग (HPB)

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग (HPB) का महत्त्व बढ़ गया है, जो **ऊर्जा दक्षता** और **स्वस्थ आंतरिक वातावरण को बढ़ावा** देती हैं।

- HPB का अर्थ है, एक ऐसी इमारत जो **ऊर्जा दक्षता, स्थायित्व, जीवन-चक्र प्रदर्शन और अधिवासीय उत्पादकता** समेत सभी प्रमुख हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग की विशेषताओं को **एकीकृत और अनुकूलित करती है।**

HPB की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **ऊर्जा दक्षता:**
  - **HVAC प्रणाली (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग) का रखरखाव करना:** नियमित रखरखाव, जैसे कि **फिल्टर को बदलना, कॉइल्स को साफ करना और सेंसर को कैलिब्रेट करना,** जो उनकी दक्षता को बनाए रखने और अनावश्यक ऊर्जा खपत को कम करने में सहायक हो सकता है।
  - **मांग-नियंत्रित वेंटिलेशन:** IoT- आधारित **वायु गुणवत्ता सेंसर स्वचालित रूप से वेंटिलेशन सिस्टम को** समायोजित कर सकते हैं, जिससे इमारतें अधिक कुशल और पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील बन सकती हैं।
  - **प्रकाश व्यवस्था:** ऊर्जा-कुशल LED विकल्प ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। डे-लाइट हार्वेस्टिंग, जो प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करता है, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता को और भी कम कर सकता है।
  - **इन्सुलेशन में निवेश करना: दीवारों, छतों और फर्श के लिये पर्याप्त इन्सुलेशन,** ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करके हीटिंग और शीतलन की आवश्यकता को कम कर सकता है।
- **स्वस्थ इनडोर वातावरण:**
  - **इनडोर एयर क्वालिटी को प्राथमिकता देना:** यह प्रदूषकों को कम करने के लिये इनडोर वायु निस्पंदन प्रणालियों का उपयोग करता है।
  - **ध्वनि और ध्वनिकी: ध्वनि-अवशोषित सामग्री** और प्रभावी इमारतों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायता कर सकते हैं।
  - **बायोफिलिक डिज़ाइन:** प्राकृतिक तत्वों को शामिल करना, जैसे कि ग्रीन वॉल्स, **इनडोर ट्री और जल संबंधी** सुविधाएँ, रहने वालों के मानसिक कल्याण को बढ़ाती हैं।
- **स्थिरता और पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - **संधारणीय सामग्री: पुनर्चक्रित इस्पात,** संधारणीय स्रोत से प्राप्त लकड़ी और **न्यून प्रभाव वाली कंक्रीट** इमारतों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **जल संरक्षण और दक्षता:** वर्षा जल संचयन और ग्रेवाटर रिसाइक्लिंग प्रणालियाँ जल संरक्षण को बढ़ावा देती हैं।
  - **अपशिष्ट में कमी और प्रबंधन:** भवन की संधारणीयता और उसके संचालन के लिये अपशिष्ट में कमी, पुनर्चक्रण और उचित प्रबंधन आवश्यक है।

हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग की क्या आवश्यकता है?

- **कार्बन उत्सर्जन:** वैश्विक स्तर पर, इमारतें अपने जीवनकाल में **कुल अंतिम ऊर्जा खपत का लगभग 40% भाग का निर्माण करती हैं।**
  - इससे लगभग 28% ऊर्जा-संबंधी **कार्बन उत्सर्जन होता है।**
  - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार, भारत में इमारतें **राष्ट्रीय ऊर्जा उपयोग का 30% से अधिक तथा कार्बन उत्सर्जन का 20%** भाग हैं।
- **वर्ष 2040 तक विद्युत प्रणाली को चौगुना करना:** बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के लिये भारत की विद्युत प्रणाली को वर्ष **2040 तक आकार में चौगुना करना होगा।**
  - इसके अतिरिक्त भारतीय इमारतों में उच्च शहरी तापमान, चमकदार अग्रभाग और अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण **ऊर्जा उपयोग में वृद्धि देखी जा रही है।**
  - HPB **नवीन समाधानों के माध्यम से ऊर्जा की मांग को काफी हद तक कम कर सकते हैं।**
- **बढ़ता शहरीकरण:** भारत की शहरी आबादी **वर्ष 2030 तक 600 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।**
  - जैसे-जैसे शहरों का विस्तार होता है, नए निर्माण की मांग बढ़ती है और बगैर किसी हस्तक्षेप के, इस क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट वृद्धि देखने को मिल सकती है।
- **वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति:** बढ़ती ऊर्जा मांग और तेजी से बढ़ते निर्माण क्षेत्र के कारण, भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, भवन प्रमाणन कार्यक्रमों और यूरोपीय संघ के भवनों के ऊर्जा प्रदर्शन निर्देश द्वारा निर्धारित भवनों के लिये **वैश्विक ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन मानकों को पार करने का जोखिम है।**
  - UNEP **का 30% दक्षता सुधार लक्ष्य इस बात पर बल देता है कि** जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये वैश्विक भवन क्षेत्र को वर्ष **2030 तक अपनी ऊर्जा दक्षता में 30% सुधार करना होगा।**

- **कम परिचालन लागत:** HPB अनुकूलन के परिणामस्वरूप **23% ऊर्जा उपयोग को न्यूनतम करना, 28% जल उपयोग को न्यूनतम करना,** तथा 23% तक भवन परिचालन व्यय भी न्यूनतम हो सकता है।
- **उत्पादकता में सुधार:** स्वस्थ आंतरिक वातावरण उपलब्ध कराने से **निवासियों की संतुष्टि बढ़ती है,** उत्पादकता बढ़ती है तथा उत्पन्न होने वाले रोगों की अनुपस्थिति भी बढ़ती है।

HPB से संबंधित उपकरण क्या हैं ?

- **लेडीबग: यह** दृश्य, सूर्यपथ और विकिरण विश्लेषण के माध्यम से डिज़ाइन संबंधी विकल्पों का आकलन करने के लिये **2D और 3D इंटरैक्टिव ग्राफिक्स में** विस्तृत **जलवायु विश्लेषण** और डेटा प्रदान करता है।
- **ग्रीन बिल्डिंग स्टूडियो:** यह एक **क्लाउड-आधारित सेवा है,** जो ऊर्जा अनुकूलन हेतु बिल्डिंग परफॉरमेंस सिमुलेशन चला सकती है।

नोट :

- **कोव.टूल्स:** यह **आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों को संधारणीय डिज़ाइन का समाधान** प्राप्त करने के लिये डेटा-संचालित डिज़ाइन का उपयोग करने की अनुमति देता है।
- **क्लाइमेट स्टूडियो:** यह **दिन के प्रकाश, ऊर्जा दक्षता, तापीय सहिष्णु** और अधिवासित लोगों के स्वास्थ्य के अन्य उपायों के लिये सिमुलेशन के लिये सबसे अच्छा काम करता है।

भारत में HPB के उल्लेखनीय उदाहरण

- **ग्रेटर नोएडा में उन्नति बिल्डिंग:** इस HPB में **तापीय सहिष्णु और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिये सूर्यपथ** के अनुसार डिज़ाइन किया गया एक **अग्रभाग** है। इमारत में चमक को कम करने और ऊर्जा प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये न्यूनतम सौर ताप के लाभ गुणांक के साथ उच्च प्रदर्शन वाले ग्लास का उपयोग किया गया है।
- **नई दिल्ली में इंदिरा पर्यावरण भवन:** इस भवन में **उन्नत HVAC सिस्टम का उपयोग किया गया है,** जो छत में बीम के माध्यम से **शीतल जल प्रसारित करता है, तथा ऊर्जा की खपत को कम करने के लिये प्राकृतिक संवहन का उपयोग करता है।**
- **शुद्ध-शून्य और ग्रिड-इंटरैक्टिव बिल्डिंग: भारत में HPB शुद्ध-शून्य इमारतों** के लिये भी मार्ग तैयार कर रहे हैं, जो उतनी ही ऊर्जा और जल उत्पन्न करते हैं जितनी वे खपत करते हैं, ग्रिड-इंटरैक्टिव बिल्डिंग, जो ऊर्जा की मांग को गतिशील रूप से प्रबंधित करती हैं।

हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग के निर्माण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **परिचालन संबंधी अनदेखी:** डेवलपर्स आमतौर पर **प्रारंभिक परियोजना लागत, कार्यक्रम और डिज़ाइन के दायरे को प्राथमिकता देते हैं,** तथा परिचालन अवस्था और दीर्घकालिक ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और रखरखाव को नज़रअंदाज कर देते हैं।
- **विविध प्रकार के भवन:** कार्यालय भवन **प्रकार, लागत, सेवाओं और आराम के स्तर के संदर्भ में बहुत भिन्न होते हैं।**
  - कुछ इमारतों में **विकेन्द्रीकृत शीतलन प्रणालियाँ होती** हैं जो ऊर्जा कुशल नहीं होती हैं, जबकि कुछ इमारतें **केंद्रीयकृत वातानुकूलित होती हैं,** इनमें हाई ग्लेज़िंग देखने को मिलती है, तथा ऊर्जा की खपत भी अधिक होती है।
- **विभाजन:** ऊर्जा बचत परियोजनाओं को अक्सर कम समर्थन मिलता है क्योंकि ऊर्जा दक्षता सुधारों से किसे लाभ मिलता है, इस पर मतभेद है। उदाहरण के लिये, मालिकों या किरायेदारों द्वारा रखरखाव।
- **स्वदेशी ज्ञान का क्षरण:** क्षेत्र-विशिष्ट विधियां, जो **लागत प्रभावी हैं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं, विदेशी प्रौद्योगिकियों पर अत्यधिक निर्भरता** के कारण लुप्त हो रही हैं, जो भारतीय संदर्भ में उतनी कुशल नहीं हो सकती हैं।
- **सिलोइड बिल्डिंग सिस्टम:** बिल्डिंग डिज़ाइन, निर्माण और संचालन को प्राय: अलग-अलग माना जाता है। यह **खंडित दृष्टिकोण** उन तकनीकों के एकीकरण को रोकता है जो समग्र बिल्डिंग परफॉरमेंस को बेहतर बना सकते हैं।

बिल्डिंग में ऊर्जा दक्षता के संबंध में भारत की क्या पहल हैं?

- इको-निवास संहिता
- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC)
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022
- नीरमन पुरस्कार
- एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिये ग्रीन रेटिंग (गृह)

भारत में हाई परफॉरमेंस बिल्डिंग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है?

- **आवरण और निष्क्रिय प्रणालियाँ: दीवार, खिड़कियाँ, छत संयोजन, परावर्तक सफेद सतहें और छाया जैसी** आवरण संबंधी रणनीतियाँ सौर ताप के जोखिम से बचा सकती हैं, और जहाँ संभव हो, प्राकृतिक वेंटिलेशन का समर्थन कर सकती हैं।
- **एकीकृत दृष्टिकोण:** एक जीवनचक्र निष्पादन आश्वासन प्रक्रिया जो **भवन संबंधी प्रणालियों के एकीकरण पर बल देती है,** उसे पारंपरिक और एकाकी पद्धतियों का स्थान लेना चाहिये।
- **समग्र मूल्यांकन:** एक **ट्रिपल-बॉटम-लाइन ढाँचे को अपनाना जो परिचालन, पर्यावरणीय और मानवीय लाभों** के आधार पर भवन संबंधी प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों का मूल्यांकन करता है।
  - इस ढाँचे में ऊर्जा बचत, न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा निवासियों के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार पर विचार किया जाना चाहिये।
- **सहयोगात्मक ऊर्जा दक्षता पहल:** मालिकों और किरायेदारों के बीच सहयोगात्मक पहल को प्रोत्साहित करना जो ऊर्जा दक्षता उन्नयन में उनके हितों को संरेखित करते हैं, तथा स्थिरता लक्ष्यों के लिये साझा प्रतिबद्धता का निर्माण करते हैं।
- **अनुकूलित रणनीतियाँ: क्षेत्र-विशिष्ट, जलवायु-उत्तरदायी** समाधानों जैसे उच्च-प्रदर्शन आवरण डिज़ाइन, कम-ऊर्जा शीतलन रणनीतियाँ और अनुकूली कम्फर्ट तकनीक का समर्थन करना।
- **हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम (HVAC):** उन स्थानों को अलग करना, जहाँ **प्राकृतिक रूप से वेंटिलेशन हो सकता है** और सभी निर्मित स्थानों को हर समय पूर्ण रूप से वातानुकूलित करने के बजाय, मिश्रित-मोड के अवसर विकसित करना।

नोट :

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) **की** लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 **के** अनुसार, केवल 50 वर्षों (1970-2020) में निगरानी की गई वन्यजीव आबादी के औसत आकार में 73% की गिरावट आई है।

- सबसे **अधिक गिरावट मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्रों (85%) में** दर्ज की गई, उसके बाद **स्थलीय (69%) और समुद्री (56%) पारिस्थितिकी तंत्र** का स्थान रहा।

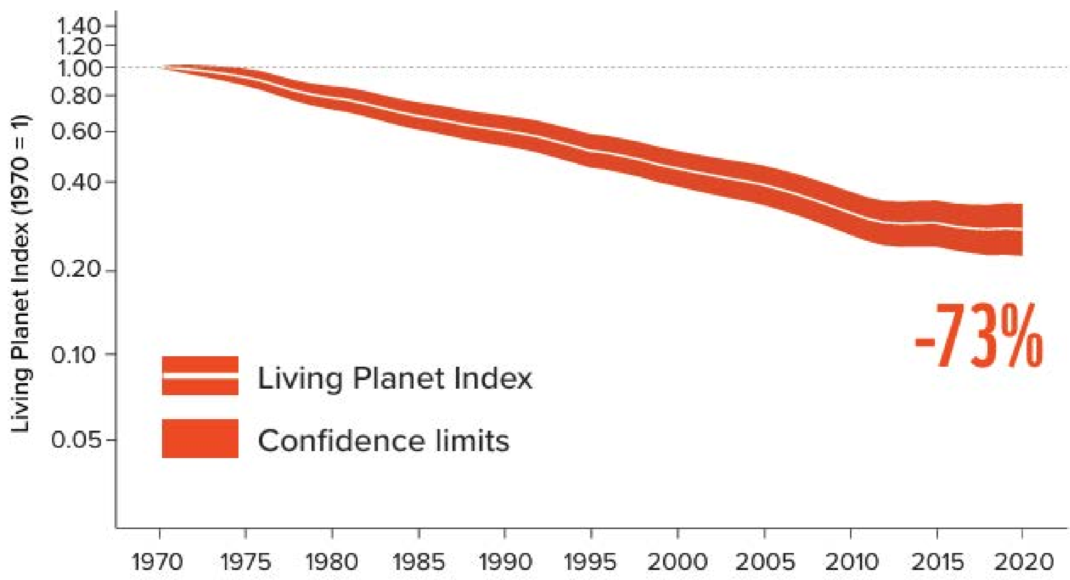

a. Global Living Planet Index

विश्व वन्यजीव प्रकृति कोष

- यह **विश्व का अग्रणी संरक्षण संगठन है** और 100 से अधिक देशों में कार्यरत है।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है **जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी** और **इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विटजरलैंड में है।**
- इसका **मिशन प्रकृति का संरक्षण करना** और पृथ्वी पर जीवन की विविधता के समक्ष खतरों को कम करना है।
- WWF विश्व भर के लोगों के साथ हर स्तर पर सहयोग करता है ताकि ऐसे नवोन्मेषी समाधान विकसित किये जा सकें जिससे समुदायों, वन्यजीवों एवं उनके निवास स्थानों की रक्षा हो सके।
  - **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (जिसे सामान्यत: WWF-इंडिया** के नाम से जाना जाता है) **की स्थापना वर्ष 1969 में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई थी।**
  - यह एक **स्वायत्त संरचना के माध्यम से कार्य करता है** जिसका **सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है** तथा इसके कार्यालय पूरे भारत में फैले हुए हैं।

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट क्या है और इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **परिचय:**
  - WWF द्वारा वन्यजीव आबादी में औसत रुझानों को ट्रैक करने के लिये **लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (LPI) का उपयोग किया जाता है।** इसमें समय के साथ प्रजातियों की आबादी के आकार में होने वाले व्यापक बदलावों पर नज़र रखी जाती है।

- **ज़ूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन (ZSL)** द्वारा जारी लिविंग प्लैनेट इंडेक्स में वर्ष 1970 से 2020 तक 5,495 प्रजातियों की लगभग 35,000 कशेरुकी आबादी की निगरानी की गई है।
- यह विलुप्त होने के जोखिमों के संदर्भ में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है और पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य एवं दक्षता का मूल्यांकन करने में भी मदद करता है।

- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - **जनसंख्या में उल्लेखनीय गिरावट:** निगरानी किये गये वन्यजीवों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट **लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (95%), अफ्रीका (76%) एवं एशिया-प्रशांत (60%)** तथा मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्रों (85%) में दर्ज की गई है।
  - **वन्यजीवों के लिये प्राथमिक खतरे: आवास की हानि और क्षरण को** विश्व भर में **वन्यजीव आबादी के लिये** सबसे बड़ा खतरा बताया गया है इसके बाद **अतिदोहन, आक्रामक प्रजातियों और रोग** को शामिल किया गया है।
  - **पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक:** वन्यजीव आबादी में गिरावट, विलुप्त होने के बढ़ते जोखिम और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की हानि को **प्रारंभिक चेतावनी संकेतक के रूप में देखा जा सकता है।**
    - क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र काफी अधिक संवेदनशील होने के साथ अपरिवर्तनीय परिवर्तन की ओर ले जाते हैं।
    - **उदाहरण के लिये, ब्राज़ील के अटलांटिक वन** में किये गए एक अध्ययन से पता चलता है कि **बड़े फल खाने वाले जानवरों की कमी के कारण** बड़े बीज वाले वृक्षों के **बीजों का फैलाव कम हो गया** है, जिससे कार्बन भंडारण प्रभावित हुआ है।
  - **WWF ने चेतावनी दी है कि इस घटना से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया** के वनों में 2-12% कार्बन भंडारण की हानि हो सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के बीच उनकी कार्बन भंडारण क्षमता कम हो जाएगी।
  - **क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र की भेद्यता: वर्ष** 2030 तक प्रकृति को पुन:स्थापित करने के लिये वैश्विक समझौते और समाधान मौजूद हैं, लेकिन अभी तक **प्रगति सीमित रही है, तथा तत्परता का अभाव रहा।**
    - **वर्ष 2030 के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों** में से आधे से अधिक के अपने लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना नहीं है, तथा 30% लक्ष्य पूर्व में ही प्राप्त नहीं कर पाए हैं या उनकी स्थिति वर्ष 2015 की आधार स्तर से भी बदतर है।

- **आर्थिक प्रभाव:** वैश्विक स्तर पर **सकल घरेलू उत्पाद** का आधे से अधिक (55%) भाग मध्यम या अत्यधिक रूप से प्रकृति और उसकी सेवाओं पर निर्भर है।
  - रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यदि भारत के आहार मॉडल को विश्व भर में **अपनाया गया तो वर्ष 2050 तक विश्व को खाद्यान्न उत्पादन के लिये पृथ्वी के केवल 0.84 भाग की आवश्यकता होगी।**
- **जैव विविधता के लिये संकट:**
  - **पर्यावास क्षरण और हानि: वनोन्मूलन, शहरीकरण** और कृषि विस्तार **आवास विनष्ट के प्रमुख कारण हैं।** ये गतिविधियाँ **पारिस्थितिकी तंत्र को खंडित करती हैं, जिससे प्रजातियों के पास जीवित रहने के लिये न्यूनतम स्थान और संसाधन अधिशेष रहते हैं।**
    - सैक्रामेंटो **नदी में शीतकालीन चिनूक सैल्मन की आबादी वर्ष** 1950 और वर्ष 2020 के बीच 88% कम हो गई, जिसका मुख्य कारण बाँधों द्वारा उनके प्रवासी मार्गों को बाधित करना था।
  - **अत्यधिक दोहन:** वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु अत्यधिक शिकार, मत्स्याग्रह और लकड़ी काटना, **वन्यजीवों की आबादी को** उनकी आपूर्ति से पूर्व ही तेजी से कम कर रहा है, जिससे विभिन्न प्रजातियाँ विलुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं।
    - अफ्रीका में, **हाथीदाँत के व्यापार के लिये अवैध शिकार** के कारण वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक **मिन्केबे राष्ट्रीय उद्यान में वन्य हाथियों की आबादी में 78-81% की कमी आई है।**
  - **आक्रामक प्रजातियाँ:** मनुष्यों द्वारा लाई गई गैर-देशी प्रजातियाँ प्राय: संसाधनों के लिये स्थानीय प्रजातियों से प्रतिस्पर्द्धा करती हैं, **जिससे पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो जाता है और जैवविविधता कम हो जाती है।**
  - **जलवायु परिवर्तन:** तापमान वृद्धि, बदलते जलवायु पैटर्न और चरम मौसमी घटनाएँ **पर्यावासों में बदलाव कर रही हैं, जिससे उन प्रजातियों को खतरा हो रहा है** जो शीघ्र अनुकूलन नहीं कर सकती हैं।
    - **वनाग्नि की अवधि** लंबी होती जा रही है, तथा अत्यधिक आग की घटनाएँ अधिक देखने को मिल रही हैं, यहाँ तक कि **आर्कटिक सर्कल तक भी पहुँच रही हैं।**
  - **प्रदूषण:** औद्योगिक अपशिष्ट, **प्लास्टिक प्रदूषण और कृषि अपवाह ने** पारिस्थितिक तंत्र को दूषित कर दिया है, वन्य जीवन को विषाक्त कर दिया है और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संतुलन को बिगाड़ दिया है।

- **क्रिटिकल टिपिंग प्वाइंट्स:** ये **पारिस्थितिक तंत्रों में अपरिवर्तन को संदर्भित करते हैं,** जिनके स्तर में एक बार बदलाव होने पर **पारिस्थितिक तंत्रों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं।**
  - **प्रवाल भित्तियों का विरंजन:** प्रवाल भित्तियों के बड़े पैमाने पर नष्ट होने से **मत्स्य पालन और तटीय सुरक्षा नष्ट हो सकती है,** जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे।
  - **अमेज़न वर्षावन:** निरंतर वनोन्मूलन से **वैश्विक जलवायु पैटर्न बाधित हो सकता है, जिससे** भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित हो सकता है तथा जलवायु परिवर्तन तीव्र हो सकता है।
  - **ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिक की बर्फ का पिघलना:** हिम परतों के पिघलने से **समुद्र का स्तर काफी बढ़ जाएगा,** जिसका वैश्विक स्तर पर तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा।
  - **महासागरीय परिसंचरण:** महासागरीय धाराओं के पतन से **यूरोप और उत्तरी अमेरिका की जलवायु में परिवर्तन हो सकता है।**
  - **पर्माफ्रॉस्ट पिघलना:** वृहद स्तर पर पिघलने से भारी मात्रा में **मीथेन और कार्बन उत्सर्जित हो सकता है,** जिससे ग्लोबल वार्मिंग में तीव्रता आएगी।

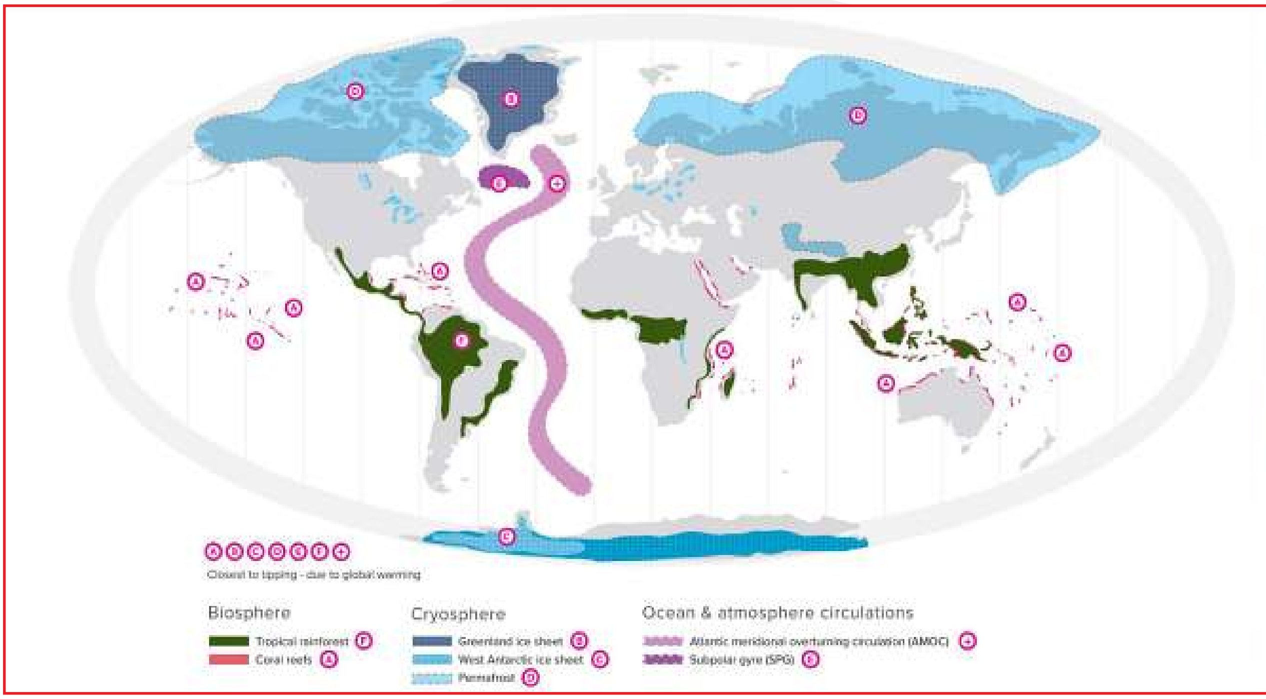

जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **परस्पर विरोधी प्राथमिकताएँ: आर्थिक विकास के साथ संरक्षण को** संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहाँ **अल्पकालिक आर्थिक लाभ** दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता पर प्राथमिकता अधिग्रहीत कर लेते हैं।
- **संसाधन आवंटन:** सीमित वित्तीय संसाधन और प्रतिस्पर्द्धी बजट संबंधी प्राथमिकताओं के कारण **सरकारों के लिये** सामाजिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए बड़े पैमाने पर **जैवविविधता संरक्षण प्रयासों में निवेश करना कठिन हो जाता है।**
- **कृषि विस्तार:** खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा करना पर्यावास संरक्षण के विपरीत हो सकता है, क्योंकि **कृषि से** जैवविविधता हॉटस्पॉट वाले **क्षेत्र में अतिक्रमण हो सकता है।**
- **ऊर्जा परिवर्तन में समस्या:** नवकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव से भूमि-उपयोग में परिवर्तन (जैसे, सौर फार्म, पवन टर्बाइन) के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आवश्यकताओं के बीच संतुलन बिगड़ सकता है।
- **नीति और प्रवर्तन में अंतराल:** वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कमज़ोर संस्थागत ढाँचे और **पर्यावरणीय नियमों का असंगत प्रवर्तन प्रभावी जैवविविधता संरक्षण में बाधा डालता है,** जिससे अस्थिर प्रथाओं को अनियंत्रित रूप से जारी रहने का मौका मिलता है।

आगे की राह

- **संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना: संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करना, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना** और संरक्षण प्रयासों में स्वदेशी लोगों का समर्थन करके संरक्षण पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ाना और उसमें सुधार करना।
- **खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन:** सतत् कृषि पद्धतियों को अपनाना, खाद्य अपशिष्ट को कम करना, तथा जैवविविधता पर खाद्य उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये **पौध-आधारित आहार को बढ़ावा देना।**
- **ऊर्जा संक्रमण:** पारिस्थितिकी तंत्र की न्यूनतम क्षति सुनिश्चित करते हुए, **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना** और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करते हुए **नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव को** तेज करना।
- **वित्त प्रणाली में सुधार:** वित्तीय निवेश को हानिकारक उद्योगों से हटाकर **प्रकृति-सकारात्मक और संधारणीय गतिविधियों की ओर पुनर्निर्देशित करना,** जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित हो सके।
- **वैश्विक सहयोग:** वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये **जलवायु, प्रकृति और विकास नीतियों को संरेखित करते हुए जैवविविधता संरक्षण** पर मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

CBD के अंतर्गत भारत का जैवविविधता लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत ने कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क (KMGBF) के साथ संरेखित करते हुए **जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBF)** में अपने **राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य प्रस्तुत करने की योजना बनाई है।**

- **CBD का अनुच्छेद 6** सभी पक्षकारों से जैवविविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग के लिये **राष्ट्रीय रणनीति, योजना या कार्यक्रम तैयार करने का आह्वान करता है।**
- **भारत द्वारा कोलंबिया के कैली** में आयोजित होने वाले CBD के पक्षकारों के **16वें सम्मेलन (CBD-COP 16)** में अपने **23 जैवविविधता लक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।**

CBD के अंतर्गत भारत का जैवविविधता लक्ष्य क्या है?

- **संरक्षण क्षेत्र:** जैवविविधता को बढ़ाने के लिये **30%** क्षेत्रों को प्रभावी रूप से **संरक्षित करने का लक्ष्य।**
- **आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन: आक्रामक विदेशज प्रजातियों** के प्रवेश और स्थापना में **50% की कमी का लक्ष्य।**
- **अधिकार और भागीदारी: जैवविविधता संरक्षण प्रयासों में स्वदेशी लोगों,** स्थानीय समुदायों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी और अधिकारों को सुनिश्चित करना।
- **सतत् उपभोग:** सतत् उपभोग विकल्पों को सक्षम बनाना और **खाद्य अपशिष्ट को आधे से कम करना।**
- **लाभ साझाकरण:** आनुवंशिक संसाधनों, डिजिटल अनुक्रम की जानकारी और संबंधित **पारंपरिक ज्ञान से लाभ के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण को बढ़ावा देना।**
- **प्रदूषण में कमी: प्रदूषण को कम करने, पोषक तत्वों की हानि** और कीटनाशक जोखिम को आधा करने के लिये प्रतिबद्ध।
- **जैवविविधता नियोजन:** यह सुनिश्चित करना कि उच्च जैवविविधता महत्त्व वाले क्षेत्रों की हानि को कम करने के लिये सभी क्षेत्रों का प्रबंधन किया जाए।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क (KMGBF) क्या है?

- **परिचय:** यह एक बहुपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर **जैवविविधता की हानि को रोकना है।**
  - इसे **दिसंबर 2022 में** कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (CoP) की **15वीं बैठक** के दौरान अपनाया गया था।
  - यह **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) का समर्थन करता है, जो जैवविविधता के लिये रणनीतिक योजना वर्ष 2011-2020** से प्राप्त उपलब्धियों और सबक पर आधारित है।
- **उद्देश्य और लक्ष्य:** यह सुनिश्चित करता है कि वर्ष **2030 तक क्षीण हो चुके स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तथा समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र** के कम-से-कम **30% क्षेत्रों का** प्रभावी पुनर्स्थापन हो जाए।
  - इसमें वर्ष 2030 तक के दशक में तत्काल कार्रवाई के लिये **23 क्रिया-उन्मुख** वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं, जो वर्ष 2050 तक परिणाम-उन्मुख लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाएँगे।
  - यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि यह लक्ष्य **सामूहिक वैश्विक प्रयासों को संदर्भित करता है** न कि **प्रत्येक देश द्वारा** अपने भूमि और जल क्षेत्र का **30%** आवंटित करने की आवश्यकता को।
- **दीर्घकालिक दृष्टिकोण:** इस रूपरेखा में यह परिकल्पना की गई है कि वर्ष **2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित** करने के लिये सामूहिक प्रतिबद्धता होगी, जो जैवविविधता संरक्षण और सतत् उपयोग पर वर्तमान कार्यों और नीतियों के लिये एक आधारभूत मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगी।

जैवविविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वाँ सम्मेलन (CBD COP 15)

- जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CBD) 1993 – जैवविविधता के संरक्षण के लिये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि
- CBD के पक्षकारों का सम्मेलन अभिसमय का शासी निकाय है

पक्षकारों का सम्मेलन–COP

COP 1 (1994)
- नसाऊ, बहामास
- 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के रूप में प्रस्तावित किया गया

EXCOP 1
- UN CBD COP की पहली विशेष बैठक
- कार्टाजेना, कोलंबिया (फरवरी 1999) और मॉन्ट्रियल, कनाडा (जनवरी 2000)
- जैवसुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया

COP 8 (2006)
- कुर्तीबा, ब्राजील
- ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक (GBO) रिपोर्ट 2 (वर्ष 2001 में GBO 1)

COP 5 (2000)
- नैरोबी, केन्या
- UNGA ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के रूप में अपनाया

COP 10 (2010)
- नागोया, जापान
- नागोया प्रोटोकॉल (अनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच और लाभों का समुचित एवं समान साझाकरण) को अपनाया गया
- जैवविविधता के लिये रणनीतिक योजना 2011-20 और आइची जैवविविधता लक्ष्य
- ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक (GBO) रिपोर्ट 3

COP 6 (2002)
- हेग, नीदरलैंड्स
- ग्लोबल टैक्सोनॉमी इनिशिएटिव, ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन को अपनाया गया

COP 11 (2012)
- हैदराबाद, भारत

COP 14
- शर्म अल शेख, मिस्र

COP 15

चरण–I
- कुनमिंग, चीन में आयोजित किया गया (अक्तूबर 2021)
- थीम- पारिस्थितिक सभ्यता: पृथ्वी पर सभी जीवन के लिये एक साझा भविष्य का निर्माण (Ecological Civilization% Building a Shared Future for All Life on Earth)
- कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड

चरण–II
- मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित किया गया
- 2020 के बाद वैश्विक जैवविविधता रूपरेखा (Post 2020 Global Biodiversity Framework)- 4 लक्ष्य तथा 23 उद्देश्य, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है
- 30 इज 30 लक्ष्य- 2030 तक स्थलीय, आंतरिक और तटीय और समुद्री क्षेत्रों का कम-से-कम 30 प्रतिशत प्रभावी ढंग से संरक्षित और प्रबंधित करना
- किसी भी देश ने अपनी सीमाओं के भीतर सभी 20 आइची लक्ष्यों (जो 2020 में समाप्त हुए) को पूरा नहीं किया

नोट :

राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्यों (NBT) का विकास:

- **आईची जैवविविधता लक्ष्य:** CBD दायित्वों के तत्त्वाधान में, **भारत ने 12 राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य (NBT) विकसित किये हैं** जो पिछले **आईची जैवविविधता लक्ष्य (2011-2020) के अनुरूप हैं।**
- **राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना (NBAP):** इनकी शुरूआत मूल रूप से **वर्ष 2008** में की गई थी तथा आईची जैवविविधता लक्ष्यों को शामिल करने के लिये **वर्ष 2014** में संशोधन किया गया था।
- **निगरानी:** NBT को प्राप्त करने के लिये रोडमैप प्रदान करने हेतु भारत द्वारा संबद्ध संकेतक और निगरानी ढाँचा भी विकसित किया गया है।

भारत नए जैवविविधता लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकता है?

- **पर्यावास संपर्क: भारत को घास के मैदानों, आर्द्रभूमियों और समुद्री घास के मैदानों** जैसे उपेक्षित पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
  - **व्यापक परिदृश्यों** और **समुद्री परिदृश्यों से एकीकृत** बेहतरीन संरक्षित क्षेत्रीय प्रजातियों के आवागमन को सुविधाजनक बना सकते हैं जिससे जैवविविधता में वृद्धि हो सकती है।
- **वित्तीय संसाधन जुटाना: भारत को** अपनी राष्ट्रीय जैवविविधता संबंधी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिये विकसित देशों से **वित्तीय सहायता** का समर्थन जारी रखनी चाहिये।
  - GBF ने विकसित देशों से आह्वान किया है, कि वे विकासशील देशों में जैवविविधता संबंधी पहल के लिये वर्ष **2025 तक कम-से-कम 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष तथा वर्ष 2030 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष एकत्रित करें।**
- **सह-प्रबंधन मॉडल:** संरक्षण प्रक्रिया में **स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को** शामिल करने वाले सह-प्रबंधन ढाँचे का विकास करने से सामुदायिक आजीविका को बनाए रखते हुए संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है।
- **OECM को केंद्रित होना:** पारंपरिक संरक्षित क्षेत्रों से ध्यान हटाकर **अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (OECM)** पर ध्यान केंद्रित करने से मानव गतिविधि पर कम प्रतिबंध वाले क्षेत्रों में जैवविविधता के संरक्षण की अनुमति मिलती है।
  - इसमें पारंपरिक **कृषि प्रणालियों और निज़ी स्वामित्व वाली भूमि को समर्थन देना शामिल है,** जो संरक्षण लक्ष्यों में योगदान देती हैं।
- **कृषि सब्सिडी में सुधार: भारत को कीटनाशकों के उपयोग** जैसी हानिकारक प्रथाओं से समर्थन हटाकर ऐसे स्थायी विकल्पों की ओर ध्यान देना चाहिये, जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा दें।
- **पिछले लक्ष्यों के साथ संरेखण:** मौजूदा **राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना (NBAP) पर निर्माण और इसे** GBF के नए **23 लक्ष्यों के साथ संरेखित करने से भारत में जैवविविधता संरक्षण के लिये एक सुसंगत रणनीति तैयार होगी।**

निष्कर्ष

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता ढाँचे के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, इसके 23 जैवविविधता लक्ष्यों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिये एक **रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है।** उपेक्षित पर्यावासों को प्राथमिकता देने, संसाधनों को जुटाने और सब्सिडी में सुधार करने, हेतु भारत वर्ष 2030 तक अपने जैवविविधता लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है।

■■■

सामाजिक न्याय

नमस्ते योजना

चर्चा में क्यों?

3,000 से अधिक **शहरी स्थानीय निकायों (ULB)** से प्राप्त हालिया सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि **नमस्ते योजना** के तहत भारत के शहरों में जोखिमपूर्ण सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में शामिल **38,000 मैनुअल स्कैवेंजरों और श्रमिकों में से 92% अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST)** या **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** समुदायों से संबंधित हैं।

- यह **जाति-आधारित व्यावसायिक पृथक्करण** और हाथ से मैला ढोने वाले इन कर्मचारियों के समक्ष आने वाले खतरों को उजागर करता है।

परिभाषा

- **मैनुअल स्कैवेंजर:** मैनुअल स्कैवेंजर वह व्यक्ति होता है जिसे अस्वास्थ्यकर शौचालयों, खुली नालियों, गड्ढों या रेलवे पटरियों से मानव मल को पूर्ण रूप से सड़ने से पहले हाथ से साफ करने, ले जाने या बटोरने के लिये नियुक्त किया जाता है, जैसा कि **मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR) में उल्लिखित है।**
- **जोखिमपूर्ण सफाई:** इसका तात्पर्य पर्याप्त सुरक्षात्मक उपकरण के बिना सीवर या सेप्टिक टैंक की मैन्युअल सफाई से है।
- **स्वच्छता कर्मी/सफाई कर्मचारी:** स्वच्छता कार्य में नियोजित व्यक्ति, जिनमें कचरा बीनने वाले और सीवर/सेप्टिक टैंक साफ करने वाले लोग शामिल हैं, परंतु घरेलू कामगार इसमें शामिल नहीं हैं।
- **सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिक (SSW):** सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में लगे श्रमिक।
- **सीवर एंट्री प्रोफेशनल्स (SEP):** प्रशिक्षित सफाई कर्मचारी जो **अनुमति और उचित सुरक्षा उपकरणों के साथ सीवर/सेप्टिक टैंकों की सफाई करते हैं,** उन्हें SEP के रूप में पहचाना जाता है।

नमस्ते योजना क्या है?

- राष्ट्रीय **मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र (नमस्ते) योजना: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MOSJE)** एवं **आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA)** की एक संयुक्त पहल, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने और सफाई कर्मचारी सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  - 349.70 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, नमस्ते का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक सभी 4800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है, जो **मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिये पूर्व की स्व-रोज़गार योजना (SRMS) का स्थान लेगी।**
  - नवीन संशोधित योजना के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित **सीवर/सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSW) की प्रोफाइलिंग की जाएगी।**
  - इन SSW को व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट और स्वास्थ्य बीमा **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) प्रदान करने का प्रस्ताव है।**
- **नमस्ते का लक्ष्य:** इसका लक्ष्य ULB द्वारा नियोजित SSW को प्रोफाइल करना, सुरक्षा प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करना तथा उन्हें **"सैनिप्रिन्योर्स" या स्वच्छता उद्यमियों में बदलने के लिये पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करना है,** जिससे स्वरोज़गार और औपचारिक रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा मिले।
  - इसका मुख्य उद्देश्य **सफाई कार्य में होने वाली मौतों को रोकना** तथा सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार लाना है।
    - संसद में पेश सरकारी आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 और वर्ष 2023 के बीच देश भर में **कम-से-कम 377 लोगों की मौत सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई से हुई है।**
- **प्रोफाइलिंग की प्रगति:** सितंबर 2024 तक 3,326 ULB ने लगभग 38,000 SSW की प्रोफाइलिंग की है। 283 ULB ने ज़ीरो SSW की सूचना दी, जबकि 2,364 ने 10 से न्यून SSW की सूचना दी।
- **राज्य स्तरीय प्रयास:** केरल और राजस्थान समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रोफाइलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है।
  - आंध्रप्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे 17 राज्य अभी भी इस प्रक्रिया में क्रियान्वित हैं।
  - तमिलनाडु और ओडिशा जैसे कुछ राज्य अपने अलग कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें वे केंद्र को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं।

- आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का अनुमान है कि शहरी जनसंख्या आँकड़ों और दशकीय वृद्धि दर के आधार पर, **वर्तमान में भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग 1,00,000 SSW कार्यरत हैं।**

मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है?

- **मैनुअल स्कैवेंजिंग (MS):** मैनुअल स्कैवेंजिंग (MS) से तात्पर्य सीवर या सेप्टिक टैंक में से हाथ से मानव मल को साफ करने की प्रथा से है। हालाँकि भारत में **PEMSR अधिनियम, 2013 के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है**, लेकिन यह प्रथा अभी भी जारी है।
  - यह अधिनियम **मानव मल की सफाई या प्रबंधन के लिये किसी को भी नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाता है तथा** परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसमें सेप्टिक टैंक, गड्ढों या रेलवे पटरियों की सफाई को भी शामिल करता है।
  - यह इस प्रथा को **"अमानवीय" मानता है** तथा मैनुअल स्कैवेंजरों द्वारा सामना किये गए ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने का प्रयास करता है।

MS को कम करने के प्रयास:

- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:**
  - **अनुच्छेद-14:** सभी नागरिकों के लिये विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करता है कि हाथ से मैला ढोने वालों को जाति या व्यवसाय के आधार पर **भेदभावपूर्ण प्रथाओं का सामना न करना पड़े।**
  - **अनुच्छेद-16:** सभी के लिये समान रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करता है, सरकारी नौकरियों में **जाति-आधारित भेदभाव पर रोक लगाता है**, मैनुअल स्कैवेंजरों के आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देता है।
  - **अनुच्छेद-17:** अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसे लागू करने वालों को दंडित करता है। यह **हाथ से मैला ढोने वालों को जाति-आधारित बहिष्कार** और कलंक से बचाता है।
  - **अनुच्छेद-21:** सम्मान के साथ जीने के अधिकार को सुनिश्चित करता है तथा मैनुअल स्कैवेंजरों को अमानवीय कार्य से सुरक्षा की मांग करने के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है।
  - **अनुच्छेद 23:** बलात श्रम के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि मैनुअल स्कैवेंजरों को उचित वेतन या सुरक्षा मानकों के बिना कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिये मज़बूर नहीं किया जा सकता।

कानूनी ढाँचा:

- **मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:** यह अधिनियम अस्वास्थ्यकर शौचालयों के निर्माण समेत मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाता है, ऐसे शौचालयों को खत्म करने या स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने का आदेश देता है।
  - इसमें कौशल विकास, वित्तीय सहायता और वैकल्पिक रोज़गार के माध्यम से मैनुअल स्कैवेंजरों की पहचान और पुनर्वास का भी प्रावधान है।
- **SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** यह अनुसूचित जातियों के लोगों को हाथ से मैला ढोने के काम में लगाने को अपराध बनाता है।

सरकारी पहल और योजनाएँ:

- **मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिये स्वरोज़गार योजना (SESRM):** यह योजना पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजरों को स्वरोज़गार अपनाने में सहायता प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC): NSKFDC सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये रियायती ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - **राष्ट्रीय गरिमा अभियान:** यह **मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को समाप्त करने और** मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिये एक राष्ट्रीय अभियान है।
- **स्वच्छ भारत मिशन 2.0:** यह शहरी स्थानीय निकायों को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहित करता है, तथा मशीनीकरण और सुरक्षात्मक उपायों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- स्वच्छ भारत मिशन के एक भाग के रूप में शुरू की गई **सफाईमित्र सुरक्षा चुनौती (SFC)** इस पहल का उद्देश्य शहरों को सीवर सफाई के लिये मशीनीकरण करने तथा मानवीय हस्तक्षेप को कम करके मृत्यु दर को रोकने के लिये प्रोत्साहित करना है।
  - **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM): इसके दिशानिर्देशों में सुझाया गया है कि गठित स्वयं सहायता समूह (SHG)** में कम-से-कम 10% सदस्य सफाई कर्मियों समेत कमज़ोर व्यवसायों में लगे व्यक्ति होने चाहिये।
    - इसके बाद इन स्वयं सहायता समूहों को अपना उद्यम चलाने का अधिकार मिल जाएगा।

नोट :

जाति-आधारित व्यवसाय भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग को किस प्रकार कायम रखता है?

- **जाति पदानुक्रम और सामाजिक भेदभाव:** भारतीय वर्ण व्यवस्था में दलित सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर हैं। उन्हें अक्सर "**प्रदूषणकारी" माने जाने वाले कार्यों से जोड़ा जाता है, जैसे कि मानव मल को साफ करना।**
  - यह जाति-आधारित भेदभाव न केवल उन्हें मुख्यधारा के समाज से बहिष्कृत करता है, बल्कि **उन्हें शोषणकारी श्रम प्रथाओं के अधीन भी करता है।**
  - उनके काम से जुड़ा कलंक उनकी हाशिये पर स्थिति को और बढ़ा देता है, क्योंकि उन्हें ऊँची जातियों के अलावा कभी-कभी अपने समुदायों के भीतर भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **जजमानी प्रणाली और विरासत में मिले व्यवसाय:** पारंपरिक **जजमानी प्रणाली, जो विरासत में मिली जाति-आधारित भूमिकाओं को मज़बूत करती है,** मैनुअल स्कैवेंजिंग को कायम रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - यह विरासत उनके समुदायों में **मैनुअल स्कैवेंजिंग को सामान्य बना देती है,** जिससे इन व्यवसायों से बचना मुश्किल हो जाता है।
- **विकल्पों की कमी:** कई दलितों को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिये काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई **व्यावहारिक विकल्प नहीं है।** परिवार अल्प खाद्यान्न पर निर्भर हैं, क्योंकि **जातिगत भेदभाव के कारण रोज़गार के अवसर सीमित हो जाते हैं,** जिससे निर्धनता और बहिष्कार कायम रहता है।
- **संरचनात्मक बाधाएँ और भेदभाव:** नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 **जैसे** विधिक ढाँचों का उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव को रोकना है, लेकिन इसका प्रवर्तन कमज़ोर है। PEMSR अधिनियम, 2013 की शुरुआत के बावजूद, **दोषसिद्धि दर बहुत कम है, जिससे समस्या और भी बढ़ गई है।**
- मैनुअल स्कैवेंजरों को अक्सर जल, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी **बुनियादी अधिकारों और सेवाओं तक पहुँच नहीं होती है, जिससे इस व्यवसाय की जातिगत प्रकृति मज़बूत होती है और वैकल्पिक आजीविका को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है।**
- शिक्षा में भेदभाव: मैला ढोने वाले परिवारों के बच्चों को स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक होती है। उन्हें अक्सर बहिष्कृत समझा जाता है, उन्हें धमकाया जाता है और मज़दूरी करने के लिये मज़बूर किया जाता है।
- भेदभाव का यह चक्र शिक्षा के अवसरों को सीमित करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि अगली पीढ़ी जाति-आधारित व्यवसायों में फँसी रहे।

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन और पुनर्वास की चुनौतियाँ क्या हैं?

- **समझ और जागरूकता की कमी:** PEMSR अधिनियम, 2013 में हाथ से मैला उठाने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। हालाँकि कई सरकारी अधिकारी भी **इस बात से अनजान हैं कि किसको हाथ से मैला उठाने वाला माना जाता है।**
  - प्राय: ये व्यक्ति सफाईकर्मी या सफाई कर्मचारी के पद पर काम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आँकड़े अदृश्य और दोषपूर्ण संग्रहीत होते हैं।
- **अस्वास्थ्यकर शौचालयों को खत्म करने में अकुशलता:** मैनुअल स्कैवेंजिंग का मूल कारण अस्वास्थ्यकर शौचालय हैं, जो धीमी और अप्रभावी प्रशासनिक कार्रवाइयों के कारण **अनदेखा रह जाते हैं।**
  - सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) 2011 के अनुसार, भारत में **दस लाख से अधिक अस्वास्थ्यकर शौचालय हैं,** जिनमें से कई में अभी भी **मल** (मानव मल के लिये शब्द, जो सीवर प्रणाली या सेप्टिक टैंक के बिना क्षेत्रों से एकत्र किया गया था) को **खुली नालियों में प्रवाहित किया जाता है और उन्हें मैन्युअल रूप से साफ किया जाता है।**
  - इन शौचालयों के अनिवार्य परिवर्तन या खत्म करने को सभी राज्यों में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है।
- **अपर्याप्त सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम:** अन्य क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद **भारत में अपशिष्ट जल प्रबंधन** और जल निकासी प्रणाली अविकसित बनी हुई है। आधुनिक सीवेज सिस्टम में खराब योजना और अपर्याप्त निवेश के कारण मैनुअल स्कैवेंजिंग की आवश्यकता बनी रहती है।

नोट :

- **कानूनी प्रतिबंधों को लागू करने में विफलता:** भारत सरकार उन लोगों को दंडित करने में अप्रभावी रही है, जो अवैध रूप से मैनुअल स्कैवेंजरों को नियुक्त करना जारी रखते हैं।
  - **मैनुअल स्कैवेंजर्स रोज़गार और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993** और PEMSR अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों की नियमित रूप से अनदेखी की जाती है, जिससे यह प्रथा जारी रहती है।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली तक पहुँचने में बाधाएँ:** दलितों और हाशिये के समुदायों को न्याय पाने में महत्त्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस अक्सर मैनुअल स्कैवेंजरों के खिलाफ अपराधों की जाँच करने से इनकार कर देती है, खासकर जब अपराधी प्रभावशाली जातियों से संबंधित हों।
- **यह प्रणालीगत पूर्वाग्रह विधिक सुरक्षा को कमज़ोर करता है** और पीड़ितों को निवारण मांगने से हतोत्साहित करता है।
- **नियोक्ताओं और समुदाय से उत्पीड़न:** मैनुअल स्कैवेंजर जो अपना पेशा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें अक्सर **धमकियों, शारीरिक हिंसा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।**
  - सामुदायिक दबाव और प्रमुख जाति समूहों के प्रतिशोध के कारण लोग शोषणकारी परिस्थितियों में फँसे रहते हैं, जिससे उनके लिये मैला ढोने का काम छोड़ना मुश्किल हो जाता है।
- **वैकल्पिक रोज़गार के अवसरों की कमी: मैनुअल स्कैवेंजर जीवित रहने के लिये दैनिक अनुदान पर निर्भर रहते हैं, जिससे वैकल्पिक आजीविका तक तत्काल पहुँच** के बिना इस व्यवसाय को छोड़ना मुश्किल हो जाता है।
  - जाति और लैंगिक भेदभाव समेत सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ, **नवीन रोज़गार हासिल करने की उनकी क्षमता को सीमित करती हैं। भ्रष्टाचार इन चुनौतियों को और बढ़ा देता है,** क्योंकि आरक्षित सरकारी पदों को पाने के लिये अक्सर रिश्वत की आवश्यकता होती है।
- **अपर्याप्त तिथि:** मैनुअल स्कैवेंजरों की संख्या की सही पहचान करने और उसका दस्तावेज़ीकरण करने में सरकारी सर्वेक्षण अप्रभावी रहे हैं।
  - विभिन्न स्रोतों से प्राप्त रिपोर्टों में विसंगतियाँ समस्या के न्यूनतम आकलन को उजागर करती हैं। व्यापक और नियमित सर्वेक्षणों के बिना, लक्षित हस्तक्षेप चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

आगे की राह

- **पुनर्वास को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना:** पुनर्वास कार्यक्रमों को **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)** और अन्य सामाजिक सुरक्षा कानूनों से जोड़ें। इससे मैला ढोने वाले समुदायों को रोज़गार तक पहुँच आसान होगी, जिससे इस प्रथा को समाप्त करने में मदद मिलेगी।
- **समन्वय को बढ़ावा देना: मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने** के लिये एकीकृत दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रमुख मंत्रालयों को शामिल करते हुए एक समन्वय समिति की स्थापना करना। गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों की भूमिका को मज़बूत करने से स्थानीय स्तर पर अधिनियम को लागू करने में सहायता मिल सकती है।
- **रेलवे की प्रथाओं पर ध्यान देना:** भारतीय रेलवे, जो **हाथ से मैला ढोने में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता है, को जैव-शौचालय** अपनाना चाहिये तथा जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये संसद को नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये।
- **लेखापरीक्षण तंत्र:** नमस्ते योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति का गठन करना तथा प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करने एवं उनका समाधान करने के लिये व्यापक सामाजिक लेखापरीक्षण करना।
- **विधायी ढाँचे में संशोधन:** हाथ से मैला ढोने वालों के लिये सुरक्षा बढ़ाने और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा कानूनों में संशोधन करना। निगरानी एजेंसियों के बीच जवाबदेही को प्रोत्साहित करना।
- **प्रौद्योगिकी और संसाधनों में निवेश:** उन्नत सफाई प्रौद्योगिकियों की खरीद के लिये स्थानीय प्राधिकारियों को पर्याप्त धनराशि आवंटित करना, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप कम हो और सफाई कर्मचारियों के लिये कार्य स्थितियों में सुधार हो।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन-सी प्रणालीगत बाधाएँ उत्पन्न होती हैं? संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिये।

IPC की धारा 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का दुरुपयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने कहा कि **भारतीय दंड संहिता की धारा 498A** (अब **भारतीय न्याय संहिता**) और **घरेलू हिंसा अधिनियम 2005**, सबसे अधिक दुरुपयोग किये जाने वाले कानूनों में शामिल हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498A क्या है?

- **भारतीय दंड संहिता की धारा 498A विवाहित महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का शिकार होने से बचाने** के लिये वर्ष 1983 में पेश की गई थी।
  - भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 84 इसी प्रावधान से संबंधित है।
- **दंड:**
  - अपराधी को तीन साल तक का कारावास हो सकता **है** और **जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।**
- **क्रूरता की परिभाषा:**
  - जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे **किसी स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने के साथ उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक)** गंभीर क्षति या खतरा होने की संभावना हो।
- **शिकायत दर्ज करना:**
  - इसके तहत शिकायत **अपराध से पीड़ित महिला या उसके रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण** संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है और यदि ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई लोक सेवक शिकायत दर्ज करा सकता है।
- **समय सीमा: कथित घटना के तीन वर्ष के अंदर** शिकायत दर्ज की जानी चाहिये।
- **संज्ञेय और गैर ज़मानती:** यह अपराध **संज्ञेय और गैर-जमानती** है, जिसका अर्थ है कि इसमें अभियुक्त की **तत्काल हिरासत** संभव है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 क्या है?

- **उद्देश्य:**
  - घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 **घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करने के लिये लागू किया गया था, जिसमें** पारिवारिक परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों की हिंसा को शामिल किया गया था।
- **घरेलू हिंसा की परिभाषा:**
  - इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए इसमें **शारीरिक, भावनात्मक, यौन, मौखिक और आर्थिक दुर्व्यवहार** को शामिल किया गया है।
  - इसमें **किसी महिला के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान या चोट** या ऐसी धमकी को शामिल किया गया है जिसमें जबरदस्ती, उत्पीड़न और संसाधनों या अधिकारों से वंचित करना शामिल है।
- **दायरा और कवरेज:**
  - इसमें घरेलू संबंधों में शामिल सभी महिलाएँ शामिल हैं जिनमें पत्नियाँ, माताएँ, बहनें, बेटियाँ और लिव-इन पार्टनर शामिल हैं।
  - यह महिलाओं को उनके पति, पुरुष साथी, रिश्तेदारों या घर के अन्य सदस्यों द्वारा की जाने वाली हिंसा से बचाता है।
- **निवास का अधिकार:**
  - यह अधिनियम महिलाओं को संपत्ति पर उनके कानूनी स्वामित्व या हक से परे **साझा घर में रहने** का अधिकार प्रदान करता है।
- **संरक्षण आदेश:**
  - घरेलू हिंसा के पीड़ित न्यायालय जा सकते हैं, जिससे **दुर्व्यवहार या हिंसा को रोकने के साथ** पीड़ित के कार्यस्थल या निवास में प्रवेश करने या पीड़ित के साथ किसी भी प्रकार का संचार या संपर्क करने से रोकने संबंधी मुद्दों का समाधान होता है।
- **मौद्रिक राहत और मुआवजा:**
  - इस अधिनियम के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा के कारण होने **वाली क्षति** (जिसमें चिकित्सा व्यय, आय की हानि या अन्य कोई वित्तीय हानि शामिल है) के लिये वित्तीय मुआवज़ा मांगने का अधिकार दिया गया है। न्यायालय पीड़ित को भरण-पोषण के भुगतान का निर्देश भी दे सकते हैं।
- **परामर्श और सहायता सेवाएँ:**
  - इस अधिनियम के तहत सुरक्षा चाहने वाली महिलाओं के लिये **विधिक सहायता, परामर्श, चिकित्सा सुविधाएँ और आश्रय गृह** (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी योजनाओं के तहत) सहित सहायक सेवाओं के प्रावधान को अनिवार्य बनाया गया है।
- **त्वरित न्यायिक प्रक्रिया:**
  - इस अधिनियम के तहत **घरेलू हिंसा के मामलों के समाधान के लिये समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।**
  - मजिस्ट्रेटों को 60 दिनों के अंदर शिकायतों का निपटारा करना आवश्यक है ताकि पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके।
- **गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की भूमिका:**
  - नागरिक समाज की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए यह अधिनियम गैर सरकारी संगठनों **और महिला संगठनों को शिकायत दर्ज करने** तथा पीड़ितों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने में सहायता करने की **अनुमति देता है।**

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को संदर्भित करती है, चाहे वह घर, परिवार या घरेलू इकाई की सीमा के भीतर शारीरिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक हो।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS), 2019-2021

- 29.3% विवाहित महिलाओं ने घरेलू/यौन हिंसा का अनुभव किया
- 3.1% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा
- 87% विवाहित महिलाओं, जो वैवाहिक हिंसा की शिकार हुई, ने मदद नहीं मांगी
- 32% विवाहित महिलाओं ने **शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा** का अनुभव किया

भारत में कानूनी ढाँचे

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)	इसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है सुरक्षा, निवास और अनुतोष हेतु विभिन्न आदेश प्रदान करता है
भारतीय दंड संहिता, 1860	**धारा 498A** पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित है **क्रूरता, उत्पीड़न** या **यातना** के कृत्यों को अपराध घोषित करता है
दहेज निषेध अधिनियम, 1961	यह **दहेज देने** या **दहेज लेने** को अपराध घोषित करता है
दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013	**घरेलू हिंसा** के मामलों में **यौन उत्पीड़न** से संबंधित **नए अपराधों** को शामिल करने के लिये **IPC** की धारा **354A** में संशोधन किया गया।
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990	महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और घरेलू हिंसा से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	बाल विवाह को रोकना और बाल वधू के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकना।

वैश्विक पहलें

- **महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर केंद्रित 'संधि' (CEDAW):** वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया
  - जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना
- **महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (DEVAW):** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय उपकरण
  - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है
- **सुरक्षित शहर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान:** संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम
  - सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न एवं हिंसा के अन्य रूपों को रोकना और उन पर प्रतिक्रिया देना
- **बीज़िंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995):** हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिये सरकारों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों की पहचान करता है
- **SDG 5 (लैंगिक समानता):** प्रत्येक स्थान पर सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना

Drishti IAS

नोट :

घरेलू हिंसा में योगदान देने वाले कारक क्या हैं?

- **पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना:** **पितृसत्तात्मक मानदंड** गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, जो लैंगिक असमानता को बनाए रखते हैं, पुरुषों के वर्चस्व और महिलाओं पर नियंत्रण को सुदृढ़ करते हैं। इससे घरों में अधिकार जताने के साधन के रूप में **हिंसा सामान्य बन गई है।**
- **सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड:** विभिन्न समाजों में **घरेलू हिंसा को मौन स्वीकृति दी जाती है या अनदेखा कर दिया जाता है,** विशेषकर जब यह निज़ी स्थानों पर घटित होती है।
  - **सांस्कृतिक मान्यताएँ अक्सर महिलाओं को अपनी बात कहने** या सहायता मांगने से हतोत्साहित करती हैं, जिससे दुर्व्यवहार का चक्र मज़बूत होता है।
- **आर्थिक निर्भरता:** परिवार के पुरुष सदस्यों पर आर्थिक निर्भरता अक्सर महिलाओं को घरेलू हिंसा सहने के लिये मज़बूर करती है। **आर्थिक स्वायत्तता की कमी** उनके अपमानजनक संबंधों को छोड़ने या कानूनी सहायता लेने की क्षमता को सीमित करती है।
- **मादक द्रव्यों का सेवन:** शराब और मादक औषधियों का सेवन घरेलू हिंसा में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
  - **नशे में धुत्त व्यक्ति आक्रामक व्यवहार कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिवारों में शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार हो सकता है।**
- **शिक्षा और जागरूकता का अभाव:** विधिक अधिकारों और सहायता तंत्र के संबंध में सीमित शिक्षा और जागरूकता घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है।
- **मनोवैज्ञानिक कारक: क्रोध प्रबंधन की समस्याएँ, आत्मसम्मान की क्षति या** अनसुलझे आघात जैसे मुद्दे व्यक्तियों को अपने परिवार के सदस्यों के विरुद्ध **हिंसक व्यवहार करने के लिये प्रेरित कर सकते हैं।** दुर्व्यवहार करने वाले लोग नियंत्रण और अधिकार की विकृत धारणाओं के माध्यम से भी अपने कार्यों को उचित ठहरा सकते हैं।
- **दहेज और वैवाहिक विवाद:** दहेज संबंधी हिंसा घरेलू हिंसा का एक महत्त्वपूर्ण कारक बनी हुई है। **दहेज की मांग या विवाह से असंतुष्टि के कारण होने वाले विवाद** अक्सर महिलाओं के विरुद्ध भावनात्मक या शारीरिक हिंसा का कारण बनते हैं।
- **हिंसा का अंतर-पीढ़ी संचरण:** जो बच्चे अपने घरों में घरेलू हिंसा देखते हैं, उनके वयस्क होने पर **अपने संबंधियों में भी दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार दोहराने की अधिक संभावना होती है,** जिससे पीढ़ियों तक हिंसा का चक्र चलता रहता है।
- **कमज़ोर कानून प्रवर्तन और न्यायिक विलंब:** अप्रभावी कानून प्रवर्तन, विलंबित न्याय, तथा अपराधियों के लिये कठोर दंड का अभाव घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति में योगदान देता है।
  - पीड़ितों को प्रतिशोध के भय या व्यवस्था में अविश्वास के कारण विधिक संरक्षण हासिल करने में हतोत्साहित महसूस हो सकता है।

इन कानूनी उपायों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है?

- **व्यक्तिगत लाभ हेतु झूठे आरोप:** घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और धारा 498a का कभी-कभी **पति और उनके परिवारों को परेशान करने के लिये झूठी शिकायतें दर्ज करके दुरुपयोग किया जाता है।**
- इन प्रावधानों का उपयोग **व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिये या वैवाहिक विवादों में लाभ उठाने के लिये किया जाता है,** जिसमें संपत्ति के निपटान, रखरखाव के दावे या हिरासत के प्रति लड़ाई शामिल हैं।
- **वित्तीय समझौते के लिये दबाव:** विभिन्न मामलों में, झूठे मामलों का इस्तेमाल पतियों और उनके संबंधियों को बड़े वित्तीय समझौते करने या गुज़ारा भत्ता देने के लिये मज़बूर करने के लिये किया जाता है।
- गिरफ्तारी या लम्बी कानूनी लड़ाई के भय **से प्रायः आरोपी अनुचित मांगों को मानने के लिये मज़बूर हो जाता है।**
- **तत्काल गिरफ्तारी और प्रारंभिक जाँच का अभाव:** धारा 498a एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है, **जिसके कारण पूर्व जाँच की आवश्यकता के बिना तत्काल गिरफ्तारी की संभावना रहती है।**
- इस प्रावधान का दुरुपयोग अभियुक्त पर दबाव बनाने के लिये किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित तरीके से हिरासत में लिया गया या दोष सिद्ध होने से पहले ही उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है।
- **अभियुक्त को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्षति:** घरेलू हिंसा के आरोपों से संबंधित कलंक **अभियुक्त की सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक स्वास्थ्य और पेशेवर जीवन को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकता है।**

नोट :

- यदि आरोपी को बरी भी कर दिया जाता है, तो भी आरोपों से संबंधित नकारात्मक धारणा के कारण उसे दीर्घकालिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
- दुरुपयोग पर न्यायिक टिप्पणियाँ: विभिन्न निर्णयों में न्यायालयों ने धारा 498a और घरेलू हिंसा अधिनियम के दुरुपयोग को स्वीकार किया है।
- इसकी प्रतिक्रिया में न्यायपालिका ने सुधारों की मांग की है, जिसमें गिरफ्तारी से पहले उचित जाँच की आवश्यकता तथा तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण मामले दर्ज करने पर दंड की बात शामिल है।

आगे की राह

- विधि के अंतर्गत **जमानती और गैर-संज्ञेय अपराधों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करने की आवश्यकता** है। किसी भी गिरफ्तारी से पहले गहन जाँच की जानी चाहिये।
- महिलाओं को हुए नुकसान की सीमा को ध्यान में रखते हुए, परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करते समय आनुपातिकता के सिद्धांत **को लागू किया जाना चाहिये।**
- **मिथ्या और भ्रामक शिकायतों के लिये** व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।
- **भारत को लैंगिक-न्यायपूर्ण कानून लागू करना चाहिये** (जिसमें पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा को भी मान्यता दी जाए) जो **समानता को बढ़ावा देते हों** तथा लैंगिक परवाह किये बिना प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना।
- भेदभाव, हिंसा और आर्थिक असमानताओं से निपटने के लिये विधिक ढाँचे की स्थापना एक **समावेशी समाज के निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण है।**

> **दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:**
>
> **प्रश्न:** लैंगिक समानता प्राप्त करने के संदर्भ में लैंगिक तटस्थ कानूनों को लागू करने से संबंधित संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की प्रभावशीलता

चर्चा में क्यों?

गंभीर आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान हेतु बनाए गए भारत के **फास्ट-ट्रैक कोर्ट** अपनी प्रभावशीलता को लेकर जाँच का सामना कर रहे हैं। हालाँकि शुरुआती रुझान के बावजूद कार्यात्मक न्यायालयों की संख्या में कमी आई है।

> **नोट:**
>
> - **फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की संख्या का रुझान:**
>   - **वर्ष 2018 और वर्ष 2020** के बीच भारत में **फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की संख्या में** उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 699 से बढ़कर 907 हो गई, जिसका मुख्य कारण हाई-प्रोफाइल मामलों में विलंब को लेकर जनता में व्याप्त आक्रोश था।
>   - हालाँकि वर्ष **2020 के बाद से यह प्रगति धीमी हो गई है,** वर्ष 2023 में कार्यात्मक न्यायालयों की संख्या घटकर 832 हो गई है, जो वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं के कारण इन न्यायालयों को बनाए रखने में राज्यों के समक्ष विभिन्न चुनौतियों को दर्शाती है।
> - **फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की उपलब्धता में असमानताएँ:**
>   - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने **उच्च संख्या में त्वरित न्यायालयों की क्रियाशीलता को बनाए रखा है,** जबकि अन्य राज्यों में इनकी संख्या बहुत कम है या कुछ मामलों में तो एक भी नहीं है।
>   - ये असमानताएँ स्थानीय संसाधन सीमाओं, प्राथमिकता के विभिन्न स्तरों और भिन्न प्रशासनिक क्षमताओं का प्रतिबिंब हैं।

FTSC क्या हैं?

- **परिचय:**
  - FTSC भारत में स्थापित न्यायिक निकाय हैं, जो यौन अपराधों से संबंधित मामलों, **विशेष रूप से बलात्कार और** यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) से संबंधित **मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये स्थापित किये गए हैं।**
- **स्थापना:**
  - केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम पारित किया, जिसमें बलात्कार के अपराधियों के लिये मृत्युदंड सहित कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इसके पश्चात् ऐसे मामलों के त्वरित निर्णय की सुविधा के लिये FTSC की स्थापना की गई।
  - भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में **अगस्त 2019 में** FTSC की स्थापना की पहल को औपचारिक रूप दिया गया था।
- **FTSC की स्थापना के कारण:**
  - यौन अपराधों में अधिकतम वृद्धि और पारंपरिक न्यायालयों में मुकदमों की दीर्घकालीन अवधि के कारण पीड़ितों को न्याय मिलने में काफी विलंब हो रहा था, जिसके कारण FTSC की स्थापना की गई थी।

- **FTSC का विस्तार:**
  - FTSC योजना, जिसे मूल रूप से वर्ष 2019 में एक वर्ष के लिये आरंभ किया गया था, को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2023 से वर्ष 2026 तक अतिरिक्त तीन वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया है।

पोक्सो अधिनियम क्या है?

- **परिचय:** इस कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है।
  - **इसे** वर्ष **1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन** के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था।
- **विशेषताएँ:**
  - **लिंग-निष्पक्ष प्रकृति:** अधिनियम के अनुसार, **लड़के और लड़कियाँ दोनों यौन शोषण के शिकार** हो सकते हैं और पीड़ित के लिंग की परवाह किये बिना ऐसा दुर्व्यवहार एक अपराध है।
  - **पीड़ित की पहचान की गोपनीयता:** पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 में यह प्रावधान है कि **बाल पीड़ितों** की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिये।
    - मीडिया रिपोर्ट में पीड़ित की पहचान उजागर करने वाला कोई भी विवरण नहीं दिया जा सकता, जैसे कि उसका नाम, पता और परिवार की जानकारी।
  - **नाबालिगों के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामलों में अनिवार्य रिपोर्टिंग: धारा 19 से 22** ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों की जानकारी है या उचित **संदेह है, संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिये बाध्य करती है।**

FTSC के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **बुनियादी ढाँचे का अभाव:** फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स प्राय: अपर्याप्त सुविधाओं के साथ कार्य करती हैं, जिसमें **आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे आवश्यक संसाधनों और** मुकदमों के भार को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिये पर्याप्त स्थान का अभाव होता है।
- **न्यायिक अधिभार:** अपने उद्देश्य के बावजूद, फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स को प्राय: **मामलों की अधिकता का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप विलंब देखने को मिलता है,** जो त्वरित न्याय के उनके मूलभूत उद्देश्य के विपरीत है।
- **असंगत कार्यान्वयन:** फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना और कार्यप्रणाली विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप **न्याय तक असमान पहुँच और विधिक मानकों का असंगत अनुप्रयोग होता है।**
- **न्यायिक कार्मिकों की गुणवत्ता:** न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण सदैव फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकता है, जिससे न्यायिक निर्णय लेने की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- **सीमित सार्वजनिक जागरूकता: फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स के कार्यों और प्रक्रियाओं के संबंध में सामान्य जन में जागरूकता का अभाव** है, जो उनकी प्रभावशीलता और पहुँच में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

आगे की राह

- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** न्यायालय के बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण और विस्तार में निवेश करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स मुकदमों के बोझ को संभालने में सक्षम हों।
- **व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने हेतु उनके लिये लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना, जिसमें आमतौर पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों की जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जैसे कि संवेदनशील मुद्दे।
- **सुव्यवस्थित न्यायिक प्रक्रियाएँ:** न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखते हुए दक्षता सुनिश्चित करने के लिये स्पष्ट प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश और सर्वोत्तम प्रथाओं की स्थापना करना, निष्पक्षता से समझौता किये बगैर त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करना।
- **जन जागरूकता अभियान:** फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स के कार्यों, प्रक्रियाओं और लाभों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिये पहल शुरू करना, जिससे न्यायिक प्रणाली में अधिक सामुदायिक सहभागिता और विश्वास को बढ़ावा मिले।
- **विधायी सुधार:** फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मौजूदा कानूनों में संशोधन की वकालत करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रियात्मक ढाँचे उनके उद्देश्यों के अनुरूप हों।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) की भूमिका और प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

जेल मैनुअल में 'जाति-आधारित' प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि **जेलों में जाति-आधारित श्रम विभाजन "असंवैधानिक** "है, जो भारत की सुधार प्रणाली में औपनिवेशिक युग की पुरानी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों को **समाप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम** है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने **राज्य जेल नियमावली के कई जाति-आधारित भेदभाव** को बढ़ावा देने वाले **प्रावधानों को निरस्त** कर दिया गया, जिनसे **कैदियों के** मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

जेल मैनुअल औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों को किस प्रकार बढ़ावा देते हैं?

- **जेलों में औपनिवेशिक पूर्वाग्रह:**
  - **औपनिवेशिक विरासत:** अब निरस्त **आपराधिक जनजाति अधिनियम,** 1871 ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को **कुछ हाशिये पर रह रहे समुदायों को "आपराधिक जनजाति" के रूप में चिह्नित करने की अनुमति दी,** जो कि इस गलत धारणा पर आधारित थी कि वे "आदतन अपराधी" हैं।
  - **विमुक्त जनजातियाँ: आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 के निरस्त होने** के बाद, इन समुदायों को "विमुक्त जनजातियों (Denotified Tribes)" **के रूप में** पुन: वर्गीकृत किया गया। हालाँकि **जेल मैनुअल द्वारा उन्हें** बिना किसी दोषसिद्धि के भी "**आदतन अपराधी**" **के रूप में वर्गीकृत करना** जारी रखा गया।
  - **उदाहरण:**
    - **पश्चिम बंगाल जेल संहिता:** न्यायालय ने **पश्चिम बंगाल जेल संहिता के नियम, 404 पर प्रकाश डाला,** जिसमें कहा गया है कि किसी दोषी पर्यवेक्षक को रात्रि प्रहरी के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है, जब वह उन जनजातियों से संबंधित न हो, जिन्हें "भागने की प्रबल स्वाभाविक प्रवृत्ति" वाला माना जाता है, जैसे कि घुमंतू जनजातियाँ।
    - **आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जेल मैनुअल:** इन मैनुअलों में "**आदतन अपराधियों**" को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो "आदत" के कारण डकैती, सेंधमारी, चोरी, जालसाजी या ज़बरन वसूली जैसे अपराधों में लिप्त रहते हैं - भले ही उन पर पहले से कोई दोष सिद्ध न हुआ हो।
    - **श्रम पर प्रतिबंध:** आंध्र प्रदेश के "आवारागर्द या अपराधी जनजातियों" के सदस्यों को **"बुरे या खतरनाक चरित्र" वाले व्यक्तियों** या हिरासत से भागे हुए लोगों के बराबर माना जाता है। परिणामस्वरूप उन्हें **जेल की दीवारों के बाहर श्रम में नियोजित होने से रोक** दिया जाता है।
  - **भेदभाव की निरंतरता:** न्यायालय ने कहा कि यह निरंतर वर्गीकरण **औपनिवेशिक युग के जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देता है,** जिससे इन समूहों का सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर होना और भी बदतर हो जाता है।
- **जेलों में जाति-आधारित भेदभाव के उदाहरण:**
  - **तमिलनाडु जेल: तमिलनाडु के पलायमकोट्टई सेंट्रल जेल में थेवर, नादर और पल्लार को** अलग-अलग वर्गों में रखा गया था, जो बैरकों का जाति-आधारित पृथक्करण था।
  - **राजस्थान कारागार: राजस्थान कारागार नियम,** 1951 **के** अनुसार शौचालय का कार्य अनुसूचित जाति समुदाय "**मेहतर" को सौंपा गया,** जबकि ब्राह्मणों या उच्च जाति के हिंदू कैदियों को रसोईघर का कार्य सौंपा गया।

विमुक्त, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियाँ

- इन्हें '**विमुक्त जाति' के नाम से भी जाना जाता है।** ये समुदाय सबसे कमज़ोर और वंचित हैं।
- विमुक्त समुदाय, जिन्हें कभी ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 जैसे कानूनों के तहत '**जन्मजात या आदतन अपराधी**' करार दिया गया था।
  - **वर्ष 1952 में भारत सरकार** द्वारा इन्हें आधिकारिक तौर पर विमुक्त जाति के रूप में घोषित कर दिया गया।
- इनमें से कुछ समुदाय, जिन्हें विमुक्त घोषित किया गया था, उसमें **खानाबदोश जनजातियाँ भी शामिल हैं।**
  - खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह **प्रत्येक समय एक स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते** रहते हैं।

- ऐतिहासिक रूप से खानाबदोश जनजातियों और विमुक्त जनजातियों को कभी भी निजी भूमि या घर का स्वामित्व प्राप्त नहीं था।
- जबकि अधिकांश DNT **अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST)** और **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में फैले हुए हैं,** कुछ DNT किसी भी SC , ST या OBC श्रेणी में शामिल नहीं हैं।

कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे किया जाता है?

- **जाति-आधारित वर्गीकरण सीमा:** सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जाति को **वर्गीकरण मानदंड के रूप में तभी इस्तेमाल किया** जा सकता है जब इससे जाति-आधारित भेदभाव के पीड़ितों को लाभ हो। उदाहरण के लिये जाति-आधारित सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण)।
  - **जाति के आधार पर कैदियों को अलग** करने से जातिगत मतभेद बढ़ता है, **इसे समाप्त** किया जाना चाहिये।
  - जेल मैनुअल इस उद्देश्य की पूर्ति में विफल रहा तथा संविधान के **अनुच्छेद 14** का उल्लंघन किया।
- **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव: सर्वोच्च न्यायालय ने** हाशिये पर पड़े समुदायों के विरुद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के भेदभाव पर प्रकाश डाला।
  - **निम्न जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का कार्य सौंपना, जबकि उच्च जातियों को खाना पकाने जैसे कार्य करने की अनुमति देना, अनुच्छेद 15(1)** के तहत **प्रत्यक्ष भेदभाव** का स्पष्ट उदाहरण है।
  - इन समुदायों को **अधिक कुशल या सम्मानजनक कार्य प्रदान** करने के बजाय पारंपरिक भूमिकाओं के आधार पर **कुछ कार्य आवंटित करने से** अप्रत्यक्ष **भेदभाव** उत्पन्न होता है।
- **समानता का उल्लंघन:** "आदतन", "रीति-रिवाज़", "जीवन जीने के बेहतर तरीके" या "भागने की स्वाभाविक प्रवृत्ति" के आधार पर कैदियों में अंतर करना, वास्तविक समानता के सिद्धांतों को कमज़ोर करता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने जेल नियमों पर प्रकाश डाला, **जो भोजन को "उपयुक्त जाति" द्वारा पकाने या कुछ समुदायों को "तुच्छ कार्य (Menial Duties)" सौंपने को अनिवार्य बनाते हैं,** इन प्रथाओं को **अस्पृश्यता** के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जो **अनुच्छेद 17 के तहत निषिद्ध है।**
- **जीवन और सम्मान का अधिकार:** न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हाशिये पर पड़े कैदियों के सुधार पर प्रतिबंध लगाने वाले जेल नियम उनके **जीवन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं तथा** उन्हें सम्मान एवं समान व्यवहार से वंचित करते हैं, जिससे वे और अधिक हाशिये पर चले जाते हैं।

भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **विधि के समक्ष समानता: अनुच्छेद 14** के अनुसार, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को **विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण** से वंचित नहीं किया जाएगा।
  - **भेदभाव का निषेध: भारत के संविधान के अनुच्छेद 15** में कहा गया है कि राज्य **किसी भी नागरिक के विरुद्ध** केवल **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार** पर भेदभाव नहीं करेगा।
  - **अस्पृश्यता का उन्मूलन:** संविधान का अनुच्छेद 17 **अस्पृश्यता** को समाप्त करता है।
- **कानूनी प्रावधान:**
  - **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955:** यह अधिनियम **भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिये बनाया गया** था, जिसने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया।
  - **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को **जाति-आधारित भेदभाव** तथा हिंसा से बचाने के लिये अधिनियमित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश क्या थे?

- **जेल मैनुअल में संशोधन:** सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने के लिये **तीन महीने के भीतर अपने जेल मैनुअल एवं नियमों में संशोधन** करने का आदेश दिया गया।
- **जाति संबंधी संदर्भों को हटाना:** न्यायालय ने जेलों में रखे गए विचाराधीन कैदियों और दोषियों के रजिस्टरों से **"जाति कॉलम" एवं जाति संबंधी किसी भी संदर्भ को हटाने** का आदेश दिया।

- **मॉडल प्रिज़न मैनुअल और अधिनियम में मुद्दे:** केंद्र सरकार के **मॉडल प्रिज़न मैनुअल, 2016** तथा **आदर्श कारावास और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में जातिगत भेदभाव** जैसी कमियों को चिह्नित किया गया था।
  - **वर्ष** 2016 के मैनुअल की विशेष रूप से **"आदतन अपराधी" की अस्पष्ट परिभाषा** के लिये आलोचना की गई थी, जिससे राज्यों को विमुक्त जनजातियों के खिलाफ रूढ़िवादिता को कायम रखने की अनुमति मिल गई।
  - न्यायालय ने आदेश दिया कि **वर्ष 2016 और 2023 दोनों अधिनियमों में तीन महीने के भीतर सुधार किये जाएँ।**
- **अनुपालन निगरानी:** ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों और आगंतुकों के बोर्डों को इन निर्देशों का **अनुपालन सुनिश्चित करने** के लिये नियमित निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया।
- **पुलिस निर्देश:** पुलिस प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे **विमुक्त जनजातियों के सदस्यों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार न करें** तथा सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष:

इन भेदभावपूर्ण पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के लिये सार्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला **ज़ेलों में वास्तविक समानता हासिल करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम** है। जाति संदर्भों को हटाने, पुरानी परिभाषाओं को संशोधित करने तथा हाशिये के समुदायों के खिलाफ पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिये अनिवार्य करके, न्यायालय ने **सभी कैदियों के लिये सम्मान, निष्पक्षता तथा सुधार के महत्त्व को मज़बूत किया है।** यह निर्णय भारत में अधिक न्यायपूर्ण एवं समावेशी सुधारात्मक ढाँचे का मार्ग प्रशस्त करता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: जेलों में जाति-आधारित श्रम विभाजन पर सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय भारत की सुधार प्रणाली में संस्थागत पूर्वाग्रहों को दूर करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम कैसे दर्शाता है?

■■■

कृषि

भारत में फ्लोरीकल्चर

चर्चा में क्यों?

ओडिशा के संबलपुर ज़िले का जुजुमारा क्षेत्र राज्य के **पहले किसान उत्पादक संगठनों (FPO) में से एक है,** यह पारंपरिक धान की खेती के स्थान पर फूलों की खेती को समर्पित है।

- राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI) के समर्थन से स्थानीय किसान फूलों की खेती अपना रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप इनकी आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिल रहा है।

फूलों की खेती जुजुमारा की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बदल रही है?

- **आय स्रोतों में विविधीकरण:** किसान पारंपरिक धान की खेती से फूलों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे **एक ही फसल पर निर्भरता कम होने के साथ** आय स्थिरता को बढ़ावा मिल रहा है।
- **आर्थिक लाभ:** धान की खेती से लाभ लगभग 40,000 रुपए प्रति एकड़ जबकि फूलों की खेती से लाभ **1 लाख रुपए प्रति एकड़** हो सकता है।
- **बाज़ार अनुकूलन: व्हाट्सएप ग्रुप** जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किसानों को बाज़ार के रुझानों के बारे में अपडेट प्राप्त होता है, जिससे वे उत्पादन एवं बिक्री के बारे में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
- **धारणीय प्रथाएँ: फ्लोरीकल्चर के साथ-साथ मधुमक्खी पालन को** एकीकृत करने से जैवविविधता को बढ़ावा मिलता है तथा किसानों के लिये अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध होता है।

फ्लोरीकल्चर क्या है?

- **परिचय: फ्लोरीकल्चर के तहत विभिन्न प्रयोजनों** (जैसे प्रत्यक्ष बिक्री, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र और दवा उद्योग) **के लिये पुष्पीय और सजावटी पौधों की खेती** शामिल है।
  - इसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से **बीज और पौधों का उत्पादन शामिल है।**
  - कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), फूलों सहित कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने के लिये नोडल संगठन है।
- **भारत में फ्लोरीकल्चर का बाजार:** भारत सरकार ने फ्लोरीकल्चर को **"सनराइज़ उद्योग"** के रूप में चिन्हित किया है।
- वर्ष 2023-24 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) में लगभग **297 हजार हेक्टेयर** क्षेत्र में फूलों की खेती होना अनुमानित है।
- भारत ने वर्ष 2023-24 में 717.83 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 20,000 मीट्रिक टन फ्लोरीकल्चर उत्पादों का निर्यात किया, जिसमें प्रमुख आयातकों में **संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और मलेशिया शामिल हैं।**
- इस क्षेत्र के असाधारण प्रदर्शन के कारण वर्ष 2030 तक इसके 7.4% (वर्ष 2021-2030) की **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** के साथ 5.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की उम्मीद है।
- **किस्में:** भारत के फ्लोरीकल्चर उद्योग में कटे हुए फूल, गमले के पौधे, बल्ब, कंद और सूखे फूल शामिल हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय पुष्प व्यापार** में महत्त्वपूर्ण पुष्पीय फसलें शामिल हैं जिसमें गुलाब, कारनेशन, गुलदाऊदी, गार्गेरा, ग्लेडियोलस, जिप्सोफिला, लिआट्रिस, नेरिन, आर्किड, आर्किलिया, एन्थ्यूरियम, ट्यूलिप और लिली आदि शामिल हैं।
- फ्लोरीकल्चर संबंधी फसलें जैसे **गेरबेरा, कारनेशन इत्यादि ग्रीनहाउस में उगाई जाती हैं।** ये खुले **खेत में उगाई गई फसलें** हैं जिसमें गुलदाऊदी, गुलाब, गैलार्डिया, लिली मैरीगोल्ड, एस्टर, ट्यूबरोज़ इत्यादि शामिल है।
  - **ग्रीनहाउस** पारदर्शी सामग्री से निर्मित ढाँचे होते हैं, जहाँ नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसलें उगाई जाती हैं।
- **अग्रणी फ्लोरीकल्चर क्षेत्र:** कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और महाराष्ट्र प्रमुख फ्लोरीकल्चर केंद्र के रूप में उभरे हैं।

भारत के फ्लोरीकल्चर उद्योग में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **ज्ञान की कमी:** फ्लोरीकल्चर एक नवीन अवधारणा है, वैज्ञानिक और कॉमर्सियल फ्लोरीकल्चर के प्रति अच्छी समझ विकसित नहीं हो पाई है, जिसके परिणामस्वरूप **उत्पादन और विपणन में अकुशलताएँ आती हैं।**
- **भूमि जोत का आकर का छोटा होना:** अधिकांश फ्लोरीकल्चर कृषकों के पास **भूमि जोत का आकार छोटा होता है,** जिससे वृहद स्तरीय आधुनिक कृषि पद्धतियों में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **असंगठित विपणन:** विपणन प्रणाली खंडित है, इसमें **नीलामी यार्ड और नियंत्रित भंडारण सुविधाओं जैसे संगठित प्लेटफार्मों का अभाव है,** जिससे किसानों के लिये उचित मूल्य प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

- यद्यपि भारत में एक बड़ा घरेलू बाज़ार है, लेकिन अधिशेष उत्पादन को संभालने और बढ़ती गुणवत्ता की मांग को पूरा करने के लिये आधुनिक विपणन प्रणालियों का अभाव है।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** उन्मूलन के पश्चात् खराब प्रबंधन और कोल्ड स्टोरेज की कमी से, विशेष रूप से घरेलू बाज़ारों के लिये उगाए गए फूलों में, गुणवत्ता में गिरावट आती है।
- **जैविक और अजैविक तनाव:** खुले खेतों में फूलों का उत्पादन फसलों को विभिन्न तनावों के संपर्क में लाता है, जिससे उपज **उच्च गुणवत्ता वाले निर्यात बाज़ारों के लिये कम उपयुक्त हो जाती है।**
- **उच्च प्रारंभिक लागत:** वाणिज्यिक फूलों की खेती के लिये बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश की आवश्यकता होती है और **किसानों को किफायती वित्त विकल्पों तक पहुँचने में संघर्ष करना पड़ता है।** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड **द्वारा सॉफ्ट लोन पहल** जैसी और अधिक योजनाओं **की आवश्यकता है।**
- **निर्यात संबंधी बाधाएँ: उच्च हवाई मालभाड़ा दरें, कम कार्गो क्षमता,** भारतीय फ्लोरीकल्चर उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कम करती हैं।

फ्लोरीकल्चर के लिये भारत की पहल क्या हैं?

- **APEDA (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण):** फ्लोरीकल्चर निर्यातकों को कोल्ड स्टोरेज, मालभाड़ा सब्सिडी और बुनियादी ढाँचे के विकास में सहायता करता है।
- **वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) फ्लोरीकल्चर मिशन:** यह एक राष्ट्रव्यापी मिशन है, जिसे 22 राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य **CSIR प्रौद्योगिकियों का** उपयोग करके **हाई वैल्यू फ्लोरीकल्चर के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि करना और उद्यमिता विकसित करना है।**
- **फ्लोरीकल्चर में FDI: फ्लोरीकल्चर के क्षेत्र में** 100% **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की** अनुमति है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिये निवेश प्रक्रिया अधिक आसान हो गई है।
- **कॉमर्सियल फ्लोरीकल्चर के एकीकृत विकास की योजना:** यह योजना गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री तक पहुँच प्रदान करती है, गैर-मौसमी कृषि को बढ़ावा देती है, तथा उन्मूलन के पश्चात् प्रबंधन को बढ़ाती है।

आगे की राह

- **आवश्यक सेवा और बाज़ार आधुनिकीकरण:** लॉकडाउन जैसे संकट के दौरान निर्बाध आपूर्ति और बिक्री सुनिश्चित करने के लिये फूलों को फलों और सब्जियों की तरह आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।
  - फ्लोरीकल्चर बाज़ार को **सौर ऊर्जा चालित एयर-कूल्ड पुशकार्ट** तथा फोल्डेबल क्रेटों के साथ बेहतर पैकेजिंग के माध्यम से आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।
- **सूक्ष्म सिंचाई और मल्चिंग:** समस्त प्रकार के फूलों की खेती को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाकर **"पर ड्रॉप मोर क्रॉप" पहल को फ्लोरीकल्चर तक विस्तारित करना।**
  - श्रम को कम करने, जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने तथा खरपतवार को न्यूनतम करने के लिये मल्चिंग (ऊपरी मृदा को ढकना) तकनीक को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **कौशलीकरण: "कौशल भारत" और "स्टैंडअप इंडिया" के अंतर्गत आदिवासी महिलाओं और बेरोज़गार युवाओं को** सूखे फूलों के उत्पादन में प्रशिक्षित करना।
- **गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के लिये समर्थन:** वायरस मुक्त रोपण सामग्री सुनिश्चित करने के लिये **प्रमाणित नर्सरियों और ऊतक संवर्द्धन प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देना।** जैव सुरक्षा मानकों को मज़बूत करना और कॉमर्सियल फ्लोरीकल्चर के लिये गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- **फ्लोरी-मॉल और मूल्य संवर्द्धन:** कोल्ड चेन, आवश्यक तेल निष्कर्षण, वर्णक निष्कर्षण (Pigment Extraction) और वर्मीकंपोस्ट इकाईयों के साथ एकीकृत **"फ्लोरी-मॉल"** का निर्माण करना।
  - इससे किसानों को अतिरिक्त फूलों के द्वारा डाई, गुलकंद (गुलाब की पंखुड़ियों की मिठास) और सूखे फूलों जैसे उत्पादों में परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी, जिससे मूल्य संवर्द्धन होगा और उनकी अपव्ययता भी कम होगी।

> **दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:**
>
> **प्रश्न:** फ्लोरीकल्चर के महत्त्व और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिवर्तन में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिये।

खरपतवार और फसल उत्पादकता की हानि

चर्चा में क्यों?

भारतीय बीज उद्योग महासंघ (FSII) के एक अध्ययन के अनुसार खरपतवार के कारण प्रत्येक वर्ष फसल उत्पादकता में **92000 करोड़ रुपये (11 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की हानि** हो रही है।

- रिपोर्ट में इस बढ़ती समस्या को कम करने के लिये **प्रौद्योगिकी-आधारित खरपतवार नियंत्रण रणनीतियों** की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

अध्ययन के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **उपज हानि के आँकड़े:** भारत भर में खरपतवार के कारण **खरीफ फसलों** में लगभग **25-26%** तथा **रबी फसलों** में **18-25% की** उत्पादकता हानि होती है।

- **विविध फसलें और क्षेत्र:** अध्ययन में 11 राज्यों के 30 ज़िलों की **सात प्रमुख फसलों - चावल, गेहूँ, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन और सरसों को शामिल किया गया।**
- **हितधारकों की भागीदारी:** शोधकर्त्ताओं ने 3,200 किसानों, 300 डीलरों के साथ-साथ **कृषि विज्ञान केंद्रों** एवं कृषि विभाग के अधिकारियों का साक्षात्कार लिया।
- **औसत व्यय:** खरपतवार नियंत्रण पर औसत व्यय 3,700 रुपये से 7,900 रुपये प्रति एकड़ तक हो जाता है।
- **खरपतवार प्रबंधन रणनीतियाँ:** अध्ययन में खरपतवारनाशकों, मशीनीकरण, फसल चक्रण, आवरण फसल और जैविक नियंत्रण की सिफारिश की गई है, जिससे पारंपरिक तरीकों की तुलना में लागत में 40-60% की कमी आ सकती है।

भारतीय बीज उद्योग महासंघ (FSII)

- FSII एक 40 सदस्यीय संघ है जो भारत में **अनुसंधान एवं विकास-संचालित पादप विज्ञान उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है।**
- यह देश के कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करते हुए खाद्य, चारा और फाइबर के लिये उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में संलग्न है।
- FSII प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि समाधानों को बढ़ावा देने के साथ नुकसानों को कम करते हुए कृषि उत्पादकता में सुधार में भूमिका निभाता है।
- **यह अंतर्राष्ट्रीय बीज संघ (ISF)** और **एशिया एवं प्रशांत बीज संघ (APSA)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबद्ध है, जिससे इसकी वैश्विक पहुँच और समन्वय में वृद्धि हो रही है।

खरपतवार क्या हैं?

- **परिचय:**
  - खरपतवार आमतौर पर ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो कृषि या पारिस्थितिकी संतुलन को बाधित करते हैं। जैसे **नट ग्रास, पोर्टुलाका, कॉमन काउच और ल्यूकेना।**
- **विशेषताएँ:**
  - ये **फसलों और अन्य वनस्पतियों के साथ आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।**
  - **खरपतवार विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं,** जिससे ये विभिन्न परिस्थितियों में विकसित हो जाते हैं।
  - खरपतवार की वृद्धि तेजी से होती है (मुख्य रूप से **बीजों, प्रकंदों या अन्य वनस्पति संरचनाओं के माध्यम से**), जिससे उनका प्रसार आसान हो जाता है।

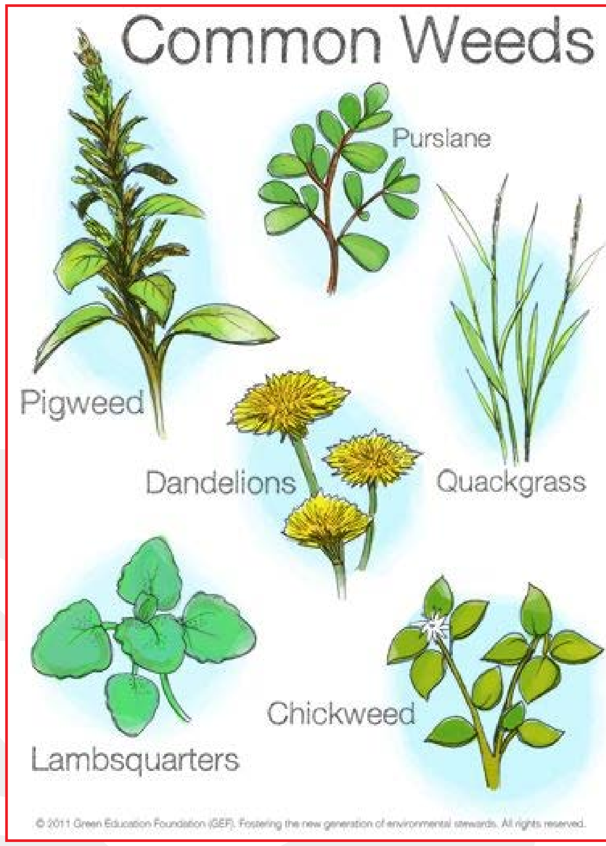

खरपतवारों से क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं?

- **कृषि उत्पादकता में कमी:** लागत के अलावा **खरपतवार फसल हानि का प्रमुख कारण है,** जो प्रारंभिक जुताई चरण से लेकर कटाई के बाद के चरण तक संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
  - खरपतवार आवश्यक संसाधनों जैसे जल, पोषक तत्त्व, **सूर्य का प्रकाश और स्थान के लिये फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं,** जिसके परिणामस्वरूप फसल की उत्पादकता कम हो जाती है।
- **कृषि लागत में वृद्धि:** खरपतवार प्रबंधन के लिये **श्रम, खरपतवारनाशकों और अन्य नियंत्रण विधियों के संदर्भ में काफी निवेश की आवश्यकता होती है,** जिससे कृषि कार्यों का समग्र खर्च बढ़ सकता है।
- **शाकनाशी प्रतिरोध: शाकनाशियों के** निरंतर उपयोग से शाकनाशी-प्रतिरोधी खरपतवार प्रजातियों का विकास होता है। इससे **नियंत्रण प्रयास जटिल हो जाते हैं और** इन्हें प्रबंधित करने के लिये वैकल्पिक या अधिक महंगे तरीकों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है।

- **मृदा स्वास्थ्य में असंतुलन:** कुछ खरपतवार प्रजातियाँ **पोषक तत्वों के संतुलन को बदलकर या मृदा अपरदन को बढ़ाकर मृदा की गुणवत्ता को खराब कर सकती हैं।** उनकी आक्रामक जड़ प्रणालियाँ अन्य पौधों की वृद्धि में भी बाधा डाल सकती हैं, जिससे दीर्घकालिक मृदा क्षरण हो सकता है।
- **कीट और रोग का बढ़ता जोखिम:** खरपतवार अक्सर विभिन्न कीटों और रोगाणुओं के लिये मेजबान का कार्य करते हैं तथा **कीटों एवं रोगों के लिये प्रजनन आधार बन जाते हैं**, जिससे कृषि संबंधी चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती हैं।

खरपतवार के क्या लाभ हैं?

- **वन्यजीवों के लिये आवास और भोजन:** खरपतवार **विभिन्न कीटों, पक्षियों और छोटे जीवों के लिये आवास और भोजन का स्रोत बनते हैं।** ये द्वितीयक प्रजातियों के साथ पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करके जैवविविधता को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं।
- **औषधीय और पोषण संबंधी उपयोग:** कुछ खरपतवारों में औषधीय गुण होते हैं या **पारंपरिक चिकित्सा में प्राकृतिक उपचार के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिये, डंडेलियन और नेटल** जैसे पौधे अपने स्वास्थ्य लाभों के लिये जाने जाते हैं। कुछ खरपतवार खाने योग्य भी होते हैं और भोजन के रूप में उपयोग किये जाने पर पोषक तत्त्व प्रदान करते हैं।
- **प्राकृतिक परागण आकर्षित करने वाले:** कई खरपतवारों से **ऐसे फूल उत्पन्न होते हैं जो मधुमक्खियों, तितलियों और अन्य लाभकारी कीटों जैसे परागणकों को आकर्षित करते हैं।** परागणकर्त्ताओं की आबादी का समर्थन करके, खरपतवार अप्रत्यक्ष रूप से आस-पास की फसलों और पौधों की उत्पादकता बढ़ाते हैं।

प्रभावी खरपतवार प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **खरपतवार प्रतिरोध:**
  - खरपतवारनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण खरपतवारनाशक प्रतिरोधी खरपतवारों का विकास हो सकता है, जिससे समय के साथ उन्हें नियंत्रित करना अधिक कठिन हो जाता है।
- **श्रम की कमी:**
  - कृषि श्रम शक्ति में कमी आने तथा गाँवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ने के कारण, **हाथ से निराई करना कम व्यवहार्य होता जा रहा है।**
- **ऊँची कीमतें:**
  - **यद्यपि खरपतवारनाशकों और मशीनीकरण** जैसे तकनीकी समाधान लागत को कम कर सकते हैं, लेकिन इन प्रौद्योगिकियों के लिये प्रारंभिक निवेश **छोटे स्तर के किसानों के लिये निषेधात्मक हो सकता है।**
- **पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:**
  - रासायनिक खरपतवारनाशकों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण क्षरण, जल प्रदूषण, तथा किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिये **संभावित स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकता है।**
- **जैविक और प्राकृतिक कृषि के साथ एकीकरण:**
  - **रासायनिक और यांत्रिक खरपतवार प्रबंधन** तकनीकों को **जैविक और संधारणीय कृषि पद्धतियों** के साथ संरेखित करना एक चुनौती है, जिसका उद्देश्य खरपतवारनाशकों जैसे बाह्य आगतों को न्यूनतम करना है।

कृषि से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- एकीकृत किसान सेवा मंच (UFSP)
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NEGP-A)
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

आगे की राह

- **तकनीकी एकीकरण:** अध्ययन में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिये एक व्यापक, प्रौद्योगिकी-संचालित खरपतवार प्रबंधन ढाँचे की सिफारिश की गई है।
  - उदाहरण के लिये **डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) में** बीजों को सीधे खेतों में डाला जाता है, जिससे भूजल को संरक्षित करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार **जीरो-टिलेज (ZT)** गेहूँ तकनीक में मृदा को विच्छेदित कियेबगैर बीज बोना शामिल है।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग: विशेषज्ञ** खरपतवार से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिये **सार्वजनिक और निज़ी क्षेत्रों के बीच सहयोग** की आवश्यकता पर बल देते हैं।

नोट :

- **नवीन समाधान:** **खरपतवारनाशक-सहिष्णु गुणों** को अपनाना **तथा परिशुद्ध कृषि को** श्रम की कमी तथा संसाधन की कमी को दूर करने के लिये प्रमुख रणनीति के रूप में देखा जाता है।
- **फसल चक्रण:** यह एक ऐसी पद्धति है, जिसमें एक ही क्षेत्र में विभिन्न मौसमों में **विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है तथा इससे खरपतवार का प्रकोप कम होता है।**
- **समग्र रूपरेखा:** कृषि मंत्रालय के अनुसार, **पारंपरिक, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक कृषि समाधानों को मिलाकर एक एकीकृत दृष्टिकोण** प्रभावी खरपतवार प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रभावी खरपतवार प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये साथ ही संभावित समाधान बताइये।

कृषि उत्पादों पर कृषकों की तुलना में मध्यस्थों को अधिक लाभ: RBI

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी चार कार्यपत्रों के अनुसार, फलों और सब्जियों में उच्च मुद्रास्फीति के दौरान उपभोक्ताओं के द्वारा भुगतान की गई कीमत में **मध्यस्थों एवं खुदरा विक्रेताओं को किसानों की तुलना में काफी अधिक हिस्सा** प्राप्त होता है।

मुद्रास्फीति

- **परिभाषा:** **मुद्रास्फीति** का आशय **वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का सामान्य से अधिक होना (जिससे क्रय शक्ति में कमी आती है) है।**
- **माप:** भारत में मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो मूल्य सूचकांकों- **थोक मूल्य सूचकांक (WPI)** और **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** के माध्यम से मापा जाता है।
- **मुद्रास्फीति के प्रकार:**
  - **मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति:** **वस्तुओं और सेवाओं** की मांग, आपूर्ति से अधिक होने से **मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति** होती है।
  - **लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति:** **उत्पादन की लागत में वृद्धि** के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिये कीमतों में वृद्धि हो जाती है।
  - **संरचनात्मक मुद्रास्फीति:** यह मुद्रास्फीति **किसी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कमजोरियों के कारण होती है** और इससे अक्सर विकासशील देश प्रभावित होते हैं।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** **मध्यम मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिये अच्छा संकेत** माना जाता है लेकिन उच्च मुद्रास्फीति से क्रय शक्ति में कमी आने के साथ अनिश्चितता हो सकती है, जिससे बचत और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

RBI के दस्तावेजों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **भारतीय रिज़र्व बैंक के अर्थव्यवस्था एवं नीति अनुसंधान विभाग** के चार कार्यपत्रों के अनुसार, डेयरी, पोल्ट्री और दालों की तुलना में फलों (जैसे केला, अंगूर, आम) एवं आवश्यक सब्जियों (जैसे टमाटर, प्याज, आलू) के मामले में किसानों को मुद्रास्फीति का काफी कम लाभ होता है।
- **भारत में पशुधन और मुर्गीपालन मुद्रास्फीति पर प्रकाशित** शोधपत्र के अनुसार:
  - **किसानों को दूध के संदर्भ में उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाले रुपए में** लगभग 70% तथा अंडों के संदर्भ में 75% भाग मिलता है।
  - पोल्ट्री मांस के संदर्भ में किसानों और एग्रीगेटर्स को संयुक्त रूप से लगभग 56% प्राप्त होता है।
  - दूध के संदर्भ में उपभोक्ता **मूल्य सूचकांक (CPI) के तहत चारे की लागत और उपलब्धता** जैसे कारकों से प्रभावित मूल्य में उतार-चढ़ाव को दर्शाया जाता है।
    - दूध की उपलब्धता अधिक होने से कीमतें कम हो जाती हैं।
    - चारे की उच्च लागत के कारण दूध की कीमतें बढ़ जाती हैं।
- **भारत में फलों की मूल्य गतिशीलता और मूल्य श्रृंखला नामक** शोधपत्र में अनुमान लगाया गया है कि:
  - किसानों को **केले के संदर्भ में उपभोक्ता रुपए का लगभग 31%,** अंगूर के संदर्भ में 35% और आम के संदर्भ में 43% प्राप्त होता है।
  - अंगूर की खेती **पूंजी और श्रम प्रधान है तथा यह मूल्य में अस्थिरता मौसम, जलवायु परिस्थितियों और इनपुट लागत** से प्रभावित होती है।
    - अंगूर का उत्पादन **महाराष्ट्र और कर्नाटक में केंद्रित है।**
    - अंगूरों का निर्यात मुख्यत: **नीदरलैंड और बांग्लादेश को किया जाता है** जबकि **आयात चीन से किया जाता है।**

- **भारत में दालों की मुद्रास्फीति पर** शोध पत्र में कहा गया है कि:
  - किसानों को चना के संदर्भ में उपभोक्ता रुपए का 75%, मूँग के संदर्भ में 70% और तुअर के संदर्भ में 65% प्राप्त होता है।
  - मांग और आपूर्ति पक्ष के कारक (जैसे **स्टॉक स्तर, ग्रामीण मजदूरी, इनपुट लागत और संरचनात्मक बाधाएँ**) दालों की मुद्रास्फीति के निर्धारक हैं।
- **भारत में सब्जियों की मुद्रास्फीति पर** शोध पत्र में अनुमान लगाया गया है कि:
  - किसानों को **टमाटर के संदर्भ में 33%, प्याज के संदर्भ में 36%, आलू के संदर्भ में 37% मिलता है।**
  - सब्जियों की मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक **इनपुट लागत, वर्षा और मजदूरी के साथ-साथ** मौसम की स्थिति तथा बाज़ार व्यवहार जैसे आपूर्ति पक्ष के उतार-चढ़ाव शामिल हैं।
  - **लघु फसल चक्र, शीघ्र खराब होने की प्रवृत्ति, क्षेत्रीय उत्पादन संकेंद्रण तथा मौसम की** स्थिति के कारण सब्जियों की कीमतें अत्यधिक अस्थिर रहती हैं।

RBI का अर्थव्यवस्था एवं नीति अनुसंधान विभाग

- यह नीति-संबंधी निर्णय लेने में सहायता हेतु **व्यापक आर्थिक नीति-उन्मुख अनुसंधान** पर आधारित ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- विभाग का अनुसंधान एजेंडा भारत में प्रमुख समष्टि आर्थिक चुनौतियों से निपटता है, जिसमें **मौद्रिक नीति, विकास और मुद्रास्फीति की गतिशीलता, वित्तीय बाज़ार, समष्टि आर्थिक पूर्वानुमान, बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय स्थिरता और बाह्य क्षेत्र प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।**
- DEPR, **RBI की प्रमुख वैधानिक रिपोर्टों को प्रकाशित करने के लिये ज़िम्मेदार है,** जिसमें वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट शामिल है।
  - यह अन्य महत्त्वपूर्ण संसाधन भी प्रकाशित करता है, जैसे राज्य वित्त (बजट का अध्ययन), तथा भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका आदि।

RBI शोध पत्रों द्वारा सुझाए गए उपाय क्या हैं?

- **फल और सब्जियाँ:**
  - **निजी बाज़ारों का विस्तार:** मध्यस्थों पर निर्भरता कम करना और किसानों के लिये बाज़ार पहुँच को बढ़ावा देना।
    - ऐसे बाज़ारों का विस्तार करने से प्रतिस्पर्द्धी मूल्य निर्धारण को बढ़ावा मिलेगा तथा पारंपरिक थोक बाज़ारों (मंडियों) की **अकुशलताएँ कम होंगी।**
  - **सरकारी पहल:** **बफर स्टॉक, मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) और** ऑपरेशन **ग्रीन्स** योजना जैसे उपायों का उद्देश्य मूल्य अस्थिरता को कम करना और किसानों के लिये मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना है।
  - **ई-नाम प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाना:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मूल्य विकृतियों को कम करने के लिये **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म** के उपयोग को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है।
  - **कृषक समूहों को बढ़ावा देना: लघु और सीमांत कृषकों को सशक्त बनाने के लिये किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को** बढ़ावा दिया जा रहा है।
    - FPO **कृषकों को संसाधन जुटाने, सौदेबाजी को बढ़ाने** तथा इनपुट, ऋण और बाज़ार तक पहुँच में सुधार करने में सहायक हो सकते हैं।
  - **कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण: उन्मूलन के बाद होने वाले नुकसान को कम करने** के लिये, विशेष रूप से शीघ्र खराब होने वाले फलों और सब्जियों के लिये। **अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज के कारण भारत में लगभग 30-40% फल और सब्जियाँ नष्ट हो जाती हैं।**
    - कोल्ड स्टोरेज की अवसंरचना में निवेश को बढ़ाने से उपज की शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है, कीमतें स्थिर हो सकती हैं तथा किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।
- **दालें:**
  - **बुनियादी ढाँचे में सुधार: कृषि बाज़ारों में संरचनात्मक सुधारों** की आवश्यकता, जैसे **ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में निवेश।**
    - ये उपाय दीर्घकालिक आधार पर **मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने तथा कृषकों की आय में सुधार लाने के लिये आवश्यक हैं।**
  - **अधिक उपज़ के लिये किस्मों का विकास:** उत्पादन बढ़ाने के लिये **जलवायु-अनुकूल और न्यून अवधि वाली बीज किस्मों को** बढ़ावा देना।
  - उदाहरण के लिये **ICAR की पूसा अरहर-16** तुअर की परिपक्वता अवधि को 180 दिनों से घटाकर 120 दिन कर देती है, जिससे **उपज में 15% की वृद्धि होती है।**

नोट :

- खरीद और बफर रिज़र्व को बढ़ावा देना: बाज़ार में हस्तक्षेप के लिये घरेलू और आयातित दालों की सरकारी खरीद को मज़बूत करना।
- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के रणनीतिक बफर स्टॉक से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिली है।

- **दुग्ध:**
  - व्यापार नीति को युक्तिसंगत बनाना: घरेलू किसानों की सुरक्षा करते हुए कीमतों को स्थिर करने के लिये स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) और मक्खन जैसे आयातित उत्पादों पर टैरिफ समायोजित करना।
  - जर्मप्लाज्म आयात को बढ़ावा देना: क्रॉसब्रीडिंग के लिये समशीतोष्ण नस्लों को प्रस्तुत करने के लिये मवेशी/भैंसों के जर्मप्लाज्म के आयात पर प्रतिबंधों को शिथिल करना, जिससे दीर्घ अवधि में दुग्ध उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा।
  - **मूल्य शृंखला अवसंरचना को बढ़ावा देना: बल्क मिल्क चिलिंग (BMC) केंद्रों,** आधुनिक डेयरी संयंत्रों और छोटी प्रसंस्करण इकाईयों में निवेश को प्राथमिकता देना।
    - **बेहतर प्रसंस्करण और भंडारण बुनियादी ढाँचे से** डेयरी उत्पादों की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।
  - **एकीकृत पशु स्वास्थ्य योजनाएँ: खुरपका-मुँहपका** जैसे बार-बार होने वाले रोगों से निपटने के लिये त्वरित चिकित्सा क्रियात्मक इकाईयाँ स्थापित करना।
- **पोल्ट्री क्षेत्र के लिये नीतिगत सुझाव:**
  - **व्यापार नीतियों की विकृतियों को दूर करना:** वृहद मुद्रास्फीति को कम करने और बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिये, विशेष रूप से उच्च मांग की अवधि के दौरान, **पोल्ट्री आयात पर शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना।**
  - **बुनियादी ढाँचे का विकास:** शीत शृंखला सुविधाओं, प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचे और कृषि प्रबंधन में सुधार के लिये FDI और **सार्वजनिक-निज़ी भागीदारी (PPP) को** प्रोत्साहित करना।
  - **उत्पादन लागत में कमी लाना: उच्च गुणवत्ता वाले मक्का और सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने** के लिये नीतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, क्योंकि **पोल्ट्री फीड की लागत में इनका बड़ा भाग शामिल है।**
  - **छोटे उत्पादकों के लिये संस्थागत समर्थन:** गुणवत्तापूर्ण आगत और बाज़ार तक पहुँच में सुधार के लिये **छोटे पोल्ट्री कृषकों के सामूहिकीकरण को** प्रोत्साहित करना।
    - **अमूल** जैसे सहकारी मॉडल छोटे किसानों को लेन-देन की लागत कम करने और उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं।

कृषि से संबंधित प्रमुख पहल क्या हैं?

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)**
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना**
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- ई-राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (E-NAM)
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- डिजिटल कृषि मिशन
- एकीकृत किसान सेवा मंच (UFSP)
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NEGP-A)
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

निष्कर्ष

अर्थव्यवस्था में कृषकों के योगदान के बावजूद, **उपभोक्ताओं के रुपए में उनका भाग आनुपातिक रूप से न्यूनतम है,** मूलतः फलों और सब्जियों के क्षेत्र में। **आय के अधिक न्यायसंगत वितरण को** बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि कृषकों को उनकी उपज के लिये उचित मुआवज़ा मिले, इन असमानताओं को दूर करना आवश्यक है। कृषकों को सशक्त बनाने, सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र की समग्र दक्षता को बढ़ाने के लिये व्यापक नीतिगत उपाय की आवश्यकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: कृषकों के लिये आय का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय लागू किये जा सकते हैं और ये उपाय कृषि क्षेत्र की समग्र स्थिरता और संधारणीयता में कैसे योगदान दे सकते हैं?

■■■

भारतीय इतिहास

सती प्रथा और संबंधित कानून

चर्चा में क्यों?

सती प्रथा को महिमामंडित करने के आरोप में गिरफ्तार किये गए **8 लोगों को हाल ही में रिहा** किया गया है।

- सती प्रथा के संदर्भ में **4 सितम्बर 1987 को** राजस्थान में ***रूप कंवर मामले*** में केंद्र सरकार द्वारा **सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987 को अधिनियमित किया गया।**

सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत अपराधों के लिये दंड के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **सती होने का प्रयास:** इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि **सती होने का प्रयास करने पर** एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- **सती प्रथा के लिये प्रेरित करना:** इस अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि जो कोई भी **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सती प्रथा के लिये किसी को प्रेरित करता है,** उसे आजीवन कारावास और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। उदाहरण के लिये, किसी विधवा महिला को यह समझाना कि सती होने से उसके या उसके मृत पति को **आध्यात्मिक शांति मिलेगी** या परिवार की खुशहाली बढ़ेगी।
- **सती प्रथा का महिमामंडन:** इस अधिनियम की **धारा 5 में कहा गया है कि सती प्रथा का महिमामंडन करने** पर एक से सात वर्ष की कैद और पाँच से तीस हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

सती प्रथा:

- **परिचय: इसका आशय किसी विधवा** द्वारा अपने पति की चिता पर **आत्मदाह करने से है।**
  - आत्मदाह के बाद उनके लिये एक **स्मारक** या कभी-कभी **मंदिर** बनाया जाता था और उनकी **देवी के रूप में पूजा की जाती थी**
  - सती का पहला **अभिलेखीय साक्ष्य 510 ई. के** मध्य प्रदेश के **भानुगुप्त के एरण स्तंभ लेख** से मिलता है।
- **सती प्रथा को समाप्त करने के लिये उठाए गए कदम:**
  - **मुगल साम्राज्य: वर्ष** 1582 में सम्राट **अकबर ने** अपने संपूर्ण साम्राज्य में अधिकारियों को आदेश दिया कि यदि वे देखें कि किसी महिला के साथ बलि चढाने के लिये जबरदस्ती की जा रही है तो उसे **बलि चढ़ाने से रोका जाए।**
    - उन्होंने विधवा को यह प्रथा बंद करने के लिये **पेंशन, उपहार और पुनर्वास की** भी पेशकश की
  - **सिख साम्राज्य: सिख गुरु अमर दास ने** 15वीं-16वीं शताब्दी में इस प्रथा की **निंदा की।**
  - **मराठा साम्राज्य:** मराठों ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा **पर प्रतिबंध लगा दिया था।**
  - **औपनिवेशिक शक्तियाँ:** डच, **पुर्तगाली और** फ्राँसीसियों **ने** भी भारत में अपने उपनिवेशों में सती प्रथा **पर प्रतिबंध लगाया।**
    - ब्रिटिश गवर्नर-जनरल **विलियम बेंटिक ने बंगाल सती विनियमन, 1829 के तहत** सती प्रथा को **अवैध और** आपराधिक न्यायालयों द्वारा दंडनीय घोषित किया।
- **महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये अन्य कानूनी पहल:**
  - **कन्या शिशु हत्या: वर्ष 1795 और वर्ष 1804 के बंगाल विनियमों ने** शिशु **हत्या को** अवैध घोषित कर दिया तथा इसे हत्या के समान माना।
    - वर्ष 1870 के एक **अधिनियम के तहत माता-पिता को सभी जन्मे शिशुओं का** पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया तथा उन क्षेत्रों में कई वर्षों तक कन्या शिशुओं का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया जहाँ गुप्त रूप से शिशु-हत्या की जाती थी।
  - **विधवा पुनर्विवाह: पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर** के प्रयासों से हिंदू **विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856** पारित किया गया।
    - इसने **विधवाओं के विवाह को वैधानिक बना दिया** तथा ऐसे विवाहों से उत्पन्न बच्चों को भी वैधानिक मान्यता दी।
  - **बाल विवाह: सहमति आयु अधिनियम, 1891 के तहत** 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई।
    - **बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 (सारदा अधिनियम, 1929) ने लड़के और लड़कियों के लिये विवाह की आयु** क्रमशः 18 और 14 वर्ष कर दी।

नोट :

- बाल विवाह निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 1978 के तहत लड़कियों की विवाह की आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़कों की विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई।

- **महिला शिक्षा:** कलकत्ता महिला किशोर सोसायटी (Calcutta Female Juvenile Society) 1819 में महिला शिक्षा की दिशा में एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत हुई।
  - बेथ्यून स्कूल (Bethune School) 1849 महिला शिक्षा के लिये एक महत्त्वपूर्ण संस्थान बन गया।

सती प्रथा उन्मूलन में राजा राममोहन राय की क्या भूमिका थी?

- **सती प्रथा के विरुद्ध संघर्षरत:** राजा राममोहन राय **19वीं सदी के भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति हैं,** जो सती प्रथा को समाप्त करने के अपने सशक्त प्रयासों के लिये जाने जाते हैं।
- **सक्रियता की शुरुआत:** राजा राममोहन राय ने वर्ष **1818 में सती प्रथा विरोधी अभियान आरंभ किया,** जो इस विश्वास से प्रेरित था कि यह प्रथा नैतिक रूप से गलत थी।
- **पवित्र ग्रंथों का उपयोग:** उन्होंने अपने इस तर्क को साबित करने के लिये पवित्र ग्रंथों का हवाला दिया कि **कोई भी धर्म** विधवाओं को जिंदा जलाने की अनुमति नहीं देता।
- **तर्कसंगतता और मानवता:** उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अपने संघर्ष में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों समुदायों को शामिल करने के लिये **मानवता, कारण और करुणा** की व्यापक अवधारणाओं की भी अपील की।
- **ज़मीनी स्तर पर सक्रियता:** उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष के दौरान **श्मशान घाटों का दौरा किया, सतर्कता समूहों का आयोजन किया और सरकार के समक्ष जवाबी याचिकाएँ भी दायर कीं।**
- **बंगाल सती विनियमन, 1829:** राममोहन राय के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप **बंगाल सती विनियमन, 1829 पारित हुआ,** जिसमें सती प्रथा को अपराध घोषित किया गया।

विलियम बेंटिक (1828-1835) द्वारा किये गए अन्य सुधार क्या हैं?

- **प्रशासनिक सुधार:**
  - **प्रशासन का भारतीयकरण:** बेंटिक ने भारतीयों को प्रशासनिक भूमिकाओं से बाहर रखने की कॉर्नवॉलिस की नीति को उलट दिया और **शिक्षित भारतीयों को डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया,** जो सरकारी सेवा के भारतीयकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
  - **भूमि राजस्व निपटान:** लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1833 में भूमि राजस्व की महालवारी **प्रथा की समीक्षा की और उसे अद्यतन किया। इसमें बड़े भूस्वामियों और ग्राम समुदायों के साथ** विस्तृत सर्वेक्षण और संवाद शामिल था, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई।
  - **प्रशासनिक प्रभाग:** बेंटिक ने **बंगाल प्रेसीडेंसी को बीस प्रभागों में पुनर्गठित किया,** जिसमें से प्रत्येक का पर्यवेक्षण एक आयुक्त करता था, जिससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई।
- **न्यायिक सुधार:**
  - **प्रांतीय न्यायालयों का उन्मूलन:** बेंटिक ने **प्रांतीय न्यायालयों को समाप्त कर दिया और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिये न्यायालयों का एक नया पदानुक्रम स्थापित किया, जिसमें** दीवानी और आपराधिक अपीलों के लिये **आगरा में एक उच्चतम न्यायालय** की स्थापना भी शामिल है।
  - **न्यायिक सशक्तीकरण:** उन्होंने इलाहाबाद में अलग **सदर दीवानी न्यायालय और सदर निजामत न्यायालय का निर्माण किया,** जिससे जनता के लिये न्यायिक पहुँच में सुधार हुआ।
  - **दंड में कमी:** बेंटिक ने दंड की कठोरता को कम कर दिया और कोड़े मारने जैसी **अमानवीय प्रथाओं को समाप्त कर दिया।**
  - **न्यायालयों की भाषा: बेंटिक ने** स्थानीय न्यायालयों में **स्थानीय भाषा** के प्रयोग का आदेश दिया।
    - उच्च न्यायालयों में फारसी के स्थान पर **अंग्रेज़ी भाषा को अपनाया गया** तथा योग्य भारतीयों को **मुंसिफ और सदर अमीन के रूप में नियुक्त किया।**
- **वित्तीय सुधार:**
  - **लागत में कटौती के उपाय:** बेंटिक ने बढ़ते खर्चों की जाँच के लिये दो समितियाँ बनाईं, **सैन्य और नागरिक।** उनकी सिफारिशों के बाद, उन्होंने अधिकारियों के **वेतन और भत्ते में काफी कटौती की** साथ ही यात्रा व्यय में कटौती की, जिससे वार्षिक बचत में अधिक वृद्धि हुई।
  - **राजस्व वसूली:** उन्होंने बंगाल में भूमि अनुदान की जाँच की, जहाँ कई लगान-मुक्त भूमिधारकों के पास जाली स्वामित्व संबंधी दस्तावेज़ पाए गए, इससे कंपनी के राजस्व में वृद्धि हुई।

नोट :

- **शैक्षिक सुधार: मैकाले** से प्रभावित होकर बेंटिक ने **शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी का समर्थन किया।**
  - **वर्ष 1835 में अंग्रेज़ी शिक्षा अधिनियम** द्वारा फारसी भाषा **के स्थान पर अंग्रेज़ी को** भारत सरकार की आधिकारिक भाषा बना दिया **गया।**
- **समाज सुधार:**
  - **ठगी का दमन: उन्होंने ठगी प्रथा के** विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की, जो एक आपराधिक संगठन था, यह डकैती और हत्या जैसे मामलों में संलिप्त था।
    - **वर्ष** 1834 के अंत तक बेंटिक ने इस प्रथा को सफलतापूर्वक दबा दिया, जिससे आमजन के बीच भय कम हो गया।
  - **सुधारकों से समर्थन:** उनके सुधारों को **राजा राममोहन राय जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त था,** जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिये सक्रिय रूप से अभियान चलाया और भारत में सामाजिक सुधार की वकालत की।

निष्कर्ष

भारत में सामाजिक सुधार को और आगे बढ़ाने के लिये महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा से संबंधित **जागरूकता बढ़ाना, सती जैसी प्रथाओं के विरुद्ध मौजूदा कानूनों को लागू करना** और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है। ज़मीनी स्तर के संगठनों के साथ सहयोग करने से इन प्रयासों को और बढ़ाया जा सकता है, जिससे समाज में हाशिये पर पड़े समुदायों के लिये स्थायी परिवर्तन और सशक्तीकरण सुनिश्चित हो सकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राममोहन राय की भूमिका पर चर्चा कीजिये। विभिन्न शासकों और औपनिवेशिक शक्तियों ने इस प्रथा पर क्या प्रतिक्रिया दी?

भारत के प्रति नेपोलियन की महत्त्वाकांक्षा और उसका शासन

चर्चा में क्यों?

भारत में नेपोलियन बोनापार्ट की गहरी रुचि से उपमहाद्वीप में ब्रिटिश प्रभुत्व को कमज़ोर करने की उसकी महत्त्वाकांक्षा को बल मिला। यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी राजनीति पर उसका काफी प्रभाव था।

भारत (ओरिएंट) के प्रति नेपोलियन की महत्त्वाकांक्षा क्या थी?

- **ओरिएंटल वर्ल्ड:**
  - **यूरोपीय दृष्टिकोण से** "ओरिएंटल" शब्द का आशय **पूर्वी देशों** (जिसमें यूरोप के पूर्व में स्थित क्षेत्र और संस्कृतियाँ शामिल हैं) **से था।**
  - सामान्य तौर पर यह एशिया महाद्वीप को दर्शाता है जिसमें **चीन, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और अन्य पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं।**
- **नेपोलियन की ओरिएंट के प्रति महत्त्वाकांक्षा:**
  - बचपन से ही नेपोलियन बोनापार्ट पूर्वी देशों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने के साथ **एशिया में सिकंदर महान की विजयों से उसने प्रेरणा प्राप्त की,** जिससे इस क्षेत्र में उसकी महत्त्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला।
  - भारत में उसकी **विशेष रुचि वर्ष 1798 के आसपास** उसके मिस्र अभियान के दौरान विकसित हुई, जिसका उद्देश्य फ्राँस के मुख्य प्रतिद्वंद्वी ब्रिटेन को धमकाना तथा भारत के साथ बढ़ते ब्रिटिश व्यापार को बाधित करना था।
  - नेपोलियन को मिस्र में ब्रिटेन के हाथों **हार का सामना करना पड़ा और वर्ष 1799 में टीपू सुल्तान** की मृत्यु हो गई, फिर भी भारत में ब्रिटिश नियंत्रण को चुनौती देने की उसकी महत्त्वाकांक्षा आगे भी बनी रही। इस क्रम में ब्रिटेन, रूस और फ्राँस सहित प्रमुख यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष की पृष्ठभूमि में विभिन्न रणनीतियाँ विकसित हुईं।

भारत पर आक्रमण में नेपोलियन के साझेदार:

- **रूस:**
  - मिस्र में हार के बाद नेपोलियन को **रूसी ज़ार पॉल I ने "ग्रेट गेम" के चरम पर पहुँचने पर संपर्क किया, जो** एशियाई क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिये ब्रिटेन और रूस के बीच एक भू-राजनीतिक संघर्ष था।
  - वर्ष 1801 में ज़ार ने गुप्त रूप से भारत में ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के लिये एक संयुक्त **फ्रेंको-रूसी आक्रमण का प्रस्ताव रखा,** जिसमें रूस और फ्राँस के बीच विजित भूमि को विभाजित करने की योजना थी।
  - यद्यपि **नेपोलियन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया,** लेकिन ज़ार पॉल प्रथम ने **उनकी हत्या के बाद मिशन को छोड़ने से पहले कुछ समय तक अकेले** ही आगे बढ़ने का प्रयास किया।

- **फारस (ईरान):**
  - **यूरोप और भारत के बीच** रणनीतिक रूप से स्थित फारस साम्राज्यवादी शक्तियों के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण था। वर्ष 1800 तक नेपोलियन ने फारस को **भारत के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण मार्ग के रूप में देखा तथा** फ्राँसीसी एजेंटों से फारसी शाह फतह अली के साथ जुड़ने का आग्रह किया।
  - इसकी प्रतिक्रिया में **ब्रिटेन ने कैप्टन जॉन मैल्कम को बातचीत के लिये भेजा, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1801** में फारस के साथ एक वाणिज्यिक एवं राजनीतिक संधि हुई।
- इस संधि से फारस में फ्राँसीसी प्रभाव को समाप्त किया गया तथा फारस को यह अनुमति दी गई कि यदि अफगानिस्तान से भारत को खतरा हो तो वह उस पर युद्ध कर सकता है।
  - **ब्रिटेन ने इस संधि से रूस को बाहर रखा,** भले ही उस दौरान रूस फारस के लिये सबसे बड़ा खतरा था।
- **वर्ष 1801** में रूस ने जॉर्जिया (फारस द्वारा दावा किये गए क्षेत्र पर) पर कब्जा कर लिया तथा वर्ष 1804 तक एरिवान (आधुनिक आर्मेनिया) पर कब्जा करके इसने आगे की ओर रुख किया।
  - इसके बदले में फारस ने ब्रिटेन के साथ संबंध तोड़ने और भविष्य में फ्राँस को युद्ध सहायता देने पर सहमति व्यक्त की।
  - जब फारसी शाह ने रूसी हमले के भय से इस संधि के तहत **ब्रिटिश सहायता मांगी तो उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।**
    - इसके बाद नेपोलियन ने शाह फतह अली के साथ **फिंकेस्टीन की संधि को औपचारिक रूप दिया,** जिसमें फारस की क्षेत्रीय संप्रभुत्ता की गारंटी देने के साथ रूस के खिलाफ फ्राँसीसी सैन्य समर्थन का आश्वासन दिया गया।
- फारस के साथ फ्राँसीसी गठबंधन के बावजूद, **नेपोलियन ने वर्ष 1807 में रूस के साथ गुप्त समझौते (तिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर) किए,** जिससे इसके वैश्विक प्रभाव पर असर पड़ा।
  - यूरोप में फ्राँस प्रभावी था जबकि रूस का नियंत्रण एशिया पर था। **इस गठबंधन से फारस कमज़ोर हुआ और** उसने रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिये फ्राँसीसी मदद मांगी थी।
- गुप्त समझौते के बाद फारसी शाह ने ब्रिटिशों के साथ एक नई संधि की मांग की, जिसके तहत ब्रिटेन ने फारस को सैन्य सहायता और वार्षिक सब्सिडी देने का वादा किया।

टीपू सुल्तान के फ्राँसीसियों से संबंध

- टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने भारत में अंग्रेज़ों से लड़ने के लिये **फ्राँसीसियों के साथ संधि की थी।**
  - उन्होंने **अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिये फ्राँसीसी अधिकारियों का इस्तेमाल किया,** लेकिन उन्हें दबाव समूह के निर्माण की अनुमति नहीं दी।
- टीपू सुल्तान **फ्राँसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। उन्होंने "नागरिक टीपू (Citizen Tipu)"** नाम अपनाया और **जैकोबिन नामक फ्राँसीसी क्लब के सदस्य बन गए,** जो स्वतंत्रता और समान अधिकारों की वकालत करता था।
  - **उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष** भी लगाया।

भारत में फ्राँसीसी

- भारत में प्रथम **फ्राँसीसी कारखाना वर्ष 1667 में** फ्रेंकोइस कैरन द्वारा **सूरत** में स्थापित किया गया था, जिसके पश्चात् वर्ष **1669 में** मारकारा द्वारा **मसूलीपट्टम में कारखाना स्थापित किया गया था।**
- उन्होंने **मालाबार में माहे, कोरोमंडल में यनम (दोनों वर्ष 1725 में) और तमिलनाडु में करिकल (1739) पर कब्ज़ा कर लिया।**
- **वर्ष 1742 में भारत में फ्राँसीसी गवर्नर के रूप में डूप्ले** के आगमन के साथ ही **एंग्लो-फ्रेंच संघर्ष (कर्नाटक युद्ध)** की शुरुआत हुई, जिसके परिणामस्वरूप भारत में उनकी अंतिम हार हुई।
  - **जनवरी 1760 में तमिलनाडु के वांडिवाश (या वंदावसी) में** तृतीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक संघर्ष अंग्रेज़ों ने जीत लिया। इसके बाद भारत में साम्राज्य निर्माण की फ्राँसीसी महत्त्वाकांक्षा समाप्त हो गई।

- 1 नवंबर 1954 को **भारत में फ्राँसीसी क्षेत्रों को** आधिकारिक तौर पर **भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया** और **पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया**। इसके साथ ही **280 वर्ष के फ्राँसीसी शासन का अंत हो गया।**
  - लेकिन वर्ष 1963 में पेरिस में फ्राँसीसी संसद द्वारा भारत के साथ संधि की पुष्टि के बाद ही पुदुचेरी आधिकारिक रूप से भारत का अभिन्न अंग बन पाया।

नोट :

नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **व्यक्तिगत जीवन:**
  - नेपोलियन बोनापार्ट का **जन्म वर्ष 1769 में भूमध्यसागरीय द्वीप कोर्सिका** में हुआ था।
  - **वर्ष 1785** में 16 वर्ष की आयु में, वह **तोपखाने में लेफ्टिनेंट बन गए।**
  - फ्राँसीसी क्रांति के आरंभ होने के बाद नेपोलियन नव स्थापित सरकार की सेना में शामिल हो गया।
    - **वर्ष 1804 में उन्होंने स्वयं को फ्राँस का सम्राट घोषित कर दिया।**

नेपोलियन की भूमिका:

- **फ्राँस:**
  - **क्रांतिकारी युद्ध: नेपोलियन आरंभ में फ्राँसीसी क्रांतिकारी संघर्ष** के दौरान एक सैन्य कमांडर के रूप में प्रमुखता से उभरे।
    - उन्होंने **विभिन्न यूरोपीय गठबंधनों के विरुद्ध अभियानों का नेतृत्व किया,** विशेष रूप से **इटली (वर्ष 1796) और मिस्र (वर्ष 1798) में, और** स्वयं को फ्राँस के सबसे महान सैन्य रणनीतिकारों में से एक के रूप में स्थापित किया।
- **डायरेक्टरी का उन्मूलन: वर्ष 1799 में नेपोलियन ने तख्तापलट** में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसने **अप्रभावी डायरेक्टरी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका,** जिससे फ्राँसीसी क्रांति का अंत हुआ और वाणिज्य दूतावास की शुरुआत हुई, जहाँ **उन्होंने प्रथम वाणिज्यदूत के रूप में सत्ता संभाली।**
- **नेपोलियन के द्वारा किये गए युद्ध (वर्ष 1803-1815):** सम्राट बनने के बाद (वर्ष 1804), नेपोलियन ने **नेपोलियन संघर्ष के रूप में ज्ञात सैन्य अभियानों की एक शृंखला के माध्यम से यूरोप के अधिकांश भागों में फ्राँसीसी क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार किया।**
  - उन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण किया, प्रशासन का आधुनिकीकरण किया तथा शिक्षा, कराधान और बुनियादी ढाँचे में सुधार लागू किये।
- **नेपोलियन संहिता की स्थापना:** एक शासक के रूप में नेपोलियन ने वर्ष **1804 में नेपोलियन संहिता की शुरुआत की,** जो एक **विधिक ढाँचा था जिसने फ्राँसीसी विधिक प्रणाली में सुधार किया।**
  - इस संहिता में **विधि के समक्ष समता, व्यक्तिगत अधिकार और धर्मनिरपेक्ष सरकार पर ज़ोर दिया गया।** इससे विभिन्न देशों में विधिक प्रणालियों की बुनियाद रखी गई।
- **महाद्वीपीय व्यवस्था:** ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिये नेपोलियन ने **महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की,** जो एक व्यापार नाकाबंदी थी, जिसका उद्देश्य मुख्य भूमि यूरोप के साथ ब्रिटिश वाणिज्य का उन्मूलन करना था। हालाँकि, इस नीति के मिश्रित परिणाम हुए और फ्राँस की अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा।
- **फ्राँस का आधुनिकीकरण: नेपोलियन ने शिक्षा प्रणाली, बैंकिंग और बुनियादी ढाँचे** समेत फ्राँसीसी समाज के विभिन्न पहलुओं का आधुनिकीकरण किया।
  - उनके द्वारा किये गए सुधारों ने फ्राँस और व्यापक यूरोपीय महाद्वीप पर स्थायी प्रभाव छोड़ा।
- **यूरोप:**
  - **महाद्वीपीय व्यवस्था की स्थापना (1806):** नवंबर 1806 में नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था की स्थापना की, जो एक रणनीतिक नाकाबंदी थी जिसका उद्देश्य महाद्वीपीय यूरोप के साथ उसके व्यापार और संचार को काटकर **ग्रेट ब्रिटेन को पृथक करना था।**
    - इसका प्राथमिक उद्देश्य **यूरोप को आत्मनिर्भर बनाना, जिसमें** ब्रिटेन के वाणिज्यिक और औद्योगिक सामर्थ्य को कमज़ोर करना था।
    - यद्यपि उनके सहयोगी और परिवार के सदस्य महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन नहीं करते थे।
  - **प्रायद्वीपीय युद्ध (वर्ष 1808): उन्होंने पुर्तगाल को महाद्वीपीय व्यवस्था का अनुपालन करने के लिये मज़बूर करने हेतु** युद्ध छेड़ा।
    - **स्पेन में नेपोलियन ने स्पेन के राजा को पदच्युत करके** अपने भाई जोसेफ को गद्दी पर बिठाया। **स्पेन की जनता ने आक्रोश के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की,** जिससे राष्ट्रवादी भावनाएँ भड़क उठीं।
  - **राष्ट्रवाद और विरोध का विकास:** नेपोलियन के कार्यों ने, विशेष रूप से स्पेन में, **संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा दिया।**
    - **विदेशी शासकों को थोपने** और चर्च **समेत** स्थानीय संस्थाओं को **कमज़ोर करने से** व्यापक विरोध को बढ़ावा मिला, जिससे अंततः उनके साम्राज्य का पतन हो गया।
- **यूरोप से बाहर:**
  - **मिस्र अभियान (वर्ष 1798-1801):**
    - **रणनीतिक उद्देश्य:** नेपोलियन के मिस्र अभियान का उद्देश्य मिस्र पर नियंत्रण प्राप्त करके **मध्य पूर्व और भारत में ब्रिटिश प्रभाव को कमज़ोर करना था।**

नोट :

- **मिस्र ब्रिटेन के उपनिवेशों,** विशेषकर भारत, के लिये व्यापार मार्ग का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम था, जिससे यह नेपोलियन के उद्देश्यों के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण बन गया।
- **हार और पीछे हटना:** पिरामिडों के संघर्ष जैसी प्रारंभिक जीत के बावजूद, अभियान अंततः विफल हो गया।
  - **नेपोलियन के बेड़े को नील नदी के युद्ध (1798)** में अंग्रेज़ों द्वारा नष्ट कर दिया गया, उसे वर्ष 1799 में अपनी सेना छोड़कर फ्राँस लौटने के लिये मज़बूर होना पड़ा।
- **अमेरिका में भूमिका:**
  - **लुइसियाना परचेज (1803):** एक प्रमुख भू-राजनीतिक निर्णय में, नेपोलियन ने **1803 में लुइसियाना क्षेत्र को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर में संयुक्त राज्य अमेरिका को बेच दिया** ।
  - **लुइसियाना परचेज के** नाम से प्रसिद्ध इस बिक्री से अमेरिका का भौगोलिक आकार दोगुना हो गया और यूरोप में नेपोलियन के सैन्य अभियानों के लिये धन एकत्रित करने में मदद मिली।
    - इस बिक्री का प्राथमिक लक्ष्य **इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका को सुदृढ़ करना था,** क्योंकि वह **ब्रिटेन अमेरिका और फ्राँस दोनों का विरोधी था।**
  - **हैती और कैरीबियाई:** नेपोलियन ने कैरीबियाई उपनिवेशों, विशेष रूप से **संट-डोमिंगु (हैती) पर फ्राँसीसी नियंत्रण पुनः स्थापित करने का प्रयास किया,** जो अपने चीनी बागानों के कारण सबसे धनी फ्राँसीसी उपनिवेश था।
    - हालाँकि **टूसेंट लौवरचर के नेतृत्व में दास विद्रोह के बाद,** हैती ने वर्ष **1804 में स्वतंत्रता की घोषणा की।** नियंत्रण हासिल करने के नेपोलियन के प्रयास विफल हो गए, और हैती **पहला स्वतंत्र अश्वेत गणराज्य बन गया।**

नेपोलियन की नीतियाँ उसके पतन का कारण कैसे बनीं?

- **साम्राज्य का पतन:**
  - **असफल रूसी आक्रमण (1812): वर्ष 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया, झुलसती धरती और कठोर सर्दियों की परिस्थितियों की** रूसी रणनीति ने नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी को तबाह कर दिया, जिससे भारी क्षति हुई।
  - **छठवीं युद्ध संधि (1813-1814):** असफल रूसी अभियान के बाद, **यूरोपीय शक्तियों - ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया** - ने छठवीं युद्ध संधि की और नेपोलियन पर नए आक्रमण किये।
    - लीपज़िग का निर्णायक **युद्ध (1813)** में **नेपोलियन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा,** जिससे मध्य यूरोप में फ्राँसीसी नियंत्रण समाप्त हो गया।
- **प्रथम त्यागपत्र और एल्बा निर्वासन (1814):**
  - भारी पराजय का सामना करते हुए, उन्होंने **अप्रैल 1814 में अपने बेटे के पक्ष में गद्दी छोड़ दी।**
    - पदत्याग के बाद **नेपोलियन को इटली के तट से दूर एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया,** जहाँ उसे संप्रभुता प्रदान की गई तथा उसने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया।
- **वाटरलू के युद्ध में हार (1815):**
  - नेपोलियन की अपने साम्राज्य को बहाल करने की अंतिम कोशिश **जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराकाष्ठा पर पहुँची,** जहाँ उसका **सामना ब्रिटिश और प्रशिया की सेनाओं से हुआ।** उसकी नवगठित सेना निर्णायक रूप से पराजित हुई, जिसने उसके शासन और नेपोलियन युद्ध के अंत को चिह्नित किया।
- **दूसरा त्यागपत्र और सेंट हेलेना में निर्वासन:**
  - नेपोलियन को सत्ता में वापसी से रोकने के लिये यूरोप से दूर **सेंट हेलेना** के सुदूर द्वीप **पर निर्वासित कर दिया गया था। नेपोलियन ब्रिटिश निगरानी में रहते थे, जिसे उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है और** बिगड़ते स्वास्थ्य का सामना करते हुए अपनी विरासत पर विचार करते थे।
    - इतिहासकारों का मानना है कि **पेट के कैंसर** के कारण ही उनकी मृत्यु हुई होगी।
  - अपने पतन के बावजूद, **नेपोलियन की विरासत उसके सुधारों**, विशेष रूप से नेपोलियन संहिता के माध्यम से कायम है, जिसने वैश्विक विधिक प्रणालियों को प्रभावित किया।
    - उनकी सैन्य रणनीतियाँ अध्ययन का विषय बनी हुई हैं, तथा यूरोपीय राजनीति और शासन पर उनके प्रभाव ने **19वीं शताब्दी को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।**

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 19वीं शताब्दी की नेपोलियन बोनापार्ट की नीतियों और सुधारों ने आधुनिक राष्ट्र-राज्यों को आकार दिया। चर्चा कीजिये?

फ्राँसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों का विलय

चर्चा में क्यों?

1 नवम्बर 1954 को भारत में फ्राँसीसी कब्जे वाले क्षेत्र भारतीय संघ को हस्तांतरित कर दिये गए तथा **पुदुचेरी एक केंद्रशासित** प्रदेश बन **गया।**

- **19 दिसंबर** को भारत, **वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन** से **गोवा** राज्य को मिली स्वतंत्रता के स्मरण में **गोवा मुक्ति दिवस** मनाएगा।
- **लंबी बातचीत, राष्ट्रवादी आंदोलनों और सैन्य कार्रवाई** से भारत फ्राँसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों को भारत में **एकीकृत करने** में सफल रहा।

फ्राँस ने भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखने पर क्यों ज़ोर दिया?

- **द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण:** फ्राँसीसी सरकार का मानना था कि साम्राज्य औपनिवेशिक संसाधनों का उपयोग करके **राष्ट्र के युद्ध-पश्चात पुनर्निर्माण को पुनर्जीवित करने** और अपने वैश्विक प्रभाव को मज़बूत करने में मदद करेगा।
- **ब्राज़ाविल सम्मेलन (1944): वर्ष 1944 में फ्रेंच कांगो** में आयोजित **ब्राज़ाविल सम्मेलन से फ्राँसीसी संघ** की अवधारणा सामने आई।
  - इससे उपनिवेशों को **फ्राँसीसी राजनीतिक प्रणाली में** अधिक प्रत्यक्ष रूप से **एकीकृत किया जा सकेगा, जिससे उन्हें पुन: परिभाषित संबंधों** के तहत फ्राँस का हिस्सा बने रहने की अनुमति मिल सकेगी।
- **लोकतांत्रिक अधिकार: फ्राँसीसी संघ के संविधान के अनुच्छेद 27 में उसके उपनिवेशों को या तो** फ्राँस के साथ **रहने या स्वतंत्र होने** का विकल्प दिया गया था।
  - अपने **उपनिवेशों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिये फ्राँस को एक उदार और प्रगतिशील** औपनिवेशिक प्राधिकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- **सांस्कृतिक और भाषाई प्रभाव:** फ्राँसीसी भारत में कई निवासी **अंग्रेज़ी नहीं, बल्कि फ्रेंच बोलते थे,** वे सांस्कृतिक रूप से नए, अंग्रेज़ी बोलने वाले स्वतंत्र भारत के बजाय फ्राँस के साथ जुड़ाव महसूस करते थे।
- **रणनीतिक और राजनीतिक गणना:** फ्राँसीसी सरकार के लिये, भारत में जो कुछ भी हुआ, उसका प्रभाव **इंडोचीन और अफ्रीका में उनके अन्य उपनिवेशों पर पड़ना तय था।** परिणामस्वरूप उनका उद्देश्य संवाद की प्रक्रिया को यथासंभव लंबा खींचना था।

नोट:

- भारत में, फ्राँसीसी उपनिवेशों में **पुदुचेरी, माहे, चंद्रनगर, कराईकल और यानोन (यानम) शामिल थे।**

पुर्तगाल ने भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखने पर क्यों ज़ोर दिया?

- **ऐतिहासिक दावा: पुर्तगाल ने गोवा** में अपनी **सदियों पुरानी उपस्थिति पर ज़ोर दिया, तथा 16वीं शताब्दी के** आरंभ से ही इस क्षेत्र पर शासन किया, हाल ही में **ब्रिटिश या फ्राँसीसी उपनिवेश स्थापित हुए।**
  - गोवा के लोग 19वीं सदी से पुर्तगाली संसद में अपने प्रतिनिधियों के लिये मतदान करते आ रहे हैं।
- **सालाजार का तानाशाही रुख:** पुर्तगाली तानाशाह **सालाजार ने** पुर्तगाल के उपनिवेशों को अस्थायी संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि **पुर्तगाली राज्य के अभिन्न अंग के रूप में देखा** और गोवा तथा अन्य भारतीय क्षेत्रों को **विदेशी प्रांत घोषित कर दिया।**
  - उनके विचार में इस रुख ने उपनिवेशवाद को अकल्पनीय बना दिया, क्योंकि उनका यह मानना था कि यह पुर्तगाल की क्षेत्रीय अखंडता के **विघटन** के समान होगा।
- **भू-राजनीतिक लाभ:** उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में पुर्तगाल की सदस्यता ने गोवा की मुक्ति के लिये बल प्रयोग करने के भारत के प्रयासों के विरुद्ध एक निवारक प्रदान किया।
- **गोवा का सामरिक महत्त्व:** भारत के पश्चिमी तट पर **गोवा की रणनीतिक स्थिति ने पुर्तगाल को दक्षिण एशिया में पैर जमाने का मौका दिया** और इसे क्षेत्र में पुर्तगाली प्रभाव बनाए रखने के लिये एक मूल्यवान परिसंपत्ति के रूप में देखा गया।
- **कैथोलिक जनसंख्या:** पुर्तगाल ने तर्क दिया कि गोवा की **कैथोलिक जनसंख्या मुख्यत: हिंदू-प्रधान स्वतंत्र भारत** में सुरक्षित नहीं रहेगी।
- **यह अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति** प्राप्त करने का एक रणनीतिक कदम था, जिसका आशय यह था कि पुर्तगालियों के हटने से धार्मिक अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा।

नोट :

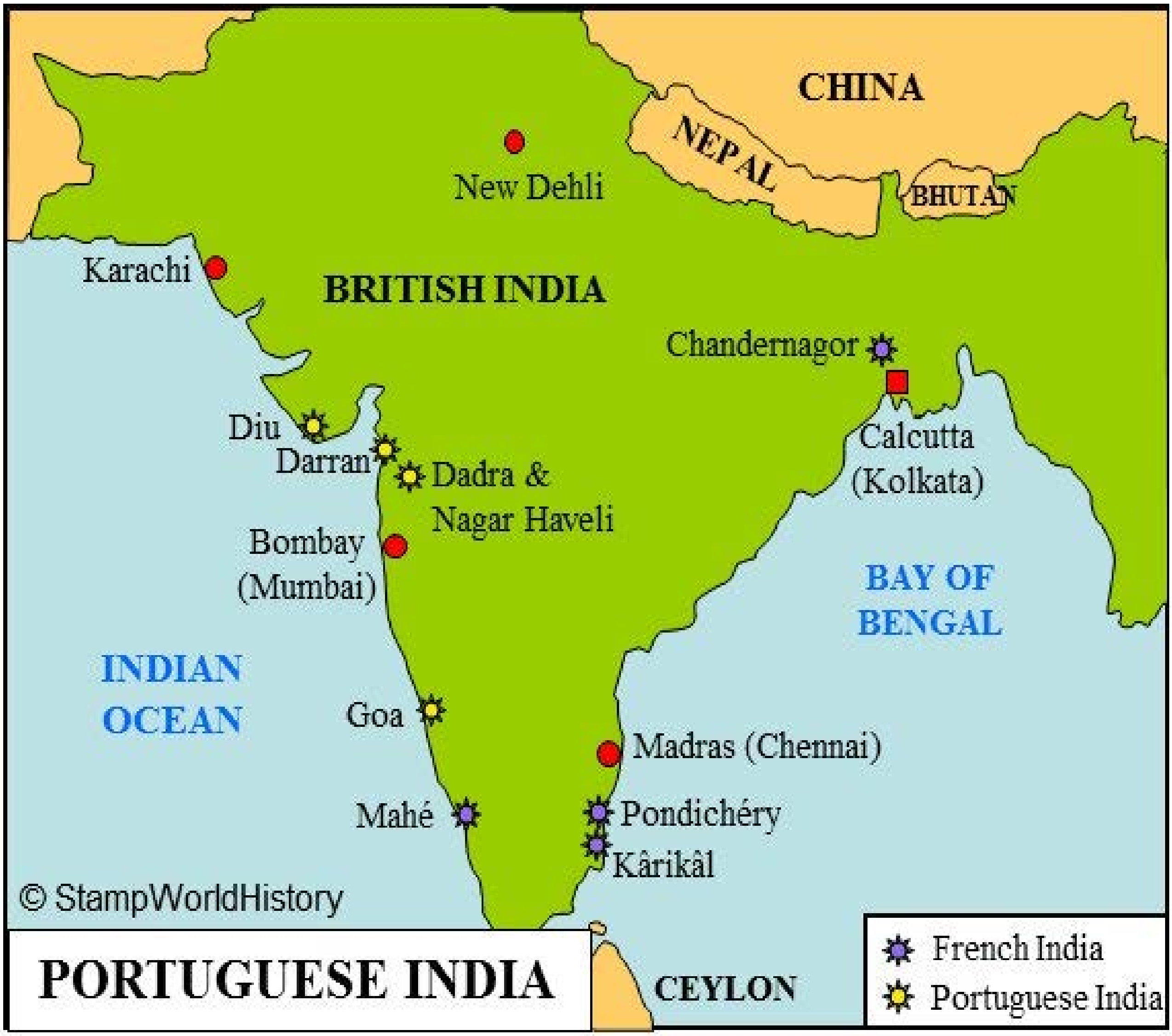

नोट:

- भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों में **दमन, दीव, गोवा, इल्हा-डि-एंजडिवा, नगर हवेली और पानीकोठा शामिल थे।**

फ्राँसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों का भारत में विलय किस प्रकार भिन्न रूप से हुआ?

पहलू	फ्राँसीसी उपनिवेश	पुर्तगाली उपनिवेश
औपनिवेशि शक्ति का रुख	**प्रारंभ में वार्ता** के लिये तैयार, **सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने पर केंद्रित**	क्षेत्र को प्रदान करने से इनकार कर दिया, साथ ही यह बल दिया कि गोवा **पुर्तगाल का भाग है**
स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया	कुछ लोग **फ्राँस के साथ बने रहने के पक्ष में थे**, जबकि अन्य भारत के साथ एकीकरण के पक्षधर थे।	प्रबल राष्ट्रवादी भावना और पुर्तगाली शासन के प्रति **दीर्घकालिक विरोध। उदाहरण के लिये वर्ष** 1787 में गोवा में पुर्तगाली शासन के विरुद्ध **पिंटो विद्रोह**

नोट :

राष्ट्रवादी आंदोलनों की भूमिका	विभिन्न राष्ट्रवादी समूहों ने भारत के साथ एकीकरण का समर्थन किया। ● **फ्राँसीसी भारतीय छात्र कॉन्ग्रेस, फ्राँसीसी भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस, फ्राँसीसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने** भारतीय संघ में विलय की मांग की। ● चंद्रनगर में **राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा (NDF)** ने धमकी दी कि यदि फ्राँस भारत के साथ विलय की योजना प्रस्तावित करने में विफल रहा तो वे सत्याग्रह करेंगे। ● माहे में राष्ट्रवादी **महाजन सभा ने** समानांतर सरकार स्थापित करने की धमकी दी।	18वीं शताब्दी से चली आ रही सशक्त स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। ● 19वीं सदी के गोवा के राष्ट्रवादी नेता **फ्राँसिस्को लुइस गोम्स ने** लगातार पुर्तगाली शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ● **गोवा राष्ट्रवाद के जनक ट्रिस्टा-डी-ब्रगांका कुन्हा ने** 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गोवा राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का गठन किया था। ● **राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (गोवा) ने** गोवा, दमन और दीव की पूर्ण स्वतंत्रता और भारतीय संघ में इसके एकीकरण का समर्थन किया। ● **एक क्रांतिकारी संगठन, आज़ाद गोमांतक दल (AGD)** ने भूमिगत विरोध आरंभ किया।
प्रमुख घटनाएँ	**प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं:** ● जून 1948 में फ्राँसीसी सरकार ने **चंद्रनगर (पश्चिम बंगाल) में जनमत संग्रह** आयोजित किया, जिसमें भारत में विलय के पक्ष में मतदान हुआ। ● वर्ष 1951 में फ्राँसीसी भारतीय क्षेत्रों को फ्राँसीसी और भारतीय क्षेत्रों से अलग करने वाली सीमाओं पर **हिंसक मुठभेड़ों के कारण नुकसान हुआ।** ● वर्ष 1954 में विलय; वर्ष 1962 में अनुसमर्थन	**प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं:** ● 15 अगस्त 1954 को गोवा राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस द्वारा एक **जन सत्याग्रह** आयोजित किया गया, जिसे पुर्तगाली अधिकारियों ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया। ● वर्ष 1955 में, तिरंगा झंडा उठाने वाले सत्याग्रहियों के जत्थों **पर गोलियाँ चलाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप** कई लोग मारे गए और **गिरफ्तार कर लिये गए।** ● जुलाई 1954 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ क्रांतिकारी समूहों के साथ मिलकर **पुर्तगालियों को दादर एवं नगर हवेली से बाहर कर दिया।** ● **वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के** परिणामस्वरूप गोवा, दमन और दीव पर सैन्य अधिग्रहण कर लिया गया।
स्थानांतरण का तरीका	भारत के साथ वार्ता से समाधान और **राजनीतिक एकीकरण**	**सैन्य हस्तक्षेप** (ऑपरेशन विजय) और जबरन विलय
अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव	फ्राँसीसी संघ की अवधारणा ने इस प्रक्रिया को प्रभावित किया; अफ्रीका और इंडोचीन में फ्राँसीसी उपनिवेशों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता	पुर्तगाल में सालाजार तानाशाही; **नाटो गठबंधन ने** भारत की प्रतिक्रिया को जटिल बना दिया
भारत सरकार की भूमिका	कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और शांतिपूर्ण एकीकरण के लिये वार्ता	कूटनीतिक प्रयास विफल; लम्बे कूटनीतिक विरोध के बाद सैन्य बल का प्रयोग किया गया।

निष्कर्ष

भारत में फ्राँसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों के विऔपनिवेशीकरण ने **विपरीत दृष्टिकोणों को उजागर किया - कूटनीतिक सूझबूझ बनाम सशस्त्र संघर्ष**। फ्राँसीसी भारत ने शांतिपूर्ण परिवर्तन देखा, पुर्तगाल द्वारा गोवा को सौंपने से इनकार करने के कारण सैन्य कार्रवाई हुई। दोनों प्रक्रियाएँ भारत की स्वतंत्रता के बाद की क्षेत्रीय एकता को आकार देने में महत्त्वपूर्ण थीं और वैश्विक विऔपनिवेशीकरण को अधिक प्रेरित किया।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की स्वतंत्रता के बाद अपने भारतीय क्षेत्रों को बनाए रखने में फ्राँसीसी और पुर्तगाली औपनिवेशिक शक्तियों के विपरीत दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिये।

■■■

नोट :

प्रिलिम्स फैक्ट्स

सशस्त्र बलों में औपनिवेशिक प्रथाओं का समापन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्री ने '**औपनिवेशिक प्रथाएँ और सशस्त्र बल-एक समीक्षा**' पर एक प्रकाशन जारी किया, जिसमें **औपनिवेशिक प्रथाओं** को त्यागने का प्रस्ताव किया गया है और साथ ही सशस्त्र बलों में प्रचलित **सिद्धांतों, प्रक्रियाओं एवं रीति-रिवाज़ों** के स्वदेशीकरण की वकालत की गई है।

- इससे पहले, समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान के संश्लेषण के लिये **प्रोजेक्ट उद्भव** शुरू किया गया था।

औपनिवेशिक अवशेषों को समाप्त करने के लिये क्या प्रमुख संशोधन सुझाए गए हैं?

- **स्वदेशी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना:** प्राचीन भारतीय रणनीतिकारों के कार्यों को सैन्य नेतृत्व पाठ्यक्रमों में शामिल करना, युवा सैन्य अधिकारियों को भारत को केंद्र में रखते हुए रणनीतिक रूप से सोचने के लिये प्रोत्साहित करने की एक रणनीति है।
  - उदाहरण के लिये, **मराठों** या **सिखों** जैसे भारतीय सेनापतियों द्वारा किये गए भूमि अभियानों के साथ-साथ **राजाराज चोल प्रथम** तथा उनके पुत्र **राजेंद्र चोल** के समुद्री अभियान पर शोध के साथ-साथ **चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन** मॉडल भी शामिल हो सकता है।
- **स्वदेशी ग्रंथों को शामिल करना:** सेना प्रशिक्षण कमान ने सैन्य कर्मियों के लिये प्राचीन भारतीय अवधारणाओं और सिद्धांतों पर पठन सामग्री निर्मित की है।
  - इसमें **गीता**, **पंचतंत्र**, **अर्थशास्त्र**, **चाणक्य नीति** और **तिरुक्कुरल** से उद्धरण जैसे '**प्राचीन भारतीय ज्ञान के मोती**' शामिल हैं।
- **इन्फेंट्री रेजीमेंटों का अखिल भारतीय चरित्र:** सेना अपनी इन्फेंट्री रेजीमेंटों को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने के तरीकों पर विचार कर रही है, जिससे विभिन्न इकाइयों में विविधता एवं प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके।
- **भारतीय सांस्कृतिक तत्त्वों का उन्नत उपयोग:** सैन्य प्रशिक्षण सुविधाओं में औपनिवेशिक युग की साहित्यिक कृतियों, जैसे रुडयार्ड किपलिंग की "IF" एवं NDA में मौजूदा अंग्रेजी प्रार्थना को अधिक **भारतीय कविताओं, प्रार्थनाओं और धुनों से प्रतिस्थापित** किया जाएगा।
- **त्रि-सेवा अधिनियम का प्रारूप तैयार करना:** सेना, नौसेना और वायु सेना में प्रशासन को सरल बनाने हेतु, तीन अलग-अलग सेवा अधिनियमों के लिये एक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक प्रतिस्थापन के रूप में एक **एकीकृत त्रि-सेवा अधिनियम** पर विचार किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट उद्भव क्या है?

- **परिचय:** इसका उद्देश्य भारत के समृद्ध **ऐतिहासिक सैन्य ज्ञान को आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ एकीकृत** करना है।
  - **यह भारतीय सेना एवं यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (एक थिंक टैंक)** के बीच एक संयुक्त पहल है।

प्राचीन ग्रंथों एवं दर्शनशास्त्र को शामिल करना:

- **चाणक्य का अर्थशास्त्र :** यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सॉफ्ट पावर जैसी आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ **रणनीतिक साझेदारी, गठबंधन और कूटनीति** के महत्त्व पर ज़ोर देता है।
- **तिरुवल्लुवर द्वारा तिरुक्कुरल :** यह **न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांतों** तथा **जिनेवा कन्वेंशन** जैसे आधुनिक सैन्य नैतिकता के साथ संरेखित करते हुए, युद्ध सहित सभी स्थितियों में **नैतिक आचरण को बढ़ावा** देता है।
- **पूर्व नेतृत्वकर्त्ताओं के सैन्य अभियान : चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक** एवं **चोल** जैसे भारतीय नेतृत्वकर्त्ताओं के शासन और उनकी सैन्य सफलताएँ बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।
- **प्रमुख सैन्य अभियान:**
  - **सरायघाट का नौसैनिक युद्ध (1671): लचित बोड़फुकन** ,सरायघाट की नौसैनिक युद्ध कूटनीति, मनोवैज्ञानिक युद्ध, सैन्य खुफिया जानकारी के साथ-साथ मुगल कमज़ोरियों का लाभ उठाने का एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है।
  - **छत्रपति शिवाजी एवं महाराजा रणजीत सिंह : असममित युद्ध** एवं नौसैनिक रक्षा के सबक उन रणनीतियों से सीखे जा सकते हैं जिनका प्रयोग दोनों नेतृत्वकर्त्ताओं ने संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ मुगल और अफगान सेनाओं पर विजय पाने के लिये किया था।
- **रक्षा संस्थानों में इंडिक अध्ययन :** भारतीय संस्कृति एवं रणनीतिक सोच को जोड़ने वाला अनुसंधान रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय (CDM) जैसे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया गया है, जिसने **प्रोजेक्ट उद्भव** को महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रदान की है।

औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करने के लिये अतीत में कौन-से प्रयास किये गए थे?

- **ध्वज:** भारतीय नौसेना ने '**जैक**' का नाम बदलकर '**राष्ट्रीय ध्वज**' और '**जैकस्टाफ**' का नाम बदलकर '**राष्ट्रीय ध्वज स्टाफ**' **कर दिया है।**
- **प्रतीक चिन्ह:** सितंबर 2022 में **सेंट जॉर्ज** के औपनिवेशिक क्रॉस को **शिवाजी के अष्टकोणीय टिकट** से बदल दिया गया।
- **रैंक:** पारंपरिक रूप से **नेल्सन की अंगूठी** से सुसज्जित एपोलेट्स (पद का प्रतीक चिन्ह) पर अब **छत्रपति शिवाजी की छाप** है।
- **पारंपरिक पोशाक:** नौसेना के मेस में **कुर्ता-पायजामा** को अपनाना।
- **औपचारिक प्रथाएँ:** भारतीय सेना ने **घोड़ा-बग्गी जैसी पारंपरिक प्रथाओं को समाप्त** करना शुरू कर दिया है।

महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंती

2 अक्तूबर को प्रतिवर्ष महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की **जयंती के रूप में मनाया जाता है।** इन दोनों ने हमारे राष्ट्र को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

मोहनदास करमचंद गांधी

संक्षिप्त परिचय

- जन्म: **2** अक्तूबर, **1869:** पोरबंदर (गुजरात).
  - **2** अक्तूबर को **अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- प्रोफाइल: वकील, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्त्ता, लेखक तथा राष्ट्रवादी आंदोलनों के नेतृत्वकर्त्ता।
  - राष्ट्पिता (सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नाम से संबोधित किया)।
- विचारधारा: अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, प्रकृति की देखभाल, करुणा, दलितों के कल्याण आदि के विचारों में विश्वास करते थे।
- राजनीतिक गुरु: गोपाल कृष्ण गोखले

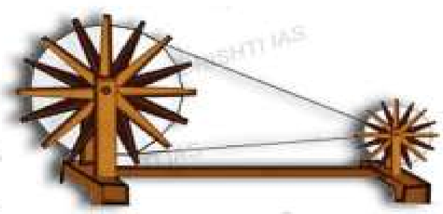

- मृत्यु: नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या (**30 जनवरी, 1948**)।
  - **30** जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- नोबेल शांति पुरस्कार के लिये पाँच बार नामित किया गया।

दक्षिण अफ्रीका में गांधी (1893–1915)

- नस्लवादी शासन (मूल अफ्रीकी और भारतीयों के साथ भेदभाव) के खिलाफ सत्याग्रह।
  - दक्षिण अफ्रीका से उनकी वापसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष **9** जनवरी को **प्रवासी भारतीय दिवस (PBD)** मनाया जाता है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

- छोटे पैमाने के विभिन्न आंदोलन जैसे- चंपारण सत्याग्रह **(1917)**, प्रथम सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918)- पहली भूख हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह **(1918)**- पहला असहयोग।
- राष्ट्व्यापी जन आंदोलन: रॉलेट एक्ट के खिलाफ **(1919)**, असहयोग आंदोलन **(1920-22)**, सविनय अवज्ञा आंदोलन **(1930&34)**, भारत छोड़ो आंदोलन **(1942)**।
- गांधी-इरविन समझौता (1931): गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जिसने सविनय अवज्ञा की अवधि के अंत को चिह्नित किया।
- पूना पैक्ट (1932): गांधी और **बी.आर. अंबेडकर** के बीच; इसने वंचित वर्गों के लिये अलग निर्वाचक मंडल के विचार को छोड़ दिया (सांप्रदायिक पंचाट)।

पुस्तकें

हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ (आत्मकथा)

साप्ताहिक पत्रिकाएँ

हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन

गांधी शांति पुरस्कार

भारत द्वारा गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिये दिया जाता है।

उद्धरण

- **"खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, सामंजस्य में हों।"**
- **"कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है।"**
- **"आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिये। मानवता सागर के समान है; यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं, तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता।"**

नोट :

महात्मा गांधी के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **जन्म:** 2 अक्तूबर 1869 को **पोरबंदर (गुजरात) में।**
- **संक्षिप्त परिचय:** वकील, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक (जो भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता बने)।
- **लिखी गई पुस्तकें:** हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग (आत्मकथा)
- **मृत्यु: 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने** उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।
  - 30 जनवरी को **शहीद दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- **भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका**
  - **भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) का नेतृत्व:** महात्मा गांधी 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय **राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के एक प्रमुख नेता बन गए और इन्होंने** ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिये **अहिंसक प्रतिरोध तथा जन-आंदोलन की वकालत की।**
    - **वर्ष 1924 का बेलगाम अधिवेशन** कॉन्ग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी।
  - **असहयोग आंदोलन (NCM) (1920-1922):** गांधीजी ने **जलियाँवाला बाग हत्याकांड** और दमनकारी **रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया में NCM की शुरुआत की।**
    - उन्होंने **भारतीयों से ब्रिटिश संस्थाओं, वस्तुओं और सम्मानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया।**
    - गांधीजी को **बोअर युद्ध** में उनकी भूमिका के लिये **वर्ष 1915 में कैसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था** लेकिन उन्होंने जलियाँवाला बाग हत्याकांड के विरोध में **वर्ष 1920 में इसे वापस कर दिया था।**
  - **नमक मार्च (1930):** गांधीजी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में गुजरात के तटीय **शहर दांडी तक नमक मार्च का नेतृत्व किया। इस क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन** की शुरुआत हुई।
  - **भारत छोड़ो आंदोलन (QIM), 1942:** गांधीजी ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए QIM का आह्वान किया।
    - उनके नारे **"करो या मरो" ने लाखों लोगों को विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सविनय अवज्ञा के कार्यों में भाग लेने के लिये प्रेरित किया,** जिससे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई।
  - **अहिंसा का दर्शन: अपने पूरे सक्रियता अभियान के दौरान गांधीजी ने सत्याग्रह और अहिंसा** के सिद्धांतों पर बल दिया तथा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की वकालत की।
    - **उनके दृष्टिकोण ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया बल्कि नेल्सन मंडेला** और **मार्टिन लूथर किंग जूनियर** के नेतृत्व वाले विश्वव्यापी नागरिक अधिकार आंदोलनों को भी प्रेरित किया।
    - 2 अक्तूबर को **अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस** के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 15 जून 2007 को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा की गई थी।

लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **जन्म:** उनका जन्म **2 अक्तूबर 1904 को मुगलसराय,** उत्तर प्रदेश में हुआ था।
- **संक्षिप्त परिचय:** वे **भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे** इन्हें प्रभावशाली नेतृत्व तथा इनके **नारे "जय जवान जय किसान"** (जिसमें राष्ट्र निर्माण में सैनिकों और किसानों दोनों के महत्त्व पर बल दिया गया था) के लिये जाना जाता है।
- **मृत्यु: 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में उनकी मृत्यु हो गई।**
  - वह **मरणोपरांत भारत रत्न (1966) से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे।**
- **राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका:**
  - **वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध में नेतृत्व :** लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष **1965 के युद्ध के दौरान भारत का प्रभावी नेतृत्व किया।**
  - **हरित क्रांति: शास्त्री जी ने हरित क्रांति** को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे **भारत को कृषि उत्पादन बढ़ाने** और देश की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में मदद मिली।

- **राष्ट्रीय एकता:** उन्होंने विविध क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया।
  - साथ ही उन्होंने भारत की आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने तथा विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के लिये औद्योगीकरण और आत्मनिर्भरता की नीतियों को प्रोत्साहित किया।
- **सिविल सेवाएँ:** शास्त्री ने **सिविल सेवकों के लिये उच्च नैतिक मानकों, पारदर्शिता तथा समर्पण को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया** ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासन, भ्रष्टाचार से मुक्त रहने के साथ लोक सेवा के लिये प्रतिबद्ध रहे।
  - उदाहरण के लिये **वर्ष 1952 में** एक रेल दुर्घटना (जिसमें कई लोग हताहत हुए थे) की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

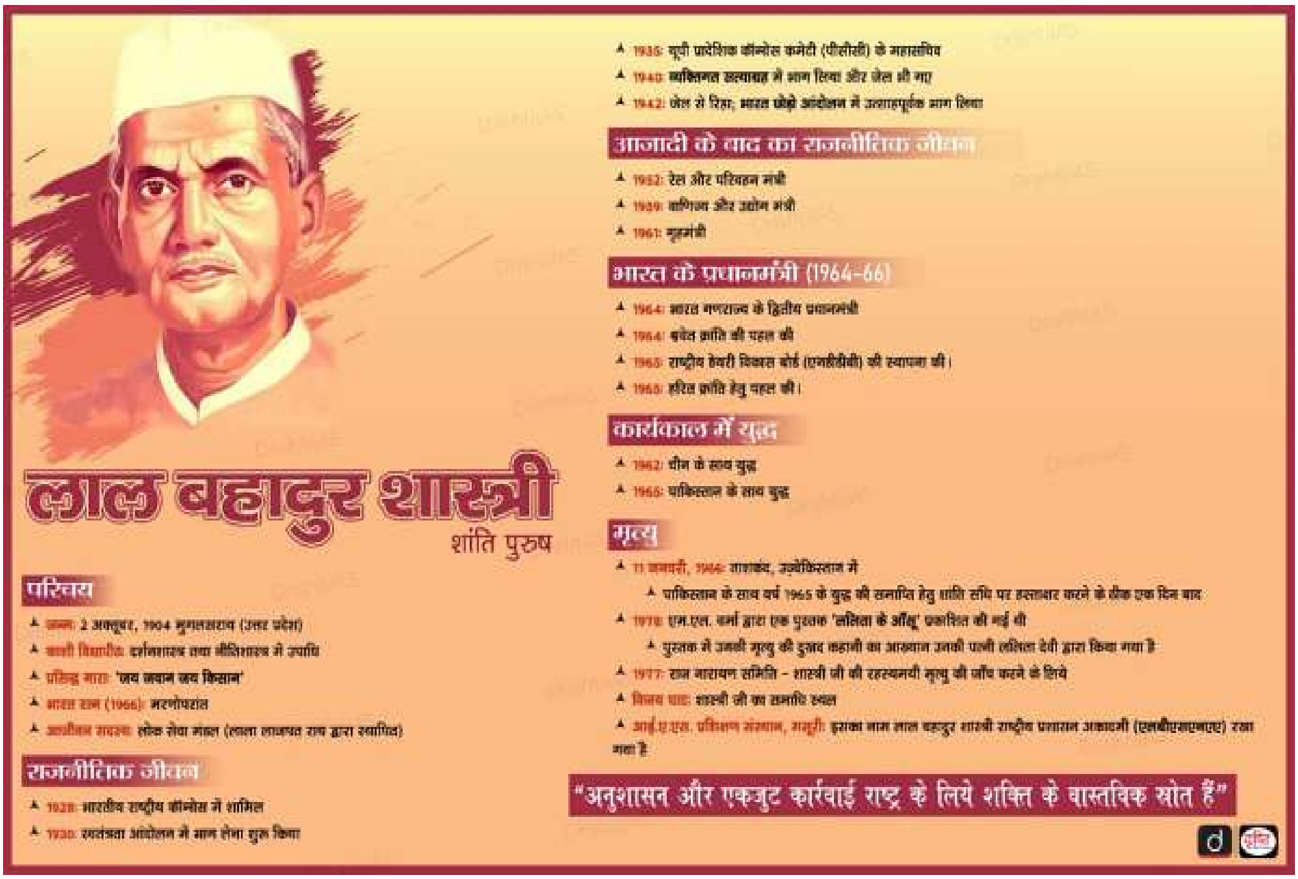

मौसम पूर्वानुमान पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

वर्ष 2023-2024 में पड़ने वाली गर्मी ने वैश्विक तापमान को 1.5°C सीमा से आगे धकेल दिया है, जिससे जलवायु पैटर्न की अप्रत्याशितता बढ़ गई है और हीटवेव, चक्रवात तथा बाढ़ जैसी चरम घटनाओं के बीच वर्तमान पूर्वानुमान मॉडल को चुनौती मिल रही है।

मौसम और जलवायु पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

- **ग्लोबल वार्मिंग:**
  - ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य मानवीय गतिविधियों, मुख्य रूप से **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और मीथेन (CH_4)** जैसी ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन के कारण **पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि से है।**
- **जलवायु पूर्वानुमान पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव:**

- **मौसम की बढ़ती अप्रत्याशितता:**
  - **बढ़ता तापमान, हीटवेव , तूफान , मानसून** और **अल नीनो** जैसी चरम घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिये वर्तमान पूर्वानुमान मॉडल को भी जटिल बना रहा है।
- **वायुमंडलीय गतिशीलता में परिवर्तन:**
  - बढ़ते तापमान से **वायुमंडलीय भंवरों की वृद्धि में तेजी आती है** - ये भंवर क्षोभमंडल में छोटे पैमाने पर परिसंचरण होते हैं, जो मौसम प्रणालियों को प्रभावित करते हैं।
    - इस तीव्र वृद्धि के कारण **मौसम मॉडल में प्रारंभिक स्थितियों की स्मृति कम हो जाती है**, जिससे **सटीक पूर्वानुमान लगाना थोडा कम हो जाता है**, विशेष रूप से उष्ण क्षेत्रों में।
- **पूर्वानुमान मॉडल पर प्रभाव:**
  - **लोरेन्ज़ का "तितली प्रभाव:**
    - यह दर्शाता है कि **तापमान, आर्द्रता और वायु में लघु परिवर्तन जलवायु पूर्वानुमान पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव** डाल सकते हैं ।

अन्य कारक:

- **डेटा गुणवत्ता और उपलब्धता:**
  - सटीक पूर्वानुमान **व्यापक और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा पर निर्भर करते हैं।** डेटा अंतराल सटीक पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में बाधा डाल सकता है।
- **मॉडल की सीमाएँ:**
  - जलवायु मॉडल, हालाँकि परिष्कृत हैं, लेकिन उनमें अंतर्निहित सीमाएँ हैं क्योंकि वे अक्सर **ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को दोहराने में संघर्ष करते हैं** और अपनी संरचनाओं के आधार पर अलग-अलग परिणाम दे सकते हैं।
- **प्राकृतिक परिवर्तनशीलता:**
  - **मौसम का पैटर्न एल नीनो, ला नीना** और **हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD)** जैसी प्राकृतिक घटनाओं से प्रभावित होता है, जो भविष्यवाणियों को और जटिल बना देता है।

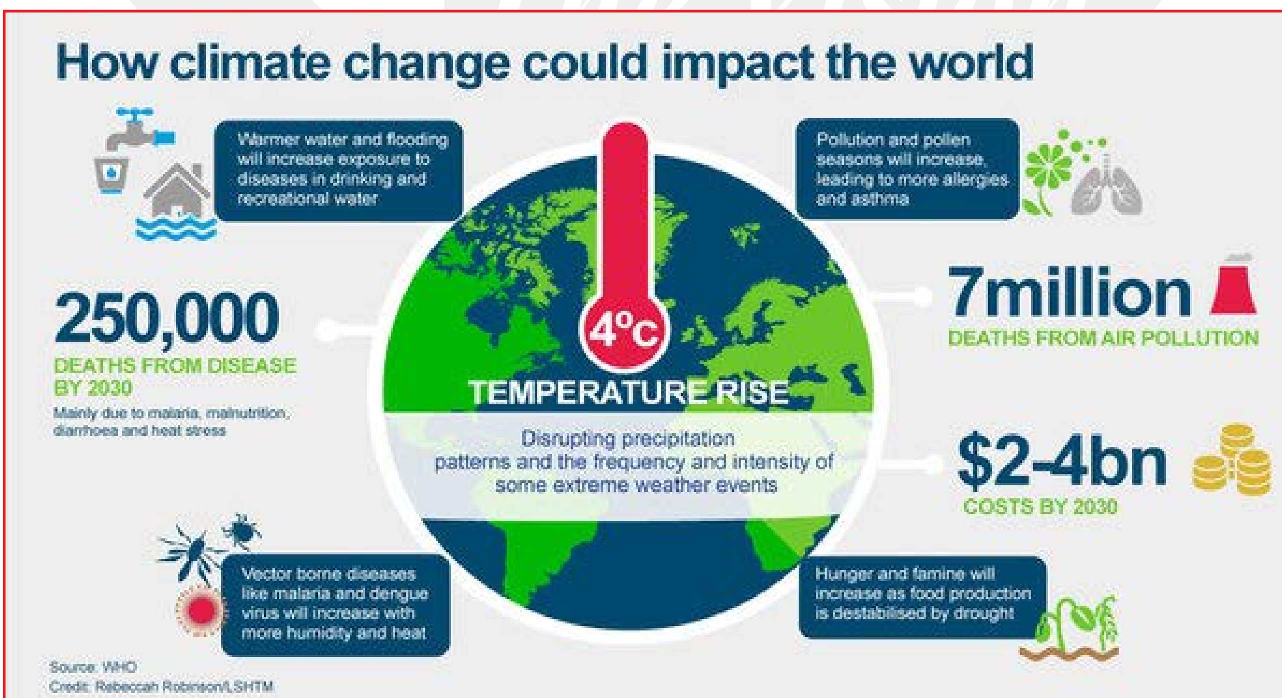

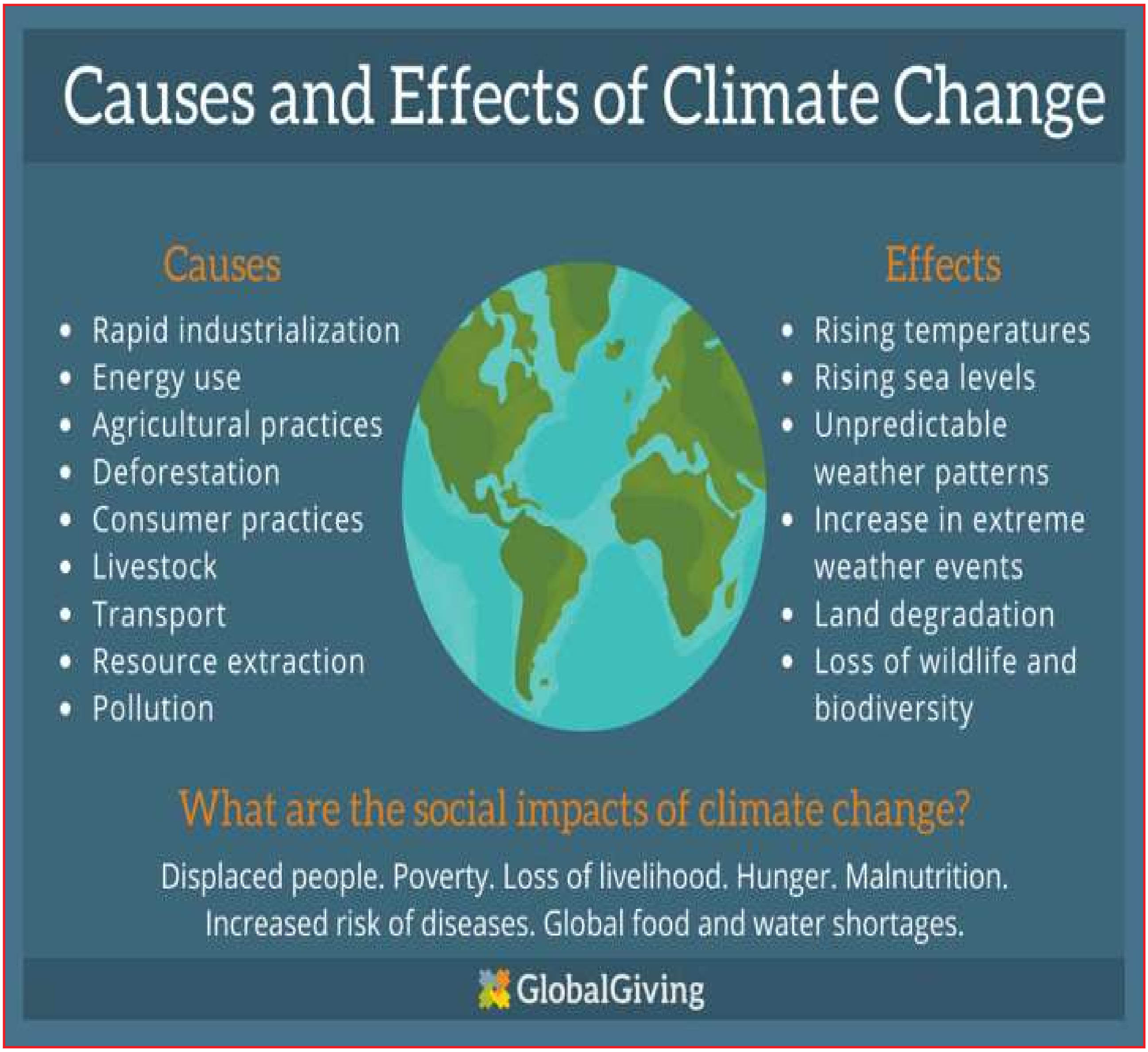

सामाजिक अधिकारिता शिविर

हाल ही में **ADIP (दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता) योजना के तहत 9000 से अधिक पूर्व-चिह्नित दिव्यांगजन** लाभार्थियों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिये संपूर्ण भारत में 75 स्थानों पर **सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया था।**

सामाजिक अधिकारिता शिविर क्या है ?

परिचय:

- सामाजिक **अधिकारिता शिविर** (**सामाजिक अधिकारिता शिविर) विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों** को **सहायक उपकरण** प्रदान करने के लिये आयोजित **वितरण शिविरों** की एक श्रृंखला है। यह वर्ष **1981 से** संचालित है।

आयोजक:

- इसका आयोजन **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** के तहत **विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग (DEPWD) द्वारा ALIMCO (कृत्रिम अंग निर्माण निगम)** और **ज़िला प्रशासन** के सहयोग से किया जाता है।

नोट :

परिभाषा:

- **यह योजना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016** में दी गई विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की परिभाषाओं का अनुसरण करती है।

अनुदान:

- ADIP योजना के अंतर्गत सहायता उपकरणों की खरीद और वितरण के लिये विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (**ALIMCO, राष्ट्रीय संस्थान, समग्र क्षेत्रीय केंद्र, ज़िला विकलांगता पुनर्वास** केंद्र, राज्य विकलांग विकास निगम, **गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)** आदि) को अनुदान जारी किया जाता है।

दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण/सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये सहायता योजना (ADIP योजना)

- ADIP योजना **विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास के लिये आधुनिक सहायता और उपकरण प्रदान** करके सहायता करती है।
- इसमें सहायक उपकरण प्रदान करने से पहले **सुधारात्मक सर्जरी हेतु सहायता शामिल है।**
- इसे अंतिम बार अप्रैल 2024 में अद्यतन किया गया था, जो **मार्च 2026 तक जारी रहेगा।**

दिव्यांगजनों के लिये अन्य संबंधित पहल:

- **सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांगजनों के लिये सुगम्य वातावरण का सृजन**
- **दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना**
- **विकलांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फ़ेलोशिप**
- **विशिष्ट विकलांगता पहचान परियोजना**
- **अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस**

मानसिक स्वास्थ्य के लिये पहल:

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम**
- **किरण: मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन।**

भारत का भुगतान संतुलन (BOP)

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हालिया आँकड़ों के अनुसार, भारत का **चालू खाता घाटा (CAD)** वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में मामूली रूप से बढ़कर **9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर** (GDP का 1.1%) हो गया है, जो भारत के **भुगतान संतुलन (BoP)** की स्थिति को दर्शाता है।

- CAD तब होता है जब किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा **निर्यातित** वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक होता है।

भुगतान संतुलन क्या है?

- **भुगतान संतुलन (BoP): भुगतान** संतुलन (BoP) किसी देश के निवासियों द्वारा किये गए **सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन** का रिकॉर्ड है।
  - यह विदेशी मुद्राओं के मुकाबले **रुपए की सापेक्ष मांग को मापता है,** जो विनिमय दरों और आर्थिक स्थिरता को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
- **भुगतान संतुलन के घटक: चालू खाता और पूंजी खाता** भुगतान संतुलन के दो मुख्य घटक हैं।
  - **चालू खाता:** इसमें वे लेनदेन शामिल होते हैं जो किसी देश की परिसंपत्तियों या देनदारियों की स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं।
    - **व्यापारिक वस्तुएँ: इसमें** व्यापार संतुलन को दर्शाने वाले **भौतिक आयात और निर्यात** व्यापार शामिल हैं। **घाटा निर्यात की तुलना में अधिक आयात** को दर्शाता है।
    - **अदृश्य:** इसमें सेवाएँ (जैसे, बैंकिंग, बीमा आईटी, पर्यटन, परिवहन, आदि), **स्तानांतरण** (जैसे, उपहार, अनुदान, धनप्रेषण आदि) और **कारक आय** (जैसे निवेश से अर्जित आय) शामिल हैं।
  - **पूंजी खाता:** यह एक विशिष्ट अवधि में किसी देश की परिसंपत्तियों और देनदारियों में हुए शुद्ध परिवर्तन को दर्शाता है।
    - **परिसंपत्तियाँ: यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** और **विदेशी संस्थागत निवेशक (FII)** जैसे निवेशों को दर्शाता है, जो आर्थिक विकास और स्थिरता के लिये आवश्यक हैं।
    - **देयताएँ: यह वाणिज्यिक उधार, ऋण और पूंजी** जैसे कारकों को भी दर्शाता है।

नोट :

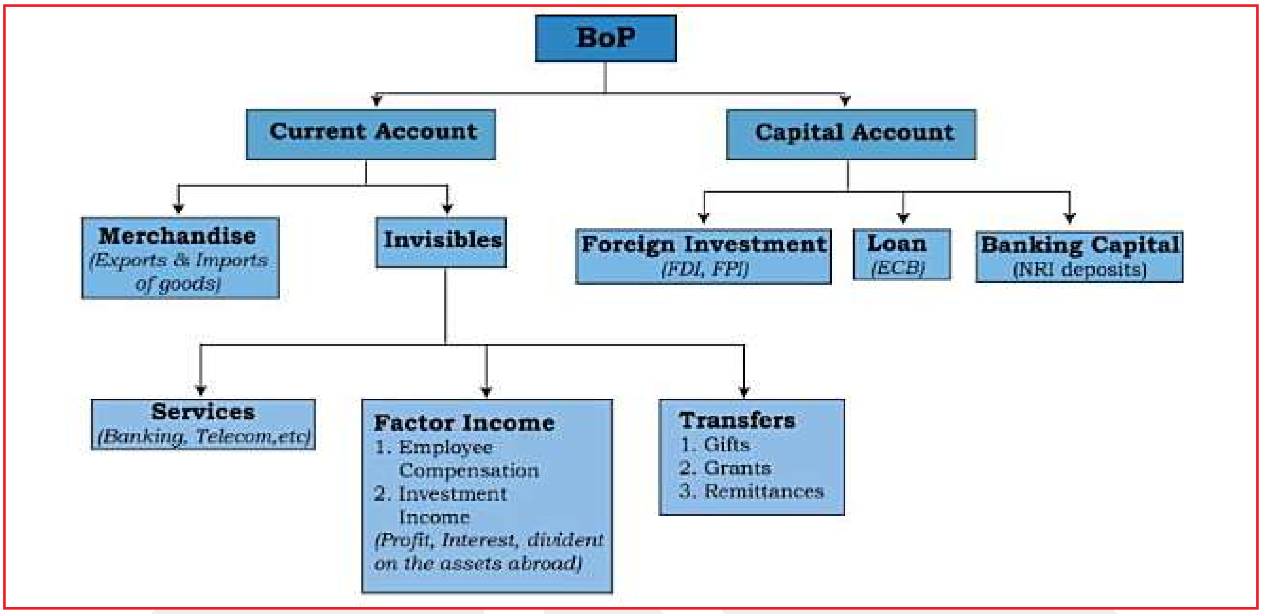

चालू खाता घाटा कम करने हेतु भारत के प्रयास:

- **निर्यात को प्रोत्साहित करना:** विदेश व्यापार नीति (FTP), 2023 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। यह आयात को संतुलित कर सकता है और **चालू खाते के घाटे को कम** कर सकता है।
- **आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना:** आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है तथा घरेलू निर्माताओं को वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। उदाहरण के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना।
- **उत्पादकता में वृद्धि:** घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने से **निर्यात को बढ़ावा** और व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिये **'भविष्य के अनुकूल' कौशल निर्माण, नवाचार** आदि।

कोलकाता की ट्राम सेवा बंद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **पश्चिम बंगाल सरकार ने** 151 वर्षों के बाद कोलकाता की ट्राम सेवा को **बंद करने** का निर्णय लिया है।

- **मैदान से एस्प्लेनेड तक** का एक छोटा सा हिस्सा, ट्राम प्रेमियों के लिए विरासत के रूप में रखा जाएगा।

कोलकाता की ट्राम सेवा के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:** ट्राम एक **शहरी रेल परिवहन प्रणाली है** जिसमें **रेलकारें होती हैं** जिनसे लोगों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है और यह **सड़क पर धातु की पटरियों पर चलती हैं।**
  - कोलकाता में शुरू में यह **मीटर गेज पर चलती थी** लेकिन **वर्ष 1902 के बाद** पटरियों को **मानक गेज में परिवर्तित कर दिया गया।**
- **कोलकाता में ट्राम की शुरुआत: कोलकाता में** पहली **घोड़ा-चालित ट्राम 24 फरवरी 1873** को शुरू की गई, जो सियालदह और अर्मेनियाई घाट के बीच **3.9 किलोमीटर की दूरी** तय करती थी।
  - कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी **का** गठन और पंजीकरण **वर्ष 1880 में लंदन में हुआ।**
- **विद्युतीकरण और विस्तार: 27 मार्च 1902** को कोलकाता में एस्प्लेनेड से किडरपोर तक पहली **विद्युत ट्रामकार शुरू की गई।**
  - **यह एशिया की पहली** इलेक्ट्रिक ट्राम सेवा भी थी।
  - **वर्ष** 1946 में ट्राम, हावड़ा ब्रिज पार करने वाला **पहला वाहन था।**
  - **20 वीं सदी के प्रारंभ** तक ट्राम मार्गों से शहर बड़े पैमाने पर जुड़ गए थे।
- **1970 के दशक से गिरावट:** कोलकाता की संकरी गलियों में कारों और बसों की संख्या बढ़ने से ट्रामों की आवाजाही **मुश्किल हो गई** और **यातायात जाम की समस्या भी बढ़ गई।**

- **सांस्कृतिक प्रतीकवाद:** इसे सत्यजीत रे **की** वर्ष 1964 की फिल्म '**महानगर**' और **अपुर संसार जैसी अन्य फिल्मों में दर्शाया गया है, जो कोलकाता की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को** दर्शाती हैं।
- **मान्यता: वर्ष 2020** में कोलकाता में भारत की **पहली इलेक्ट्रिक ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई।**
  - **वर्ष 2023** में कोलकाता में ट्राम सेवाओं की **150वीं वर्षगांठ का जश्न "ट्रामजात्रा 2023"** नामक एक सप्ताह लंबे कार्यक्रम के साथ मनाया गया।
- **अन्य भारतीय शहरों में ट्राम:** ट्राम की शुरुआत **बम्बई में वर्ष 1874 में, मद्रास में वर्ष 1895 में, दिल्ली में वर्ष 1904 में, कानपुर में वर्ष 1914 में तथा पूना में 20** वीं सदी के प्रारंभ में हुई।
  - **वर्ष 1933 और 1964 के बीच** कोलकाता को छोड़कर सभी भारतीय शहरों में इन्हें **बंद कर दिया गया।**
- **वैश्विक शहरों में ट्राम: मेलबर्न,** लिस्बन, सैन फ्रांसिस्को, एम्स्टर्डम, ज्यूरिख और बर्लिन में ट्राम सेवा अच्छी तरह से संचालित हो रही है।
  - मेलबोर्न में दुनिया का **सबसे पुराना ट्रामवे संचालित है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1885 में हुई थी।**

ट्राम केवल कोलकाता में ही इतने लंबे समय तक क्यों चली?

- **संकरी गलियाँ:** शहर की **संकरी गलियाँ** और **पुरानी स्थापत्य संरचनाओं के कारण** सड़क नेटवर्क का विस्तार सीमित हो गया, जिससे ट्राम एक व्यावहारिक विकल्प बन गया।
- **कारें कम होना: अन्य महानगरीय शहरों की तुलना में कोलकाता में** कार कम होने से ट्राम जैसे किफायती सार्वजनिक परिवहन की मांग बनी रही।
- **किराया कम होना:** ट्राम की सस्ती कीमत से भी इनकी धारणीयता में योगदान मिला।

विशाखापत्तनम के समुद्र तट में पिलबॉक्स

चर्चा में क्यों?

मानसून के कारण **विशाखापत्तनम के समुद्र तटों** में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पिलबॉक्स नजर आ रहे हैं, जिससे शहर के विस्मृत समुद्री इतिहास की झलक मिलती है।

पिलबॉक्स क्या हैं?

- **परिचय:**
  - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित ये पिलबॉक्स, संभावित दुश्मन आक्रमणों से **विशाखापत्तनम के तटों की सुरक्षा के लिये एक रणनीतिक रक्षा नेटवर्क का हिस्सा थे।**
  - **"पिलबॉक्स" नाम इसकी वजह यह है कि** यह 20 वीं सदी के आरंभ में गोलियों के भंडारण के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले **मेडिसिन कंटेनरों** से मिलता जुलता है।
- **विशाखापत्तनम के पिलबॉक्स:**
  - समुद्र तट के कटाव के कारण **आर.के. समुद्र तट** पर सबसे प्रमुख पिलबॉक्स देखने को मिला है, जबकि **जलारिपेटा मछली** पकड़ने वाली कॉलोनी में स्थित दूसरा **पिलबॉक्स रेत, कचरे और उपेक्षा के नीचे दबा** हुआ है।
    - युद्ध के दौरान विशाखापत्तनम एक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि यह **एक गहरे प्राकृतिक बंदरगाह वाला भारत का प्रमुख नौसैनिक अड्डा है।**
- **सामरिक महत्त्व:**
  - चूँकि पिलबॉक्स को आसपास के वातावरण का हिस्सा जैसा दिखने के लिये बनाया गया था, इसलिये दुश्मन के लिये उन्हें ढूंढना मुश्किल था।
  - वे **सामरिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे,** जिससे सैनिकों को समुद्र तट की रक्षा करने में सहायता मिलती थी, साथ ही दुश्मनों पर गोलीबारी के लिये सुरक्षित कवर भी मिलता था।

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध

- **प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) मित्र शक्तियों** (फ्रांँस, रूस, ब्रिटेन, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) और **केंद्रीय शक्तियों (जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया)** के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मित्र शक्तियाँ विजयी हुईं।
- **द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) धुरी शक्तियों** (जर्मनी, इटली और जापान) और **मित्र शक्तियों (फ्राँस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन)** के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मित्र शक्तियों ने युद्ध में जीत हासिल की थी।

5 नई शास्त्रीय भाषाओं को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाँच और भाषाओं को "शास्त्रीय" भाषा का दर्जा दिये जाने को स्वीकृति दी है, जिससे देश की सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण भाषाओं की सूची में विस्तार हो गया है।

- पाँच भाषाओं के अलावा **मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी** इस प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल किया गया है।

शास्त्रीय भाषा क्या है?

- **परिचय:**
  - वर्ष 2004 में, **भारत सरकार ने** उनकी प्राचीन विरासत को स्वीकार करने और संरक्षित करने के लिये भाषाओं को "शास्त्रीय भाषा" के रूप में नामित करना शुरू किया।
  - भारत की **11 शास्त्रीय भाषाएँ** देश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की संरक्षक हैं तथा अपने समुदायों के लिये महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपलब्धि का प्रतीक हैं।

क्रम.	भाषा	घोषित करने का वर्ष
1.	तमिल	2004
2.	संस्कृत	2005
3.	तेलुगु	2008
4.	कन्नड़	2008
5.	मलयालम	2013
6.	ओड़िया	2014

- भारतीय **शास्त्रीय भाषाएँ समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, गहन साहित्यिक परंपराओं और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत** वाली भाषाएँ हैं।
- **महत्त्व:**
  - इन भाषाओं ने इस क्षेत्र के **बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाई है।
  - **उनके ग्रंथ साहित्य, दर्शन और धर्म** जैसे विविध क्षेत्रों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
- **मानदंड:** साहित्य अकादमी के तहत **भाषा विशेषज्ञ समितियों (LEC)** की सिफारिशों पर इसे वर्ष 2005 और 2024 में संशोधित किया गया था।
  - **1वर्ष 2005 के संशोधित मानदंड इस प्रकार हैं:**
    - **उच्च पुरातनता:** प्रारंभिक ग्रंथ और ऐतिहासिक विवरणों की प्राचीनता 1,500 से 2,000 BC की है।
    - **प्राचीन साहित्य: प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का** संग्रह जिसे पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माने जाता है।

नोट :

- **ज्ञान ग्रन्थ:** **किसी मूल साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति** जो किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई हो।
- **विशिष्ट विकास:** शास्त्रीय **भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण,** शास्त्रीय भाषा तथा उसके बाद के रूपों अथवा शाखाओं के बीच एक विसंगति से भी उत्पन्न हो सकती है।

- **वर्ष** 2024 में किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के मानदंडों में संशोधन किया गया।
  - जिसके तहत **"ज्ञान ग्रंथ (किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार न ली गई मूल साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति") को "ज्ञान ग्रंथ (विशेष रूप से कविता, पुरालेखीय और शिलालेखीय साक्ष्य के साथ गद्य ग्रंथ")** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- **लाभ:**
  - 'शास्त्रीय' के रूप में नामित भाषाओं को उनके अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न **सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं।**
  - शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के अनुसंधान, शिक्षण या संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्वानों को प्रतिवर्ष **दो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार** दिये जाते हैं।
    - ये हैं **राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र पुरस्कार** और **महर्षि बादरायण सम्मान पुरस्कार**।
  - **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये व्यावसायिक पीठों के निर्माण का समर्थन करता है।
  - इन भाषाई खजानों को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिये, सरकार ने **मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान** (CIIL) में **शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिये उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की।**

भाषा को बढ़ावा देने के लिये अन्य प्रावधान क्या हैं?

- **आठवीं अनुसूची:** भाषा का प्रगतिशील उपयोग, संवर्द्धन और उसको बढ़ावा देना। इसमें 22 भाषाएँ शामिल हैं:
  - असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
- **अनुच्छेद 344(1)** संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 351** में प्रावधान है कि **हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाना संघ का कर्त्तव्य होगा।**
- **भाषाओं को बढ़ावा देने के अन्य प्रयास:**
  - **परियोजना अस्मिता:** परियोजना **अस्मिता का** लक्ष्य पाँच वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है।
- **नई शिक्षा नीति (NEP):** NEP **नीति का** उद्देश्य संस्कृत विश्वविद्यालयों को बहु-विषयक संस्थानों में परिवर्तित करना है।
  - **केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL):** यह संस्थान **चार शास्त्रीय भाषाओं: कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया को बढ़ावा देने के लिये कार्य करता है।**
- **केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019:** इसने तीन डीम्ड संस्कृत विश्वविद्यालयों को सेंट्रल डीम्ड का दर्जा दिया है: जिसमें दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ शामिल हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया में टाइफून

चर्चा में क्यों?

जुलाई 2024 में क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार **बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण दक्षिण पूर्व एशिया में टाइफून की आवृत्ति में वृद्धि** हो रही है।

टाइफून क्या हैं?

- यह एक प्रकार का चक्रवात है जिसमें **वायु की गति 119 किमी प्रति घंटा** या उससे अधिक होती है तथा यह **भूमध्य रेखा के पास ऊष्ण समुद्री जल में विकसित होता है।**
  - जब ऊष्ण एवं आर्द्र वायु समुद्र की सतह से ऊपर उठती है तो इससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है।
- कम दाब वाले क्षेत्र के चारो ओर से **तीव्र गति से अंदर की ओर वायु के परिसंचरण से चक्रवात की स्थिति बनती है।**
  - **इसमें उत्तरी गोलार्द्ध में** वायु वामावर्त दिशा में तथा **दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त** दिशा में घूमती है।

चक्रवात का प्रकार	स्थान
टाइफून	चीन सागर और प्रशांत महासागर
हरिकेन	पश्चिमी भारतीय द्वीप, कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर
टॉरनेडो	पश्चिमी अफ्रीका का गिनी क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका
विली-विलीज़	उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया
उष्णकटिबंधीय चक्रवात	हिंद महासागर क्षेत्र

चक्रवात

परिचय

चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आस-पास तेजी से इसके केंद्र की ओर वायु परिसंचरण होते हैं।

चक्रवात बनाम प्रतिचक्रवात

दबाव प्रणाली	केंद्र में दबाव की स्थिति	हवा की दिशा का पैटर्न	
		उत्तरी गोलार्द्ध	दक्षिणी गोलार्द्ध
चक्रवात	निम्न	वामावर्त	दक्षिणावर्त
प्रतिचक्रवात	उच्च	दक्षिणावर्त	वामावर्त

वर्गीकरण

उष्णकटिबंधीय चक्रवात: मकर और कर्क रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं।

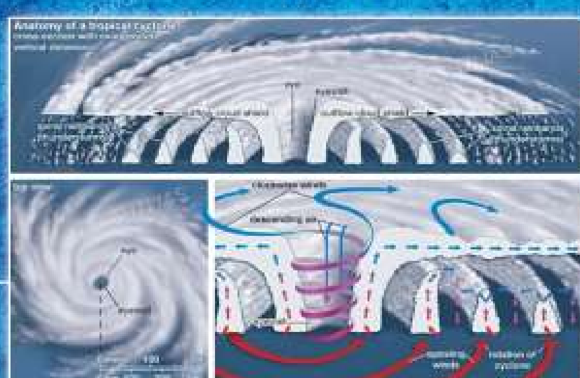

अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय/समशीतोष्ण चक्रवात: ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं।

- गठन के लिए शर्तें:
  - 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह।
  - कोरिओलिस बल की उपस्थिति।
  - ऊर्ध्वाधर/लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव।
  - पहले से मौजूद कमज़ोर निम्न-दबाव क्षेत्र या निम्न-स्तर-चक्रवात परिसंचरण।
  - समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन (Divergence)।
- नामकरण:
  - **नोडल प्राधिकरण: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)**
  - **हिंद महासागर क्षेत्र:** बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड इस क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नामकरण में योगदान करते हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिये अलग-अलग नाम:
  - **टाइफून:** दक्षिण पूर्व एशिया और चीन
  - **हरिकेन:** उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत
  - **टॉरनेडो:** पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका
  - **विली-विलीज:** उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया
  - **उष्णकटिबंधीय चक्रवात:** दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर
- भारत में चक्रवात:
  - **द्वि-वार्षिक चक्रवात मौसम:** मार्च से मई और अक्तूबर से दिसंबर।
  - **हाल के चक्रवात:** ताउते, वायु, निसर्ग और मेकानु (अरब सागर में) तथा असानी, अम्फान, फोनी, निवार, बुलबुल, तितली, यास और सितरंग (बंगाल की खाड़ी में)।

नोट :

हाल में दक्षिण पूर्व एशिया में आए टाइफून

- **टाइफून यागी: यह सितंबर 2024 तक का एशिया का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और हरिकेन बेरिल (अटलांटिक महासागर)** के बाद विश्व स्तर पर दूसरा सबसे शक्तिशाली है।
  - इससे दक्षिण-पूर्व एशिया में काफी क्षति हुई, जिसका असर **फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और विशेष रूप से वियतनाम पर पड़ा है।**
- **टाइफून शानशान:** इससे जापान में तेज़ वर्षा और तीव्र पवनों की स्थिति बनी।
- **टाइफून बेबिन्का:** इसकी आँख के पास वायु की अधिकतम गति 151 किलोमीटर प्रति घंटा (94 मील प्रति घंटा) थी तथा यह **सैफिर-सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल** पर श्रेणी 1 तूफान के रूप में अंकित हुआ।

दक्षिण पूर्व एशिया में क्रमिक रूप से टाइफून आने के क्या कारण हैं?

- **समुद्र के सतही तापमान में वृद्धि:**
  - **ग्लोबल वार्मिंग** के कारण प्रशांत महासागर का गर्म जल टाइफून के निर्माण और तीव्रता के लिये अधिक ऊर्जा प्रदान करता है।
  - उष्णकटिबंधीय तूफानों के लिये **ऊष्ण एवं आर्द्र समुद्री वायु, आदर्श स्थिति है और समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान के कारण तूफानों की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि होती है।**
- **वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में परिवर्तन:**
  - वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में बदलाव, जैसे कि **वॉकर परिसंचरण** (जो प्रशांत महासागर को प्रभावित करता है) **के कमज़ोर होने या उसमें परिवर्तन, से दक्षिण-पूर्व एशिया में तूफानों की आवृत्ति एवं प्रक्षेप पथ प्रभावित हो सकता है।**
- **अल नीनो और ला नीना घटनाएँ:**
  - **अल नीनो** के दौरान **मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का गर्म जल पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो जाता है** जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया में तूफान की गतिविधि बढ़ सकती है।
    - **ला नीना में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवाती गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।**
    - **अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) चक्र** तूफान की आवृत्ति को व्यापक रूप से प्रभावित करता है।
- **वातावरण में आर्द्रता में वृद्धि:**
  - वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण **महासागरों में वाष्पीकरण बढ़ने से वातावरण में आर्द्रता की मात्रा बढ़ रही है।** इस आर्द्रता से अधिक तीव्र और क्रमिक रूप से टाइफून देखने को मिल रहे हैं।
- **दक्षिण पूर्व एशिया की भौगोलिक स्थिति:**
  - यह क्षेत्र **प्रशांत महासागर की गर्म धाराओं के मार्ग में स्थित है और** टाइफून निर्माण के लिये एक **आदर्श केंद्र है।**
  - दक्षिण-पूर्व एशिया की भौगोलिक स्थिति (इसकी **लंबी तटरेखा और पश्चिमी प्रशांत महासागर से निकटता**) इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है।
- **सागरीय हीट वेव:**
  - जलवायु परिवर्तन के कारण सागरीय हीट वेव में वृद्धि से सागर में तापमान वृद्धि की अधिक घटनाएँ देखने को मिल रही हैं।
- **भूमि-समुद्र के तापमान में कम अंतराल:**
  - जलवायु परिवर्तन से **भूमि और समुद्र के बीच तापमान प्रवणता में भी बदलाव आ रहा है।**
  - भूमि और समुद्र के बीच **तापमान में कम अंतराल के कारण टाइफून** लंबे समय तक बना रहने के साथ इससे संबंधित क्षेत्रों पर अधिक गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- **शहरीकरण और पर्यावरण क्षरण:**
  - **तीव्र शहरीकरण, वनोन्मूलन तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों (जैसे मैंग्रोव) के विनाश** से टाइफून के प्रभाव में वृद्धि हो सकती है।

हीराकुंड बाँध नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार

चर्चा में क्यों?

ओडिशा के हीराकुंड बाँध से संबंधित छह दशक पुरानी नहर प्रणाली का व्यापक स्तर पर जीर्णोद्धार किया जाएगा।

- इस पहल का उद्देश्य सिंचाई संबंधी बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना, जल की बर्बादी को कम करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है, जिससे क्षेत्र के किसानों को आवश्यक सहायता मिल सके।

जीर्णोद्धार के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

- **जीर्णोद्धार की आवश्यकता:** बरगढ़ और सासन मुख्य नहरों समेत विभिन्न नहर अवसंरचनाएँ जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

नोट :

- **मौज़ूदा मृदायुक्त नहरों** के कारण जल की काफी हानि होती है, जिससे सिंचाई दक्षता कम हो जाती है।
- जल रिसाव के कारण कुछ कृषि भूमि खेती के लिये अनुपयुक्त हो जाती है, जिससे स्थानीय किसानों के लिये चुनौतियाँ जटिल हो जाती हैं।
- जीर्णोद्धार की मुख्य विशेषताएँ: बेहतर जल वितरण और प्रबंधन के लिये समस्त मृदा के जल मार्गों को कंक्रीट पथों में परिवर्तित करना।
- इस परियोजना से किसानों की बेहतर पहुँच के लिये अंतिम छोर के क्षेत्रों में जल की उपलब्धता बढ़ेगी।
- स्थानीय किसानों पर प्रभाव: सिंचाई क्षमता और वास्तविक उपयोग के बीच अंतर को कम करना इसका उद्देश्य है। सिंचाई क्षमता में वृद्धि से किसानों को लाभ होगा और फसल की उपज़ बढ़ेगी।

हीराकुंड बाँध के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:** यह एक बहुउद्देशीय योजना है, जिसकी परिकल्पना महानदी में विनाशकारी बाढ़ की पुनरावृत्ति के बाद वर्ष **1937 में इंजी. एम. विश्वेश्वरैया ने की थी।**
  - वर्ष 1952-53 के आसपास निर्मित हीराकुंड बाँध स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है।
  - यह विश्व में सबसे लंबे प्रमुख मिट्टी के बाँध के रूप में जाना जाता है, **जो महानदी** पर 25.8 किमी तक फैला है।
  - इसका उद्घाटन वर्ष 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू ने किया था।**
  - हीराकुंड बाँध हीराकुंड जलाशय का निर्माण करता है, जिसे **हीराकुंड झील के नाम से भी जाना जाता है, यह** एशिया की सबसे बड़ी **कृत्रिम झीलों में से एक है। हीराकुंड जलाशय को वर्ष** 2021 में **रामसर स्थल घोषित किया गया था।**
- **उद्देश्य और लाभ:** बाँध की **जलविद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 359.8 मेगावाट है,** जो क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में योगदान देती है।
  - यह जलाशय 436,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है, जिससे क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलता है।
- **कैटल आईलैंड:** यह हीराकुंड जलाशय के सबसे बाहरी हिस्से में स्थित है। यहाँ वनीय मवेशियों का एक बड़ा झुंड रहता है।

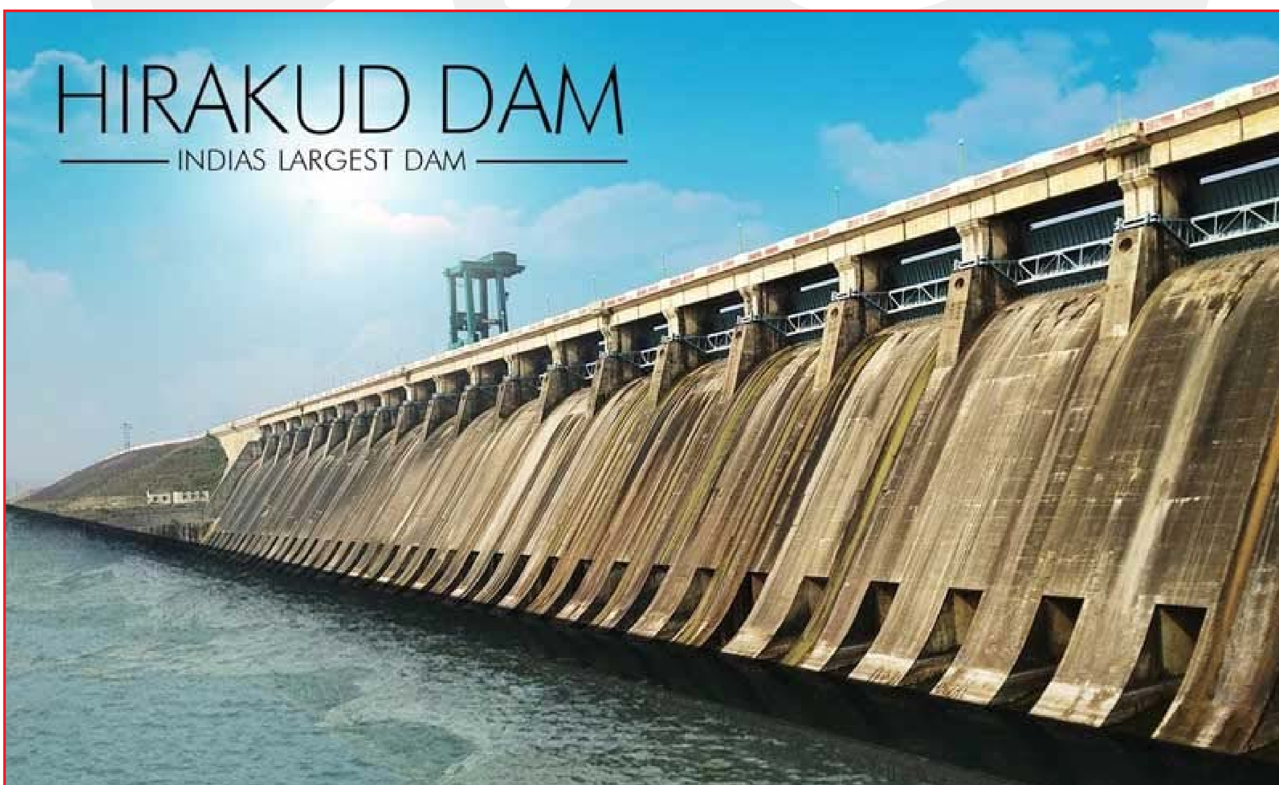

महानदी

- **उद्‌गम:** यह नदी छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले में **सिहावा पर्वत श्रृंखला से निकलती है।**
- **मुहाना:** यह ओडिशा के जगतसिंहपुर में फाल्स प्वाइंट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- **सहायक नदियाँ:**
  - **वाम तट:** सियोनाथ, मांड, आईबी, हसदेव और केलो (Kelo)।
  - **दाहिना तट:** ओंग, पैरी, जोंक और तेलेन।
- **बेसिन और भूगोल:** महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों तथा झारखंड, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के अपेक्षाकृत छोटे भागों तक फैला हुआ है।
  - यह उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, **दक्षिण** और पूर्व में पूर्वी घाटों तथा **पश्चिम में मैकाल श्रेणी से घिरा हुआ है।**
  - महानदी देश की प्रमुख नदियों में से एक है और प्रायद्वीपीय नदियों में जल संभाव्यता और बाढ़ उत्पादन क्षमता के मामले में यह **गोदावरी के बाद दूसरे स्थान पर है।**

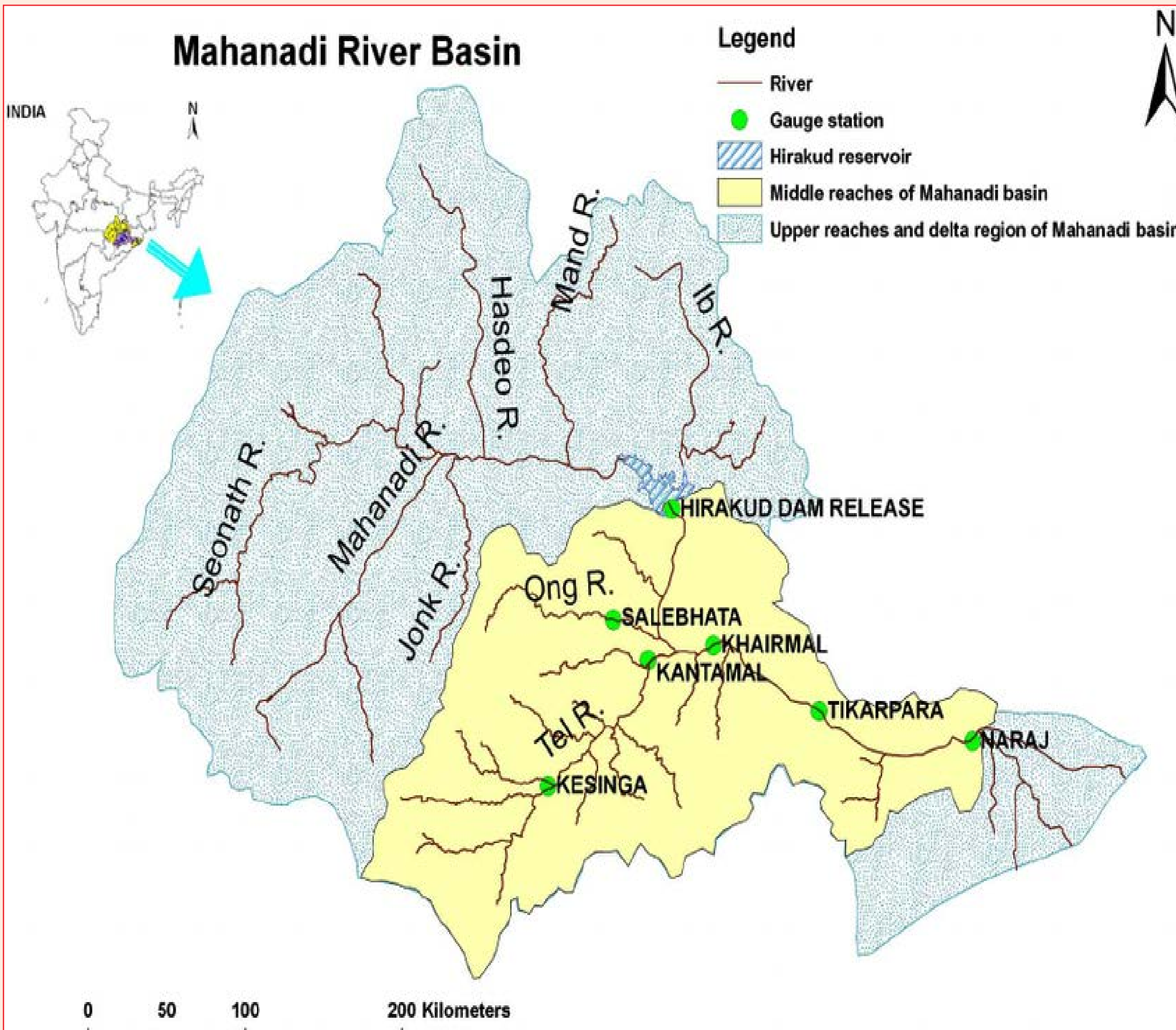

नोट :

भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता का पतन

चर्चा में क्यों?

स्कॉलर्स एट रिस्क (SAR) अकादमिक स्वतंत्रता निगरानी परियोजना की "फ्री टू थिंक 2024" वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले एक दशक में **भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता** में चिंताजनक गिरावट आई है।

- शैक्षणिक स्वतंत्रता से तात्पर्य बिना किसी हस्तक्षेप के ज्ञान प्राप्त करने और अनुसंधान करने के अधिकार से है, जो **विचारों के खुले आदान-प्रदान का समर्थन करता है तथा शैक्षणिक अखंडता की रक्षा करता है।**

नोट:

- SAR, 665 विश्वविद्यालयों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जो शैक्षणिक समुदायों, विद्वानों और छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ जागरूकता और समर्थन करने के प्रयास में उच्च शिक्षा के विरुद्ध हमलों की जाँच और रिपोर्ट करता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- **शैक्षणिक स्वतंत्रता में उल्लेखनीय गिरावट:** रिपोर्ट के अनुसार, भारत का शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में **वर्ष 2013 और 2023 के बीच 0.6 से 0.2** अंक तक की गिरावट दर्ज की गई है।
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि **शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक (AFI) के अनुसार,** भारत अब **"पूर्णतः प्रतिबंधित (Completely Restricted)" श्रेणी में है,** जो 1940 के दशक के मध्य के बाद से इसका सबसे कम स्कोर है।
- **भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिये मुख्य खतरे:**
  - **राजनीतिक नियंत्रण:** रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने तथा बहुसंख्यकवादी धार्मिक एजेंडा लागू करने के बढ़ते प्रयासों का हवाला दिया गया है।
  - **विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध:** जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU) जैसे विश्वविद्यालयों में नई नीतियों ने **छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध** लगा दिया है, जिससे छात्रों की अभिव्यक्ति और सक्रियता कमज़ोर हो रही है।
    - **शैक्षणिक स्वतंत्रता** पर भी प्रतिबंध लगाये गए हैं, जिससे स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति सीमित हो गयी है।
  - **केंद्र बनाम राज्य सरकार संघर्ष: उच्च शिक्षा पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों** के मध्य चल रहा संघर्ष स्पष्ट है, विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में।
    - ऐसे संघर्षों के परिणामस्वरूप प्रतिबंधात्मक नीतियाँ बनती हैं जो स्वतंत्र संस्थागत स्वायत्तता को सीमित तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता को बाधित कर सकती हैं।
  - **शिक्षाविदों को खतरा:** धमकी मिलने या खतरे के भय की घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य वापस ले लिये गए या त्यागपत्र दे दिये गए, जिससे शैक्षणिक अखंडता से समझौता हुआ तथा उच्च शिक्षा के विद्वानों के बीच आत्म-सेंसरशिप को बढ़ावा मिला है।
- **वैश्विक संदर्भ:** रिपोर्ट में **51 देशों** में उच्च शिक्षा समुदायों पर हुए **391 हमलों का दस्तावेज़ीकरण** किया गया है, जो शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिये खतरों के व्यापक वैश्विक मुद्दे पर प्रकाश डालता है।

शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक

- AFI **पाँच संकेतकों के आधार पर दुनिया भर में अकादमिक स्वतंत्रता के वास्तविक स्तरों का आकलन करता है।** AFI वर्तमान में **179 देशों (भारत सहित)** और क्षेत्रों को कवर करता है, तथा अकादमिक स्वतंत्रता के विषय पर सबसे व्यापक डेटासेट प्रदान करता है।
  - **पाँच संकेतक:** शोध और शिक्षा की स्वतंत्रता, अकादमिक विनिमय और प्रसार की स्वतंत्रता, संस्थागत स्वायत्तता, परिसर अखंडता, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- AFI परियोजना, **वर्ष 2017** में कॉल्न (Cologne) में एक विशेषज्ञ परामर्श के साथ शुरू हुई थी, जिसे फ्रिट्ज़ थिसेन फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसका **पहला संस्करण वर्ष 2020 में जारी** किया गया था।
- AFI किसी देश में शैक्षणिक स्वतंत्रता की डिग्री को मापने के लिये 0 (निम्न) से 1 (उच्च) तक के पैमाने का उपयोग करता है।

नोट :

India

ACADEMIC FREEDOM INDEX (2023) 0.18

- Freedom to Research and Teach: 1.25
- Academic Exchange and Dissemination: 1.45
- Institutional Autonomy: 1.24
- Campus Integrity: 1.37
- Academic and Cultural Expression: 1.23

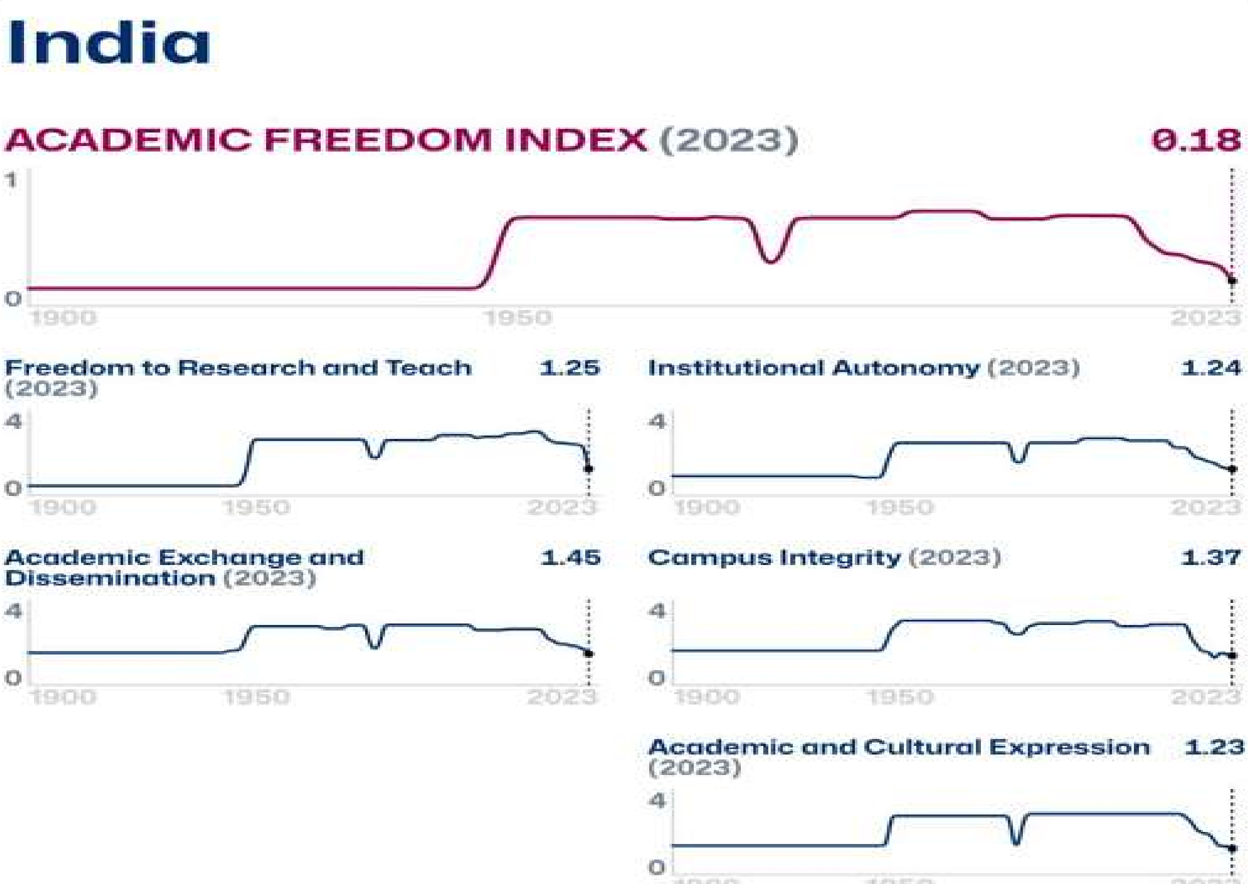

जमैका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **जमैका के प्रधानमंत्री ने** व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये भारत का दौरा किया। यह **जमैका के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी।**

इस यात्रा के प्रमुख परिणाम क्या हैं?

- **भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात:**
- दोनों नेताओं ने संसदीय, शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ-साथ **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग समेत विभिन्न स्तरों पर साझेदारी को और अधिक मज़बूत करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।**
- राष्ट्रपति ने **वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीनों संस्करणों में जमैका की भागीदारी को सराहा साथ ही L-69** जैसे समूहों के माध्यम से **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिये दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता पर बल दिया।

विभिन्न समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किये गए:

- **भारत और जमैका की सरकारें** सफल डिजिटल **सार्वजनिक अवसंरचना**, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और **खेल में सहयोग साझा करने के लिये सहयोग करती हैं। जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड** और **ईगोव जमैका लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है।**

वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (VOGSS)

- यह **भारत के नेतृत्व में एक नवीन और विशिष्ट पहल है**, जिसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाना तथा विभिन्न मुद्दों पर एक **साझा मंच पर उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करना है।**
- यह भारत के **वसुधैव कुटुंबकम**, या "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" के दर्शन और प्रधानमंत्री के **सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण को दर्शाता है।**

भारत और जमैका के बीच संबंध

- **भारत जमैका की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक** था, जिसने वर्ष 1962 में उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद वर्ष 1976 में किंग्स्टन में एक रेजीडेंट मिशन की स्थापना की।
- जमैका ने वर्ष 2020 में भारत में अपना रेजिडेंट मिशन स्थापित किया।
- भारत और जमैका ने ऐतिहासिक रूप से **सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं**, जो इतिहास, **संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रमंडल सदस्यता** और क्रिकेट के प्रति आपसी प्रेम के साझा संबंधों पर आधारित हैं।
- जमैका 70,000 की संख्या वाले **भारतीय प्रवासियों** का स्थान है, जो **गिरमिटिया देशों में से एक** है, यह दोनों देशों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2022 जमैका में भारतीय समुदाय की उपस्थिति के 177 वर्ष पूर्ण होने का प्रतीक है।
    - गिरमिटिया **देश** वे देश हैं, जहाँ भारतीय गिरमिटिया मज़दूर बस गए, जैसे **फिज़ी, गुयाना, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा रीयूनियन द्वीप।**
- **दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)** और **G-77** जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं।
    - **विकासशील देश** होने के नाते, भारत और जमैका के लक्ष्य समान हैं, जैसे **आर्थिक विकास, समानता, निर्धनता उन्मूलन और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार।**

जमैका

- यह **वेस्टइंडीज का एक द्वीपीय देश है,** जो **कैरेबियन सागर में** क्यूबा और हिस्पानियोला के बाद तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है।
- यह **हैती के पश्चिम में, क्यूबा के दक्षिण में, मुख्य भूमि के निकटतम बिंदु केप ग्रेसियस-ए-डिओस के उत्तर-पूर्व में, मध्य अमेरिका के कैरीबियाई तट पर स्थित है।**
- राष्ट्रीय **राजधानी किंग्स्टन है।**
- इसकी आबादी **अफ्रीकी मूल की है**, जो यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा लाए गए दासों की वंशज है।
- **जमैका को वर्ष 1962 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली** और वह राष्ट्रमंडल का सदस्य बना हुआ है।

नोट :

चागोस द्वीपसमूह और डिएगो गार्सिया द्वीप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **यूनाइटेड किंगडम (UK)** ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण **चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस** को सौंपने की घोषणा की।

- हालाँकि, ब्रिटेन डिएगो गार्सिया द्वीप पर **संप्रभुता का अधिकार** बनाए रखेगा।

चागोस द्वीपसमूह के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **चागोस द्वीपसमूह की भौगोलिक स्थिति:** इसमें **58 द्वीप** शामिल हैं और यह हिंद महासागर में मालदीव से लगभग **500 किमी दक्षिण में** स्थित है।
- **चागोस द्वीपसमूह का इतिहास:** फ्राँसीसी लोग **वर्ष 1715 में चागोस द्वीपसमूह** के साथ मॉरीशस में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले लोग थे।
  - 18वीं शताब्दी के अंत में, फ्राँसीसियों ने नव स्थापित **नारियल बागानों में कार्य करने हेतु अफ्रीका और भारत** से **दास श्रमिकों को लाया।**
  - हालाँकि, फ्राँस के **नेपोलियन बोनापार्ट** के पतन के बाद **वर्ष 1814 में ब्रिटेन** ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था।
  - वर्ष 1965 में, ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (BIOT) का गठन किया, जिसमें चागोस द्वीप समूह एक केंद्रीय हिस्सा था।

- **चागोस पर मॉरीशस का दावा:** प्रशासनिक कारणों से, चागोस मॉरीशस का हिस्सा था, जो हिंद महासागर में एक अन्य ब्रिटिश उपनिवेश था।
  - जब **वर्ष 1968** में **मॉरीशस को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो चागोस ब्रिटेन** के पास रहा, जिसने **मॉरीशस को "सेना की टुकड़ी"** के लिये **3 मिलियन** पाउंड का अनुदान दिया।
- **चागोस और डिएगो गार्सिया का सामरिक महत्त्व: वर्ष 1966** में, ब्रिटेन ने सैन्य उद्देश्यों के लिये BIOT का उपयोग करने हेतु **संयुक्त राज्य अमेरिका** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
  - इसके बाद, डिएगो गार्सिया में **बागान बंद कर दिये गए** और किसी भी व्यक्ति के लिये बिना परमिट के डिएगो गार्सिया में प्रवेश करना या रहना गैरकानूनी हो गया।
  - द्वीपसमूह का सबसे बड़ा डिएगो गार्सिया **वर्ष 1986 में पूर्णतः कार्यशील सैन्य अड्डा** बन गया।
  - वर्ष 2001 में अमेरिका पर **अल-कायदा के 11 सितंबर के हमलों के बाद** अमेरिका के विदेश में चलाए गए **"आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध"** अभियानों में यह एक प्रमुख स्थान था।
- **यूनाइटेड किंगडम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव:** अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा वर्ष 2019 में प्रकाशित एक सलाहकार राय के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम को छह महीने के भीतर इस क्षेत्र से अपने **औपनिवेशिक प्रशासन को बिना शर्त हटाने** के लिये कहा गया था।
  - ICJ ने फैसला सुनाया कि वर्ष 1965 में मॉरीशस की स्वतंत्रता से पहले चागोस को मॉरीशस से अलग करना अवैध था।

यूके-मॉरीशस समझौते के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **चागोस पर संप्रभुता:** इस समझौते से मॉरीशस को **डिएगो गार्सिया द्वीप** को छोड़कर शेष द्वीपसमूह पर **पूर्ण संप्रभुता** प्राप्त हो गई है।
- **चागोसवासियों का पुनर्वास:** मॉरीशस अब डिएगो गार्सिया को छोड़कर चागोस द्वीपसमूह पर **लोगों को पुनर्स्थापित कर सकता है,** जहाँ ब्रिटेन ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे के लिये **2,000 द्वीपवासियों को** बेदखल कर दिया था।
- **ट्रस्ट फंड:** ब्रिटेन ने चागोस के लोगों के लाभ के लिये एक **नया ट्रस्ट फंड विकसित** करने का भी वादा किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत अपनी ग्रामीण आवास योजना को बढ़ाने के लिये देश भर में कच्चे घरों का सर्वेक्षण शुरू करके और **आवास सखी मोबाइल ऐप लॉन्च** करके महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

- इस पहल का उद्देश्य पक्के (सभी मौसम के अनुकूल) घरों के लिये नए लाभार्थियों की पहचान करना तथा अपर्याप्त आवास वाले परिवारों की मदद करना है।

कच्चे मकानों के सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है?

- **आवास की अपर्याप्तता को संबोधित करना:** इसका उद्देश्य कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के बारे में आँकड़े एकत्र करना है, ताकि सरकार को **सबसे अधिक आवश्यकता वाले लोगों पर अपने संसाधनों को** केंद्रित करने में सहायता मिल सके।
- **आवास सखी मोबाइल ऐप को समर्थन:** यह सर्वेक्षण हाल ही में लॉन्च आवास सखी मोबाइल ऐप का पूरक होगा, जो लाभार्थियों के लिये आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है तथा उन्हें आवास से संबंधित जानकारी और संसाधनों तक आसान पहुँच प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) क्या है?

- वर्ष 2016 में शुरू की गई PMAY-G का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराना है।
  - यह सुनिश्चित करने के लिये कि सहायता सबसे अधिक पात्र लोगों तक पहुँचे, प्राप्तकर्त्ताओं का चयन एक कठोर तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा की मंज़ूरी और जियो-टैगिंग शामिल है।
- **PMAY-G के अंतर्गत लाभार्थियों को प्राप्त होगा:**
  - **वित्तीय सहायता:** मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों सहित पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपए।
  - **शौचालयों हेतु अतिरिक्त सहायता:** स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये 12,000 रुपए।
  - **रोज़गार सहायता:** आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के माध्यम से लाभार्थियों के लिये 90/95 व्यक्ति-दिवस अकुशल मज़दूरी रोज़गार का अनिवार्य प्रावधान।
  - **बुनियादी सुविधाएँ:** प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पानी, **तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG)** और बिजली कनेक्शन तक पहुँच।
  - **लागत साझाकरण:** केंद्र और राज्य मैदानी क्षेत्रों के मामले में 60:40 के अनुपात में व्यय साझा करते हैं, तथा **पूर्वोत्तर राज्यों**, दो हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मामले में 90:10 के अनुपात में व्यय साझा करते हैं।
  - **लद्दाख सहित अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र 100% लागत वहन करता है।**
  - **SBM-G के तहत प्रगति:** सरकार ने **2.95 करोड़ घर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।** अगस्त 2024 तक **2.94 करोड़ घरों को** मंज़ूरी दी जा चुकी है तथा 2.64 करोड़ घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों की जीवन स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- **हालिया घटनाक्रम:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में मौजूदा इकाई सहायता पर **दो करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी।**
  - SBM-G पात्रता मानदंड को लचीला बनाया गया है, और बाइक या स्कूटर के मालिक अब लाभार्थी सूची में शामिल हो सकते हैं। **15,000 रुपए प्रति माह तक आय अर्जित करने वाले लोग** भी अब आवास के लिये पात्र होंगे (पहले सीमा 10,000 रुपए थी)।
- **वित्त वर्ष 2024-2029 तक चलने** वाली इस पहल का उद्देश्य मौजूदा आवास आवश्यकताओं को पूरा करना, लगभग **10 करोड़ व्यक्तियों को लाभान्वित करना** तथा उन लोगों के लिये सुरक्षित, स्वच्छ और सामाजिक रूप से समावेशी आवास सुनिश्चित करना है, जो वर्तमान में उचित आश्रय के बिना या जीर्ण-शीर्ण परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहे हैं।

फिज़ियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, स्वीडन के **स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली** द्वारा **विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में वर्ष 2024 का** नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है।

- वैज्ञानिकों को **microRNA की खोज** और **पोस्ट-ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसके योगदान के लिये यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला।**

नोट:

- **फिजियोलॉजी या मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड (mRNA)** पर उनके कार्य के लिये दिया गया।
- आधुनिक **कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क (ANN)** और **मशीन लर्निंग (ML)** के लिये **जॉन जे. हॉपफील्ड** और **जेफ्री ई. हिंटन को वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार** प्रदान किया गया है।

माइक्रोआरएनए (microRNA) की किस खोज के लिये नोबेल पुरस्कार मिला?

- **प्रारंभिक शोध:**
  - **सी. एलिगेंस मॉडल:** एम्ब्रोस और रुवकुन ने ऊतक के विकास को समझने के लिये **राउंडवर्म सी. एलिगेंस (Roundworm C. Elegans) का अध्ययन किया।**
  - **उत्परिवर्ती उपभेद:** उन्होंने आनुवंशिक प्रोग्रामिंग में **असामान्यताओं वाले उत्परिवर्ती उपभेदों लिन-4 और लिन-14** का विश्लेषण किया।
- **एम्ब्रोस का शोध:**
  - एम्ब्रोस ने पाया कि **लिन-4 (lin-4) ने लिन-14 (lin-14) की गतिविधि को अवरुद्ध कर दिया,** लेकिन यह पता नहीं लगा सके कि ऐसा कैसे हुआ।
  - उन्होंने **लिन-4 का क्लोन** बनाया और प्रोटीन-कोडिंग क्षमता के बिना एक छोटा RNA अणु खोजा। इससे पता चला कि **RNA अणु लिन-14 को बाधित कर सकता है।**
- **रुवकुन का शोध:**
  - उन्होंने पाया कि **लिन-4 ने लिन-14 mRNA उत्पादन को अवरुद्ध नहीं किया, बल्कि बाद में प्रोटीन उत्पादन को बाधित करके इसे विनियमित किया।** एक छोटा लिन-4 अनुक्रम लिन-14 mRNA में प्रमुख पूरक खंडों से मेल खाता था।
  - एम्ब्रोस और रुवकुन ने पाया कि **लिन-4 microRNA, लिन-14 mRNA से जुड़ जाता है तथा प्रोटीन उत्पादन को अवरुद्ध** कर देता है।
- **महत्त्व:**
  - **लेट-7 की खोज:** रुवकुन के समूह ने बाद में लेट-7 की खोज की, जो कि सम्पूर्ण प्राणी जगत में मौजूद एक microRNA है।
  - **वर्तमान समझ:** microRNA प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो बहुकोशिकीय जीवों में जीन विनियमन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

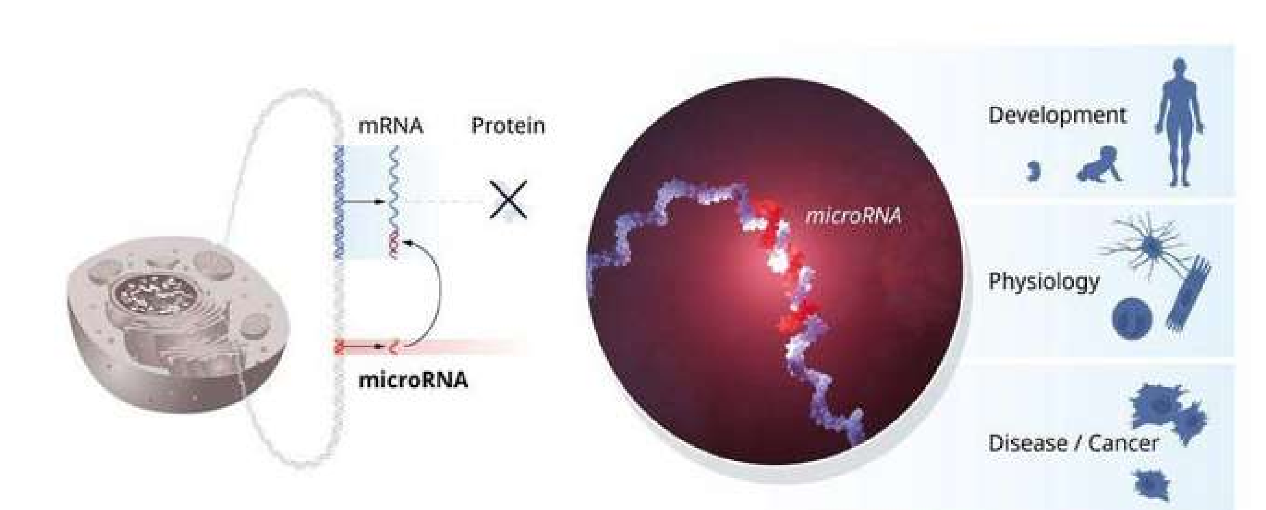

© The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén

नोट :

नोट:

- **लिन-4 (let-7): यह एक microRNA है, जिसकी पहचान नेमाटोड *कैनोरहैबडाइटिस एलिगेंस*** (**Nematode *Caenorhabditis Elegans***) में विकासात्मक समय के अध्ययन से हुई है । यह miRNAs में खोजा जाने वाला पहला था, जो **जीन विनियमन में शामिल नॉन-कोडिंग RNA का** एक वर्ग है।
- **लिन-14:** यह एक हेटरोक्रोनिक जीन है, जो **नेमाटोड *कैनोरहेबडाइटिस एलेगेंस* में विकासात्मक घटनाओं के समय** को नियंत्रित करता है।
  - **हेटरोक्रोनिक जीन** वे जीन होते हैं जो किसी जीव में कोशिका और ऊतक विकास के समय को नियंत्रित करते हैं।

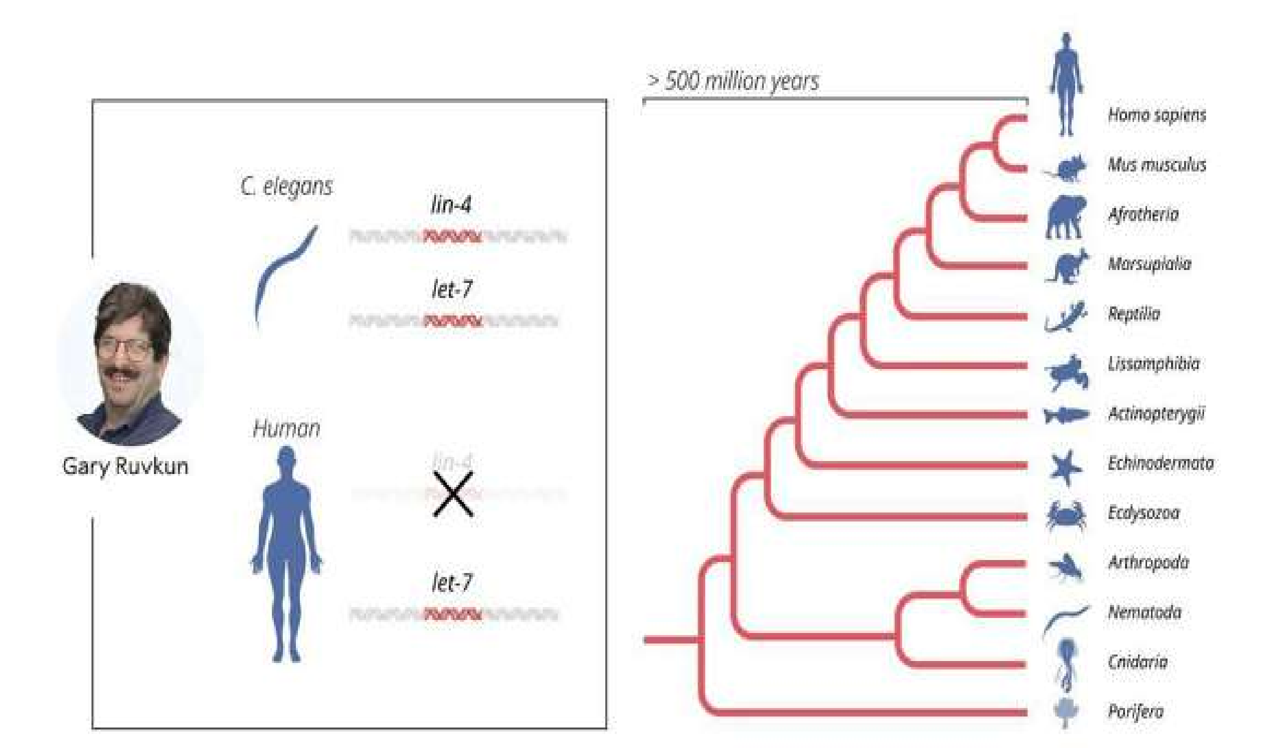

© The Nobel Committe for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén

microRNA क्या हैं?

- **शरीर प्रोटीन का संश्लेषण** एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से करता है जिसमें दो मुख्य चरण होते हैं: **ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशन।**
- **प्रतिलेखन चरण** में , **कोशिका नाभिक** में **डी-ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) अनुक्रम को मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड (mRNA)** में कॉपी किया जाता है।
  - इसके बाद mRNA नाभिक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य से होकर गुजरता है, तथा **राइबोसोम से जुड़ जाता है।**
- **ट्रांसलेशन चरण में, ट्रान्सफर RNA (T-RNA) विशिष्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुँचाता है, जहाँ वे प्रोटीन बनाने के लिये mRNA द्वारा निर्धारित अनुक्रम में एक साथ जुड़ जाते हैं।**
- miRNA प्रोटीन उत्पादन की प्रक्रिया में **एक विशिष्ट अवस्था पर mRNA** से जुड़कर उसे स्थायी बनाने में **नियामक भूमिका** निभाता है।
  - **यह विनियमन पोस्ट-ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन नामक तंत्र के माध्यम से होता है, जो सुनिश्चित करता है कि प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रित रहे।**

विजेताओं का परिचय:

- एम्ब्रोस और रुवकुं **दोनों अमेरिकी जीव-विज्ञानी हैं। एम्ब्रोस वर्तमान में मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में आणविक चिकित्सा** कार्यक्रम में कार्य करते हैं। जबकि
- **रुवकुन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में आनुवंशिकी के प्रोफेसर** हैं और माइक्रो RNA और RNA इंटरफेरेंस पर अनुसंधान करते हैं।
- **एच. रॉबर्ट होर्विट्ज़,** जिनके अधीन दोनों जीव-विज्ञानी पोस्टडॉक्टरल फेलो के रूप में कार्य करते थे, **ने वर्ष 2002 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबल पुरस्कार जीता।**
- **एम्ब्रोस माइक्रो RNA का क्लोन बनाने वाले पहले व्यक्ति** थे, **तथा रुवकुन ने दूसरा क्लोन बनाया,** जो इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

डिस्कवरी के अनुप्रयोग क्या हैं?

- **असामान्य विनियमन और रोग:**
  - **कैंसर: असामान्य माइक्रो RNA** विनियमन **कैंसर के विकास में योगदान दे सकता है।**
  - **उत्परिवर्तन:** माइक्रो RNA जीन में उत्परिवर्तन को **श्रवण बाध्यता, नेत्र और कंकाल संबंधी विकारों जैसी स्थितियों से जोड़ा गया है।**
- **भविष्य के अनुप्रयोग:**
  - यद्यपि **माइक्रो RNA में अपार संभावनाएँ हैं, फिर भी वर्तमान में इनका कोई प्रत्यक्ष नैदानिक अनुप्रयोग नहीं** है।
  - भविष्य के अनुप्रयोगों के लिये माइक्रो RNA पर **और अधिक शोध और गहन समझ की आवश्यकता है।**

नोट :

नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize)

- अल्फ्रेड नोबेल (डायनामाइट के आविष्कारक) के वसीयतनामे के अनुसार स्थापित।
- यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है।
- पहली बार ये पुरस्कार वर्ष 1901 में दिये गए।
- पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिये जाते हैं:

भौतिकी
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

रसायन
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

फिजियोलॉजी या चिकित्सा
कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली

साहित्य
स्वीडिश एकेडमी

शांति
नार्वे की नोबेल कमेटी

अर्थशास्त्र (स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित)
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

- पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम, स्वीडन में किया जाता है।
  - शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है बल्कि यह हर साल उसी दिन ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है।
- प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करता है।
- नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है। साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है।
- नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय: रवींद्रनाथ टैगोर, साहित्य के लिये (1913)
  - नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला: मदर टेरेसा, शांति के लिये (1979)

रतन टाटा का योगदान और विरासत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन नवल टाटा (जिन्हें 21वीं सदी में भारत के आर्थिक पुनरुत्थान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है)** का 86 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया।

रतन टाटा कौन थे?

- **परिचय:**
  - रतन नवल टाटा एक प्रतिष्ठित भारतीय व्यवसायी और भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे।
  - उन्हें वर्ष 2000 में **पद्म भूषण** और वर्ष 2008 में **पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया था।
  - उन्होंने **कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की** और वर्ष 1962 में अपने **परदादा जमशेदजी टाटा** द्वारा स्थापित **टाटा समूह में शामिल होने के लिये भारत लौट आए।**
  - वह **एक लाइसेंस प्राप्त पायलट थे** जो अपने शांत आचरण, अपेक्षाकृत साधारण जीवनशैली और परोपकारिता के लिये जाने जाते थे।
  - रतन टाटा **दूरदर्शी और दयालु व्यक्तित्व के थे तथा** उन्होंने व्यवसायिक और सामाजिक क्षेत्रों में लोकप्रियता हासिल की।
- **उपलब्धियाँ:**
  - रतन टाटा ने **टाटा समूह को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में बदलने में प्रमुख भूमिका निभाई** जिसमें इस्पात, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर और दूरसंचार जैसे उद्यम शामिल हैं।
  - **अपने कॅरियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा मोटर्स (पूर्व में टेल्को) और टाटा स्टील** सहित कई टाटा कंपनियों के साथ कार्य किया तथा नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को पुनर्जीवित किया।
  - **वर्ष 1991 में** वे **जे.आर.डी टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष** बने।
  - उन्होंने महत्त्वपूर्ण **संगठनात्मक सुधार (जैसे सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना एवं** युवा प्रतिभाओं की नेतृत्त्वकारी भूमिकाओं को बढ़ावा देना) लागू किये।
- **उन्हें निम्नलिखित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया:**
  - वर्ष 2021 में असम सरकार द्वारा असम बैभव।
  - वर्ष 2023 में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद अधिकारी।
  - वर्ष 2008 में आईआईटी बॉम्बे द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि।
  - वर्ष 2014 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (GBE)
  - वर्ष 2008 में सिंगापुर सरकार द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार।
- **योगदान:**
  - टाटा ने आईटी बूम का लाभ उठाते हुए **वर्ष 1996 में टाटा टेलीसर्विसेज़** की स्थापना की तथा **वर्ष 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)** को सार्वजनिक कर दिया।
  - उनके नेतृत्व में महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण हुए, जिनमें शामिल हैं:
    - वर्ष 2000 में **टेटली टी** की खरीद।
    - वर्ष 2002 में **VSNL (विदेश संचार निगम लिमिटेड)** का अधिग्रहण।
    - वर्ष 2007 में **कोरस स्टील का अधिग्रहण** (किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण था)।
    - वर्ष 2008 में **फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर** का अधिग्रहण।
    - **जनवरी 2022 में टाटा समूह** द्वारा सरकार से **एयर इंडिया के अधिग्रहण** में टाटा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - उन्होंने टाटा नैनो भी लॉन्च की, **जो एक कम लागत वाली कार थी जिसका उद्देश्य भारतीयों को किफायती परिवहन का साधन उपलब्ध** कराना था।
  - टाटा, भारतीय स्टार्टअप्स में एक प्रमुख निवेशक थे जिन्होंने **पेटीएम, ओला इलेक्ट्रिक** और अर्बन कंपनी जैसी कंपनियों का समर्थन किया।

सूडान में गृह युद्ध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) द्वारा खार्तूम और बहरी में **रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF)** के खिलाफ हमला शुरू करने से कई महीनों से शांत रहा संघर्ष फिर से शुरू हो गया।

नोट :

- यह हमला 18 महीने से अधिक समय से चल रहे गृहयुद्ध के बीच हुआ है, जिसमें **अक्टूबर 2024** तक **20,000 से अधिक लोगों की मौत** हो चुकी है और लगभग **11 मिलियन लोग विस्थापित** हो चुके हैं।

नोट :

सूडान में गृह युद्ध का क्या कारण है?

- यह युद्ध SAF नेता **अब्देल फतह अल-बुरहान** और RSF नेता **हमदान दगालो (हेमेदती) के बीच सत्ता संघर्ष में निहित है।**
- **इसकी शुरुआत खार्तूम** में हुई थी लेकिन यह **ओमदुरमान, बहरी, पोर्ट सूडान** और **दारफुर** तथा **कोर्डोफन** राज्यों जैसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित हो गया।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - **एंग्लो-मिस्र कॉन्डोमिनियम** के दौरान सूडान, **मिस्र** और **ब्रिटेन के** अधीन एक संयुक्त संरक्षित राज्य था।
  - **सूडान को वर्ष 1956** में स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा उसे **उत्तर में** धनी **अरब मुस्लिमों** और **दक्षिण में ईसाई/एनिमिस्ट से आंतरिक चुनौतियों** का सामना करना पड़ा।
  - दो प्रमुख गृह युद्धों, **प्रथम** (वर्ष 1955-1972) और **द्वितीय** (वर्ष 1983-2005) के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अत्याचार हुए और अंततः वर्ष 2011 में **दक्षिण सूडान अलग हो गया।**
  - वर्ष 2005 में दूसरा गृह युद्ध शांति समझौते के साथ समाप्त हो गया लेकिन तनाव और आंतरिक संघर्ष (विशेष रूप से **दारफुर में**) बना रहा।
- **उमर अल-बशीर का शासन:**
  - **बशीर ने वर्ष 1989** में तख्तापलट के जरिये सत्ता हासिल की और 30 वर्षों तक सूडान पर शासन किया।
  - **इसके शासन में शरिया कानून** को लागू किया गया, विद्रोहियों से लड़ने के लिये **निजी मिलिशिया (जंजावीद) का इस्तेमाल किया** गया तथा अल्पसंख्यक धर्मों पर अत्याचार किया गया।
  - **दारफुर में नरसंहार के लिये इसके शासन की निंदा की गई,** इसमें विशेष रूप से **फुर, ज़गहवा** और **मसलित** जैसे **गैर-अरब समूहों को निशाना बनाया गया।**
  - **बशीर का तख्तापलट:**
    - **वर्ष 2019** तक बशीर के दमनकारी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तीव्र हो गए, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल में **SAF** और **RSF दोनों द्वारा समर्थित तख्तापलट** द्वारा उसे हटा दिया गया।
    - इसके तख्तापलट के बाद सूडान सैन्य और नागरिक नेतृत्व के तहत एक संक्रमणकालीन चरण में शामिल हो गया।
- **RSF की उत्पत्ति और शक्ति:**
  - **RSF का उदय जन-जावेद मिलिशिया** से हुआ, जो **दारफुर संघर्ष** में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, जो व्यापक अत्याचारों के लिये जिम्मेदार माना जाता है।
  - **औपचारिक रूप से** 2013 में संगठित RSF ने विशेष रूप से **सोने की खदानों पर नियंत्रण के माध्यम से धन प्राप्त** किया।
- **संक्रमणकालीन सरकार:**
  - बशीर के पतन के बाद, एक **संक्रमणकालीन संप्रभुता परिषद का** गठन किया गया।
  - **प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक,** एक नागरिक नेता, आर्थिक स्थिरता चाहते थे, लेकिन वर्ष 2021 में SAF और RSF के नेतृत्व में हुए तख्तापलट ने उन्हें हटा दिया। बाद में उनके इस्तीफे के पश्चात् सूडान में प्रभावी नागरिक नेतृत्व नहीं रह गया।
  - **दिसंबर 2022 के समझौते:**
    - दिसंबर **2022 के समझौते में नागरिक शासन** के लिये दो वर्ष के संक्रमण की रूपरेखा तैयार की गई थी।
    - हालाँकि सशस्त्र बलों में **RSF के एकीकरण** को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया तथा **बुरहान** और **हेमेदती के बीच** समयसीमा पर असहमति उत्पन्न हुई।
  - **वैगनर ग्रुप** जैसे विदेशी तत्वों की संलिप्तता और **संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त सैन्य सहायता ने** संघर्ष को और जटिल बना दिया है, जिससे इसका समाधान कठिन हो गया है।

सूडान में निरंतर संघर्ष के क्या कारण हैं?

- **सत्ता संघर्ष: SAF** और **RSF दोनों ही** सत्ता को सुदृढ़ करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं, प्रत्येक गुट दूसरे पर प्रभुत्व चाहता है।
  - SAF का दावा है, कि वह वैध सरकार है, जबकि RSF इसे चुनौती दे रहा है।
- **शस्त्र आपूर्ति: वर्ष 2004 के डारफूर संकट** के बाद **संयुक्त राष्ट्र** द्वारा शस्त्र प्रतिबंध के बावजूद, देश में शस्त्रों का प्रवाह जारी है।
  - उन्नत सैन्य उपकरण, प्रायः **रूस, चीन और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आपूर्ति किये जाते हैं।**
- **जातीय तनाव:** संघर्ष ने जातीय आयाम ले लिया है।
  - **उदाहरण के लिये दारफुर** में अरब मिलिशिया RSF का समर्थन करते हैं, जबकि **मसलित** जैसे गैर-अरब समुदाय SAF का समर्थन करते हैं।
- **विदेशी हस्तक्षेप:** प्रत्येक पक्ष को बाह्य समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे समझौता करने या शांति स्थापित करने की उनकी प्रेरणा कम हो रही है।
- **असफल शांति वार्ता:** कई युद्ध विराम के प्रयासों के बावजूद, विशेष रूप से **सऊदी अरब** और अमेरिका द्वारा **जेद्दा घोषणा (वर्ष 2023) जैसे प्रयासों के बावजूद,** कोई भी सफल नहीं हुआ है।

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन चार्टर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (CSC)** के सदस्यों (**भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस**) ने कोलंबो में **CSC सचिवालय** की स्थापना हेतु एक चार्टर एवं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

- **इसमें बांग्लादेश** अनुपस्थित रहा तथा **सेशेल्स ने** पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग लिया।

नोट :

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **CSC की पृष्ठभूमि:** इसे मूल रूप से **समुद्री सुरक्षा पर NSA ट्राईलेटरल** के रूप में जाना जाता था और इसे वर्ष 2011 में **भारत, श्रीलंका एवं मालदीव के बीच स्थापित किया गया था।**
  - यह **हिंद महासागर क्षेत्र** में **समुद्री सुरक्षा** बढ़ाने के लिये **श्रीलंका की एक पहल थी।**
- **सदस्य: भारत, श्रीलंका और मालदीव** इसके संस्थापक सदस्य थे।
  - **वर्ष 2022** में **मॉरीशस** जबकि **बांग्लादेश वर्ष 2024** में इस सम्मेलन में शामिल हुआ। **सेशेल्स** इसमें एक पर्यवेक्षक राज्य है।
- **CSC के लक्ष्य:** CSC के तहत सहयोग **पाँच लक्ष्यों पर केंद्रित है:**
  - **समुद्री सुरक्षा** एवं संरक्षा।
  - **आतंकवाद और कट्टरपंथ का** मुकाबला करना।
  - **तस्करी** और अंतरराष्ट्रीय **संगठित अपराध** का मुकाबला करना।
  - **साइबर सुरक्षा** तथा रणनीतिक बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा।
- **मानवीय सहायता एवं आपदा राहत।**
- **रक्षा अभ्यास:** नवंबर 2021 में भारत, श्रीलंका और मालदीव ने **मालदीव में अभ्यास दोस्ती XV का** आयोजन किया।
  - **इसके बाद भारत, श्रीलंका और मालदीव ने** CSC के तत्वावधान में **अरब सागर** में अपना पहला संयुक्त अभ्यास किया।
- **संवाद और बैठकें: तीनों देशों के बीच** प्रथम **वार्ता वर्ष 2011 में मालदीव में** हुई, इसके बाद **श्रीलंका (2013) और भारत (2014) में बैठकें हुईं।**
  - **भारत-मालदीव के बीच बढ़ते तनाव** और हिंद महासागर में **चीन के बढ़ते प्रभाव** के कारण वर्ष **2014 के बाद** यह वार्ता स्थिर हो गई।
  - इसे वर्ष 2020 में पुनर्जीवित किया गया और **कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के रूप में पुनः स्थापित किया गया।**
- **CSC का महत्त्व:** CSC **भारत की हिंद महासागर में पहुँच को मज़बूत करता है, चीन के प्रभाव का सामना करता है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाता है, यह सागर (SAGAR) दृष्टिकोण** के साथ संरेखित है, और **साझा सुरक्षा मंच** पर छह हिंद महासागर देशों के बीच **उप-क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है।**

हिंद महासागर भारत के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **केंद्र स्थल: अफ्रीका से आस्ट्रेलिया तक** फैला हिंद महासागर भारत को **प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखने की स्थिति में रखता है, जिसमें मलक्का और होर्मुज जलडमरूमध्य** जैसे महत्त्वपूर्ण बैरियर पॉइंट भी शामिल हैं, जो वैश्विक व्यापार और राष्ट्रीय हितों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **व्यापार मार्ग:** भारत ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर में एक **स्थायी शक्ति के रूप में कार्य करता रहा है, तथा उसके सामरिक जल के 40% भाग पर अधिग्रहण रखता है।**
  - **मात्रा की दृष्टि से भारत का** लगभग 95% तथा मूल्य की दृष्टि से 68% व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये हिंद महासागर पर बहुत अधिक निर्भर है तथा **अपनी लगभग 80% कच्चे तेल की आवश्यकता** इसी मार्ग से आयात करता है।
- **खनिजों से समृद्ध:** हिंद महासागर **विश्व के अपतटीय तेल उत्पादन का 40% तथा निकल, कोबाल्ट और ताँबे** जैसे खनिजों का भंडार है।
- **मत्स्य उद्योग:** हिंद महासागर में महत्त्वपूर्ण **मत्स्याग्रह क्षेत्र हैं,** भारत का मत्स्य उद्योग लगभग **14 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है।**

जनजातीय कल्याण परियोजनाओं का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **प्रधानमंत्री ने झारखंड के हज़ारीबाग** में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सहित 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

- उन्होंने **40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) का** उद्घाटन किया और **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के** तहत कई परियोजनाओं **की आधारशिला रखी।**

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान क्या है?

- मूल रूप से **PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) नाम से** आरंभ हुई यह योजना 63,000 अनुसूचित जनजाति बहुल गाँवों में मौजूदा योजनाओं को लागू करने के लिये एक व्यापक योजना है।
  - धरती आबा का तात्पर्य झारखंड के **19वीं सदी के आदिवासी नेता और उपनिवेशवाद विरोधी प्रतीक बिरसा मुंडा से है।**
- इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढाँचे, **स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्त्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है।**

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) क्या हैं?

- **EMRS संपूर्ण भारत में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये आदर्श आवासीय विद्यालय** निर्माण की एक योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष **1997-98 में हुई थी।** इसका **नोडल मंत्रालय जनजातीय मामलों का मंत्रालय** है।
  - इन विद्यालयों का विकास **आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये किया जा रहा है,** जिसमें शैक्षणिक के साथ-साथ समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।
  - EMR विद्यालय **CBSE पाठ्यक्रम का पालन करते हैं।**

नोट :

- इस योजना का उद्देश्य **जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के समान विद्यालयों का निर्माण करना है, जिसमें स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिये अत्याधुनिक सुविधाओं** पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) क्या है?

- PVTG के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सुधार के लिये **जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर 2023** को PM-JANMAN का शुभारंभ किया गया।
- इसका **क्रियान्वयन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा** राज्य सरकारों और **PVTG समुदायों के सहयोग से किया जाता है**।
  - **इसमें PM-आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल** तक पहुँच, बेहतर **स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण,** सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
- **इस योजना में वन उपज के व्यापार** के लिये **वन धन विकास केंद्रों** की स्थापना, 1 लाख घरों के लिये ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइटें भी शामिल हैं।
- इस योजना से **PVTG के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में, इनके साथ होने वाले भेदभाव और बहिष्कार** के विभिन्न रूपों को संबोधित करके तथा राष्ट्रीय और वैश्विक विकास में उनके अद्वितीय और मूल्यवान योगदान को महत्त्व देकर, **वृद्धि होने की उम्मीद है**।

नोट :

रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़ द्वारा वर्ष 2024 के लिये रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार** प्रदान किया गया।

- पुरस्कार का **आधा भाग डेविड बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन के डिज़ाइन** के लिये दिया गया, जबकि **दूसरा आधा भाग** संयुक्त रूप से **डेमिस हसबिस और जॉन एम. जंपर को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी** के लिये प्रदान किया गया है।

डेविड बेकर का योगदान क्या है ?

- **प्रोटीन इंजीनियरिंग में क्रांतिकारी बदलाव:** बेकर के अनुसंधान समूह ने **प्रोटीन इंजीनियरिंग** की संभावनाओं को नया आकार देते हुए, **नए प्रोटीनों को** डिज़ाइन करने के लिये **कम्प्यूटेशनल विधियों का उपयोग किया है।**
  - प्रोटीन के निर्माण वाले 20 **विभिन्न** **अमीनो एसिड** में बदलाव करके, उनकी टीम ने **नए प्रोटीन बनाए हैं,** जो प्रकृति में मौजूद नहीं हैं।
- **चिकित्सा और प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग: इन कृत्रिम रूप से डिज़ाइन किये गए प्रोटीनों में विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, टीके, नैनोमैटेरियल्स और बायोसेंसर** के विकास में व्यापक संभावनाएँ हैं।
  - बेकर ने सफलतापूर्वक नए कार्यों वाले प्रोटीन का डिज़ाइन तैयार किया है, जैसे **प्लास्टिक को विघटित करना** या प्राकृतिक प्रोटीन की क्षमता से परे कार्य करना।
- **वर्ष 2003 में पहली सफलता:** बेकर को पहली बड़ी सफलता वर्ष **2003 में मिली** जब उनकी टीम ने एक ऐसा प्रोटीन तैयार किया, जो प्रकृति में पाए जाने वाले किसी भी प्रोटीन से **पूर्ण रूप से भिन्न था।**

डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर का योगदान क्या है ?

- **प्रोटीन फोल्डिंग की समस्या:** वर्ष 1970 के दशक से वैज्ञानिक यह अनुमान लगाने में **संघर्ष कर रहे हैं कि अमीनो एसिड के तार अपने त्रि-आयामी आकार** में कैसे वलित होते हैं ।
  - प्रोटीन की संरचना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह **उसके कार्य को निर्धारित करती है।**
  - **दवा की खोज, रोग उपचार और जैव-प्रौद्योगिकी** जैसे क्षेत्रों में प्रगति के लिये इन संरचनाओं को समझना आवश्यक है।
- **अल्फाफोल्ड-2 के साथ सफलता:** वर्ष 2020 में **हसबिस और जंपर ने अल्फाफोल्ड-2** प्रस्तुत किया, **जो एक AI-संचालित प्रणाली** है जिसने भविष्य में प्रोटीन **संरचना में क्रांति** ला दी।
  - यह मॉडल लगभग **प्रत्येक ज्ञात प्रोटीन, 200 मिलियन,** की संरचना का **पूर्वानुमान लगाने में सक्षम था।**
  - इस उपलब्धि से संरचनात्मक जीव विज्ञान की **50 वर्ष पुरानी समस्या का समाधान हो गया।**
  - **प्रोटीन संरचनाओं को डिकोड करने के पारंपरिक तरीके,** जैसे कि **एक्स-रे, क्रिस्टलोग्राफी** आदि मंद, श्रमसाध्य और समय लेने वाले हैं।
- **व्यापक उपयोग और प्रभाव:** अल्फाफोल्ड-2 का उपयोग विश्व भर में **दो मिलियन से अधिक शोधकर्त्ताओं द्वारा किया गया है,** जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिली है।
  - **उदाहरण के लिये यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध को** समझने और **प्लास्टिक को विघटित करने में सक्षम एंज़ाइम** के निर्माण करने में सहायक रहा है ।

प्रोटीन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **निर्माण खंड के रूप में अमीनो एसिड: प्रोटीन अमीनो एसिड की दीर्घ शृंखलाओं** से निर्मित होते हैं, जो **कार्बनिक अणु** होते हैं जिसमें **कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन** और कभी-कभी सल्फर भी शामिल होते हैं।
  - इसमें **20 प्रकार के विभिन्न अमीनो एसिड होते हैं** और इनके विभिन्न संयोजन, **त्रि-आयामी संरचनाओं में संयोजित होकर,** जैविक प्रक्रियाओं के लिये आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
- **प्रोटीन की संरचनात्मक भूमिका:** प्रोटीन की त्रि-आयामी संरचना इसके कार्य को निर्धारित करती है।
  - वर्ष 1972 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार **क्रिश्चियन एन्फिन्सन को राइबोन्यूक्लिएस** पर उनके कार्य के लिये दिया गया था, विशेष रूप से **अमीनो एसिड अनुक्रम के बीच।**
- **आवश्यक अणु के रूप में प्रोटीन:** प्रोटीन जीवित जीवों में लगभग प्रत्येक जैविक प्रक्रिया के लिये **मौलिक हैं और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देने,** संरचनात्मक समर्थन प्रदान करने, **प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में सहायता करने** और पोषक तत्वों को संग्रहीत करने जैसे विविध कार्य करते हैं।

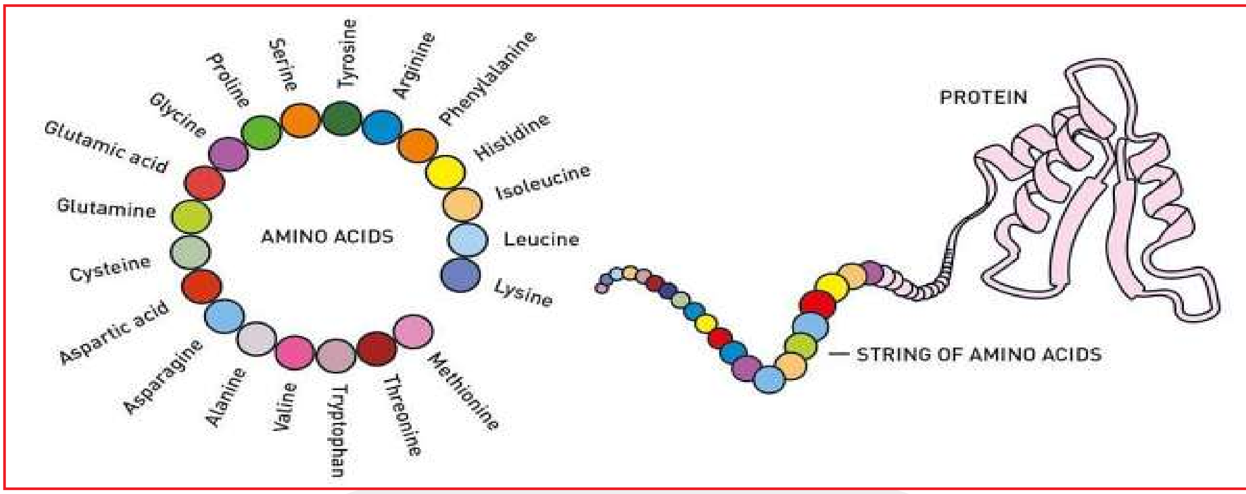

नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize)

- अल्फ्रेड नोबेल (डायनामाइट के आविष्कारक) के वसीयतनामे के अनुसार स्थापित।
- यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है।
- पहली बार ये पुरस्कार वर्ष 1901 में दिये गए।
- पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिये जाते हैं:

भौतिकी – रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

रसायन – रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

फिजियोलॉजी या चिकित्सा – कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली

साहित्य – स्वीडिश एकेडमी

शांति – नार्वे की नोबेल कमेटी

अर्थशास्त्र (स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित) – रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

- पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम, स्वीडन में किया जाता है।
  - शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है बल्कि यह हर साल उसी दिन ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है।
- प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करता है।
- नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है। साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है।
- नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय: रवींद्रनाथ टैगोर, साहित्य के लिये (1913)
  - नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला: मदर टेरेसा, शांति के लिये (1979)

नोट :

साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाज़ुकता का पता लगाने वाले "**गहन काव्यात्मक गद्य**" के लिये, **दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हान कांग** को स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा **वर्ष 2024** के साहित्य के नोबेल पुरस्कार **से सम्मानित** किया गया है।

- हान कांग **साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखक** हैं,जो दक्षिण कोरिया के साहित्यिक परिदृश्य के लिये एक ऐतिहासिक क्षण है।

हान कांग कौन है?

- **परिचय:** वर्ष 1970 में जन्मी हान कांग एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि हैं, उन्हें उनके **गहन काव्यात्मक गद्य के लिये जाना जाता है,** जिसमें गीतात्मकता एवं कथात्मकता का संयोजन है। उनकी शैली ने शारीरिक और भावनात्मक सहानुभूति को विशिष्ट ढंग से सम्मिश्रित करके समकालीन साहित्य को पुनर्परिभाषित किया है।
- **प्रमुख साहित्यिक योगदान:**
  - **द वेजिटेरियन (वर्ष 2007):** यह उनका सफल उपन्यास था, जिसका **अनुवाद वर्ष 2015 में डेबोरा स्मिथ ने किया** और इसने **वर्ष 2016 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार** जीता।
    - अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, **जिसे वर्ष 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार** के रूप में स्थापित किया गया था, **अंग्रेज़ी में अनुवादित और साथ ही यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित** किसी एकल उपन्यास के लिये दिया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक साहित्य को बढ़ावा देना तथा **लेखक व अनुवादक दोनों** के योगदान को प्रोत्साहित करना शामिल है।
  - **ह्यूमन एक्ट्स (वर्ष 2016):** वर्ष 1980 के ग्वांगजू नरसंहार पर केंद्रित है, जहाँ दक्षिण कोरियाई सैन्य बलों ने प्रदर्शनकारी छात्रों एवं नागरिकों को मार डाला था।
    - यह पुस्तक आघात और सामूहिक स्मृति का दूरदर्शी किंतु संक्षिप्त तरीके से अन्वेषण करती है।

नोट :

नोट:

नोट: वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार रवीन्द्रनाथ टैगोर को **"उनकी अत्यधिक मार्मिक और सुंदर कविता"** के लिये प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने अपने अंग्रेज़ी शब्दों में व्यक्त किया तथा पश्चिमी साहित्य का हिस्सा बनाया।

- रवींद्रनाथ टैगोर के उल्लेखनीय साहित्यिक योगदानों में मानसी, गीतांजलि, साधना: जीवन का बोध, **तथा** चित्रा: एक नाटक शामिल हैं।
- वर्ष 2023 के लिये साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के **लेखक और नाटककार जॉन फॉसे** को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिये दिया गया, जो अवर्णनीय को आवाज़ देते हैं।"

नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize)

- अल्फ्रेड नोबेल (डायनामाइट के आविष्कारक) के वसीयतनामे के अनुसार स्थापित।
- यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है।
- पहली बार ये पुरस्कार वर्ष 1901 में दिये गए।
- पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिये जाते हैं:

भौतिकी
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

रसायन
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

फिजियोलॉजी या चिकित्सा
कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली

साहित्य
स्वीडिश एकेडमी

शांति
नार्वे की नोबेल कमेटी

अर्थशास्त्र (स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित)
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

- पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम, स्वीडन में किया जाता है।
  - शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है बल्कि यह हर साल उसी दिन ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है।
- प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करता है।
- नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है। साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है।
- नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय: रवींद्रनाथ टैगोर, साहित्य के लिये (1913)
  - नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला: मदर टेरेसा, शांति के लिये (1979)

नोट :

भारत-ASEAN संबंधों पर 10 सूत्री योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लाओस के वियनतियाने में 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 2024 में **10 सूत्री योजना** की घोषणा की।

- उन्होंने **44वें आसियान शिखर सम्मेलन** (जिसका विषय था **ASEAN: कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना'**) तथा **19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया।**
- **वर्ष 2024 में भारत की एक्ट ईस्ट नीति** (जिसकी घोषणा **वर्ष 2014 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र** में व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के संदर्भ में **भारत-आसियान संबंधों को** मज़बूत करने के लिये की गई थी) **के 10 वर्ष** भी पूरे हुए हैं।

21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **आसियान और भारत अवलोकन:** आसियान और भारत की संयुक्त रूप से **विश्व के** सकल घरेलू उत्पाद **में 7% तथा वैश्विक जनसंख्या में 26% की हिस्सेदारी है।**
- **उभरती प्रौद्योगिकियाँ:** भारत और आसियान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रोबोटिक्स, **क्वांटम कंप्यूटिंग और** 6-G तकनीक **पर सहयोग** करने पर सहमति व्यक्त की।
- **डिजिटल परिवर्तन:** उन्होंने डिजिटल बुनियादी ढाँचे, फिनटेक **और** साइबर सुरक्षा को कवर करते हुए **डिजिटल परिवर्तन को** आगे बढ़ाने पर संयुक्त प्रस्ताव रखा।
  - **भारत, आधार और** UPI जैसे **डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे** में अपनी विशेषज्ञता आसियान देशों के साथ साझा करेगा।
- **आसियान-भारत व्यापार वृद्धि:** पिछले दस वर्षों में **भारत-आसियान व्यापार दोगुना होकर 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक हो गया है।
  - हालाँकि, आसियान के साथ **भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2013 के 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर **44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।**
  - भारत, आसियान का **छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है और **आसियान वार्ता साझेदारों** में FDI **का आठवाँ सबसे बड़ा स्रोत है।**
- **स्थानीय मुद्रा में व्यापार:** कुछ आसियान देशों और भारत ने **स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू कर दिया है,** जिसमें **मलेशिया** अग्रणी है तथा अन्य आसियान देशों से भी इसका अनुसरण करने की उम्मीद है।
- **निवेश प्रवाह:** भारत और आसियान की वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) में वृद्धि हुई, जिसमें वर्ष **2000 से 2023 तक कुल निवेश 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।**
- **वित्तीय एकीकरण:** जून 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक **आधिकारिक** तौर पर आसियान के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस में **शामिल हो गया, जो भारत के यूपीआई** और **सिंगापुर की पेनाउ** प्रणाली के बीच **वास्तविक समय में सीमा पार लेनदेन को सक्षम बनाता है।**
- **क्षेत्रीय सुरक्षा: दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिये आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को** बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो भारत-प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण (AOIP) के अनुरूप है और **भारत की एक्ट ईस्ट नीति (AEP) द्वारा समर्थित है।**
- **दक्षिण चीन सागर के लिये आचार संहिता: दोनों ने** दक्षिण चीन सागर में **पक्षों के आचरण पर घोषणा (DOC)** के पूर्ण कार्यान्वयन का समर्थन किया और UNCLOS **वर्ष** 1982 के अनुरूप एक प्रभावी **आचार संहिता (COC) का आह्वान किया।**
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास और नौसैनिक बंदरगाहों पर कॉल के माध्यम से **समुद्री सुरक्षा,** आतंकवाद-रोधी, **साइबर सुरक्षा आदि सुनिश्चित करने पर सहमत हुए। उदाहरण के लिये** आसियान भारत समुद्री अभ्यास।

नोट:

- भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष **2023 में भारत-आसियान आर्थिक संबंधों को** बढ़ावा देने के लिये जकार्ता में **12-सूत्री एजेंडे की घोषणा की,** जिसमें इस साझेदारी के लिये भारत की सुदृढ़ प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

आसियान सहयोग के लिये भारत की 10 सूत्री योजना क्या है?

- **आसियान-भारत पर्यटन वर्ष 2025: भारत** संयुक्त पर्यटन गतिविधियों के लिये **5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का** योगदान देगा।
- **एक्ट ईस्ट नीति के एक दशक का योगदान: युवा शिखर सम्मेलन, स्टार्ट-अप महोत्सव, हैकाथॉन,** संगीत महोत्सव और थिंक टैंक पहल जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।
- **महिला वैज्ञानिक सम्मेलन:** महिला वैज्ञानिकों के लिये एक सम्मेलन के माध्यम से आसियान-भारत विज्ञान सहयोग।
- **शैक्षिक छात्रवृत्तियाँ:** नालंदा विश्वविद्यालय की छात्रवृत्तियों को दोगुना करना तथा भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों के लिये नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना।

- **व्यापार समझौते की समीक्षा: आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की वर्ष** 2025 तक समीक्षा की जाएगी।
- **आपदा में लचीलापन: भारत आसियान की आपदा में लचीलेपन को** मज़बूत करने के लिये 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा।
- **स्वास्थ्य मंत्रियों का ट्रैक:** स्वास्थ्य को लचीलापन बनाने के लिये आसियान और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच नियमित संवाद।
- **साइबर नीति वार्ता: डिजिटल और साइबर संबंधी लचीलेपन के लिये आसियान-भारत वार्ता की स्थापना।**
- **हरित हाइड्रोजन कार्यशाला:** **हरित हाइड्रोजन** कार्यशाला के माध्यम से आसियान के ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन प्रदान करना।
- **जलवायु लचीलापन पहल:** आसियान नेताओं को भारत के " **माँ के लिये एक पेड़ लगाओ** " अभियान में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया।

आसियान

दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन

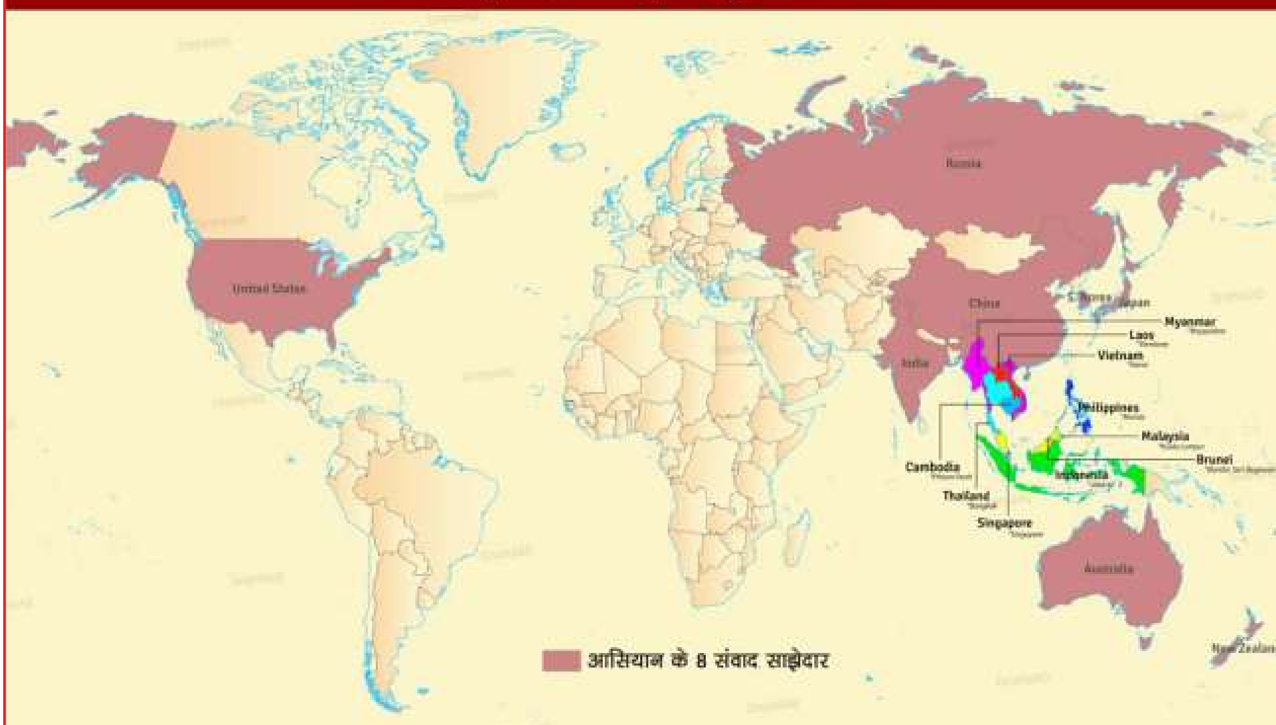

स्थापना: आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) (1967) पर हस्ताक्षर द्वारा

संस्थापक सदस्य: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड

सचिवालय: इंडोनेशिया, जकार्ता

अध्यक्षता: वार्षिक रूप से बदलती रहती है

आसियान शिखर सम्मेलन: वर्ष में दो बार आयोजित

आसियान (ASEAN) अर्थव्यवस्था:
- संयुक्त GDP: ~3.66 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (2022)
- कुल निर्यात: 1.73 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2021 में वैश्विक निर्यात का 8.24%)
- प्रमुख निर्यात मदें: मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, पाम ऑयल, डेटा प्रोसेसिंग उपकरण

ADMM+बैठक: आसियान और उसके 8 संवाद साझेदारों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, रूस और न्यूज़ीलैंड) के लिये मंच
- पहली बार आयोजन: हनोई, वियतनाम (2010)

Drishti IAS

नोट :

THAAD, UNIFIL और ड्रैगन ड्रोन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इज़रायल को एक **THAAD बैटरी** भेजी और इस क्रम में इज़रायली टैंकों ने **लेबनान में UNIFIL** पर हमला किया।

- एक अन्य घटनाक्रम में **रूस-यूक्रेन युद्ध** में दोनों पक्षों द्वारा **ड्रैगन ड्रोन के उपयोग को देखा गया।**

टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) क्या है?

- **THAAD का अवलोकन:** THAAD एक उन्नत **अमेरिकी एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली** है जिसे छोटी, मध्यम और मध्यवर्ती दूरी की **मिसाइलों को रोकने एवं नष्ट करने** के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - इसमें "हिट-टू-किल" दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है जहाँ एक इंटरसेप्टर मिसाइल, विस्फोटकों के बजाय **केवल प्रभाव बल का उपयोग करके अपने लक्ष्य से सीधे टकराकर** उसे नष्ट कर देती है।
  - हालाँकि, यह प्रणाली ड्रोन जैसी **निम्न ऊँचाई पर उड़ान वाली वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम नहीं है।**
- **विकास:** अमेरिका ने **वर्ष 1991 के खाड़ी युद्ध** के दौरान **इराक के स्कड मिसाइल हमलों** (जिसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए थे) **के बाद THAAD का विकास किया।**
- **THAAD की तैनाती: वर्ष 2008** में अमेरिका ने **THAAD प्रणाली** के एक भाग के रूप में **प्रारंभिक मिसाइल चेतावनी रडार को** इज़राइल में तैनात किया। मिसाइलों को रोकने की इज़राइल की क्षमता को बढ़ाने के लिये **वर्ष 2012** और **वर्ष 2019 में भी इसी तरह की तैनाती** की गई थी।

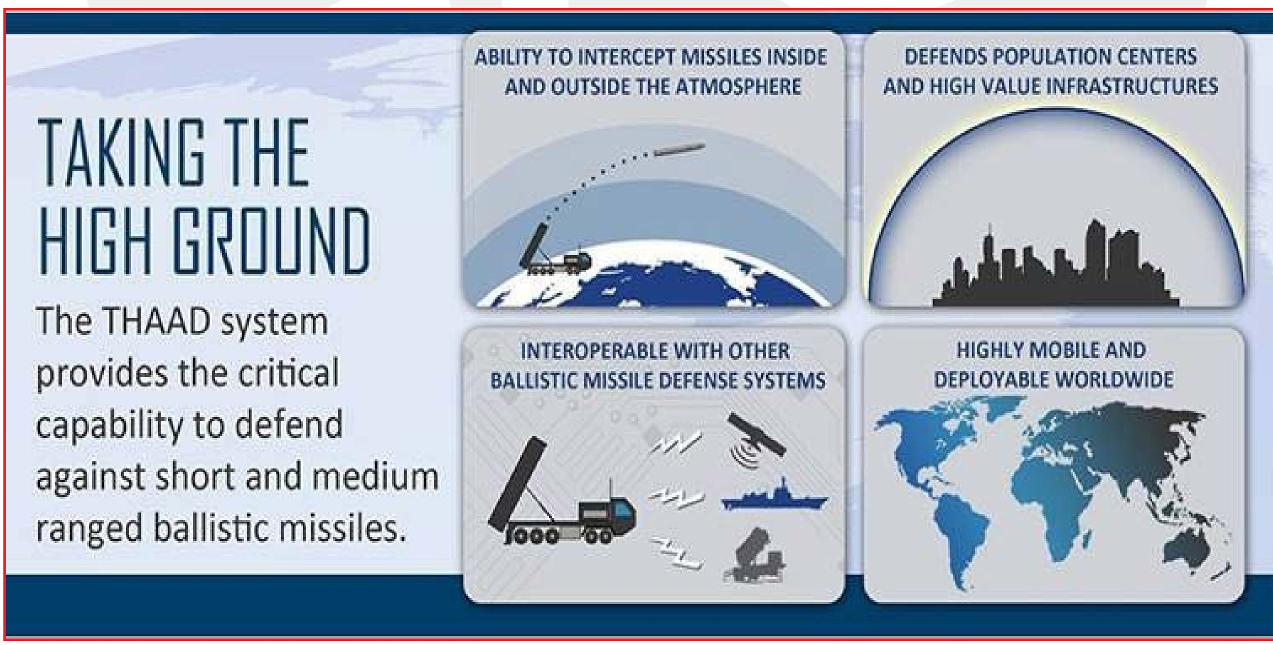

ड्रैगन ड्रोन क्या हैं?

- **परिचय:** ड्रैगन ड्रोन **घातक UAV हैं जो थर्माइट** से लैस होते हैं।
  - **थर्माइट एल्युमीनियम और आयरन ऑक्साइड** का मिश्रण है, **जिसे रेल की पटरियों को वेल्ड** करने के लिये विकसित किया गया है।

- **ड्रैगन ड्रोन की कार्यप्रणाली: विद्युत फ्यूज** द्वारा थर्माइट को सक्रिय करने के साथ एक **स्व-अभिक्रिया को सक्रिय किया जाता है,** जिसे **रोकना अत्यंत कठिन** होता है।
  - **इससे सैन्य वाहनों, पेड़ों और यहाँ तक कि जल के नीचे** विभिन्न सामग्रियों को जलाया जा सकता है।
- **रूस-यूक्रेन युद्ध में तैनाती:** यूक्रेनी सेना ने इनका उपयोग **उन वनस्पतियों को जलाने के लिये किया था,** जिनका उपयोग रूसी सैनिक कवर के रूप में करते थे।
  - रूस ने जल्द ही जवाबी कार्रवाई में ड्रैगन ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
- **युद्ध में थर्माइट का इतिहास: प्रथम विश्व युद्ध** के दौरान **जर्मन ज़ेपेलिंस द्वारा** थर्माइट से भरे बम गिराए गए, जिसे उस समय एक नवाचार माना गया।
  - **द्वितीय विश्व युद्ध** में **मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों** ने अपने बमों और हथगोले में थर्माइट को शामिल किया था।
  - **ऐसे हथियारों को वस्तुओं को जलाने** या ज्वाला एवं ऊष्मा के माध्यम से **श्वसन संबंधी क्षति पहुँचाने** के लिये डिज़ाइन किया जाता है।
- **युद्ध में थर्माइट की विधिक स्थिति:** युद्ध में थर्माइट का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत **प्रतिबंधित नहीं है लेकिन आग लगाने वाले हथियारों को नागरिकों के खिलाफ उपयोग करने से कतिपय पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन** द्वारा **निषिद्ध किया गया है।**
  - कतिपय पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन के **प्रोटोकॉल III के अनुसार इनका उपयोग केवल सैन्य लक्ष्यों तक ही सीमित है।**

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) क्या है?

- **UNIFIL बेस पर सेंध:** दो इज़रायली **मर्कवा टैंक दक्षिणी लेबनान में UNIFIL बेस** के **दरवाज़ों को तोड़कर अंदर घुस गए** और विषैला धुआँ छोड़ा, जिसके कारण 15 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक बीमार हो गए।
  - इज़रायल के प्रधानमंत्री ने लेबनान के **युद्ध क्षेत्रों** से UNIFIL सैनिकों को **वापस बुलाने का आग्रह किया** तथा दावा किया कि उनकी उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से **हिज़्बुल्लाह को सुरक्षा प्रदान करती है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन: UNIFIL ने इज़रायल के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून** और **संकल्प 1701** का उल्लंघन बताया, जो शांति सैनिकों की आवागमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
- **यूनिफिल की भूमिका: वर्ष 1978** में स्थापित, UNIFIL **संकल्प 1701 को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार है, जो यह अनिवार्य करता है कि ब्लू लाइन और लितानी नदी** के बीच केवल लेबनानी राज्य बल और यूनिफिल ही मौजूद रहें।
  - **प्रस्ताव 1701 को वर्ष 2006** में सर्वसम्मति से अपनाया गया था, इसका उद्देश्य **हिज़्बुल्लाह और इज़रायल के बीच शत्रुता को समाप्त करना है।**
- **ब्लू लाइन:** ब्लू लाइन **लेबनान की दक्षिणी सीमा और इज़रायल की उत्तरी सीमा** पर **120 किमी तक फैली हुई है।**
  - यह कोई सीमा नहीं है, बल्कि **वापसी की रेखा है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000** में लेबनान के दक्षिण से इज़रायली सेना की वापसी की पुष्टि के लिये निर्धारित किया था।

नोबेल शांति पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2024 का **शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा-नागासाकि पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन, निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया है,** जो परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिये अथक प्रयास करता है।

- वर्ष 2023 का नोबेल **शांति पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी** को दिया गया था, जो एक अल्पसंख्यक समूह से थीं।
- उन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिये मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिये उनके संघर्ष के लिये सम्मानित किया गया।

निहोन हिदानक्यो

- **10 अगस्त, 1956 को स्थापित यह संगठन वर्ष 1945** में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा **हिरोशिमा और नागासाकी पर किये गए परमाणु बम विस्फोटों में जीवित बचे लोगों** से बना है।

- बचे हुए लोगों, **जिन्हें "हिबाकुशा" या "बम प्रभावित लोग" कहा जाता है, ने परमाणु हथियारों को समाप्त करने के उद्देश्य से वैश्विक आंदोलन का** नेतृत्व करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जापान पर परमाणु हमला क्या था?

- **6 अगस्त, 1945** को संयुक्त **राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर "लिटिल बॉय" नामक बम गिराया,** जिसके परिणामस्वरूप विनाश हुआ।
  - 70,000 से अधिक लोगों की मृत्यु तत्काल हो गई और अंततः मरने वालों की संख्या 100,000 से अधिक हो गयी।
- **9 अगस्त, 1945** को, हिरोशिमा के विनाश का पता चलने से पहले ही, **अमेरिका ने नागासाकी पर "फैट मैन" नामक परमाणु गिरा दिया,** जिसके परिणामस्वरूप कम-से-कम 40,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई तथा अगले कुछ दिनों और हफ्तों में हज़ारों लोग मारे गए।
  - **जापानी सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त को जापान के आत्मसमर्पण** की घोषणा की। अपने भाषण में उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध जारी रखने से "जापानी राष्ट्र का पतन और विनाश होगा" जिससे "मानव सभ्यता का पूर्ण विनाश" हो सकता है।

हिबाकुशा परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन कैसे करता है?

- गंभीर मानवीय क्षति के कारण, परमाणु बम गिराने के संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्णय की सामरिक और नैतिक दोनों दृष्टिकोणों से आलोचना हुई है।
  - परमाणु बम विस्फोटों ने वैश्विक परिदृश्य को बदल दिया, जिससे प्रमुख शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध निवारक के रूप में **अपने स्वयं के परमाणु शस्त्रागार विकसित** करने की ओर केंद्रित हो गई हैं।
- इस परमाणु हथियारों के विकास के परिणामस्वरुप, परमाणु निरस्त्रीकरण के लिये एक वैश्विक आंदोलन उभरा, जिसमें **हिबाकुशा ने निरस्त्रीकरण का समर्थन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।**
- निहोन हिदानक्यो का दावा है कि वह " हिरोशिमा और नागासाकी के **परमाणु बम से बचे लोगों का एकमात्र राष्ट्रव्यापी संगठन** है।"
  - उनके प्राथमिक उद्देश्यों में **हिबाकुशा के कल्याण को बढ़ावा देना, परमाणु हथियारों के उन्मूलन पर ज़ोर देना तथा पीड़ितों के लिये उचित मुआवज़े की मांग करना शामिल है।**
  - संगठन ने जापान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु बम विस्फोटों से होने वाले नुकसान और उसके बाद के प्रभावों के बारे में **जागरूकता बढ़ाने हेतु हिबाकुशा के अनुभवों को साझा करने पर ध्यान केंद्रित** किया है।
- परमाणु विस्फोट में जीवित बचे लोगों को **संयुक्त राष्ट्र, परमाणु-सशस्त्र राज्यों और अन्य देशों के पास भेजकर उनकी कहानियाँ** बताने के उनके प्रयासों का उल्लेख नोबेल प्रशस्ति पत्र में किया गया।
- निहोन हिदानक्यो जैसे संगठनों ने **परमाणु निषेध स्थापित करने में योगदान दिया है,** जिसके कारण **वर्ष 1945 से परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगी हुई है।**

परमाणु निरस्त्रीकरण हेतु पुरस्कृत अन्य संगठन/व्यक्ति

- **वर्ष 1901 से अब तक निरस्त्रीकरण के प्रयास हेतु कई नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किये** जा चुके हैं।
- वर्ष 1974 में, **जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ईसाकु सातो** को **गैर-परमाणु हथियार नीति** के प्रति जापान के समर्पण हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया था हुई।
- हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार, **वर्ष 2017 में परमाणु हथियारों के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभियान (ICAN) को परमाणु हथियारों के उपयोग के भयावह मानवीय परिणामों को उजागर करने के प्रयासों** और ऐसे हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिये एक संधि की दिशा में अग्रणी कार्य के लिये दिया गया था।
  - ICAN ने परमाणु हथियारों के प्रभावों का दस्तावेज़ीकरण करने के लिये **निहोन हिदानक्यो के साथ सहयोग** किया है।

अन्य नोबेल पुरस्कार 2024

- साहित्य: दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग
- भौतिकी: जॉन जे. हॉपफील्ड और जेफ्री ई. हिंटन
- फिजियोलॉजी या मेडिसिन: विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन
- रसायन विज्ञान: डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम. जम्पर

नोट :

नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize)

- अल्फ्रेड नोबेल (डायनामाइट के आविष्कारक) के वसीयतनामे के अनुसार स्थापित।
- यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है।
- पहली बार ये पुरस्कार वर्ष 1901 में दिये गए।
- पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिये जाते हैं:

भौतिकी
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

रसायन
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

फिजियोलॉजी या चिकित्सा
कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली

साहित्य
स्वीडिश एकेडमी

शांति
नार्वे की नोबेल कमेटी

अर्थशास्त्र (स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित)
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज

- पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम, स्वीडन में किया जाता है।
  - ✶ शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है बल्कि यह हर साल उसी दिन ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है।
- प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करता है।
- नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है। साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है।
- नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय: रवींद्रनाथ टैगोर, साहित्य के लिये (1913)
  - ✶ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला: मदर टेरेसा, शांति के लिये (1979)

19वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने **लाओ पीडीआर के वियनतियाने में 19वें** पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में भाग लिया।

इस यात्रा की मुख्य बातें क्या हैं?

- प्रधानमंत्री ने विस्तारवाद की जगह विकासोन्मुख **हिंद-प्रशांत** दृष्टिकोण की वकालत की।
- **नालंदा विश्वविद्यालय** के प्रति समर्थन दोहराया गया तथा EAS सदस्यों को उच्च शिक्षा प्रमुखों के सम्मेलन में आमंत्रित किया गया।
- **इसमें आतंकवाद, साइबर और समुद्री खतरों जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई** तथा संवाद आधारित संघर्ष समाधान पर बल दिया गया।
- **प्रधानमंत्री ने मलेशिया को आसियान के नए अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करने की** शुभकामनाएँ दीं और इसके लिये भारत का पूरा समर्थन व्यक्त किया। **आसियान का वर्तमान अध्यक्ष लाओ पीडीआर है।**

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) क्या है?

- **स्थापना:** EAS की **स्थापना वर्ष 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (ASEAN) के** नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी।
  - इसका पहला शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया के **कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था।**
  - EAS **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्वकारी मंच है** जो सामरिक महत्त्व के राजनीतिक, सुरक्षात्मक एवं आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिये सभी प्रमुख साझेदारों को एक साथ लाता है।
  - पूर्वी एशिया समूह का विचार पहली बार **वर्ष 1991 में मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद द्वारा प्रस्तावित किया गया था।**
- **उद्देश्य:** EAS खुलेपन, समावेशिता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, आसियान की केंद्रीयता तथा प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की भूमिका के सिद्धांतों पर आधारित है।
- **सदस्य:** EAS हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक वार्ता के लिये एक प्रमुख मंच है जिसमें **आसियान सदस्यों सहित 18 देश** शामिल हैं।
  - EAS में 18 सदस्य अर्थात **10 आसियान देश** (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) **तथा आठ संवाद साझेदार** (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका) शामिल हैं।

महत्त्व:

- **आर्थिक रूप से: वर्ष** 2023 में EAS सदस्य **विश्व की लगभग 53% आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगे और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60% का योगदान देंगे।**
  - भारत आसियान का सातवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा साझेदार है। विगत दस वर्षों में भारत-आसियान व्यापार दोगुना होकर 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।
- **रणनीतिक रूप से:** दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में बुनियादी ढाँचे और डिजिटल दोनों प्रकार की कनेक्टिविटी परियोजनाएँ भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जिसमें भारत-म्याँमार-थाईलैंड राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जैसी प्रमुख पहल पूर्वी एशियाई देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा दे रही हैं।
  - इसके अतिरिक्त भारत कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम** के माध्यम से क्षमता निर्माण में भी संलग्न है।
- **सांस्कृतिक दृष्टि से: बौद्ध धर्म एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है,** जो विभिन्न **दक्षिण-पूर्व एशियाई और पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ती है, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई।**
  - **नालंदा विश्वविद्यालय** का पुनरुद्धार और **अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ** को समर्थन, म्याँमार, थाईलैंड और कंबोडिया के साथ भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाएगा तथा **बौद्ध परंपराओं को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगा।**

नोट :

East Asia Summit
Russia
China
India
US
South Korea
Japan
Vietnam
Laos
Cambodia
Philippines
Myanmar
Thailand
Malaysia
Singapore
Indonesia
Brunei
Australia
New Zealand
Members of Association of Southeast Asian Nations

■■■

नोट :

रैपिड फायर

भारतीय कला महोत्सव

28 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति ने **सिकंदराबाद (हैदराबाद)** में राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया।

- यह आठ दिवसीय महोत्सव का आयोजन राष्ट्रपति निलयम द्वारा **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय** के सहयोग से किया गया है।
- **इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों** की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करना तथा **कला, शिल्प और पाक-कला की विविधता को** प्रदर्शित करना है।
- यह महोत्सव सांस्कृतिक **आदान-प्रदान को बढ़ावा** देने का भी एक अवसर है और यह महोत्सव हमारे देश के पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों के बीच एक **सेतु का कार्य** करेगा।
- **राष्ट्रपति निलयम:** यह भारत के तीन राष्ट्रपति निवासों में से एक है (एक दिल्ली में और दूसरा शिमला में) और दक्षिण भारत में एकमात्र है।
    - इसका निर्माण **वर्ष 1860 में 90 एकड़ के कुल भू-क्षेत्र** में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद इसे **हैदराबाद के निज़ाम** ने अपने अधीन कर लिया था।

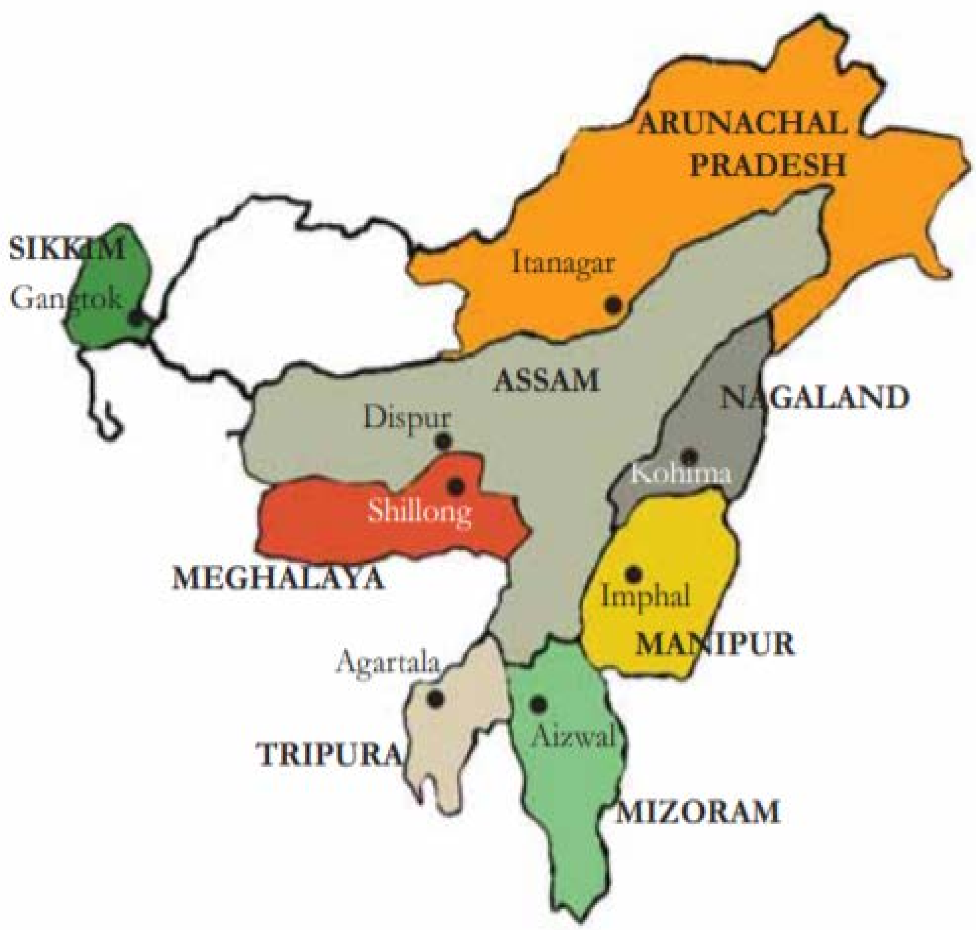

नोट :

त्सांगयांग ग्यात्सो पीक

हाल ही में **अरुणाचल प्रदेश** में एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा (**त्सांगयांग ग्यात्सो**) के नाम पर 'त्सांगयांग ग्यात्सो पीक' रखा गया है जिस पर चीन ने आपत्ति जताई है।

- **चीन ने इस** चोटी के नामकरण की निंदा करते हुए इसे **"चीन के क्षेत्र"** में एक **अवैध कार्य बताया है।**
  - चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को **"दक्षिण तिब्बत" मानता है।** इस क्षेत्र को चीनी भाषा में **"ज़ंगनान" कहा जाता है।**
- **त्सांगयांग ग्यात्सो का जन्म तवांग** में हुआ था और वे **17 वीं-18 वीं शताब्दी के दौरान वहाँ रहे थे।**
- भारत ने इस नामकरण को त्सांगयांग ग्यात्सो की **"शाश्वत बुद्धिमत्ता"** तथा मोनपा समुदाय (तवांग क्षेत्र का एक मूल जातीय समूह) के प्रति उनके योगदान के प्रति **श्रद्धांजलि के रूप में संदर्भित किया।**
- राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान (NIMAS) की एक टीम द्वारा **6,383 मीटर ऊँची इस चोटी** पर चढ़ाई करने के क्रम में खड़ी बर्फ की ढलानों, **हिम दरारों** एवं दो किलोमीटर लंबे ग्लेशियर का सामना करना पड़ा।
  - यह चोटी अरुणाचल प्रदेश के हिमालय की **गोरीचेन श्रेणी** में स्थित है।
  - हिम दरारें आमतौर पर ग्लेशियर के शीर्ष 50 मीटर में देखने को मिलती हैं।
  - NIMAS, **रक्षा मंत्रालय के अधीन है।**

ऑक्सीजन बर्ड पार्क (अमृत महोत्सव पार्क)

हाल ही में **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क (**अमृत महोत्सव पार्क**) का उद्घाटन किया गया।

- यह **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)** द्वारा नागपुर-हैदराबाद **राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर** की गई एक **पर्यावरण पहल का हिस्सा है।**
- इसमें **तीव्र वृद्धि वाले एवं ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले पेड़ हैं जिनका उद्देश्य** वायु प्रदूषण रोकन के साथ स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देना है।
- **इसे स्थानीय और** प्रवासी पक्षी प्रजातियों **के** संरक्षण के क्रम में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य मध्य भारत की दुर्लभ एवं लुप्तप्राय वृक्ष प्रजातियों (जैसे कि **सुभेद्य भारतीय बेल (Vulnerable Indian Bael), गम कराया (Gum Karaya)** और जंगल की संकटग्रस्त यलो फ्लेम (Endangered Yellow Flame) को संरक्षित करना है।
- इसमें कमल/लिली पैड तालाब, रीड बेड (**प्राकृतिक जल निस्पंदन**), बांस और ताड़ के बागान भी हैं।
- इस पार्क का एक भाग सामाजिक वानिकी **को समर्पित है।** सामाजिक वानिकी के तहत व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से **अप्रयुक्त भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं।**

भारत में स्ट्रोक या आघात दर में वृद्धि

'द लैंसेट न्यूरोलॉजी' में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि **भारत में** पिछले तीन दशकों में **स्ट्रोक या आघात के मामलों में वृद्धि** देखी गई है।

- स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जो मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त प्रवाह की कमी के कारण होती है। यह संकुचित रक्त वाहिका, रक्तस्राव या रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करने वाले रक्त के थक्के के कारण हो सकता है।
- भारत में **वर्ष 2021 में 1.25 मिलियन से अधिक नए स्ट्रोक के मामले सामने आए,** जो **वर्ष 1990 के 650,000** मामलों की तुलना में **51% की उल्लेखनीय वृद्धि** है।
- भारत में स्ट्रोक की व्यापकता **वर्ष 1990 में 4.4 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 में 9.4 मिलियन** हो गई है।
- वैश्विक स्तर पर भारत का स्ट्रोक के मामले में 10% का योगदान है।

एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश भारत

एशिया पावर इंडेक्स, 2024 के अनुसार, **भारत** जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, जो इसकी बढ़ती भू-राजनीतिक हैसियत को दर्शाता है। यह उपलब्धि भारत के सक्रिय विकास, युवा आबादी और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तहत हासिल हुई है, जिसने इस क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति के रूप में इसकी स्थिति को मज़बूत किया है।

भारत के उदय के पीछे के मुख्य कारक:

- **आर्थिक विकास:** भारत ने महामारी के बाद बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार प्रदर्शित किए हैं, जिससे इसकी आर्थिक क्षमता में **4.2 अंकों** की वृद्धि हुई है।
- **भविष्य की संभावना:** भारत के भविष्य के संसाधनों के स्कोर में **8.2 अंकों की वृद्धि** हुई है, जो संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश का संकेत है।
- **कूटनीतिक प्रभाव:** भारत की गुटनिरपेक्ष रणनीतिक स्थिति से जटिल अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्रों में प्रभावी रूप से नौवहन करना संभव हुआ है। वर्ष **2023 में कूटनीतिक संवादों** के मामले में भारत छठे स्थान पर रहा, जिससे बहुपक्षीय मंचों में इसकी सक्रिय भागीदारी का पता चलता है।

एशिया में भारत की भूमिका:

- एशिया में भारत का **बढ़ता प्रभाव उसके संसाधन आधार और रणनीतिक स्वायत्तता से प्रेरित है।** निरंतर आर्थिक विकास और बढ़ते कार्यबल के साथ, भारत आने वाले वर्षों में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिये (विशेष रूप से, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में) अच्छी स्थिति में है।

एशिया पावर इंडेक्स:

- लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा **वर्ष 2018 में लॉन्च** किया गया एशिया पावर इंडेक्स, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पावर की स्थिति का एक वार्षिक माप है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के **27 देशों का मूल्यांकन** करता है,
- वर्ष 2024 का संस्करण इस क्षेत्र में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का अब तक का सबसे व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

IN-STEP में उपराष्ट्रपति का संबोधन

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में **अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम (आईएन-स्टेप) के उद्घाटन समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित किया।**

- इस सभा के दौरान उपराष्ट्रपति ने **साइबर अपराध**, **आतंकवाद** और **जलवायु परिवर्तन** जैसे आधुनिक खतरों से निपटने के लिये **बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।**
- **उन्होंने "वसुधैव कुटुम्बकम" (विश्व एक परिवार है)** के दर्शन पर ज़ोर देते हुए कहा कि ये सिद्धांत **सीमा पार चुनौतियों से निपटने के लिये एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।**

चरणबद्ध तरीके से:

- यह प्रतिभागियों के लिये **विचारों का आदान-प्रदान करने, विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाने और** दबावपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिये रणनीति विकसित करने हेतु एक **मूल्यवान मंच के रूप में कार्य करता है।**
- इस सम्मेलन में 21 देशों के **27 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि** और 11 वरिष्ठ भारतीय सैन्य एवं असैन्य अधिकारी शामिल थे।
- यह कार्यक्रम **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय**, **विदेश मंत्रालय** **और रक्षा मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।**

भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि

हाल ही में, **भारत और उज़्बेकिस्तान ने** दोनों देशों के **निवेशकों की** उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये **द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी)** पर हस्ताक्षर किये।

- यह विवाद समाधान के लिये स्वतंत्र **मध्यस्थता की पेशकश करते हुए न्यूनतम मानक उपचार** और **गैर-भेदभाव का आश्वासन देता है।**
- हालाँकि दोनों देशों को निवेशकों की सुरक्षा से समझौता किये बिना, सार्वजनिक हित विनियमन के लिये **पर्याप्त नीतिगत स्थान** उपलब्ध कराने और **विनियमन करने का अधिकार है।**
- भारत **756.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के** द्विपक्षीय व्यापार के साथ उज़्बेकिस्तान के **शीर्ष 10 व्यापार साझेदारों में से एक है।**
- उज़्बेकिस्तान में कुल **भारतीय निवेश 61 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।**
  - **उल्लेखनीय भारतीय निवेश फार्मास्यूटिकल्स**, मनोरंजन पार्क, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट और **पर्यटन उद्योग** के क्षेत्र में हैं।
- **वर्ष** 2019 में, भारत और उज़्बेकिस्तान एक **तरजीही व्यापार समझौते (PTA) पर बातचीत के लिये व्यवहार्यता अध्ययन करने पर सहमत हुए।**
- भारत के दूसरे प्रधानमंत्री **लाल बहादुर शास्त्री की** ताशकंद, **उज़्बेकिस्तान** में **ताशकंद घोषणापत्र** पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद मृत्यु हो गई, जिसके तहत **1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध** में युद्ध विराम हुआ।

नोट :

सस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024

हाल ही में वर्ष **2024 का सस्त्र रामानुजन पुरस्कार जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका** के **अलेक्जेंडर डन (Alexander Dunn)** को प्रदान किया गया।

- **डन ने मॉड्यूलर फॉर्म, हाफ-इंटीग्रल वेट फॉर्म (half-integral weight form), मेटाप्लेक्टिक फॉर्म** और अभाज्य संख्याओं और पूर्णांक विभाजनों के साथ उनके संबंधों के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

सस्त्र रामानुजन पुरस्कार:

- इसकी **स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी,** यह **शनमुघा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी (SASTRA) विश्वविद्यालय,** तमिलनाडु द्वारा दिया गया था।
- **इसमें 10,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार राशि शामिल है।**
- यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष **32 वर्ष या उससे कम आयु के गणितज्ञों को** असाधारण योगदान के लिये विशेष रूप से **श्रीनिवास रामानुजन के कार्य से प्रेरित क्षेत्रों में, प्रदान किया जाता है।**

नोट :

श्रीनिवास रामानुजन:

- उनका जन्म **22 दिसंबर 1887 को** तमिलनाडु में हुआ था, उन्होंने **संख्या सिद्धांत, दीर्घवृत्तीय कार्यों, विभाजन सिद्धांत** और **हाइपरज्यामितीय श्रृंखला में अग्रणी योगदान दिया।**
- **वर्ष 1913 में जी.एच. हार्डी** ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कैम्ब्रिज में कार्य करने का अवसर मिला।

रॉश हशनाह

हाल ही में **प्रधानमंत्री ने** रॉश हशनाह के अवसर पर इज़राइल के प्रधानमंत्री को बधाई दी साथ ही **यहूदी समुदाय को भी** शुभकामनाएँ दीं।

- रोश हशनाह **यहूदी नववर्ष है,** जो यहूदी धर्म में सबसे पवित्र दिनों में से एक है।
- यह यहूदी महीने तिश्री की **शुरुआत का प्रतीक है,** जो **हिब्रू कैलेंडर** के अनुसार **7वाँ महीना है।**
- यहूदी समुदाय का मानना है कि यह वह दिन है जब ईश्वर ने **आदम और हव्वा** सहित **संसार का निर्माण किया था।**
- रोश हशनाह को **योम हादिन (न्याय का दिन) के रूप में भी जाना जाता है,** जिस दिन ईश्वर **जीवन और मृत्यु की पुस्तकें खोलते हैं,** जिन्हें बाद में **योम किप्पुर पर सील कर दिया जाता है।**
    - योम किप्पुर का अर्थ है **"प्रायश्चित का दिन"** जिस दिन यहूदी लोग **प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं और एक नई शुरुआत की कामना करते हैं।**
- इस समारोह में चुनिंदा **आराधनालयों** में **शॉफर हार्न** बजाया जाता है, साथ ही जलाशय के किनारे पर सामुदायिक प्रार्थना भी की जाती है।
    - शॉफर एक प्राचीन **संगीत वाद्ययंत्र है, जो आमतौर पर मेढ़े (भेड़ की एक प्रजाति) के सींग** से बनाया जाता है, जिसका उपयोग यहूदी **धार्मिक** उद्देश्यों के लिये किया जाता था।

महालया

हाल ही में **प्रधानमंत्री ने बंगाली समुदाय को महालया** के अवसर पर शुभकामनाएँ दीं, जो **दुर्गा पूजा महोत्सव** की शुरुआत का प्रतीक है।

- महालया वह दिन है, जब **देवी दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं** और **राक्षस राजा महिषासुर का वध किया था,** जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।
- इस दिन, कारीगर **देवी दुर्गा की आँखों पर रंग लगाते हैं,** जिसे **'चोखू दान'** (देवी को आँखें प्रदान करना) के रूप में भी जाना जाता है।
- **यह 'पितृ पक्ष'** के अंत और **'देवी पक्ष'** (देवी दुर्गा का युग) के प्रारंभ का प्रतीक है।
    - पितृ पक्ष **16 दिनों की अवधि है,** जिसके दौरान हिंदू अपने **पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिये अनुष्ठान करते हैं।**
- **कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची** में अंकित किया गया है।
    - यह **एशिया का पहला ऐसा महोत्सव है, जिसे यूनेस्को मानवता के आईसीएच** के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 1 अक्तूबर 2024 **को अंतर्राष्ट्रीय** वृद्धजन दिवस मनाएगा।

- **वर्ष 2024 की थीम: एजिंग विथ डिग्निटी:** विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल और सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ करना

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस:

- यह दिवस वृद्ध लोगों द्वारा दिये गए योगदान को मान्यता देने तथा समावेशी एवं आयु-अनुकूल समाज की आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है।
- 14 अक्तूबर, 1990 को **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा नामित यह दिवस **वृद्धावस्था पर वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना (1982)** और **वृद्ध व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों** पर आधारित है।

प्रतिबद्धता एवं वैश्विक ढाँचा:

- संयुक्त **राष्ट्र का स्वस्थ आयु दशक (2021-2030)**अच्छे स्वास्थ्य और देखभाल पर **सतत् विकास लक्ष्य-3** के अनुरूप है।
- भारत ने वर्ष **1999 में वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (NPOP) तैयार की यह मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्य योजना (2002)** पर हस्ताक्षरकर्त्ता भी है।
- दिसंबर 2023 तक भारत में **153 मिलियन बुज़ुर्ग व्यक्ति (60+) हैं, जिनके वर्ष 2050 तक 347 मिलियन** तक बढ़ने का अनुमान है, जो लगभग **कुल जनसंख्या का 20.8%** होगा।
- वैश्विक स्तर पर बुज़ुर्गों की आबादी वर्ष 1980 की तुलना में लगभग 260 मिलियन से बढ़कर वर्ष **2021 में 761 मिलियन हो गई है,** अनुमानत: यह वर्ष 2021 में 10% से बढ़कर **2050 तक लगभग 17% हो जाएगी।**

नोट :

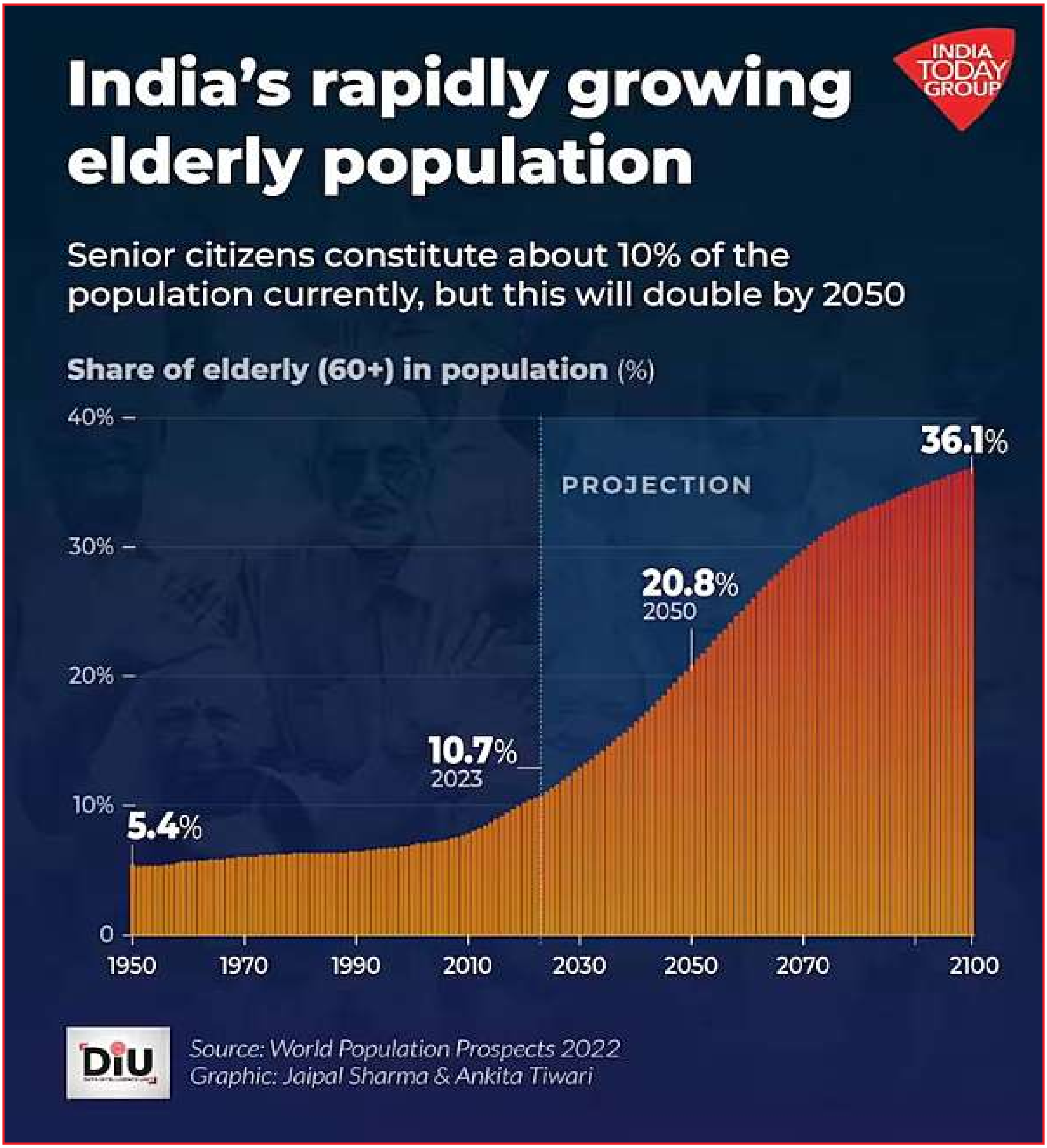

भारतजेन

हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतजेन नामक एक **जनरेटिव AI पहल शुरू की है,** जिसे सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- इसका उद्देश्य भारत की **सामाजिक-सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को संबोधित करने के लिये** भाषा, भाषण तथा कंप्यूटर दृष्टि में **आधारभूत मॉडल** तैयार करना है।

- यह **भारतीय भाषाओं** के लिये विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित **मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM)** परियोजना है।
    - LLM ऐसी AI प्रणालियाँ हैं जो विशाल मात्रा में पाठ्य डेटा को संसाधित करके मानव भाषा को **समझने और उत्पन्न** करने में सक्षम हैं।
- इसका नेतृत्व **IIT बॉम्बे द्वारा अंतरविषयी साइबर-भौतिकी प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय मिशन(NM-ICPS)** के तहत किया जाता है तथा इसमें **IIT और IIM इंदौर** जैसे शैक्षणिक संस्थानों का सहयोग शामिल है।
- इसमें **भारत-केंद्रित डेटा** को व्यवस्थित करने हेतु प्रक्रियाएँ विकसित करने पर ज़ोर दिया गया है जिससे देश का अपने **डिजिटल संसाधनों** पर नियंत्रण बढ़ सके।
- इसकी चार प्रमुख विशेषताएँ हैं:
    - **बहुभाषी एवं मल्टीमॉडल प्रकृति,**
    - **भारतीय डेटा सेट आधारित निर्माण एवं प्रशिक्षण,**
    - **ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म,**
    - भारत में **जनरेटिव AI अनुसंधान के इकोसिस्टम का विकास।**
        - जनरेटिव AI विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार कर सकता है, जिसमें **टेक्स्ट, इमेजरी और ऑडियो शामिल हैं।**

सैन्य अभ्यास काजिंद-2024

भारत-कज़ाखस्तान **संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद** -2024 का 8 **वां संस्करण उत्तराखंड** में शुरू हुआ, जो 30 सितंबर से 13 अक्तूबर, 2024 तक आयोजित किया जाएगा।

- भारत और कज़ाखस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास को वर्ष 2016 में **'अभ्यास प्रबल दोस्तीक'** के रूप में शुरू किया गया था।
    - दूसरे संस्करण के बाद, अभ्यास को कंपनी-स्तरीय अभ्यास में अपग्रेड किया गया और इसका नाम बदलकर 'अभ्यास काजिंद' कर दिया गया।
- संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य अर्ध-शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान हेतु संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है, जिसमे शारीरिक फिटनेस, सामरिक स्तर पर संचालन के लिये अभ्यास और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
    - अध्याय VII में **शांति के लिये खतरे, शांति भंग और आक्रामकता के कृत्यों के संबंध में कार्रवाई शामिल है।**

मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार

हाल ही में **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** ने घोषणा की है कि वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेता और पूर्व राज्यसभा **सांसद** मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा।

- यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा।
- यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार के **54वें प्राप्तकर्ता** होंगे।
- **दादा साहब फाल्के पुरस्कार:**
  - यह **देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है जिसकी शुरुआत** वर्ष 1969 में हुई थी, जो "**भारतीय सिनेमा के विकास और वृद्धि में उत्कृष्ट योगदान" के लिये दिया जाता है।**
  - यह पुरस्कार पहली बार "भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला" **देविका रानी को प्रदान किया गया था।**
  - इस पुरस्कार में एक **स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपये** का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र, एक रेशम रोल और एक शॉल शामिल है।
  - इसे भारत के राष्ट्रपति **द्वारा दिया जाता है।**
- **धुंडीराज गोविंद फाल्के:**
  - वह एक भारतीय निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे जिन्होंने **भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र (1913) का निर्देशन किया था।**
    - उन्हें "**भारतीय सिनेमा के जनक" के रूप में जाना जाता है।**

लिटिल प्रेस्पा झील

अल्बानियाई-ग्रीक सीमा पर स्थित **लिटिल प्रेस्पा झील धीरे-धीरे सूख रही** है।

- वर्तमान में यह झील **दलदली क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है**, तथा इसका अधिकांश क्षेत्र अब **दलदल या सूखी भूमि में तब्दील हो चुका है।**
- **लिटिल प्रेस्पा झील को जलवायु परिवर्तन** के कारण पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें **बढ़ते तापमान, न्यून हिमपात, न्यून वर्षा** और वर्ष 1970 के दशक में सिंचाई के लिये **डेवोल नदी के प्रवाह को मोड़ना शामिल है,** जिससे पानी की महत्त्वपूर्ण हानि हुई है।

प्रेस्पा झील:

- प्रेस्पा झील यूरोप की **सबसे पुरानी विवर्तनिकी झीलों में से एक है।**
- यह **बाल्कन प्रायद्वीप** की **सबसे ऊँची विवर्तनिकी झील है,** जो 853 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
  - **बाल्कन देश दक्षिण-पूर्वी यूरोप** में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित देश हैं। इसमें अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, मॉल्डोवा, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना शामिल हैं
- यह दो झीलों से बना है।
  - **ग्रेट प्रेस्पा झील अल्बानिया, ग्रीस** और **उत्तरी मैसेडोनिया** की सीमा पर स्थित है, जबकि
  - **छोटी प्रेस्पा झील ग्रीस** में स्थित है।
- दो प्रेस्पा झीलें तीन अलग-अलग देशों में स्थित दो **राष्ट्रीय उद्यानों के बीच स्थित हैं।**
  - **प्रेस्पा राष्ट्रीय उद्यान** ग्रीस और अल्बानिया में है,
  - **गैलिसिका राष्ट्रीय उद्यान** मैसेडोनिया गणराज्य में है।
- गैलिसिका **पर्वत प्रेस्पा झील को ओहरिड झील** से अलग करते हैं, जो यूरोप की सबसे पुरानी और गहरी झीलों में से एक है।

भारत का त्रिपक्षीय समझौता

हाल ही में **नेपाल, भारत और बाँग्लादेश ने सीमा पार विद्युत व्यापार को** सुविधाजनक बनाने के लिये एक **त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये।**

- समझौते के तहत नेपाल प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक **अधिशेष विद्युत को बाँग्लादेश को निर्यात करेगा।**
  - भारत नेपाल से बाँग्लादेश तक विद्युत के संचरण को सुगम बनाएगा।
- प्रथम चरण में नेपाल **भारतीय भू-क्षेत्र से होकर** बाँग्लादेश को 6.4 सेंट प्रति यूनिट की दर से 40 मेगावाट की जलविद्युत का निर्यात करेगा।
- **भारत, नेपाल और बाँग्लादेश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूहों का हिस्सा हैं।**
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)

- बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (बिम्सटेक)
- बाँग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (BBIN)
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन

सरकार द्वारा क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन का विनियमन

सरकार ने **नैदानिक परीक्षणों की सुरक्षा** सुनिश्चित करने के लिये नैदानिक अनुसंधान संगठनों के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्थापित की है। ये अद्यतन नियम **नवीन औषधि और नैदानिक परीक्षण (संशोधन) नियम, 2024 का हिस्सा हैं।**

- इसके तहत सरकार ने पंजीकरण, लाइसेंस की स्वीकृति और नवीनीकरण, वैधता अवधि, निरीक्षण और गैर-अनुपालन पाए जाने पर लाइसेंस के निलंबन के माध्यम से निगरानी करने के लिये भूमिका, कर्त्तव्य और दायित्व परिभाषित किये हैं।
- इसका उद्देश्य **उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना,** नवीन दवाओं और टीकों के नैदानिक परीक्षणों में तीव्रता लाने के साथ ही अधिक पारदर्शिता लाना भी है।
- इन्हें **औषधि एवं तकनीकी सलाहकार समिति (DTAB) के परामर्श के पश्चात् तैयार किया गया है।**
- **क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (CRO):**
  - CRO एक इकाई है जो वाणिज्यिक, शैक्षणिक, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली या कानूनी स्थिति वाली संस्था हो सकती है।
  - इसे प्रायोजक द्वारा विशिष्ट कार्यों, कर्त्तव्यों या दायित्वों का प्रबंधन करने के लिये नियुक्त किया जाता है।
  - ये ज़िम्मेदारियाँ नैदानिक परीक्षण, जैव-उपलब्धता या जैव-समतुल्यता अध्ययन से संबंधित हैं।
  - ज़िम्मेदारियों का हस्तांतरण लिखित रूप में किया जाना चाहिये।
- **औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड:**
  - **यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
  - इसका कार्य **औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित तकनीकी मामलों पर** केंद्र सरकार और राज्य सरकार को **सलाह देना है।**

श्यामजी कृष्ण वर्मा की 95वीं जयंती

क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी, **श्यामजी कृष्ण वर्मा** की 95वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

- श्यामजी कृष्ण वर्मा एक भारतीय क्रांतिकारी, देशभक्त, वकील और पत्रकार थे जिनका जन्म **4 अक्टूबर 1857 को** मांडवी, गुजरात में हुआ था।
- **श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और हर्बर्ट स्पेंसर** जैसी हस्तियों से प्रेरणा ली।
- लंदन में उन्होंने **वर्ष 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट** (एक मासिक पत्रिका) की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य युवा भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने हेतु प्रेरित करना था।
  - उन्होंने **राष्ट्रवादी विचारों के लिये एक मंच के रूप में कार्य करते हुए** होम रूल सोसाइटी के माध्यम से औपनिवेशिक शासन की आलोचना की।
- **वह बॉम्बे आर्य समाज** के प्रथम अध्यक्ष थे और उनका प्रभाव **वीर सावरकर पर** पड़ा था।
- ब्रिटिश आलोचना की प्रतिक्रिया में यह इंग्लैंड से पेरिस चले गए और तत्पश्चात **प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिनेवा में बस गए,** जहाँ **30 मार्च 1930 को इनकी मृत्यु हो गई।**

स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष

हाल ही में **2 अक्तूबर, 2024 को** स्वच्छ भारत मिशन (SBM) **की 10वीं वर्षगाँठ** मनाई गई।

- **परिचय:**
  - इसे **2 अक्तूबर, 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया था।

नोट :

- इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये SBM-ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिये SBM-शहरी में भी विभाजित किया गया।
- **उद्देश्य:**
  - किसी क्षेत्र को खुले में **शौच से मुक्त घोषित किया जा सकता है,** यदि दिन के किसी भी समय वहाँ एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए न पाया जाए।
  - इसका उद्देश्य व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करके भारत को खुले में शौच मुक्त (ODF) का निर्माण तथा स्कूल और आँगनवाड़ी के शौचालयों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करना था।
- **उपलब्धियाँ:**
  - मिशन के तहत **10 करोड़ शौचालय** बनाए गए और 2 अक्तूबर 2019 को लगभग **6 लाख गाँवों को** ODF+ घोषित किया गया।
  - **वर्ष 2021 में पाँच वर्ष** पूर्ण होने पर, सरकार ने SBM 2.0 लॉन्च किया, जिसमें अपशिष्ट मुक्त शहर बनाने, मल या कीचड़ का प्रबंधन करने, प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने और ग्रेवाटर प्रबंधन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - शहरी भारत ODF बन चुका है, सभी 4,715 शहरी स्थानीय निकाय (ULB) पूर्ण रूप से ODF हो चुके हैं।

पोषण पर कोडेक्स समिति का 44वाँ सत्र

भारत ने जर्मनी में पोषण एवं विशेष आहार उपयोग हेतु खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति (CCNFSDU) के 44 वें सत्र में भाग लिया, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मानकों में महत्त्वपूर्ण योगदान मिला।

- CCNFSDU, कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन (CAC) की एक इकाई है, जो इन्फेंट (शिशु) फार्मूले, आहार अनुपूरक और चिकित्सा खाद्य पदार्थों **जैसे विशेष आहार खाद्य पदार्थों** के लिये वैश्विक मानकों को विकसित करने हेतु ज़िम्मेदार है।
  - खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा 1963 में स्थापित CAC, अपने **189 कोडेक्स सदस्यों (भारत सहित) के साथ उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारित करता है।**
- CCNFSDU के 44 वें सत्र में भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रोबायोटिक्स पर मौजूदा खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)/विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वर्ष 2001 और 2002 के दस्तावेज़ दो दशक पुराने हैं और वैज्ञानिक प्रगति के मद्देनजर उनमें संशोधन की आवश्यकता है।
- देश ने वैश्विक व्यापार को बढ़ाने के लिये **सामंजस्यपूर्ण विनियमनों का आह्वान किया।**
  - भारत ने कहा कि 6-36 महीने के व्यक्तियों के लिये **संयुक्त एनआरवी-आर मूल्य** (Nutrient Reference Value-Requirement- NRV-R) दो आयु समूहों **6-12 महीने और 12-36** महीने के औसत मूल्य की गणना करके निर्धारित किया जाना चाहिये, जिस पर समिति द्वारा विचार किया गया और सहमति व्यक्त की गई।
    - NRV-R वर्तमान वैज्ञानिक आँकड़ों के आधार पर पोषण सेवन के लिये सिफारिशें हैं, जो लक्ष्य समूहों या आबादी के लिये स्थापित की जाती हैं।

अंटार्कटिका प्रायद्वीप में 'हरित क्षेत्र'

अंटार्कटिक प्रायद्वीप में वर्ष वर्ष 1986 से वर्ष 2021 के बीच **वनस्पतिकीय क्षेत्र** में 10 गुना वृद्धि हुई है। यह 1 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर लगभग 12 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

- **वर्ष 2016-2021** में वनस्पतिकीय आवरण में **वार्षिक 0.424 वर्ग किमी की दर से परिवर्तन** हुआ, जबकि **35 वर्ष की अध्ययन अवधि में यह दर 0.317 वर्ग किमी** वार्षिक थी।
- मॉस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से **जैविक मृदा निर्माण** और पौधों की अधिक संख्या में उपस्थिति हो सकती है।
  - **इससे गैर-स्थानिक और आक्रामक प्रजातियों** के संभावित प्रवेश के बारे में भी चिंता उत्पन्न होती है।
  - **काई (मॉसेस) अग्रणी प्रजातियाँ** हैं जो पारिस्थितिक अनुक्रम की शुरुआत करती हैं।
  - **पारिस्थितिक अनुक्रम,** बदलते पर्यावरण के संबंध में किसी दिये गए क्षेत्र की प्रजातियों में होने वाला **स्थिर और क्रमिक परिवर्तन** है।
- यह **हरियाली संभवत:** क्षेत्र में **तीव्र तापमान वृद्धि** के कारण है, जो वैश्विक औसत से **पाँच गुना अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है।**
- अंटार्कटिक प्रायद्वीप की बर्फ की चादर अपने **छोटे आकार और उत्तरी स्थान** के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। वर्ष 1950 के बाद से इसके तापमान में **लगभग 3 डिग्री सेल्सियस** की वृद्धि हो गई है।
- ग्लेशियरों के पिघलते के साथ पौधों के लिये अधिक भूमि उपलब्ध होती जाती है, जिससे हरियाली की प्रक्रिया में और तेज़ी आती है।

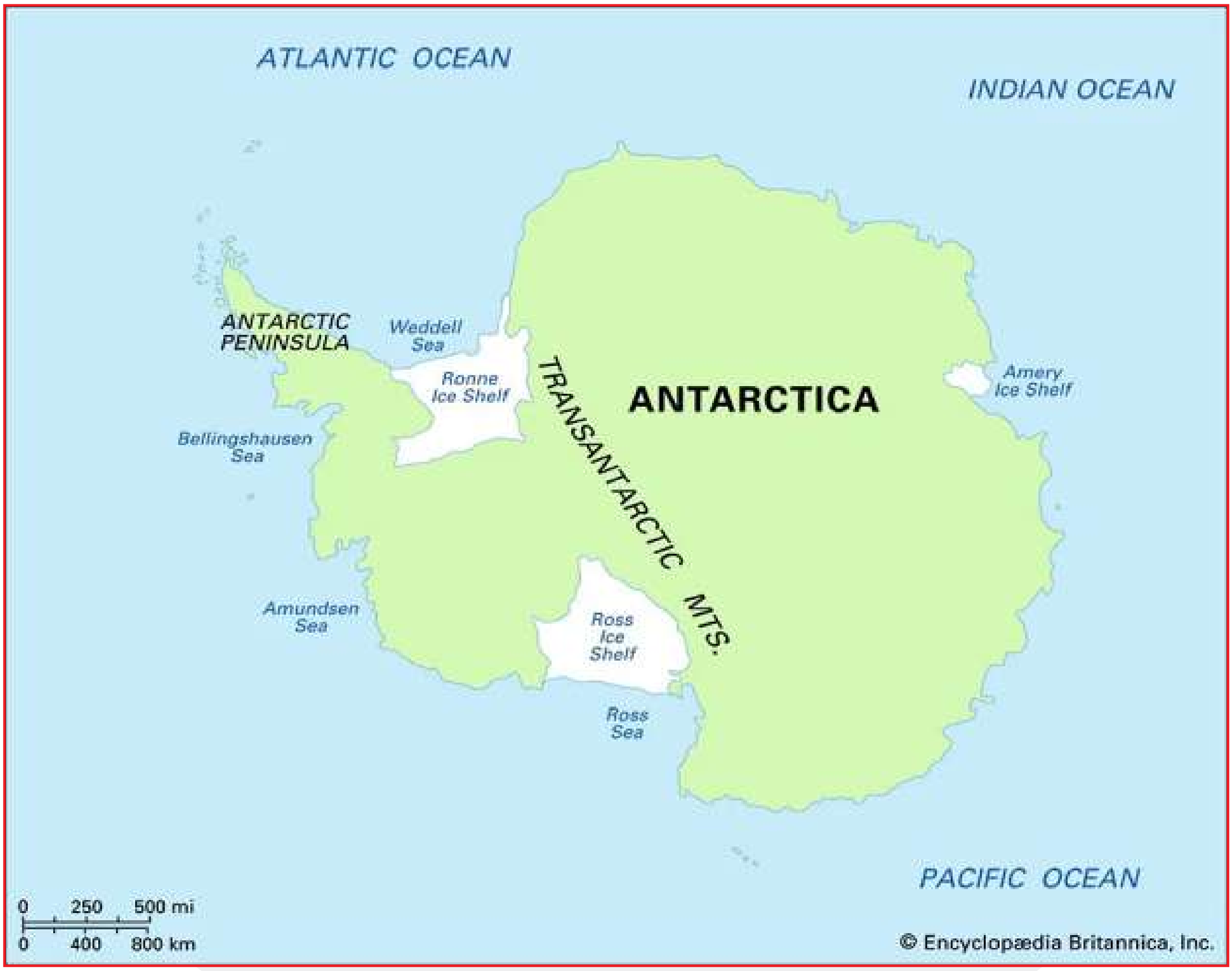

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **'आशय पत्र'** पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की है, **जिसकी तहत भारत 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब'** में शामिल हो सकेगा।

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब (IEEH) एक वैश्विक मंच है जो विश्वभर में सहयोग को बढ़ावा और ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिये समर्पित है।
- यह हब सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को ज्ञान, सर्वोत्तम पद्धतियों और नवोन्मेषी समाधानों को साझा करने के लिए एक साथ लाता है।
- इस हब में शामिल होने से भारत को **विशेषज्ञों और संसाधनों के एक विशाल नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त होगी, जिससे वह अपनी घरेलू ऊर्जा दक्षता** पहलों को बढ़ाने में सक्षम हो सकेगा।
- **भारत की ओर से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** को भारत की ओर से इस हब के लिये कार्यान्वयन एजेंसी के **रूप में वैधानिक एजेंसी** नामित किया गया है।
- **जुलाई, 2024** तक, इस हब में सोलह देश (**अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्राँस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लक्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, अमेरिका और ब्रिटेन**) शामिल हो चुके हैं।
- **IEEH की स्थापना** 2020 में **ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी (IPEEC)** के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी, जिसमें भारत एक सदस्य था।

भारत-UAE निवेश संबंधों में मज़बूती

भारत-यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के अंतर्गत भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के निवेशकों के लिये स्थानीय समाधान की समापन अवधि (Exhaustion Period) को पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया है।

- BIT, 31 अगस्त 2024 को लागू हो गया, जिससे पूर्ववर्ती **द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन एवं संरक्षण समझौते (BIPPA) के समापन के पश्चात् निवेश संरक्षण की निरंतरता सुनिश्चित हो गई।**
  - BIT, न्यूनतम उपचार मानकों (निष्पक्ष और न्यायसंगत) और विवाद समाधान हेतु स्वतंत्र मध्यस्थता का आश्वासन देता है।
  - **स्थानीय समाधान की समापन अवधि वह समय सीमा है, जिसके दौरान निवेशक को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग करने से पूर्व** मेज़बान देश की विधिक प्रणाली के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहिये।
- एक अन्य घटनाक्रम में, **अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) ने** भारत में अपनी निवेश संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिये गिफ्ट सिटी में एक कार्यालय खोला है।
  - UAE **भारत में सबसे बड़ा अरब निवेशक है,** जिसका वित्त वर्ष 2023-24 में निवेश लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा।
  - वित्त वर्ष 2023-24 के लिये UAE **छठा सबसे बड़ा** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) **स्रोत था,** जो वर्ष 2000 के पश्चात् से कुल मिलाकर सातवाँ सबसे बड़ा स्रोत था।
  - भारत में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के कुल निवेश का 70% से अधिक भाग संयुक्त अरब अमीरात से आता है।
- इसके अतिरिक्त, भारत और UAE, संयुक्त अरब अमीरात की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और भारतीय किसानों को समर्थन देने के लिये **2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फूड कॉरिडोर की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें** व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) और BIT, UAE के व्यवसायों के लिये शुल्क मुक्त पहुँच और एक स्थिर निवेश वातावरण सुनिश्चित करेंगे।

विश्व कपास दिवस 2024

विश्व कपास दिवस (7 अक्तूबर 2024) के अवसर पर **वस्त्र मंत्रालय ने** भारतीय कपास निगम और CITI के साथ संयुक्त रूप से सम्मेलन की मेज़बानी की, जिसका **विषय था "सूती वस्त्र मूल्य शृंखला को आकार देने वाले मेगाट्रेंड्स"।**

उद्देश्य:

- सूती वस्त्र उद्योग को **बढ़ावा देना** तथा अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को बढ़ावा देना।
- **कपास मूल्य शृंखला के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना** और समाधान की तलाश करना।
- **कपास उद्योग में स्थिरता और उसकी क्षमता** के महत्त्व पर प्रकाश डालना।

कपास दिवस की मुख्य विशेषताएँ:

- सरकार का लक्ष्य वर्ष **2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वस्त्र निर्यात लक्ष्य हासिल करना है।**
- उच्च घनत्व वाली रोपाई, कम अंतराल पर रोपाई और ड्रिप फर्टिगेशन जैसी पद्धतियों को अपनाने से कपास की उपज में वृद्धि हो सकती है।
- कपास किसानों के लिये खरपतवार प्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है, जिसका समाधान नई बीज किस्मों के माध्यम से किया जा सकता है।
- इस कार्यक्रम में कस्तूरी कपास उत्पाद, **पुनर्चक्रित वस्त्र और हथकरघा उत्पाद प्रदर्शित किये गए हैं।**

कपास उद्योग से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य:

- **भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, जो विश्व के कपास उत्पादन का** लगभग 23% उत्पादन करता है।
- वर्ष 2023-2024 में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक होगा।**
- भारत के **प्रमुख कपास आयातकों में बाँग्लादेश, चीन और वियतनाम** शामिल हैं।

भारतीय प्रतिभूतियों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का FPI निवेश

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) **द्वारा भारतीय प्रतिभूतियों** में लगभग **1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है,** जो वैश्विक निवेशकों के लिये भारत के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है।

नोट :

- यह मार्च 2020 में **कोविड-19** के निम्नतम स्तर 329 बिलियन अमेरिकी डॉलर से **तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है। भारत का बाज़ार पूंजीकरण** भी चार गुना बढ़कर अब लगभग 5.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- भारतीय बाज़ारों ने **मज़बूत दीर्घावधि रिटर्न प्रदान किया है, जिसमें अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में संसेक्स** के लिये 10-वर्ष का वार्षिक रिटर्न **8.5% रहा है,** जबकि **संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के डाऊ जोन्स (Dow Jones)** सूचकांक के लिये यह **9.7%** रहा है।
- **वर्ष 1991 के भुगतान संतुलन संकट** के बाद, **वर्ष 1992 में भारत के FPI** (तब इन्हें **विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) के रूप में जाना जाता था) में उदारता** से निवेश नियमों और एक सहायक नियामक ढाँचे में बढ़ावा मिला है।
  - FPI में वे **अनिवासी शामिल हैं,** जो शेयर, सरकारी बॉण्ड, कॉर्पोरेट बॉण्ड, परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और बुनियादी ढाँचा प्रतिभूतियों जैसी भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं।
  - **FPI में FII, योग्य विदेशी निवेशक (QFIs)** और **उप-खाते** जैसे निवेश समूह शामिल हैं।
- भारत में FPI प्रवाह के प्राथमिक स्रोत **अमेरिका, सिंगापुर** और **लक्ज़मबर्ग हैं।**

92वाँ भारतीय वायु सेना दिवस

हाल ही में भारतीय वायु सेना (IAF) की **92वीं वर्षगाँठ चेन्नई के मरीना बीच** पर एयर शो के साथ मनाई गई।

- विषय है **"भारतीय वायु सेना: सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर" (प्रबल, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर) (Bhartiya Vayu Sena: Saksham, Sashakt, Atmanirbhar" (Potent, Powerful, and Self-Reliant))।**
  - यह **आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण के प्रति भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है,** जो मज़बूत रक्षा क्षमता के लिये भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है **'*नभः स्पर्शं दीप्तम्*' (Touch the sky with Glory)** ***जो*** भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय से लिया गया है।
- भारतीय वायु सेना का गठन **18 अक्तूबर, 1932 को हुआ था,** भारतीय वायुसेना की पहली **परिचालन उड़ान 1 अप्रैल, 1933** को संचालित हुई थी।
- **भारत की रक्षा से संबंधित समस्याओं का वर्ष 1939 में चैटफील्ड समिति द्वारा** पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिसमे **प्रमुख बंदरगाहों** की **रक्षा** में सहायता के लिये स्वैच्छिक आधार पर **पाँच उड़ानें** स्थापित करने की योजना प्रस्तावित की गई।

किशोर होने का दावा

हाल ही में, **सर्वोच्च न्यायालय** ने फैसला सुनाया की कि **आपराधिक कार्यवाही के किसी भी चरण में,** जिसमें **दोषसिद्धि और सजा के अंतिम होने के बाद भी किशोर होने की दलील** दी जा सकती है

- न्यायालय ने कहा कि **किशोरवय एक अधिकार है और इसमें देरी या प्रक्रियागत तकनीकी** कारणों से छूट नहीं दी जा सकती।
- न्यायालय ने कहा कि यदि मामला किशोरवय का है तो अंतिम निर्णय भी मामले के पुनर्मूल्यांकन को नहीं रोकता।
- **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** की **धारा 94, दोषसिद्धि के बाद** भी किशोर होने के दावे को उठाने की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रक्रियागत देरी के बावजूद किशोरों के अधिकारों की रक्षा की जाती है।
- इसी प्रकार, ***अबुजर हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले, 2012*** में सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी कार्यवाही के **किसी भी स्तर पर किशोर होने के दावे को स्वीकार किया था।**
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार किशोर की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में की गई है, जिसने **अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं** की हो।
  - **यदि 16-18 वर्ष की आयु** के किशोरों पर जघन्य अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाएगा।

सहारा रेगिस्तान की दुर्लभ वर्षा

हाल ही में वर्षा की दुर्लभ घटना और बाढ़ से **मोरक्को के** सहारा रेगिस्तान के ताड़ के पेड़ों के साथ रेत के टीलों का क्षेत्र जलमग्न हो गया।

- **यह वर्षा** अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) के सामान्य से अधिक उत्तर की ओर **स्थानांतरित होने** के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप सहारा में **भूमध्यरेखीय क्षेत्र की तरह मूसलाधार वर्षा हुई।**

- ITCZ के कारण शक्तिशाली **बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात** की स्थिति बनी, जिसका प्रभाव उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका तक रहा।
- बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आशय **उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से बाहर अक्षांशों** में विकसित होने वाली एक **निम्न दाब प्रणाली है जिससे** मूसलाधार वर्षा हो सकती है।

- ITCZ के पुन:स्थानीकरण से **रिकॉर्ड-उच्च समुद्री तापमान** के साथ **जलवायु परिवर्तन की स्थिति में योगदान मिल सकता है।**
- **सहारा रेगिस्तान:** यह **विश्व का सबसे बड़ा ऊष्ण रेगिस्तान है** जिसकी **लंबाई लगभग 4,800 किमी** तथा अधिकतम **चौड़ाई 1,800 किमी है।**
  - यह संपूर्ण **अफ्रीकी महाद्वीप के** लगभग **31% भाग पर फैला हुआ है।**
  - यह अल्जीरिया, मिस्र, माली, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, ट्यूनीशिया, चाड, लीबिया, मॉरिटानिया, नाइजर और सूडान सहित **11 उत्तरी अफ्रीकी देशों** तक विस्तारित है।

विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता) और बहु-दिव्यांगता से ग्रसित लोगों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय ट्रस्ट ने विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस (WCPD) के अवसर पर एक राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया, **जिसमें सेरेब्रल** पाल्सी (CP) से ग्रसित लोगों के लिये नवाचार और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- **WCPD (प्रत्येक वर्ष 6 अक्तूबर) एक** वैश्विक आंदोलन है, जो वर्ष 2012 में आरंभ हुआ, यह समाज में समान अधिकार, पहुँच और अवसरों का समर्थन करने के लिये 100 से अधिक देशों के **मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्तियों को एकजुट करता है।**
  - वर्ष 2024 में WCPD का विषय **"विशिष्ट CP" है,** जो इस बात पर बल देता है कि किसी व्यक्ति की दिव्यांगता उसकी संपूर्ण पहचान को परिभाषित नहीं करती है।
- CP विकारों का एक समूह है, जो असामान्य मस्तिष्क विकास या क्षति के कारण **गति, संतुलन और मुद्रा को प्रभावित करता है।** यह सबसे आम **दिव्यांगता है,** जिसके लक्षण व्यक्तियों में काफी भिन्न होते हैं।
  - **कारण:** CP का अधिकांश भाग (85-90%) जन्मजात होता है, जो जन्म से पहले (मस्तिष्क के विकास के दौरान) या जन्म के दौरान होता है। हालाँकि CP कम सामान्य है, जो प्राय: जन्म के बाद संक्रमण या सिर की चोटों से संबंधित है।
- **उपचार:** यह एक स्थायी, गैर-प्रगतिशील स्थिति है, जिसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन उपचार से लक्षणों, कार्यप्रणाली और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
- राष्ट्रीय **ट्रस्ट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना **"ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय ट्रस्ट" अधिनियम (1999)** के तहत की गई थी।
  - इसका उद्देश्य एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, जो **दिव्यांग व्यक्तियों को** सम्मान और समान अधिकारों के साथ स्वतंत्र रूप से रहने के लिये सशक्त बनाता है।

जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में भारत में ट्रेकोमा की समाप्ति

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने घोषणा की है कि भारत ने जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में **ट्रेकोमा** को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है।

- ट्रेकोमा एक जीवाणु जनित नेत्र संक्रमण है, जो **क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस (*Chlamydia trachomatis*) के कारण होता है, तथा यदि इसका उपचार न किया जाए तो यह अपूरणीय दृष्टिहीनता** का कारण बन सकता है।
  - यह संक्रमित व्यक्ति की आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है।
  - इसे **उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग** की श्रेणी में रखा गया है, जो विश्व भर में लगभग **150 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है,** जिनमें से 6 मिलियन दृष्टिबाधित हैं या उन्हें दृष्टि संबंधी जटिलताओं का खतरा है।
- ट्रेकोमा, वर्ष 1950-60 के दौरान, देश में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक था। भारत सरकार ने वर्ष 1963 में राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया और बाद में ट्रेकोमा नियंत्रण प्रयासों को भारत के राष्ट्रीय अंधेपन नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB) में एकीकृत कर दिया गया।
- वर्ष 1971 में, ट्रेकोमा के कारण अंधापन 5 प्रतिशत था और वर्तमान में राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI) के तहत विभिन्न हस्तक्षेपों के कारण, यह घटकर एक प्रतिशत से भी कम रह गई है।
  - वर्ष 2017 में, भारत को संक्रामक ट्रेकोमा रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया। हालाँकि, वर्ष 2019 से 2024 तक, भारत के सभी ज़िलों में ट्रेकोमा के मामलों की निगरानी जारी रही।
- NPCBVI के तहत 2021-24 तक देश के **200 स्थानिक ज़िलों में राष्ट्रीय ट्रैकोमैटस** ट्राइकियासिस (केवल टीटी) सर्वेक्षण भी किया गया, जो WHO द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य काम था।
  - NPCBVI टीम द्वारा एक विशिष्ट डोजियर प्रारूप में संकलित की गईं तथा ट्रेकोमा के खिलाफ वर्षों की लड़ाई के बाद, WHO ने घोषणा की कि भारत ने ट्रेकोमा को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है।

नोट :

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

हाल ही में **केंद्रीय मंत्रिमंडल ने** गुजरात के **लोथल** में **राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)** के विकास को मंज़ूरी दी है।

- इसे भारत की **4,500 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को** प्रदर्शित करने के लिये **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW)** द्वारा विकसित किया जाएगा।
- **इस मंत्रालय के** अधीन **दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (DGLL) दीपस्तंभ संग्रहालय** के निर्माण के लिये धन उपलब्ध कराएगा, जो **विश्व का सबसे ऊँचा** संग्रहालय होगा।
- **लोथल: यह गुजरात के भाल क्षेत्र** में स्थित **हड़प्पा सभ्यता** के **सबसे दक्षिणी स्थलों** में से एक है।
  - **ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 2,200 ई.पू.** में हुआ था। लोथल में विश्व का सबसे पुराना ज्ञात **डॉक था, जो शहर को साबरमती नदी** के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था।
  - **लोथल को अप्रैल 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** के रूप में नामित किया गया था।
  - लोथल की खोज वर्ष 1954 में **एस.आर. राव ने की थी।**
- **सुरकोटदा और धोलावीरा** गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल हैं।

नोट :

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150 वीं वर्षगाँठ

विश्व डाक दिवस (9 अक्तूबर) के अवसर पर केंद्र सरकार के **डाक विभाग ने** यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) की 150वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में **स्मारक डाक टिकटों** का एक विशेष सेट जारी किया।

- UPU एक संयुक्त राष्ट्र **विशेष अभिकरण है,** जो डाक क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये **प्राथमिक मंच है।**
- UPU की स्थापना **9 अक्तूबर 1874 को बर्न, स्विटज़रलैंड** में हुई थी, जो **भारत में वर्ष 1876 में UPU में शामिल हुआ।**
- **UPU ने अंतर्राष्ट्रीय डाक विनियमों को मानकीकृत करने** तथा निर्बाध मेल विनिमय को सुगम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- UPU का **मुख्यालय बर्न में स्थित है,** यह अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ यूनियन (1865) **के पश्चात् विश्व भर में दूसरा सबसे पुराना** अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- **वर्ष 2024 में भारतीय डाक** की स्थापना के **170 वर्ष** पूरे होंगे, जिसकी स्थापना वर्ष 1854 **में** लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान हुई थी।

भारत में डाक सेवा:

- **वर्ष 1852:** भारत का पहला डाक टिकट **"सिंडे डॉक"** जारी किया गया।
- **वर्ष 1854: बम्बई में भारत के पहले डाकघर** की स्थापना।

AI कंप्यूटिंग के लिये संशोधित खरीद मानदंड

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने स्टार्ट-अप सहित विभिन्न कंपनियों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये इंडियाAI मिशन **के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** कंप्यूटिंग क्षमता के लिये अपने खरीद मानदंडों को संशोधित किया है।

संशोधित खरीद मानदंड:

- **वार्षिक टर्नओवर संबंधी आवश्यकताएँ:** प्राथमिक रूप से बोली लगाने वालों के लिये इसे **100 करोड़** रुपए से घटाकर **50 करोड़ रुपए** कर दिया गया है, जबकि **गैर-प्राथमिक कंसोर्टियम सदस्यों** को अब 50 करोड़ रुपए से घटाकर **25 करोड़ रुपए** की आवश्यकता है।
  - प्राथमिक रूप से बोली लगाने वाले वह हैं, जो किसी बोली के जवाब में पेश किये गए सभी सब्कान्ट्रैक्टर के **सफल प्रदर्शन** के लिये **पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार होते हैं।**
- **ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) संबंधी आवश्यकताएँ: 1,000 GPU** की आवश्यकता को **AFP 16** (हाफ प्रिसिजन) के लिये **300 TFLOPS** (टेरा फ्लोटिंग-पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड) की प्रदर्शन सीमा से बदलकर **150 TFLOPS कर दिया गया।**
  - AI कंप्यूट मेमोरी की आवश्यकता **40 GB से घटाकर 24 GB कर दी गई।**
  - TFLOPS किसी सिस्टम की कंप्यूटिंग क्षमता को मापता है; उदाहरण के लिये, **10 TFLOPS** का अर्थ है कि यह **प्रति सेकंड 10 ट्रिलियन FP16 गणनाएँ** कर सकता है।
- **लोकल सोर्सिंग:** 'मेक इन इंडिया' पहल का अनुपालन करने के लिये **AI क्लाउड सेवाओं के लिये घटकों को श्रेणी I (50% स्थानीय सामग्री) या श्रेणी II (20-50% स्थानीय सामग्री)** आपूर्तिकर्त्ताओं से खरीदा जाना चाहिये।

USCIRF अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट

हाल ही में भारत ने **अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF)** की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज कर दिया और इसे राजनीतिक एजेंडे वाला पक्षपाती संगठन करार दिया।

USCIRF रिपोर्ट (2024) की मुख्य विशेषताएँ:

- रिपोर्ट में भारत को **"विशेष चिंता वाला देश" (Country of Particular Concern- CPC) के रूप में घोषित करने की मांग की गई।**
  - जो देश धार्मिक स्वतंत्रता का **योजनानुसार, निरंतर और गंभीर रूप से उल्लंघन करते हैं, उन्हें अमेरिकी विदेश विभाग** द्वारा CPC के रूप में नामित किया जाता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि निगरानी समूहों ने **व्यक्तियों की हत्या की, उन पर हमला किया और उन्हें पीट-पीटकर मार डाला,** जबकि धार्मिक नेताओं को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया तथा घरों एवं पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया।
- इसने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019, समान नागरिक संहिता और राज्य स्तरीय धर्मांतरण और गोहत्या विरोधी कानूनों की भी आलोचना की।

USCIRF: USCIRF एक अमेरिकी संघीय आयोग है जिसकी स्थापना वर्ष 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत की गई थी, जिसके आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति और दोनों दलों के कॉन्ग्रेस नेताओं द्वारा की जाती है।

नोट :

- **यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों** पर आधारित है, विशेष रूप से **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 18 पर,** जो **धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।**
- यह अमेरिका के अलावा अन्य देशों में **धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के** सार्वभौमिक अधिकार (FORB) की निगरानी करता है।

पीएम इंटर्नशिप योजना

हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024 में की गई थी।

योजना के बारे में:

- इस योजना का उद्देश्य **युवा बेरोज़गारी की समस्या से निपटने के लिये विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना** है।
  - इसका उद्देश्य आगामी पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है।
- आवेदकों को सरकार की ओर से 4,500 रुपए मासिक वृत्ति मिलेगी तथा कंपनियों द्वारा एक वर्ष के लिये उनकी **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** पहल के तहत अतिरिक्त 500 रुपए दिये जाएंगे।
- नामांकन के समय 6,000 रुपए का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा, साथ ही पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज़ भी प्रदान किया जाएगा।

पात्रता मापदंड:

- **आयु:** 21- 24 वर्ष
- **शिक्षा:** कम-से-कम 10वीं कक्षा; प्रमुख संस्थानों (IIT, IIM) से स्नातक और व्यावसायिक योग्यता (CA) को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
- **रोज़गार की स्थिति:** पूर्णकालिक रोज़गार में संलग्न नहीं होना चाहिये।
- **आय प्रतिबंध:** परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिये; सरकारी कर्मचारियों वाले परिवार अपात्र हैं।

योजना के लाभ:

- यह योजना वास्तविक दुनिया के वातावरण में व्यावहारिक कौशल प्रदान करती है।
- इससे युवाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी।

तेलंगाना में अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण

हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों (SC) को चार अलग-अलग उप-समूहों (A, B, C और D) में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की है।

- यह घटनाक्रम **सर्वोच्च न्यायालय** के **उस ऐतिहासिक निर्णय के बाद हुआ है जिसमें राज्यों को** आरक्षण के प्रयोजनों के लिये **अनुसूचित जातियों (SC)** और **अनुसूचित जनजातियों (ST)** सहित **आरक्षित श्रेणियों को उप-वर्गीकृत करने** का अधिकार दिया गया था।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पुनर्विचार निर्णय में राज्योंं को **पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों** के आधार पर **संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत** करने की अनुमति दी।
  - इसने फैसला सुनाया कि **'क्रीमी लेयर' सिद्धांत,** जो पहले केवल **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** पर लागू होता था (जैसा कि **इंद्रा साहनी मामले में उजागर किया गया था**), **अब एससी और एसटी पर भी लागू** होना चाहिये।
  - यह भी माना गया कि आरक्षण **केवल पहली पीढ़ी के लिये लागू हो**; यदि परिवार के किसी सदस्य ने लाभ ले लिया है, तो **दूसरी पीढ़ी इसके लिये अयोग्य हो।**

विश्व पर्यावास दिवस 2024

भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 9 अक्तूबर, 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावास दिवस 2024 मनाया।

विश्व पर्यावास दिवस:

- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के प्रथम सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस के रूप में घोषित किया।
  - इस दिवस का उद्देश्य विश्व को यह स्मरण कराना भी है कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने का अधिकार और उत्तरदायित्व है।
- विश्व पर्यावास दिवस की उत्पत्ति वर्ष 1986 में नैरोबी, केन्या में हुई थी।
  - वर्ष 1986 में पहली बार मनाए जाने के बाद से यह दिवस शहरी जीवन स्थितियों में सुधार पर केंद्रित रहा है।
- वर्ष 2024 का विषय: 'बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना', तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है।

नोट :

- इसका उद्देश्य युवाओं को शहरी नियोजन और निर्णय लेने में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करना है ताकि अधिक समावेशी, लचीले और सतत् शहरी वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके।

महत्त्व:

- यह आश्रय के मौलिक अधिकार के बारे में जागरुकता बढ़ाता है तथा यह स्मरण कराता है कि हर किसी को सुरक्षित और आरामदायक आवास मिलना चाहिये।
- यह बढ़ते शहरीकरण के बीच पर्यावरण संरक्षण के महत्त्व पर भी प्रकाश डालता है।

अंतरिक्ष आधारित निगरानी (SBS) मिशन

हाल ही में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी (SBS) मिशन **के तीसरे चरणको** मंज़ूरी दे दी है।

- इससे नागरिक और सैन्य अनुप्रयोगों के लिये **भूमि एवं समुद्री क्षेत्र में बेहतर जागरूकता लाने में मदद मिलेगी।**
- इसमें निगरानी के लिये पृथ्वी की निचली कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट और भूस्थिरीय कक्षा या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में कम-से-कम **52 उपग्रहों** का प्रक्षेपण शामिल होगा।
  - **21 उपग्रह** इसरो द्वारा तथा शेष **31 निजी कंपनियों द्वारा** निर्मित किये जायेंगे।
- SBS मिशन का संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और रक्षा मंत्रालय के अधीन **रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।**
  - तीनों सशस्त्र बलों के पास भूमि, समुद्र या वायु आधारित मिशनों के लिये **समर्पित उपग्रह होंगे।**
- **SBS के पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2001 में** की गई थी, जिसमें **चार उपग्रहों जैसे रिसैट 2 (Risat 2) का** प्रक्षेपण शामिल था, जबकि **SBS 2 को वर्ष 2013** में **छह उपग्रहों जैसे रिसैट 2A** के प्रक्षेपण के साथ शुरू किया गया था।
- SBS 3 मिशन को भारत द्वारा अमेरिका से **31 प्रीडेटर ड्रोन प्राप्त करने, फ्राँस के साथ सैन्य उपग्रहों के संयुक्त निर्माण** तथा उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं से **समर्थन प्राप्त होगा।**
- भारत का लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **शत्रु की पनडुब्बियों का पता लगाने तथा** अपनी भूमि व समुद्री सीमाओं पर शत्रु द्वारा **किये जा रहे बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर नज़र रखने की** क्षमता हासिल करना है।

भारत में शव दान

एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि **मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि के कारण शवों की मांग में वृद्धि** हुई है लेकिन **भारत में शवों के दान में हुई कमी** के कारण इन संस्थानों को चिकित्सा शिक्षा के लिये **लावारिस शवों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।**

- **शव दान के विषय में:** मृत्यु के बाद अपना संपूर्ण शरीर को वैज्ञानिक उद्देश्य हेतु दान को शव दान कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा पेशेवरों को शल्य चिकित्सक बनने तथा मानव शरीर रचना को समझने के लिये प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना है।
- **पात्रता:** 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपना शरीर दान करने के लिये सहमति दे सकता है। पूर्व सहमति न होने की स्थिति में, निकटतम रिश्तेदार दान कर सकते हैं।
- **अपवर्जन:** अंग दाताओं या तपेदिक, एचआईवी या सेप्सिस जैसे **संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों तथा चिकित्सीय-कानूनी मामलों में शामिल व्यक्तियों के शवों को अस्वीकार** किया जा सकता है।
- **लावारिस शव:** राज्य के एनाटॉमी अधिनियम के तहत **कॉलेज लावारिस शवों का उपयोग** करते हैं, जहाँ **रिश्तेदारों को 48 घंटों के भीतर शव पर दावा करना** होता है।
  - लावारिस शव प्रायः हाशिए पर पड़े या गरीब व्यक्तियों के होते हैं, जिससे सहमति के बारे में नैतिक प्रश्न उठते हैं।
- **अंग दान के विपरीत**, संपूर्ण शरीर के दान की निगरानी के लिये कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है। आमतौर पर, यह उत्तरदायित्व सीधे मेडिकल कॉलेजों के एनाटॉमी विभागों पर।
  - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, मृत दाताओं से अंग प्रत्यारोपण का प्रबंधन करता है।

ब्रिटेन में नगा मानव खोपड़ी की नीलामी संबंधी विवाद

हाल ही में नगालैंड एवं भारत के अधिकारियों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद 19वीं शताब्दी की **"सींग वाली नगा खोपड़ी"** की ब्रिटेन में नीलामी को रद्द किया गया, जिससे मानव अवशेषों के संवेदनशील मुद्दे तथा औपनिवेशिक विरासतों के संदर्भ में विमर्श को बढ़ावा मिला है।

- नीलामी में **19वीं सदी की नगा खोपड़ी की** कीमत **3,500-4,500 पाउंड आंकी गई साथ ही** पापुआ न्यू गिनी, बोर्नियो, सोलोमन द्वीप एवं बेनिन, कांगो और नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देशों से संबंधित अवशेष भी नीलामी में मौजूद थे।
- **नगालैंड के मुख्यमंत्री** और **नागरिक समाज ने** नीलामी के खिलाफ **विरोध प्रदर्शन** किया।
  - **इन्होने इसे** औपनिवेशिक हिंसा **और** नस्लवाद की निरंतरता के रूप में संदर्भित किया तथा नगा लोगों को **"असभ्य" एवं "शिकारी"** के रूप में संदर्भित करने जैसी हानिकारक रूढ़ियों को नकारा, जो **ब्रिटिश उपनिवेशवाद में निहित एक चरित्र-चित्रण है।**

- स्थानीय मानव अवशेषों की बिक्री (विशेष रूप से औपनिवेशिक शासन के दौरान चुराए गए अवशेषों की) की **नैतिक उल्लंघन के रूप में कड़ी निंदा की गई।**
- कहा जाता है कि **मानव अवशेषों की नीलामी** स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (UNDRIP) **के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है** जिसमें कहा गया है: " **स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृतियों, परंपराओं, इतिहास और आकांक्षाओं की गरिमा एवं विविधता का अधिकार है,** जो शिक्षा एवं सार्वजनिक सूचना में उचित रूप से परिलक्षित होना चाहिये।"

- नगा समुदाय **ऑक्सफोर्ड स्थित पिट रिवर्स म्यूज़ियम** से **अपने पूर्वजों के अवशेषों को वापस लाने** के प्रयासों में शामिल रहा है, जहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान एकत्र की गई लगभग **6,500 नगा कलाकृतियाँ रखी हुई हैं।**

टेली मानस

जवाहरलाल **नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (JIPMER) ने** "टेलीमानस" (राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग) टोल-फ्री हेल्पलाइन आरंभ की है, जो मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधी सेवाएँ प्रदान करती है।

- वर्ष 2023 में **केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने** मानसिक स्वास्थ्य तक पहुँच में अंतर को पाटने के उद्देश्य से **सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को** कवर करते हुए **टोल-फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 14416 (टेली-मानस)** आरंभ की।
- यह ऐप भारत के राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का भाग है और मानसिक स्वास्थ्य पर व्यापक जानकारी उपलब्ध कराता है।
- यह अवसाद, चिंता और भावनात्मक चुनौतियों के शुरुआती लक्षणों के प्रबंधन पर भी मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NTMHP):**
  - देश में **गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुँच में** सुधार हेतु NTMHP को **अक्तूबर 2022 में लॉन्च किया गया था।**
  - **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS),** बंगलूरू **राष्ट्रीय शीर्ष केंद्र है, जो** संपूर्ण भारत में टेली मानस की गतिविधियों का समन्वय करता है।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्तूबर से 11 अक्तूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने **बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) पहल के** बैनर तले 10 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया।

- इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम **"Girls' Vision for the Future अर्थात भविष्य के लिये बालिकाओं का दृष्टिकोण" है,** जो बालिकाओं के लिये लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।
- **इतिहास:** सर्वप्रथम **वर्ष 1995 के बीजिंग घोषणापत्र और कार्यवाही मंच ने** लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के लिये एक व्यापक योजना की पेशकश की।
  - **वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 66/170 को अपनाकर** 11 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया।
- **BBBP योजना:**
  - इसे **जनवरी 2015 में प्रारंभ किया गया था,** जिसका उद्देश्य **लिंग आधारित गर्भपात और घटते बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) को संबोधित करना था,** जो वर्ष 2011 में प्रत्येक 1,000 लड़कों पर **919 लड़कियाँ थी।**
  - यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
  - यह कार्यक्रम देश के **640 ज़िलों में** क्रियान्वित किया जा रहा है ।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल:**
  - **किशोरियों के लिये योजना**
  - **सुकन्या समृद्धि योजना**

कॉमनवेल्थ पावरलिफ्टिंग में स्वर्ण जीतने वाले पहले आईपीएस अधिकारी

एक असाधारण उपलब्धि में, पुडुचेरी में वरिष्ठ **पुलिस अधीक्षक (SSP) आईपीएस अधिकारी अनीता रॉय राष्ट्रमंडल अंतर्राष्ट्रीय क्लासिक बेंच प्रेस प्रतियोगिता, 2024** में **स्वर्ण पदक हासिल करने वाली** पहली आईपीएस अधिकारी बन गई हैं।

परिचय:

- **यह चैंपियनशिप अक्तूबर, 2024** में **दक्षिण अफ्रीका के सनसिटी** में आयोजित की जाएगी।
- इसका आयोजन राष्ट्रमंडल पॉवरलिफ्टिंग महासंघ द्वारा किया जाता है तथा **यह अंतर्राष्ट्रीय** पॉवरलिफ्टिंग महासंघ **से संबद्ध है।**
- इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **उच्च गुणवत्ता वाली, नशा मुक्त पॉवरलिफ्टिंग प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है।**

अंतर्राष्ट्रीय पॉवरलिफ्टिंग फेडरेशन (IPF):

- यह पॉवरलिफ्टिंग के खेल के लिये वैश्विक नियामक संस्था है। वर्ष **1972 में स्थापित,** IPF में **100 से अधिक देशों के सदस्य संघ शामिल हैं।**
- इसे आधिकारिक तौर पर **अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों के जनरल एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त है।**

जीवन प्रत्याशा की वृद्धि संबंधी जटिलताएँ

"इम्प्लॉसिबिलिटी ऑफ रेडिकल लाइफ एक्सटेंशन इन ह्यूमंस इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ("Implausibility of Radical Life Extension in Humans in the Twenty-First Century)" शीर्षक से किये गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि चिकित्सा और तकनीकी प्रगति के कारण **जीवन प्रत्याशा में होने वाली लगातार वृद्धि में कमी आ रही है।**

अध्ययन के बारे में:

- शोधकर्त्ताओं ने **वर्ष 1990 से वर्ष 2019 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आँकड़ों की जाँच की,** जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड जैसे उच्चतम जीवन प्रत्याशा वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य निष्कर्ष:

- अध्ययन से पता चलता है कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा में **वर्ष 1990 और वर्ष 2019 के दौरान केवल 6.5 वर्ष** की वृद्धि हुई है।
  - **कैंसर और हृदयाघात जैसी व्यापक घातक बीमारियों** के लिये केवल उपचार में सुधार करने के बजाय, हमें ऐसी नवीन नई दवाओं की आवश्यकता है जो **उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा** कर सकें।
- वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि उन क्षेत्रों में **लड़कियों की 100 वर्ष की आयु तक पहुँचने की संभावना 5.3% है, तथा लड़कों की 1.8% है।**
  - हालाँकि, भले ही सामान्य बीमारियों का उन्मूलन कर दिया जाए, लेकिन **उम्र बढ़ने के कारण अंगों में कमज़ोरी के कारण** जीवन प्रत्याशा की वृद्धि सीमित हो जाती है।
- **जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के लिये** कई दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है, जिनमें **मेटफॉर्मिन भी शामिल है, जो एक कम लागत वाली मधुमेह की दवा है,** जो नर बंदरों में बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करने में कारगर साबित हुई है।

नोट :

हिज़्ब उत-तहरीर पर प्रतिबंध

हाल ही में **गृह मंत्रालय (MHA) ने** गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA) की **धारा 35** के तहत **हिज़्ब-उत-तहरीर** पर प्रतिबंध लगा दिया।

- **यह आतंकवादी** कृत्यों में संलिप्त था, जिसमें **भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर** आतंकवादी संगठनों में शामिल करना तथा **उनकी गतिविधियों के लिये धन एकत्रित करना शामिल था।**
  - ये भोले-भाले युवाओं को **आतंकवादी कृत्य करने के लिये प्रेरित करने हेतु 'दावा करने वाली' सभाओं** (इस्लामी प्रचार या धर्मांतरण) का आयोजन करते हैं।
  - इसका उद्देश्य **जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों** के माध्यम से भारत समेत विश्व भर में **इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है।**
- **UAPA, 1967 की धारा 35** सरकार को किसी संगठन को **गैरकानूनी घोषित करने का अधिकार देती है यदि वह आतंकवाद या अलगाववाद को** बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में संलग्न है।
- हिज़्ब-उत-तहरीर वर्ष **1953 में यरुशलम** में गठित एक **अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन है।**
  - इसका मुख्यालय **लेबनान में स्थित है, यह** यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित कम-से-कम **30 देशों में परिचालन करता है।**
- यह भारत में प्रतिबंधित होने वाला **45वाँ संगठन बन गया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद** और **लस्कर-ए-तैयबा भी शामिल हैं**।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024

10 अक्तूबर, को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (WMHD) **2024 मनाया गया,** जिसमे हाल ही में कार्यस्थल पर हुई आत्महत्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, जो **मानसिक स्वास्थ्य पर रोज़गार से संबंधित तनाव के महत्त्वपूर्ण प्रभाव को उज़ागर करती हैं,** यहाँ तक कि उन लोगों में भी जो बाहरी रूप से सफल दिखाई देते हैं।

- **WMHD 2024 की थीम है- कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य।**
- **पृष्ठभूमि:** WMHD की शुरुआत सबसे पहले **वर्ष 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ (WFMH)** द्वारा की गई थी।
  - **WHO द्वारा आयोजित WMHD** का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना, तथा व्यक्तियों और समुदायों के लिये मानसिक कल्याण के महत्त्व पर ज़ोर देना है।
  - मानसिक बीमारी के उदाहरणों में **अवसाद, चिंता विकार, सिज़ोफ्रेनिया,** भोजन संबंधी विकार और व्यसनकारी व्यवहार शामिल हैं।
- **सांख्यिकी:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
  - **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NMHS) 2015-16** के अनुसार , भारत में 10.6% वयस्क लोग मानसिक विकार यानी मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं। जबकि मानसिक स्वास्थ्य विकार और अन्य विभिन्न विकारों के बीच उपचार में 70% तथा 92% का अंतराल है।
- **सरकारी पहल:**
  - ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP)
  - नेशन टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (NTMHP)
- **मानसिक स्वास्थ्य पर नीतिगत सिफारिशें:**
  - मनोचिकित्सकों की संख्या को **0.75 मनोचिकित्सकों** से बढ़ाकर विश्व **स्वास्थ्य संगठन के नियम के** अनुसार **प्रति लाख जनसंख्या के लिये 3 मनोचिकित्सक** तक पहुँचाने के प्रयासों में वृद्धि।
  - विकारों की शीघ्र पहचान के लिये स्कूल जाने से पहले यानी आंगनवाड़ी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना।

■■■

नोट :